लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES



चतुर्थ माला
Fourth Series

खंड 5, 1967 / 1889 (शक)
Volume (V), 1967/1889 (Saka)

[20 जून, 1967 से 3 जूलाई 1967 / 30 ज्येष्ठ 1889 से 12 आषाढ़ 1889 (शक)]
[June 20 to July 3, 1967/ Jyaistha 20 to Asatha 12, 1889 (Saka)]

दूसरा सत्र, 1967/1889 (शक)
Second Session, 1967/1889 (Saka)

(खण्ड 5 में अंक 21 से 30 तक हैं)
(Volume (V) contains Nos. 21 to 30)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

विषय-सूची / CONTENTS

अंक 24 शुक्रवार, 23 जून, 1967/2 आषाढ़, 1889 (शक)

No. 24 Friday, June 23, 1967/Asadha 2, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTION

ता. प्र. संख्या / S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ / Pages
691	रुई का वायदा व्यापार — Forward Trading in Cotton	3103–3106
692	आयातित कच्चा माल — Imported Raw Materials	3106–3111
693	भारतीय सहयोग से अफ्रीकी देशों में उद्योग — Industries In African Countries with Indian Collaboration	3111–3113
694	पटसन मिलों का आधुनिकीकरण — Modernisation of Jute Mills	3113–3116
695	माल की प्रतिभूति पर बैंकों से ऋण — Bank Advances against Stocks	3116–3119

अल्प सूचना प्रश्न — SHORT NOTICE QUESTIONS

17	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम में वित्तीय संकट — Financial Crisis in NCDC	3119–3122

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

तारांकित प्रश्न संख्या S. Q. Nos.

696	उड़ीसा में क्रोमाइट की खानें — Chromite Mines in Orissa	3129–3130
697	उत्तर बिहार में उद्योग — Industries in North Bihar	3130
698	पटसन की समूह खरीद (ग्रुप परचेज) सम्बन्धी योजना — Scheme for Group Purchase of Jute	3130–3131
699	मद्रास में रेशम बुनाई उद्योग — Silk Weaving Industry in Madras	3131–3132
700	मिलों को रुई की सप्लाई — Supply of Cotton to Mills	3132–3133

---

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

प्रश्नों के लिखित उत्तर – (जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

701	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम	National Coal Development Corporation ..	3133
702	भिलाई इस्पात कारखाने द्वारा बिलेटों की सप्लाई	Supply of Billets by Bhilai Steel Plant	3133–3134
703	केरल में हथकरघा उद्योग	Handloom Industry in Kerala	3134–3135
704	केरल में काजू उद्योग	Cashew Industry in Kerala	3135–3136
705	मोटर गाड़ियों के मूल्य	Prices of Vehicles	3136
706	जापान को लौह अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore to Japan	3137–3138
707	केलों का निर्यात	Export of Bananas	3138
708	हंगरी को सूती धागे का निर्यात	Export of Cotton Yarn to Hungary	3139
709	खादी का उत्पादन	Production of Khadi	3139–3140
710	उत्तर बिहार का औद्योगिक विकास	Industrial Development of North Bihar	3140
711	बियर बनाने के लिये जौ का प्रयोग	Use of Barley for Brewing Beer ..	3140
712	श्रीलंका के साथ व्यपार	Trade with Ceylon	3141
713	नेपाल को कपड़े का निर्यात	Export of Textiles to Nepal	3141
714	अफगानिस्तान के साथ व्यापार	Trade with Afghanistan	3141–3142
715	कपड़े के गलत नमूने	Wrong specifications of Textiles	3142
716	बोकारो परियोजना	Bokaro Project	3142–3143
717	दुर्गापुर इस्पात कारखाने के बारे में पाण्डे समिति का प्रतिवेदन	Pande Committee Report on Durgapur Steel Plant	3143
718	विद्युत चालित करघा उद्योग	Powerloom Industry	3143–3144
719	पूना नगरपालिका परिवहन समिति को आयात लाइसेंस जारी किया जाना	Import Licences issued to Poona Municipal Transport Committee ...	3144

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

720	बेल्लमपल्ली (दक्षिण मध्य रेलवे) में माल डिब्बों की अनियमित सप्लाई	Irregular Supply of Wagons at Bellampally (S. C. Rly)	3144–3145

अता. प्र. संख्या U. S. Q. No.

3369	झाझा तथा जमालपुर रेलवेमें वर्कशाप स्थानापन्न कर्मचारी	Substitute workers at Jhajha and Jamalpur Railway Workshop ...	3145-3146
3370	यंत्रचालित हल का आविष्कार	Invention of Mechanical Plough ...	3146
3371	पलासा स्टेशन पर प्लेट-फार्म तथा साइडिंग	Platforms and sidings at Palasa Station ...	3146–3147
3372	श्रीकाकुलम रोड तथा पलासा रेलवे स्टेशनों पर विश्राम कक्ष	Retiring Rooms at Srikakulam Road and Palasa Railway Stations	3147
3373	सोमपेटा स्टेशन पर मेल गाड़ियों का रोका जाना	Stoppage of Mail Trains at Sompeta Station ...	3147
3374	रेयन सूत की उत्पादन लागत	Manufacturing Cost of Rayon Yarn	3147–3148
3375	बम्बई हीरा व्यापारी संस्था	Bombay Diamond Merchants Association ...	3148–3149
3376	शोलापुर कपड़ा मिल	Solapur Cotton Mills	3149
3377	गोआ का खनिज सर्वेक्षण	Mineral Survey of Goa ...	3149
3378	नौपाड और गुणपुर (दक्षिण पूर्व रेलवे) के बीच रेलगाड़ी	Train between Naupada and Gunupur (S. E. Railway)	3150
3379	मैसर्स राज रत्न नरनभाई मिल्स	M/s. Raj Ratan Naranbhai Mills ...	3150
3380	कलोल स्टेशन को फिर से बनाना	Remodelling of Kalol Station	3151
3381	अन्तर्राष्ट्रीय बी. 275 ट्रैक्टर का मूल्य	Price of International B. 275 Tractor ...	3151–3153

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

3382	नरम इस्पात बिलेट परियोजना	Mild Steel Billets Project ...	3153
3383	सलेम लौह अयस्क की खोज	Exploration of Salem Ore ...	3154
3384	बदलाघाट और धमारा-घाट (पूर्वोत्तर रेलवे) के बीच पुल	Bridge between Badla Ghat and Dhamara Ghat (N. E. Rly) ...	3154
3385	राष्ट्रीय राजपथ संख्या 31	National Highway No. 31 ...	3154–3155
3386	मुंगेर घाट स्टेशन का प्रतीक्षालय	Waiting Hall at Monghyr Ghat Station ...	3155
3387	मुंगेरघाट से मुंगेर तक रेल सेवा की व्यवस्था	Rail Service from Monghyr Ghat to Monghyr ...	3155
3389	खादी का उत्पादन	Production of Khadi	3156
3390	बिड़ला और टाटा सार्थ समूह	Birla and Tata Groups of Firms ...	3157
3391	गोआ में लघु उद्योग	Small Scale Industries in Goa	3157–3158
3392	डीजल इंजनों का निर्माण	Manufacture of Diesel Locomotives	3158
3393	कोटा–चितौड़गढ़ रेलवे लाइन	Kota-Chitorgarh Railway Line ...	3159
3394	वाणिज्य मंत्रालय में भ्रष्टाचार के मामले	Corruption cases in the Ministry of Commerce	3159
3395	औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मत्रालय में भ्रष्टाचार के मामले	Corruption cases in the Ministry of Industrial Development and Company Affairs ...	3159–3160
3396	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची	Heavy Engineering Corporation, Ranchi ...	3160
3397	सवाई माधोपुर में हाथों से वोगियों को धकेलना	Pushing of Bogies with Hands at Sawai Madhopur ...	3160-3161
3398	रेलवे कान्फ्रेंस एसोसिएशन के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Railway Conference Association Employees ...	3161-3162

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

3399	बिड़ला उद्योग समूह को लाइसेंसों का दिया जाना	Issue of Licences to Birla Group of Firms ...	3162
3400	केरल में टाइटेनियम का कारखाना	Titanium Plant in Kerala	3162-3163
3401	गोमांस तथा चमड़े का निर्यात	Export of Beef and Hides	3163
3402	सीमेन्ट का मूल्य	Price of Cement	3164
3403	रेलवे द्वारा कोयले की खरीद	Purchase of Coal by Railways ...	3164–3165
3404	मध्य रेलवे द्वारा विश्व-विद्यालय के विद्यार्थियों की नियुक्ति	Appointment of University Students by Central Railway ...	3165
3405	पूर्व रेलवे पर रोकी गई गाड़ियां	Trains held up on Eastern Railway	3165–3166
3406	दुर्गापुर इस्पात कारखाने का विस्तार	Expansion of Durgapur Steel Plant	3166
3407	कटनी में फास्फोरस	Phosphorous in Katni ...	3166–3167
3408	बादली औद्योगिक बस्ती में अतिरिक्त भूमि का आवटन	Allotment of Additional land in Badli Industrial Estate (Delhi)	3167
3409	बादली औद्योगिक बस्ती (दिल्ली) में चल रहे कारखाने	Functioning of Units in Badli Industrial Estate (Delhi) ...	3167–3168
3410	बादली औद्योगिक बस्ती (दिल्ली) में कारखानों को कच्चे माल की सप्लाई	Supply of Raw Materials to Units in the Badli Industrial Estate (Delhi)	3168
3411	लक्ष्मीकान्तपुर स्टेशन पर छापा	Raid on Lakshmikantapur Station	3168–3169
3412	टर्बो आल्टरनेटर सैटों का निर्माण	Manufacture of Turbo Alternator Sets	3169

3413	निर्यात शक्यता वाले उद्योग	Export Potential Industries	3169
3414	लौह अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore	3170
3415	राज्य व्यापार निगम द्वारा रसायनों का निर्यात	Import of Chemicals by S. T. C. ...	3170–3171
3416	राजस्थान में खादी ग्रामोद्योग समितियां	Khadi Gramodyog Societies in Rajasthan ...	3171
3417	जीप–रेलगाड़ी दुर्घटना	Jeep-Train Accident	3172
3418	रेलवे स्टेशनों पर अनियमिततायें	Irregularities at Railway Stations	3172
3419	पांशकुड़ा रेलवे स्टेशन	Panskura Railway Station	3173
3420	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची द्वारा अर्जित फालतू भूमि	Surplus Land acquired by H. E. C. Ranchi ..	3173–3174
3421	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची, में फालतू कर्मचारी	Surplus Staff in H. E. C. Ranchi	3174
3422	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची, के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Accommodation for Employees of H. E. C. Ranchi	3174
3423	डीजल इंजन से चलने वाली रेलगाड़ियां	Hauling of Train by Diesel Locomotives ..	3174–3175
3424	इटावा रेलवे स्टेशन पर दरवाजे	Gates at Etawah Railway Station ...	3175
3425	दिल्ली-फरुखाबाद पैसेंजर गाड़ी में डाका	Dacoity in Delhi Farukhabad Passenger Train	3175–3176
3426	लघु उद्योग उत्पादों का निर्यात	Export of Small Scale Industries Products ...	3176–3177
3427	प्रबन्ध अभिकरण	Managing Agencies	3177–3178
3428	विद्युत चालित करघों के लिये लाइसेंस	Licences for Powerlooms ..	3178

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

3429	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची, द्वारा आदिवासियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Adivasis by H. E. C., Ranchi ..	3178–3179
3430	दानापुर डिवीजन के लोको शैडों के यान्त्रिक कारीगर (मेकेनिकल आर्टिजन)	Mechanical Artisans of Loco Shed, Danapur	3179
3431	माल गाड़ियों के क्रैक पैट्रन को पूर्वी रेलवे के कुछ सैक्शनों पर लागू करना	Introduction of Crack Pattern of Goods Trains on certain Sections of Eastern Railway ...	3179–3180
3432	राज्यों में औद्योगिक विकास	Industrial Development in States ...	3180
3433	दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर गेहूं बुक करना	Booking of wheat from Railway Stations in Delhi	3180–3181
3434	काफी का निर्यात	Export of Coffee	3181
3435	हौजरी उद्योग द्वारा निर्यात	Exports of Hosiery Industry ...	3181–3182
3436	टाइलों का निर्यात	Export of Tiles	3182
3437	उड़ीसा में नमक का उत्पादन	Production of Salt in Orissa ..	3182
3438	उड़ीसा में हाथकरघा वस्तुओं का उत्पादन	Output of Handloom Products in Orissa ...	3182-3183
3439	सूत का मूल्य	Price of Yarn	3183
3440	उड़ीसा में शिशु आहार (बेबी फूड) की कमी	Shortage of Baby Food in Orissa ..	3183–3184
3441	मद्रास में रेशम बुनाई उद्योग	Silk Weaving Industry in Madras	3184
3442	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड	Hindustan Machine Tools, Ltd. ..	3184–3185
3443	उड़ीसा में नया इस्पात कारखाना	New Steel Plant in Orissa	3185

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

3444	दिल्ली के चारों ओर रिंग रेलवे	Ring Railway Around Delhi	3185
3445	तांबे की खाने	Copper Mines	3186
3446	प्राथमिकता प्राप्त उद्योग	Priority Industries	3186–3187
3447	हैवी इंजीनियरिंग निगम, रांची द्वारा अर्जित लाभ	Profit made by H. E. C. Ranchi	3187
3448	काली मिर्च का निर्यात	Export of Pepper	3187–3189
3449	केरल में रेलवे लाइन	Railway Lines in Kerala ...	3189
3450	अजीमगंज जंकशन पर रेल इंजन घर का बन्द करना	Closing down of Loco Shed at Azimganj Jn.	3189–319
3451	पटसन का निर्यात	Export of Jute	3190–3191
3452	रेलवे में प्रति कर के मामले	Compensation Cases on Railways	3191
3453	202 डाउन लुमडिंग सिल्चर सवारी गाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment of 202 down Lumding Silchar Passenger Train	3191–3192
3454	जर्मन लोक तंत्रात्मक गण-राज्य से उर्वरक	Fertilizers from German Demonscratic Republic	3192
3455	रेलवे चार्जमैन तथा फोरमैनों की याचिका	Petition by Railway Chargemen and Foremen	3192
3456	चार्जमैनों तथा फोरमैनों को अधिक समय तक कार्य करने का भत्ता	Overtime Allowance to Chargemen and Foremen ..	3193
3457	लोको शैड अरकोणम	Loco Shed Arkonam	3193
3458	अरकोणम स्थित इंजी-नियरी वर्कशाप	Engineering Workshop at Arkonam	3193
3459	अरकोणम इंजीनियरी वर्कशाप क्षेत्र में नई वर्कशाप	New Workshop at Arkonam Engineering Workshop	3193–3194

3460	भारतीय हथकरघा तकनिकी संस्था, सलेम	Indian Insttute of Handloom Technology, Salem ..	3194–3195
3461	नवेली में बिजली का उत्पादन	Power Production at Neiveli	3195
3462	आयात लाइसेंस दिया जाना	Issue of Import Licences ..	3195–3196
3463	रुई पर से मूल्य नियंत्रण हटाना	Removal of Control on Price of cotton ..	3196
3464	राज्य व्यापार निगम	State Trading Corpration ..	3196–3197
3465	मध्य प्रदेश में ट्रैक्टर फैक्टरी	Tractor Factory in Madhya Pradesh ...	3197
3466	इस्पात का निर्यात	Steel Exports ...	3197
3467	खानों के मालिकों के लिये वित्त व्यवस्था	Financing Mine Owners ...	3197–3198
3468	कटक-परादीप रेलवे लाइन	Cuttack Paradip Railway Line	3198
3469	चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशाप में बिजली के इंजनों का निर्माण	Manufacture of Electric Locomotive	3198
3470	इन्टेग्रल कोच फैक्टरी, पेरम्बूर	Integral Coach Factory, Perambur ...	3199
3471	एच. एम. टी. की कलाई घड़ियां	HMT Wrist Watches ...	3199
3472	ऊनी हौजरी माल तैयार करने के कराखाने	Woollen Hosiery Producing Units ...	3199–3200
3473	केरल में माल डिब्बों का न मिलना	Non availability of wagons in Kerala	3200
3474	उड़ीसा में सीमेंट का कारखाना	Cement Factory in Orissa	3200–3201
3475	लक्ष्मी रत्न काटन मिल्स, कानपुर	Lakshmi Rattan Cotton Mills, Kanpur ...	3201

3476	इस्पात कारखानों को विदेशी सहायता	Foreign Aid for Steel Plants	3201–3202
3477	भागलपुर में खनिज	Minerals in Bhagalpur ...	3202
3478	कोक तैयार करने की बिधि	Coke Manufacturing Process	3202–3203
3479	अमरीका के साथ ब्यापार	Trade with America ...	3203–3204
3480	गन्ने की खैई से कागज तैयार करना	Manufactur of papes form Bagasse ...	3204
3481	इस्पात कारखाने	Steel Plants	3205
3482	पश्चिम रेलवे का वाह्य यातायात लेखा कार्यालय दिल्ली	Western Railway Foreign Traffic Accounts, Office, Delhi	3205
3483	रेलवे कर्मचारी को नौकरी से निकाल देना	Termination of Services of Railway Employees	3205–3206
3484	सरकारी कम्पनियों तथा संविहित निगमों के बोर्डों में गैर–सरकारी व्यक्ति	Non–officials on the Boards of Government companies and statutory Corporations	3206
3485	औद्योगिक लाइसेंस देना	Issue of Industrial Licences	3206–3207
3486	रेलवे कुलियों की सम स्यायें	Problem of Railway Porters	3207
3487	रेल की पटरी के साथ वाली भूमि को जोतना	Cultivation of land along the Railway Tracks	3207–3208
3488	चीन के साथ व्यापार	Trade with China	3208
3489	इटारसी तथा बम्बई के बीच चलने वाली एक्सप्रेस तथा मेल गाड़ियां	Express and Mail Trains running between Itarsi and Bombay	3208–3209
3490	मध्य प्रदेश में हाथकरघा कपड़े का उत्पादन	Production of Handloom cloth in Madhya Pradesh	3209

3491	भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड	Bharat Hevay Electricals Ltd.	...	3209-3210
3492	दक्षिण पूर्व रेलवे में रेलवे पुल	Railway Bridge on S. E. Railway ...		3210–3211
3493	विमान से राजस्थान का सर्वेक्षण	Aerial Survey of Rajasthan ...	...	3211
3494	मध्य प्रदेश में सीमेंट का कारखाना	Cement Factory in Madhya Pradesh ..		3211–3212
3495	बीना स्टेशन पर दुर्घटना	Accident at Bina Station ...		3212
3496	सरकारी क्षेत्र की कोयला खानें	Public Sector Coal Mines ...	...	3212
3497	जापान को कोकिंग कोयले का निर्यात	Export of Coking Coal to Japan	...	3212–3213
3498	कोयला लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध	Restriction on movement of Coal	...	3213
3499	कटनी सिंगरौली चोपन रेलवे लाइन	Katni–Singrauli–Chopan Railway Line	...	3213–3214
3500	आँध्र प्रदेश में औद्योगिक एकक	Industrial Units in Andhra Pradesh	...	3214
3502	कपड़े का मूल्य	Price of Cloth ...	...	3214-3215
3503	तुर्की में व्यापार मेला	Trade Fair in Turkey ..	...	3215
3504	हासपेट में लौह अयस्क के निक्षेप	Iron Ore Deposit in Hospet ...	...	3215
3505	उड़ीसा में पटसन की मिलें	Jute Mill in Orissa ..	...	3215–3216
3506	हुबली से रेलगाड़ियों का विलम्ब से प्रस्थान	Late Departure of Trains from Hubli	...	3216
3507	नेपाल के साथ संयुक्त व्यापार कारोबार	Joint Trade Venture with Nepal ...	...	3216–3217

3508 पंजाब में उद्योगों की स्थापना	Location of Industries in Punjac ...	3217
3509 पंजाब का रेशेदार धागा उद्योग	Staple Yarn Industry of Punjab ...	3217–3218
3510 पाकिस्तानी यात्रियों द्वारा फीरोजपुर स्टेशन पर जाली नोटों का प्रयोग किया जाना	Use of forged currency notes by Pakistani Pilgrims at Ferozepur Station	3218–3219
3511 बागान जांच आयोग	Plantation Enquiry Commission	3219–3220
3512 चाय बोर्ड	Tea Board	3220
3513 बिना टिकट यात्रा	Ticketless Travel	3220–3221
3514 मध्य प्रदेश में लघु उद्योग	Small Scale Industries in M. P.	3221
3515 अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय इस्पात की बिक्री	Sale of Indian Steel at World Markets	3221–3222
3516 आसाम में चाय बागान	Tea Gardens in Assam	3222
3517 रेलवे की भूमि	Railway Lands	3222–3223
3518 सिलीगुडी से जोगीधोपा तक बडी रेलवे लाइन	B. G. Line from Siliguri at Jogighopa ...	3223
3519 दिल्ली जंक्शन पर घोषणाएं	Announcement at Delhi Junction ...	3223
3520 गांधीगंज (दक्षिण मध्य रेलवे) के निकट उपरि पुल	Overbridge near Gandi Ganj (S. C. Rly) ...	3224
3521 निजामाबाद रेलवे स्टेशन	Nizamabad Railway Statoin	3224
3522 निजामाबाद से वारंगल तक रेल लाइन	Railway Line from Nizamabad to Waran-gal	3224–3225
3523 पांडिचेरी में लाइसेंस जारी किया जाना	Issue of Licences in Pandicherry ..	3225
3524 रेलवे मुख्यालय, बड़ौदा हाउस (नई दिल्ली) में उत्सव	Carnival in Railway Headquarters, Baroda House, New Delhi	3225–3226

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

3525	रेलवे के कल पुर्जों की खरीद	Purchase of Railway Components	3226–3227
3526	अमीनचन्द प्यारेलाल सार्थ समूह	Aminchand Pearelal Group of Firms ..	3227
3527	बिड़ला सार्थ समूह	Birla Group of Firms ..	3227–3228
3528	स्वेज नहर का बन्द होना	Closure of Suez Canal	3228
3529	रेल लाइनों का निर्माण	Construction of Railway Lines ...	3228
3530	भिलाई इस्पात कारखाना	Bhilai Steel Plant ..	3228–3229
3531	मोटर गाड़ियों के स्प्रिंग	Motor Vehicle Springs	3229
3532	भोपाल के निकट हबीबगंज स्टेशन पर एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का रुकना	Stoppage of Express Trains at Habibganj Station near Bhopal ..	3230
3533	रेलवे द्वारा अर्जित की गई भूमि के लिय मुआवजा	Compensation for Land Acquired by Railway ..	3230–3231
3534	मध्य प्रदेश में छोटे पैमाने के उद्योग	Development of Small Scale Industries in M. P.	3231–3232
3535	सीमेंट की उत्पादन लागत	Cost of Production of Cement	3232–3234
3536	कालोल रेलवे स्टेशन पर रेलवे का उपरी पुल	Over bridge at Kalol Station ...	3234
3537	गिरधरनगर और आसरवा रेलवे फाटकों पर उपरि पुल	Over-bridges at Girdharnagar and Asrwa Railaway Crossings	3235
3538	पोलीएस्टर धागे की कमी	Shortage of Polyester Fibre ..	3235–3236
3539	मनीपुर में हथकरघा उद्योग	Handloom Industry in Manipur	3236
3540	रेलवे लाइनों को दोहरा करना	Doubling of Railway Lines	3236–3237
3541	दिल्ली और अहमदाबाद के बीच डी–लक्स रेलगाड़ी	De-Lux Train Service between Delhi and Ahmedabad —	3237

3542	बर्मों (रिगों) का निर्माण	Manufacture of Rigs	3237–3238
3543	भारतीय भू-तत्वीय सर्वेक्षण विभाग के खोज विंग के कर्मचारी	Employees of Exploration With of Geological Survey of India	3238
3544	नेपाल के साथ व्यापार	Trade with Nepal ..	3239
3545	मैसूर में सरकारी बिजली कारखाना	Government Electric Factory, Mysore ..	3239–3240
3546	रूलकेला इस्पात कारखाने का विस्तार	Expansion of Rourkela Steel plant	3240
3547	सरकारी कर्मचारियों को स्कूटरों का आवंटन	Allotment of Scooters to Government Employees	3240–3241
3548	अम्बाला सिटी स्टेशन पर ठंडे पानी की मशीन	Water Cooler at Ambala City Station	3241
3549	रेलवे में ड्राइवरों और फायरमेनों के वेतनक्रम	Pay Scales of Drivers and Firemen on Railways ...	3241–3242
3550	कमर्शियल क्लर्कों का कार्यभार	Work load of Commercial Clerks ..	3242
3551	रेलवे के वाणिज्यिक संहिता	Commercial Code on Railway	3242–3243
3552	घोर सलार स्टेशन पर रेलगाड़ी का रुकना	Stoppage of Train at Dhaur Salar Station ..	3243
3553	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा इस्पात की पिण्डकों (बिलेट) का उत्पादन	Production of Steel billets by H. S. L. ...	3243–3244
3554	बिड़ला समूह की कम्पनियों के साथ व्यापार	Business with Birla Group of Companies ...	3244
3555	भाप से चलने वाले इंजन	Steam Locomotives	3244
3556	रेलवे के आयुर्वेदिक और यूनानी औषधालय	Ayurvedic and Unani Dispensaries on Railways	3245

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

3557	मध्य प्रदेश में उद्योगों का स्थापित किया जाना	Setting up of Industris in Madhya Pradesh ..	3245
3558	विदेशी तकनीकी जानकारी सम्बन्धी मुदालियर समिति की रिपोर्ट	Mudaliar Committee Report on Foreign Technical Know how	3246
3559	रेलगाड़ियों में वातानुकूल व्यवस्था का खराब हो जाना	Breakdown in the Air conditioning on Trains	3246
3560	निर्यात आयात विनियमों का उल्लंघन करने वालो की गिरफ्तारिया	Arrests for breach of export Import Regulations	3247–3248
3561	जापान को लौह अयस्क का निर्यात	Export of Iron ore to Japan	3248
3562	चौथी योजना में जूतों का निर्यात	Export of Footwear during Fourth Plan ...	3248-3249
3563	रेलवे में बिजली की व्यवस्था करने की परियोजना के तकनीकी कर्मचारी	Technical Staff of Railway Electrication Project	3249
3564	बालंगीर टाउन (दक्षिण–पूर्व रेलवे) में हाल्ट स्टेशन	Halt Station at Balangir Town (S. E. Railway	3250
3565	टिटलागढ़ स्टेशन के निकट निचला सड़क का पुल	Road Under Bridge near Titlagarh Station	3250
3566	वरिष्ठ तथा कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	Senior and Junior Administrative Officers ...	3250–3251
3567	अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी अमरीकी ऐजेंसी की सहायता से खनिजों की खोज	Mineral Exploration with US Aid ..	3251–3252
3568	री चाय की उपज	Production of Green Tea	3252-3253
3569	चाय बोर्ड की रिपोर्ट	Reports of the Tea Board	3253

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

3570 कांगड़ा तथा देहरादून की चाय	Kangara and Dehra Dun Teas	3253–3254
3571 हिमाचल प्रदेश का भूत–त्वीय सर्वेक्षण	Geological Survey of H. P. ..	3254
3572 जापान को लौह अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore to Japan ..	3254
3573 स्टेशनों पर पेय जल	Drinking water on Stations ..	3254–3255
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	3255–3262
आसाम और पश्चिम बंगाल में अनाज की भारी कमी	Acute scarcity of foodgrains in Assam and West Bengal	3255
श्री हेम बरुआ	Shri Hem Barua	3255
श्री जग जीवन राम	Shri Jagjivan Ram	3255
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	3262–3264
राज्य सभा के सन्देश	Message from Rajya Sabha	3264–3265
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	Public Undertakings Committee ..	3265
पहला प्रतिवेदन	First Report ..	3265
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति	Committee on absence of Members of sittings of the House	3265
पहला प्रतिवेदन	First Report ...	3265–3266
सभा का कार्य	Business of the House ..	3266–3269
पूर्व तथा दक्षिण-पूर्व रेलवे के कुछ सैक्शनों पर रेलवे सेवाएं अव्यवस्थित हो जाने के बारे में वक्तव्य	Statement Dislocation of train services on certain sections of Eastern and South Eastern Railways	3269
श्री चे. मु. पुनाचा	Shri C. M. Poonacha	3269–3273
तारांकित प्रश्न संख्या 541 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to S. Q. No. 541 ..	3273–3274

अता. प्र. संख्या/U.S.Q. Nos. विषय	Subject	पृष्ठ/Page
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
समितियों के लिये निर्वाचन	Elections to committees	3274–3276
(1) काफी बोर्ड	(1) Coffee Board.,	3274
(2) रबड़ बोर्ड	(2) Rubber Board.,	3275
(3) इलायची बोर्ड	(3) Cardamom Board.,	3275
नियम समिति	Rules Committee ..	3276–3277
दूसरा प्रतिवेदन	Second Report ...	3276
कम्पनी अधिकरण (उत्पादन) विधेयक	Companies Tribunal (Abolition) Bill	3278–3283
राज्य सभा द्वारा पारित रुप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider, as Passsd by Rajya Sabha	3278
श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri F. A. Ahmed	3278
श्री नि. चं चटर्जी	Shri N. C. Chatterje	3279
श्री मुतुस्वामी	Shri C. Muthusami	3280
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी	Shri S. S. Kothari	3280
श्री स. मो. बनर्जी	Shri S. M. Banerjee ...	3281
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	3281
श्री विश्वनाथ मेनन	Shri Viswanath Menon	3282
श्री स. कुन्डु	Shri S. Kundu	3282
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	3283
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members Bill and Resolutions ...	3283
पांचवा प्रतिवेदन	Fifth Report	3283
संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) बिधेयक	Salaries and Allowances of Members of Parliament (Amendment) Bill)	3284
(धारा 2 का संशोधन) [श्री नातिराज सिंह चौधरी का	(Amendnent of section–2) by Shri Nitiraj Singh Chaudhary	3284
संविधान (संशोधन) विधेयक 1967 (जारी)	Constitution (Amendment) Bill ...	3284
(अनुच्छेद 368 का संशोधन) [श्री नाथपाई का]	(Amendment of Article 368) by Shri Nath Pai ...	3284–3290

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
कुछ मंत्रियों के विरुद्ध आरोपों के बारे में विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re. Question of Privilege re-allegations against certain Ministers	3290
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri A. B. Vajpayee	3291
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye ..	3291
श्री स. मो बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	3293
श्री गोविन्द मेनन	Shri Govinda Menon	3294
श्री रंगा	Shri Ranga	3295
श्री श्री अ. डांगे	Shri S. A. Dange	3296
डा धर्मतेजा के स्वदेश प्रत्यावर्तन के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an hour Discussion Re. Repatriation of Dr. Dharmateja	3926-3300
डा. राम मनोहर लोहिया	Dr. Ram Manohar Lohia	3300

तारा. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	3373–3379
भारत के खाद्य निगम के कुछ कर्मचारियों द्वारा अनशन का समाचार	Reported hunger strike by certain employees of Food Corporation of India	3373
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	3373
श्री अन्नासाहिब शिन्दे	Shri Annasahib Shinde ...	3375
राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha	3379
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	3379
पहला, तथा दूसरा प्रतिवेदन	First and Second Reports	3379
विधेयक पुरःस्थापित	Bills Introduced : ..	3379-3380
(1) मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक	1. Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill	3379-3380
(2) चाय क्षेत्रों के उत्प्रवासी श्रमिक (निरसन) विधेयक	2. Tea Districts Emigrant Labour (Repeal) Bill	3380
कम्पनी अधिकरण (उत्पादन) विधेयक (जारी)	Companies Tribunal (Abolition) Bill-(Contd.)	3380–3385
अनुदानों की मांगें, 1967–68	Demands for Grants, 1967-1968 ..	3385
प्रतिरक्षा मंत्रालय	Ministry of Defence ...	3385
श्री नारायण दांडेकर	Shri N. Dandeker	3386
श्री अमृत नाहटा	Shri Amrit Nahata	3389
श्री रणजीत सिंह	Shri Ranjit Singh	3390
श्री दी. चं शर्मा	Shri D. C. Sharma ..	3400
आपात स्थिति पर दिये गये वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Statement on Emergency	3400
श्री हेम बरुआ	Shri Hem Barua ...	3400
श्री रंगा	Shri Ranga	3403
श्री दा. ना. तिवारी	Shri D. N. Tiwary	3405
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	A.B. Vajpayee ...	3405
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan ...	3406

तारा. प्र. संख्या/ U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
श्री कृष्ण कुमार चटर्जी	Shri Krihna Kumar Chatterjee	3407
श्री अ. डांगे	Shri S.A. Dange	3407
श्री जार्ज फर्नेन्डीज	Shri George Fernandes	3408
श्री अ. क. गोपालन	Shri A.K. Gopalan	3409
श्री मु. वाई. सलीम	Shri M.Y. Saleem ...	3410
श्री फ्रैंक एन्थनी	Shri Frank Anthony ...	3410
श्री हुमायूं कबीर	Shri Humayun Kabir ...	3411
श्री प्रकाश वीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	3412
मंत्री द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण	Personal Explanation by Minister	3413
आपात स्थिति पर दिये गये वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव (जारी)	Motion Re. Statement on Emergency (Contd.)	
श्री यशवन्त राव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	3413

लोक-सभा वाद-विवाद का
संक्षिप्त अनुदित संस्करण

23 जून, 1967 । 2 आषाढ़, 1889 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
(xvii)	नीचे से पंक्ति 24 ,
3278	पंक्ति 1 और 5 , `उत्पादन ` के स्थान पर `उत्सादन `पढ़िये ।
3104	पंक्ति 18 , `श्री म.अमासे ` के स्थान पर `श्री म.अमरसे `पढ़िये ।
3126	नीचे से पंक्ति 11 , `श्री लो.पे.वैंकटासुब्बया ` के स्थान पर `श्री पैं.वैंकटासुब्बया `पढ़िये ।
3261	पंक्ति 5 , `वालेरहाट ` के स्थान पर `बसिरहाट ` पढ़िये ।
3265	नीचे से पंक्ति 8 , `कारोनाडा ` के स्थान पर `काकिरनाडा `पढ़िये ।
3268	पंक्ति 5 , 'Motipari' के स्थान पर 'Motihari ' पढ़िये ।
3272	पंक्ति 12 , `श्री विरुमल राव `के स्थान पर `श्री तिरुमल राव ` पढ़िये ।
3279	पंक्ति 8 , `उपध्यक्ष महोदय ` के स्थान पर `उपाध्यक्ष महोदय ` पढ़िये ।
3292	नीचे से पंक्ति 16 , ` Khargova ' ` के स्थान पर 'Khargone ' पढ़िये ।

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 23 जून, 1967/2 आषाढ़, 1889 (शक)
Friday, June 23, 1967/Asadha 2, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. SPEAKER *in the chair*]

श्री उमानाथ : प्रश्न संख्या 700 भी साथ ही ले लिया जाये। यह मिलों की रूई की सप्लाई के बारे में है।

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : वह एक भिन्न प्रश्न है।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

रूई का वायदा व्यापार

+

*691. **श्री यशपाल सिंह :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूई, मूंगफली, वनस्पति तेलों तथा पटसन के वायदा व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब से ?

उत्तर

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) तथा (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल. टी.–770/67]

Shri Yashpal Singh : Government have not stated whether it includes specific delivery contracts or not. If it is covered, it is all right otherwise forward trading will continue unless you ban it.

Shri Dinesh Singh : The hon. Member is aware that specific delivery contracts are of two types. The one are transferable which come under speculation, the others are non-transferable, i. e. the requiste goods may be procured by a fixed date. In respect of most of the items referred to in my statement hedge speculation is banned. But in case of specific delivery contracts, which are non-transferable, they are all allowed.

Shri Yashpal Singh : May I know the constitution of Forward Marketing Commission and the classes represented therein ?

Shri Dinesh Singh : Perhaps the hon. Member is referring to the review committee. The names of the members of that committee are as follows :

1. Prof. M. L. Dantwala.
2. Shri A. S. Naik.
3. Shri R. T. Mirchandani.
4. Shri G. S. Lod.
5. Shri C. L. Gheewala.
6. Prof. S. V. Kogekar.
7. Shri A. Madhvan.
8. D. R. Pendse.

श्री म० प्रभासे : क्या सरकार वायदे के व्यापार, विशेष रूप से रूई के, के महत्व को समझती है और क्या कारण हैं कि पिछले दो वर्षों में वायदा व्यापार की अनुमति नहीं दी गई ?

श्री दिनेश सिंह : हस्तांतरण के रूप में, जो 'हैज' है, अनुमति नहीं दी गई है क्योंकि मूल्य सीमा (सीलिंग) से अधिक रहे हैं और इसलिये रूई की कमी भी रही है और यह अनुभव किया गया कि यह आवश्यक नहीं था। इस बात के अतिरिक्त मैं समझता हूँ कि इस अवस्था पर, जब रूई की कमी है यह वांछनीय नहीं होगा कि इसमें 'हैज' जैसी सट्टे की प्रवृत्ति आरम्भ की जाये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : माननीय मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि कच्चे पटसन का बाजार सर्वाधिक सट्टे वाला है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस देश में कच्चे पटसन की बराबर कमी रहती है, वायदा व्यापार के विनियमन के लिये अब तक किये उपायों की तुलना में, जो सट्टे को रोकने में वास्तव में असफल रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप एक ओर तो उद्योग कच्चे पटसन का मूल्य अधिक होने की शिकायत करता है और दूसरी ओर पटसन उगाने वाले किसानों को उचित मूल्य भी नहीं मिलता, क्या कोई और अधिक कठोर उपाय करने का विचार है ?

श्री दिनेश सिंह : इस वर्ष हमें पहले की अपेक्षा काफी अच्छी फसल होने की आशा है लेकिन जो भी और कठोर उपाय आवश्यक हों, हम अवश्य विचार करेंगे।

श्री रा० बरूआ : विवरण में कहा गया है कि आसाम, बिहार, उड़ीसा, बंगाल आदि में वायदे अथवा पेशबन्दी 'हैज' के सौदों की इस समय अनुमति नहीं है यद्यपि कोई औपचारिक रोक नहीं है। स्थिति क्या है ? कोई रोक नहीं है और साथ ही आप इसकी अनुमति भी नहीं देते है।

श्री दिनेश सिंह : कई चीजों के लिये कोई औपचरिक रोक नहीं है परन्तु फिलहाल हमने प्रशासनिक आदेशों द्वारा उनपर रोक लगा रखी है।

श्री याज्ञिक : अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अनुसार किसी भी खाद्य तेल में वायदे का व्यापार नहीं होना चाहिए और फिर भी एक अन्य कानून है जिसके अन्तर्गत मूंगफली और मूंगफली के तेल में वायदे के व्यापार की अनुमति है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सारे देश में मूंगफली और मूंगफली के तेल की बहुत कमी है और समूचे देश में बाजार भाव बहुत अधिक है, क्या सरकार मूंगफली और मूंगफली के तेल में वायदा व्यापार को तुरन्त बन्द करने के लिये कोई आदेश जारी नहीं कर सकती अथवा आवश्यक कार्यवाही नहीं कर सकती ?

श्री दिनेश सिंह : मूंगफली में पेशबन्दी (हैज) की अनुमति नहीं है। अहस्तांतरणीय निश्चित सुपुर्दगी की अनुमति है और यह सट्टा नहीं है।

Shri Madhu Limaye : The hon. Minister has stated that contracts of this type are not being permitted as the prices of cotton are ruling above the ceiling. When earlier I had raised this issue, I was told that the subject-concerned the Commerce Minister. Since he is present now, may I know if he well declare lifting of ceiling. price to remove the scarcity of cotton so that cotton growers may be encouraged and production of cotton may go up ?

Shri Dinesh Singh : The hon. Member is aware that increase in prices of cloth are feared in case ceiling price of cotton is removed.

Shri Madhu Limaye : The controlled variety of cloth is only 60 per cent.

Shri Dinesh Singh : I had discussed this issue with representatives of mill-owners, cotton traders and growers. I had enquired if we could devise some measure to avoid increase in the prices of controlled variety of cloth, we would be prepared to consider it.

Shri Madhu Limaye : In case of cotton there is 100 per cent control Please also state the percentage of controlled varieties of cloth.

Shri Dinesh Singh : About 40 per cent mill cloth is controlled.

Shri Hukam Chand Kachhwai : Do the Government know that during last season the market price of cotton in the beginning was Rs. 175/- per quintal but later on declined to Rs. 140-145 per quintal ? Will Government devise some measure or make purchases in the open market to see that the market price of cotton does not fall below the floor price ?

Shri Dinesh Singh : We have fixed the floor price of cotton and the prices cannot rule lower than that.

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : मेरे विचार में वायदा व्यापार खुले बाजार के कारोबार का एक आवश्यक अंग है और केवल उद्योगों के एक दीर्घकालीन उत्पादन कार्यक्रम तैयार करने में सहायक है। इसलिये क्या सरकार यह समझती है कि वायदा व्यापार ने मूल्यों के उतार-चढ़ाव में सन्तुलन स्थापित करने में, न कि उतार-चढ़ाव बढ़ाने में, सहायता की है और उस हद तक, यदि कोई गुंजाइश है, तो नियन्त्रण में शिथिलता लाने की है।

श्री दिनेश सिंह : इस मामले में मैं बहस में नहीं पड़ना चाहता ।

अध्यक्ष महोदय : बहस आरम्भ नहीं होनी चाहिए ।

श्री रा० कृ० अमीन : क्या वायदा व्यापार पर रोक लगाने में वे उचित तथा अनुचित सट्टे में अन्तर करते हैं और यदि उचित सट्टा हो, तो क्या वे वायदा व्यापार की अनुमति देंगे ?

श्री दिनेश सिंह : कुछ अवधि में की गई उचित खरीद और सट्टे में हम अन्तर करते हैं, हम सट्टे की अनुमति नहीं दे रहे हैं ।

Shri George Fernandes : The hon. Minister stated that in regard to raw jute futures or hedge contracts are banned except in West Bengal, Assam, Bihar. Orissa and Tripura. He further stated, "In those areas also, futures or hedge contracts are not being permitted at present, though there is no formal ban. There is no proposal to impose a ban formally."

Have the traders of West Bengal submitted a proposal to the Forward Market Commission last week that they should be allowed to execute futures and hedge contracts and the decision taken by the Government thereon ?

Shri Dinesh Singh : I have not yet seen it. Since it has been sent last week only, it might have not reached here. I will look into it when I receive it.

Shri Abdul Ghani Dar : Are the persons dealing in speculation or forward trading required to obtain a licence and submit some information to Government ? If not, will Government consider to introduce licensing system for it so that the position in regard to cotton and food stuffs at a particular time could be assessed ?

Shri Dinesh Singh : In respect of certain articles the Commission has specified the association through whom forward marketing is permitted. I cannot sell off-hand whether all of them are required to get themselves registered.

श्री रंगा : क्या यह सच नहीं है कि मूंगफली और मूंगफली के तेल के वायदा मूल्य बाजार भाव से कम हैं और वे सरकार द्वारा नियत किये गये अधिकतम अथवा उचित मूल्य से अधिक नहीं है ?

श्री दिनेश सिंह : मैं एकदम कुछ नहीं कह सकता हूं लेकिन में पता करूंगा,

आयातित कच्चा माल

◆

***692, श्री वेणीशंकर शर्मा :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम सिंह अयरवाल :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कुछ ऐसे औद्योगिक एकक में जो आयातित कच्चे माल पर ही पूर्णतया निर्भर हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या अपेक्षित कच्चे माल पर सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगाये जाने के कारण कुछ एककों को काम बन्द करना पड़ा है;

(ग) क्या उन एककों को चालू रखने के लिये उन्हें प्राथमिकता के आधार पर स्वदेशी कच्चा माल देने के लिये कोई कार्यवाही करने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं, केवल एक कार्क उत्पाद एकक को छोड़ कर, जो हाल में बन्द हुआ है ।

(ग) और (घ) कार्क उत्पादों के लिये आयातित कार्क लकड़ी कच्चा माल है, जिसके स्थान पर कोई अन्य वस्तु प्रयोग में नहीं की जा सकती ।

Shri B. S. Sharma : Will the hon. Minister state the industrial units which depend on imported raw material and those units which had to close during the last year for want of imported raw material ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : As already stated in the reply, our information is that one unit had to close down on account of non-availability of imported raw material. The list of industries dependant on imported raw materials is lengthy one, if you want I can state or lay on the table.

Mr. Speaker : You may lay it on the Table,

Shri B. S. Sharma : The safety razor blades industries have to depend on imported raw material. It is an article of daily use otherwise we will become saints with long beards Have. any efforts been made by Government to substitute the imports of this raw material ?

Shri F. A. Ahmed : As the hon, Member is well aware our policy in this respect is very clear, The foreign exchange is provided for procurement of raw materials for the priority industries. 3/4 part of the total available foreign exchange is given to these industries and 1/4 is given to the industries though not included in the priority list but which are still essential, Foreign exchange is allotted by D, G. T. D. after taking in to account all these considerations.

Shri Onkar Lal Berwa : For how many days these factories remained closed and the loss suffered as a result thereof ? Will the use of indigenous raw material effect the prices of the finished; products; if so, the extent thereof ?

Shri F. A. Ahmed : I have already stated that except one industry none else was closed but production in many industries was effected for want of raw materials, I have a list and I will place it on the table of the House. When production is less the cost is more and the price is naturally effected. But if the hon. Member has any particular industry in mind, let him state and I will find out.

Shri Hukam Chand Kachwai : We have given considerable assistance to small and essential industries. Is it not a fact that loans and advances have been given to many bogus industries, which exist only on paper; if so, the number thereof and the loss suffered by Government as a result thereof ? What special steps are proposed to be taken by Government to check increase in prices as a result of use of indigenous material ?

Shri F. A. Ahmed : The requirements of raw materials of the industries are met in ful and their production is also up to their capacity, so there is no question of increase in price of their products. Prices increased only during the short period when these industries remained idle for want of raw material. It will be seen from the figures that I have got that after the adoption of a new policy in June, 1966 most of the industries are getting raw material and component parts, etc. and theisidle capacity is being utilised and the prices have also not being effected very much.

Shri Hukam Chand Kachhwai : had enquired about the bogus factories.

Shri F A. Ahmed : It is a different question and is not related with the original question.

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : स्वदेशी कच्चे माल जैसे तांबा,-का उत्पादन बढ़ाने में क्या प्रगति हुई है ? क्या मंत्रालय तांबा खानों तथा अन्य दुर्लभ कच्चे माल के बारे में हुई प्रगति का समय समय पर कोई मूल्यांकन करता है और तालमेल रखता है ताकि हम काफी कच्चा माल पैदा कर सकें ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : आयात किये जाने वाले कच्चे माल को देश में पैदा करने के लिए काफी काम किया जा रहा है और इस प्रयोजन के लिये इस बारे में जानकारी देने वाले तथा देश में उसे पैदा करने की स्थिति वाले लोगों को प्रोत्साहन दिया गया है। इस दिशा में लोगों द्वारा वास्तव में किये जाने वाले प्रयासों का मूल्यांकन करने और इसके लिये उन्हें पुरस्कार देने के लिये एक बोर्ड भी बनाया गया है। तांबा एक ऐसा कच्चा माल जो हमारे देश में आसानी से नहीं मिल सकता है। इसलिये हमें इसके आयत पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि कोई संभावना हुई तो हम तांबे के कच्चे माल का उपयोग करने के अवसर से अवश्य लाभ उठाने का अवश्य प्रयास करेंगे।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार ने स्वेज नहर के बन्द किये जाने के कारण हमारे आयात पर प्रभाव का मूल्यांकन किया है और चूंकि आज हमारे इंजीनियरी उद्योग को चाहे सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में, और इन उद्योगों को, जिन्हें मुख्यतः आयातित कच्चे माल पर निर्भर रहना पड़ता है इसके कारण कितना नुकसान हुआ है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : वर्तमान स्थिति के बारे में माननीय सदस्य को मालूम है कि कुछ मामलों में ये लाइसेन्स छः महीनों के आधार पर और कुछ मामलों में वर्ष के आधार पर दिये जाते हैं। इस समय जहां तक मेरी जानकारी है, किसी भी उद्योग पर पहले दिये गये क्रयादेशों के अनुसार माल पहुंचने में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। लेकिन यदि स्वेज नहर बन्द रहती है, तो अवश्य ही प्रभाव पड़ेगा और जब उद्योगों को कच्चा माल नहीं मिलेगा, तो निसन्देह उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा।

श्री उमानाथ : आज के समाचारपत्रों में एक श्री वांचू ने जो मैं समझता हूँ कि वाणिज्य मन्त्रालय के एक अधिकारी हैं, यह कहा बताते हैं कि उद्योग पति आयातित माल के देश में उत्पादन के बारे में दोहरी नीति अपना रहे हैं। एक ओर तो वे इसका स्वागत करते हैं और दूसरी ओर सरकार से मशीनों और कच्चे माल के लिए, जो देश में उपलब्ध है और खरीदा जा सकता है, आयात पर्मिट देने के लिये कहते हैं और दबाव डालते हैं। कपड़ा मशीनें देश में बनती है और सरकार विदेशों से उनके आयात के लिये पर्मिट दे रही है। इस बारे में सरकार भी क्यों दोहरी नीति अपना रही है ? जो माल देश में उपलब्ध है उसके आयात के लिये पर्मिट देने के क्या कारण हैं ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : इस विषय पर मैं गम्भीरता से विचार कर रहा हूँ। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूँ कि देश में बनने वाले पुर्जों और देश में उपलब्ध माल के आयात की अनुमति नहीं दी जायेगी, यदि इन मशीनों का देश में निर्माण हो रहा है, तो इनके आयात की अनुमति नहीं दी जायेगी।

श्री उमानाथ : कपड़ा मशीनों, जो देश में बनती हैं, का आयात करने की अनुमती देने के क्या कारण हैं।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : कुछ मामलों की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया गया है और मैं भविष्य में ऐसा नहीं होने देने का प्रयास कर रहा हूँ।

Shri Sarjoo Pandey : The bronze and copper utensils industry in Mirzapur District of U.P. has been closed down for want of copper and bronze. Has the attention of the hon. Minister been drawn to it ; if so, are Government making any special arrangement to rehabilitate this industry ?

Shri F. A. Ahmed : I have replied earlier that copper was a scarce raw material in our country and we tried to import it from outside as far as possible. If any industry has been closed down for want of copper, we will try to provide them this raw material.

Shri Ram Charan : Have Government got any machinery to check whether the imported raw material supplied to the manufacturers is actually used by them and not sold in the black market ?

Shri F. A. Ahmed ; I do not have any information if material is sold in black market. I may, however, add for the information of the hon. Member that as far as small industries are concerned,earlier they used to meet their requirement of raw material from whatever source they could get, but since we have changed our policy and have started allocating raw material and components to small scale industries also, there is no scope for black marketing.

Shri Jagnnath Rao Joshi : Is the hon. Minister aware that the rice mills are being manufactured in India since pre-war days but still rice mills are imported from Japan and other countries ; if so, the reasons therefor ?

Shri F. A. Ahmed : It depends on supply and demand. The things which can be produced here, will be procured internally. But if we cannot meet the things required internally, it is quite possible to import it from abroad.

श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : उद्योग मन्त्रालय के अधीन उद्योगों की आवश्यकताओं के लिये वाणिज्य मन्त्रालय द्वारा आयात लाइसेन्स दिये जाते हैं। क्या मन्त्री महोदय को इस बात की जानकारी कि ए० आई० डी० और अन्य लाइसेंस व्यवस्था के अन्तर्गत आवेदन करने वाले उद्योग को आयात लाइसेंस देने से पहले प्रक्रिया सम्बन्धी कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं, जिसमें 510 महीने लग जाते हैं और इसके बाद भी ऐसी शर्तें रखी जाती हैं कि उद्योगों के पास काम करते रहने लायक कच्चा माल नहीं रहता। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैं बता चुका हूं कि लाइसेंस समिति इन सब बातों पर विचार करती है। जब लाइसेंस समिति आवश्यकताओं, देश में उपलब्धता आदि के बारे में जांच कर लेती है, तो मामला इन चीजों के आयात के लिये उपलब्ध विदेशी मुद्रा में से धन के नियतन के लिये वाणिज्य मन्त्रालय को जाता है। इस प्रयोजन के लिये 59 उद्योग की एक सूची हैं, जिन्हें उच्चतम प्राथमिकता प्राप्त है। इसके बाद अन्य उद्योगों की सूची है, जिन्हें प्राथमिकता प्राप्त नहीं है।

श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : प्रश्न यह था कि बहुत विलम्ब होता है और जिसके परिणाम स्वरूप बहुत सी कम्पनियां लगभग बन्द हो जाती हैं। क्या मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाया गया है और इसको दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : एक मामले को छोड़कर बन्द होने का मामला मेरे ध्यान में नहीं लाया गया है।

श्री वासुदेवन नायर : क्या मन्त्री महोदय को मालूम है कि पिछले वर्ष भारत में प्राकृतिक रबड़ को बहुत अधिक जमा होने दिया गया और देशी रबड़ बहुत जमा हो गया था, फिर भी इसके आयात की अनुमति दी गई थी।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : माननीय सदस्य एक पृथक प्रश्न की सूचना दें और तब मैं इसका उत्तर दे सकूंगा।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : आप किसी कसौटी के आधार पर ऐसे उद्योगों को लाइसेंस देते हैं, जो पूर्ण रूप से आयातित कच्चे माल पर निर्भर करते हैं ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : कुछ ऐसे उद्योग हैं, जो पूरी तरह आयातित कच्चे माल पर निर्भर करती हैं। यदि वे इस श्रेणी में आती हैं, जैसे फोर्ज क्रैंक शैफ्ट, गियाप्ट और रेडिएटर उद्योग, एनेमल्ड कॉपर बाइंडिंग तार और ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर स्विचगियर आदि तो कच्चे माल तथा पुर्जों के लिए जितनी भी आवश्यकता होती है, उसे पूरा किया जाता है।

श्री बेदव्रत बरुआ : यद्यपि गैर-सरकारी क्षेत्र को अपनी आवश्यकता की वस्तुओं के आयात के लिए एक मुश्त विदेशी मुद्रा दी जाती है, सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की आने वाले एक वर्ष के लिए पहले से ही इंडैंट देना पड़ता है जिसके परिणाम स्वरूप उनके पास माल जमा हो जाता है, जो उन्हें नुकसान होने का मुख्य कारण समझा जाता है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैं बता चुका हूँ कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह उद्योग किस श्रेणी में आता है। कुछ मामलों में हम छः महीनों के लिये और कुछ में पूरे साल के लिये विदेशी मुद्रा दे रहे हैं। सरकारी उपक्रमों में आवश्यक कच्चे माल और पुर्जे इस प्रकार के हैं कि जब तक पूरे साल की तस्वीर हमारे सामने न हो, तब तक हमारे लिये निर्धारित करना असम्भव है कि उन्हें आवश्यकता कितनी होगी तथा उन्हें उन चीजों के न मिलने पर उत्पादन में कितना नुकसान होगा। इसलिए वार्षिक आवश्यकताओं के आधार पर सरकारी उपक्रमों को कच्चा माल और पुर्जे दिये जाते हैं। गैर-सरकारी उद्योगों के मामले में स्थिति भिन्न भिन्न होती है। कुछ उद्योगों में छः महीने और कुछ में एक साल के आधार पर विदेशी मुद्रा दी जाती है।

भारतीय सहयोग से अफ्रीकी देशों में उद्योग

\+

*693. **श्री भारत सिंह चौहान** :
श्री शारदा नन्द :
श्री रणजीत सिंह :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अफ्रीकी देशों जैसे केनिया, लीबिया और नाइजीरिया ने अपने यहां उद्योग स्थापित करने के लिये भारतीय लघु उद्योगपतिओं को सुविधाएं देने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेशसिंह) : (क) अनेक अफ्रीकी देश सुविधाएं तथा रियायतें देकर उद्योगों के विकास को, जिनमें लघु उद्योग भी शामिल हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं। ये भारतीय उद्योगपतियों को भी उपलब्ध हैं।

(ख) भारत सरकार अफ्रीकी देशों की उद्योगीकरण करने की इच्छा का सर्वथा आदर करती हैं और अपने साधनों की सीमा के भीतर इस कार्य में सहायता दे रही है।

Shri Bharat Singh Chauhan : Will the hon. Minister be pleased to state the names of industries which will allow more benefits to Indian industrialists there ?

Shri Dinesh Singh : The survey of some markets have been done there. Our delegations have gone there and delegations from African countries have visited for this purpose. We have such joint projects in some countries for which, if desired, a statement can be laid on the Table.

Shri A. B. Vajpayee : Is it a fact that the setting up of a Finance Corporation, which was to be financed by the fund contributed by the Reserve Bank of India, L. I. C. and Indian settlers there. has been put into doldrums ?

Shri Dinesh Singh : I will have to see for it.

श्री काशीनाथ पाण्डे : इस प्र ार के सहयोग का उद्देश्य क्या है ? क्या यह अफ्रीकी देशों को उद्योगों के मामले में तकनीकी जानका ी देने के लिये या वित्तीय सहायता देने के लिये किया जा रहा है ?

Shri Dinesh Singh : The fact is that the African countries want to speed up their industrial development with the collaboration of ohers, But we aim at sending machinery and material there, The industries, which our industrialists want to set up there, will have majority shares of Aftricans, Indians will have minority participation in them ?

श्री सु० कु० ताड़िया : क्या उन प्रस्तावों के सम्बन्ध में, जो पहले ही किये जा चुके हैं, संतोषजनक प्रगति हो रही है ?

श्री दिनेश सिंह : सरकार ने कुल 43 परियोजनाएं स्वीकार की है जिनमें से 22 अफ्रीका के लिये हैं ।

श्री मं० रं० कृष्ण : सरकार भारतीय उद्योगपतियों को वहां मशीनरी और तकनीकी जानकारी भेजने की अनुमति देगी यदि हां, तो कितने मूल्य की मशीनरी आदि वहां भेजी जा सकती है ?

श्री दिनेश सिंह : सामान्य विचार ऐसा ही है कि वहां मशीनरी भेजी जाये और उन्हें तकनीकी जानकारी दी जाये ।

डा० रानेन सेन : क्या अफ्रीका में उद्योग स्थापित करने वाले उद्योगपतियों को वहां खर्च करने के लिये विदेशी मुद्रा भी दी जा रही है; यदि हां, तो क्यों, जबकि विदेशी मुद्रा की हमें अपने विकास के लिये अत्याधिक आवश्यकता है ?

श्री दिनेश सिंह : सामान्यत: हम पूंजी के निर्यात की अनुमति नहीं देते हैं । केवल मशीनरी और तकनीकी जानकारी के निर्यात की अनुमति दी जाती है। यदि विदेशी मुद्रा कहीं दी गई है तो वह पर्यटन सवर्धन आदि के लिये दी गई है ।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : क्या कुछ समय पहले एक व्यापार शिष्ट मंडल या संसदीय शिष्ट मंडल इस उद्देश्य के लिये अफ्रीका गया था; यदि हां तो उसने भारत अफ्रीकी देशों के सम्बन्ध सुधारने के लिये क्या सुझाव दिये हैं ?

श्री दिनेश सिंह : मुझे इस विशेष शिष्टमंडल के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि श्री बीजू पटनायक नाइजीरिया में वहां के सरकार के सहयोग से एक उद्योग स्थापित करना चाहता था ? क्या उसे पार-पत्र इसी उद्देश्य के लिये दिया गया था ? क्या वह इस उद्योग पर अपनी वह विदेशी मुद्रा लगाना चाहता है, जो उसने विदेशों में रख रखी है ?

श्री दिनेश सिंह : मुझे इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है ।

श्री हेम बरुआ : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय कहते हैं कि उनके पास लोगों के गुप्त धन के बारे में जानकारी नहीं ।

श्री गणेश घोष : अफ्रीका के किन किन देशों में भारतीय लोगों की निजी पूंजी लगी हुई है ?

श्री दिनेश सिंह : अपेक्षित जानकारी विवरण में दी जायेगी ।

श्री हेम बरुआ : क्या आप श्री बीजू पटनायक के बारे में नाइजीरिया सरकार को पहले से ही सचेत करेंगे ?

श्री दिनेश सिंह : जी हां, ऐसा कर दिया जायेगा ।

Shri Kameshwar Singh : Is it a fact that Shri Biju Patnaik wanted to take some money to Nigeria which he has earned by selling his Mangnese ore Mines to Sirajuddin ?

Shri Dinesh Singh : I have no knowledge about it.

श्री पें वेंकटासुब्बया : सरकार ऐसे क्या उपाय करती है जिससे भारतीय उद्योगपतियों द्वारा विदेशों में लगाये गये उद्योगों से होने वाला लाभ भारत वापिस पहुँच जाये ?

श्री दिनेश सिंह : योजना को स्वीकृति देते समय उसमें ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है ।

पटसन मिलों का आधुनिकीकरण

+

*** 694. श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पटसन मिलों की कार्य-प्रणाली में सुधार करने के उद्देश्य से उनके आधुनिकीकरण के लिये क्या कदम उठाए गये हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

पटसन मिलों के आधुनिकीकरण के लिए कार्यवाही

(1) विदेशी मुद्रा के आवंटन के मामले में पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी गयी है । पटसन मिलों के लिए अत्यावश्क मशीनरी के आयात को सुगम बनाने के लिए 1963 में शुरु की गयी स्व-वित्त-व्यवस्था योजना का विशेष उल्लेख किया जा सकता है ।

(2) सरकार ने विभिन्न पटसन मिलों को उनके आधुनिकीकरण तथा पुनः संस्थापन के लिये राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से छः करोड़ रुपये के दीर्घावधि ऋण दिये हैं ।

(3) देश में पटसन मिल की मशीनों के निर्माण को प्रोत्साहन देने से आजकल तैयारी तथा कताई विभागों के लिए इस प्रकार की कई तरह की मशीने स्वदेश में ही बनती हैं। पटसन कार्ड, आधुनिक करघे आदि जैसी कुछ शेष प्रकार की मशीनों के निर्माण को आरम्भ करने की योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है।

(4) आधुनिकीकरण के लिए की गयी कार्यवाही के फलस्वरूप कताई तथा तैयारी विभागों का लगभग पूर्णतः आधुनिकीकरण हो चुका है। तीनों पालियों में काम करने के लिए समस्त विशाल करघों में आधुनिक तकुए लगाये जा रहे हैं। मानक करघों में एक पाली तथा आंशिक रूप से दूसरी पाली के लिए आधुनिक करघे पूर्णतः लगा दिये गये हैं। चौथी योजना के दौरान मिलों से करघों के आधुनिकीकरण के कार्य क्रम की शुरुआत करने की अपेक्षा की जाती है।

श्री रामकृष्ण गुप्त : विवरण से ज्ञात होता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पटसन के मिलों में तेजी से आधुनिकीकरण होगा। अतः मैं जानना चाहता हूं कि चौथी योजना में इसके लिये कितनी व्यवस्था की गई है ?

श्री दिनेश सिंह : चौथी योजना के आंकड़े मेरे पास नहीं है। अधिकांश मिलों में आधुनिकीकरण शुरु हो चुका है। जहां तक उत्तम किस्म का सम्बन्ध है, इसके लिये 416708 आधुनिक तकुए लगाये जा चुके हैं और अब पुरानी किस्म के केवल 163000 तकुए शेष बचते हैं। इसी प्रकार मोटे प्रकार की पटसन के लिए 56000 आधुनिक तकुए लगाए जा चुके और 38,000 पुराने तकुए बदलने के लिये शेष है वर्तमान क्षमता यह है, जिसका उपयोग किया जा रहा है। आगे आधुनिकीकरण के लिये व्यवस्था है और जब भी जहां आवश्यक होगा आधुनिकीकरण किया जायेगा।

श्री रामकृष्ण गुप्त : पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण के लिये कुल कितनी विदेशी मुद्रा नियत की गई है ?

श्री दिनेश सिंह : वर्ष 1963-64 के बाद में इसके लिये 4.98 करोड़, 2.31 करोड़, 0.31, करोड़, इसके बाद 0.13, और 0.11 करोड़ रुपये की क्रमशः विदेशी मुद्रा दी गई है।

श्री स० मो० बनर्जी : कानपुर के सहजनवा मिल्स और एम० डी० जूट मिल्स में से एक बन्द होने वाला है। और दूसरे का विघटन होने वाला है क्या एम० डी० जूट मिल्स के मालिक को 10 लाख रुपया सरकार ने दिया था और उसने उसे किसी अन्य परियोजना पर लगाया है ? क्या सरकार ने इसके बारे में कोई जांच कराई है ?

श्री दिनेश सिंह : इस मिल विशेष के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। इसके बारे में पता करूंगा। यदि ऐसे प्रश्नों का पृथक से नोटिस दिया जाये तो उनके बारे में अपेक्षित जानकारी दी जायेगी।

श्री स० मो० बनर्जी : एम० डी० जूट मिल्स, कानपुर के बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया और सभा में उसका उत्तर दिया जा चुका है। उसके कुप्रबन्ध के बारे में केन्द्रीय सरकार ने एक जांच समिति नियुक्त की थी तथा मैं उसके सम्बन्ध में उत्तर चाहता था। यदि मन्त्री महोदय इसके लिये नोटिस चाहते हैं तो मैं इसके लिये नया नोटिस दूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सच है कि पटसन के मिल अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाते हैं, फिर उनके करघों का आधुनिकीकरण करने से क्या लाभ होगा ? अब समस्या उत्पादन बढ़ाने की नहीं बल्कि उत्पादित माल को बेचने की है। फिर करघों के आधुनिकीकरण पर इतना अधिक खर्च क्यों किया जा रहा है ? क्या आधुनिकीकरण का मुख्य ध्येय यह है कि बड़े पैमाने पर मजदूरों की छंटनी की जाये।

श्री दिनेश सिंह : ऐसी बात नहीं है कि माल की बिक्री की समस्या है। हमारे पास पटसन की कमी है जिस कारण से मिलों की पूरी क्षमता को प्रयोग में नहीं लाया जा सकता जूट के क्षेत्र में आजकल अत्यधिक प्रतिस्पर्द्धा हो गई है चूंकि अब अनेक प्रकार के कृत्रिम कपड़े चल पड़े हैं। कृत्रिम कपड़े से प्रतिस्पर्द्धा जूट के क्षेत्र में एक गम्भीर समस्या बन गई है।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : आन्ध्र प्रदेश में कच्चा पटसन पैदा होता है परन्तु वहां पर मिल व्यवस्था न होने के कारण वह पटसन कलकत्ता ले जाना पड़ता है। क्या सरकार का आन्ध्र प्रदेश में पटसन के मील चलाने का विचार है ?

श्री दिनेश सिंह : मैंने इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं देखा है परन्तु यदि ऐसा प्रस्ताव किया जायेगा तो उस पर सरकार विचार करेगी। हमारे सामने मुख्य समस्या पटसन के अभाव की है, इसलिए तकुओं की संख्या बढ़ाने मात्र से कोई लाभ नहीं होगा।

Shri Ramavatar Shastri : Jute is produced on the large scale in Purniya Saharasa districts of Binar but there are no milling facilities in the area. There was a mill in Katihar which is also facing closure these days. So I would like to know whether the hon. Minister will make efforts to get the mill to go into production again ? If the owner of that mill is not prepared for it, do the Govt. intend to take over management of that mill, so that the jute producers of that area may be benefitted ?

Shri Dinesh Singh : This is the first time that the question of a closure of mill raised before me.

अध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप सब बैठ जाएं जब मैं बोलता हूं, उस समय आप लोगों को इस तरह से खड़ा नहीं होना चाहिये।

श्री अब्दुल गनी डार : मैं तीन बार खड़ा हो चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम है। मैं आपको अवसर दे चुका हूं परन्तु आपको प्रत्येक प्रश्न पर बोलने का अवसर नहीं दिया जा सकता। प्रत्येक प्रश्न पर सभी सदस्य कुछ न कुछ

पूछना चाहते हैं। क्या हर बार उन्हीं सदस्यों को समय दिया जाए ? मैं अन्य सदस्यों को भी अवसर देना चाहता हूं क्योंकि वे भी सभा के माननीय सदस्य हैं।

मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब कोई सदस्य बोल रहा होता है तो किसी अन्य सदस्य को बोलने वाले सदस्य तथा मेरे बीच से नहीं गुजरना चाहिये। जो सदस्य श्री मधु लिमये से हस्ताक्षर कराने आये थे और जो अब भी खड़े हुए हैं वे नये सदस्य प्रतीत होते हैं। सामान्यतः जब कोई सदस्य प्रश्न पूछ रहा होता है तो किसी अन्य सदस्य को बीच से नहीं गुजरना चाहिये।

माल की प्रत्याभूति पर बैंकों से ऋण

\+

***695. श्री मधु लिमये :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुई के स्टाक की प्रत्याभूति पर बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋण की राशि में 15 प्रतिशत कम कर दी गई है ;

(ख) दिसम्बर, 1966 में जब अत्यावश्यक वस्तु अध्यादेश जारी किया गया था, ऐसी कार्यवाही न की जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) रुई के मूल्यों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) यह कार्यवाही की जाने से पहले के मूल्यों में तथा उसके बाद के मूल्यों में कितना अन्तर है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) रुई के मूल्यों की सतत समीक्षा की जाती रही और मशीनों के चलने को कम करने के अलावा स्टाक नियंत्रण तथा कपास के लाने ले जाने पर नियन्त्रण जैसे उपाय समय समय पर किये गये। अप्रेल, 1967 के दूसरे सप्ताह में रुई के मूल्यों को बढ़ाने से रोकने के लिए ऋणों पर प्रतिबन्ध लगाये गये।

(ग) अन्य उपायों के साथ साथ ऋणों पर प्रतिबन्धों से कुछ हद तक रुई के मूल्य बढ़ने से रुके हैं।

(घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

	बाजार मूल्य प्रति कैंडी रुपयों में	
	12.4.1967 को	25-4-1967 को
बंगाल देशी	850	850

एल० 147		
बढ़िया	1525–1575	1500–1575
घटिया	1475–1525	1450–1475
कम्बोदिया ए	2350–2400	2250–2350
दिग्विजय ए (बढ़िया)	1570–1630	1550–1580
कल्याण	1305–1335	1250–1265
धोल्लेरस (वगद)	1175–1200	1140–1160

रुई के लिए बैंक ऋणों के विनियमन सम्बन्धी हिदायतें रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा 13 अप्रेल, 1967 को जारी की गयीं।

Shri Madhu Limaye : I doubt the hon. Minister would say that he has got no information. Still I ask question. According to the statistics given by the Minister in the fourth part of the question, it clearly indicates that the prices have been reduced from 25 candy to 75 candy and they have further fallen by 15%as a result of regulating it. I want to know whether the former Commerce Minister had not done this in the month of December with the intent to please the big millowners and big businessmen. But the mills had been closed once in a month compulsorily. Whether the former Commerce Minister had done this with the intent to win the elections and donations ?

Shri Dinesh Singh : No, Sir,

Shri Madhu Limaye : It means he has no information or he is saying it on the basis of the information in his possession. Every thing should clearly explained.

Shri Dinesh Singh : My reply is very clear. Mr. Speaker, you yourself decide the matter. This is a political issue. I have replied accordingly.

Shri Madhu Limaye : The Minister has himself stated that on applying regulation after 13th April, the prices have fallen from Rs. 25 to Rs. 75/- In December he told that the Mill should be closed once in a week. Compulsory leave has resulted in loss to the labourers, mill owners and the customers and in increasing the prices of the clothes. If he had not done it with a view to win the election and harm others, why did he not do that in the second month of the year ?

Shri Dinesh Singh : A thing can be done in many ways. What is wrong in it ? What has been done is correct When the prices of cotton were rising, it was thought that some way should be adopted to check the rise, and thus this has been done.

Shri Madhu Limaye : This is not a satisfactory answer. It is quite obvious that it has been done for the purpose of winning the election. According to my information the Governor of Reserve Bank gave a suggestion to the commercial Banks in the month of October that less advance should be given for business and more advance should be given for increasing production. No action had been taken for several months and then an action was taken in the month of April to make people fool. As a result of it small businessmen suffered a lot.

I want to know why the advise given by the Governor of Reserve Bank in October was not put into practice and what were the Finance the Commerce Ministeries doing during these four months ?

Shri Dinesh Singh : I have not got the details of what Reserve Bank has written to them.

Shri Madhu Limaye : It is to the extreme. I do not want the reply. I want to withdraw my question as the hon. Minister does not have any information with regard to any matter, I told you in the beginning that he would give the reply that he had not got the information. He is a Commerce Minister.

He does not know the information given by the Reserve Bank in this regard.

श्री दिनेश सिंह : अभी माननीय सदस्य ने स्वयं ही कहा है कि इस मामले में वित्त मंत्रालय जांच करेगा क्योंकि रिजर्व बैंक वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत आता है। रिजर्व बैंक ने जो आदेश दिये हैं, मुझे उनकी जानकारी नहीं है।

Shri Madhu Limaye : It is not proper. Cotton and Jute comes under the Ministry of Commerce. How can he say that it is not related to bank advances ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि वह वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत आते हैं।

Shri Madhu Limaye : Whether there is no relation between the Commerce and the Finance Ministry and there is no exchange of views between them ?

श्री कुन्डू : यह प्रश्न दोनों मंत्रालयों से सम्बन्धित है वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय। लेकिन मंत्री महोदय बहाना ढूंढ़ते हैं और कहते हैं कि यह मामला उनके मत्रालय से सम्बन्धित नहीं है इत्यादि। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिये। उनके ऐसा करने से प्रश्न का वास्तविक उत्तर नहीं मिल पाता। इन मामलों की पुष्टि उन्हें वित्त मंत्रालय से कर लेनी चाहिये और तैयार उत्तर के साथ सभा में आना चाहिये। उन्हें अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर देने के लिये तैयार होकर आना चाहिये। इसके लिए अध्यक्ष महोदय को मंत्रालयों को निदेश देना चाहिये कि भविष्य में उन्हें उत्तर के साथ तैयार होकर आना चाहिये और इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, परन्तु इसमें उचित अनुरोध है। यह केवल एक मंत्रालय का मामला नहीं है। उनमें समन्वय है और होना चाहिये। कभी यह भी हो सकता है कि मंत्री महोदय के पास जानकारी न हो। यदि उनके पास जानकारी नहीं है तो स्वभावतः वह समय की मांग करेंगे। इन मामलों में मैं अनुरोध कर सकता हूं।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : आप इस बात से सहमत होंगे कि जब मंत्री महोदय से प्रश्न पूछा जाता है और उन्हें उसका जवाब देना होता है तो उन्हें उससे सम्बन्धित कागजातों को अपने साथ रखना चाहिये और सम्बन्धित मंत्रालयों की सलाह लेनी चाहिये और उत्तर देते समय सब तथ्य उनके पास होने चाहिये। उनके दिमाग में यह बात क्यों नहीं आई कि इस प्रकार के मामले पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जायेंगे, जैसे कि पूछे गये हैं।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : मैं इससे सहमत नहीं हूं मंत्री महोदय अनुपूरक प्रश्नों का कैसे अनुमान लगा सकते हैं। यह बहुत अनुचित है। मंत्री महोदय को यह कहना चाहिये कि वह उसका पता लगायेंगे।

Shri Madhu Limaye : Some supplementaries are obvious. The two questions asked by me were obvious. Please rbeuke him because this tendency has been going on for quite a long time.

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी सीट पर बैठ जाइये : कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जायेगा। माननीय सदस्य को इस तरह के व्यवहार की अनुमति दी जा सकती। श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा और श्री एम. आर. कृष्णन के सिवाय किसी और ने अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे। इस ओर से केवल चार या पांच अनुपूरक प्रश्न पूछे गये। वास्तव में अनुपूरक चर्चा के लिये बहुत उपयोगी हैं।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम में वित्तीय संकट

\+

अ.सू.प्र. *17. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री सु० कु० तापड़िया : **श्री वासुदेवन नायर :**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के वित्तीय नियंत्रक के इस आशय के वक्तव्य के समाचार की ओर दिलाया गया है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के वर्तमान वित्तीय संकट का मुख्य कारण यह है कि परियोजना के लिए नियत राशि से करोड़ों रुपये अधिक की लागत के उपकरण खरीदे गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ऐसा किया गया ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) वित्तीय नियंत्रक ने कोई बयान नहीं दिया है। उसकी 31 मार्च 1967 को समाप्त होने वाले काल के लिये त्रिमासिक रिपोर्ट निर्देशकों के बोर्ड तथा मत्रालय को प्रस्तुत की गई है। इस रिपोर्ट पर निर्देशकों के बोर्ड ने अभी विचार करना है।

श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : अभी कुछ ही मिनट पूर्व आपने यह सुझाव दिया था कि मंत्री महोदय को संतोषजनक उत्तर देना चाहिये। उसके तुरन्त बाद मंत्री महोदय ने बताया है कि वित्तीय नियंत्रक ने कोई वतव्य नहीं दिया है। जनता का 1.2 करोड़ रुपया राष्ट्रीय कोयला विकास निगम में लगा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या 6 जून 1967 को 'फाइनैन्सल एक्सप्रेस' में प्रकाशित इस समाचार की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया गया है।

"राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के वित्तीय नियंत्रक ने, बोर्ड आफ डायरेक्टर को दी गई अपनी रिपोर्ट में, संगठन में किये जाने वाले दोषपूर्ण कार्य को निगम के वित्तीय संकट के लिये मुख्य रूप से दोषी ठहराया है"

इस समाचार के अनुसार वित्तीय नियंत्रक की रिपोर्ट में परियोजना के लिये व्यवस्थित किये गये रुपयों में करोड़ों रुपये अधिक के उपकरणों का खरीदा जाना, बहुत से मामलों में पूंजी का सीमा से अधिक लगाया जाना, उत्पादन लक्ष्य में लगातार पीछे रहना और सबसे अधिक खराब बात यह है कि व्यय पर उचित नियंत्रण न करने वाली बातों को इसमें प्रकट किया है। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नियंत्रक ने इस प्रकार की कोई रिपोर्ट दी थी या इसी प्रकार वह कुछ कहना चाहते हैं।

श्री प्र० चं० सेठी : मैं अपने मुख्य उत्तर में यह पहले ही कह चुका हूं वित्तीय नियंत्रक ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और वह रिपोर्ट गोपनीय है जिसे बोर्ड आफ डायरेक्टर को सौंप दिया गया है। बोर्ड आफ डायरेक्टर ने अभी इसका अध्ययन नहीं किया है और जब तक वह इस पर विचार नहीं कर लेते, यह गोपनीय दस्तावेज है।

श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : जैसा कि मैंने कहा कि जनता का 1.2 करोड़ रुपया राष्ट्रीय कोयला विकास निगम में लगा। जब कभी वहां बहुत कुप्रबन्ध होता है तो हमें इस प्रकार का जवाब मिलता है। इस सम्बन्ध में 'हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड' और अन्य समाचार पत्रों ने अग्रलेख लिखे हैं। क्या मैं यह जान सकता हूं कि यह रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई, सरकार इस रिपोर्ट को कब संसद सदस्यों को उपलब्ध करेगी, और सरकार कब इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में कार्यवाही करेगी ? क्या इसी प्रकार की कोई और रिपोर्ट भी पहले प्रस्तुत की जा चुकी है, यदि हां तो उन रिपोर्टों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री प्र० चं० सेठी : वित्तीय नियंत्रक की बोर्ड आफ डायरेक्टर को त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। वर्तमान रिपोर्ट 20 मई, 67 को प्रस्तुत की गई थी। बोर्ड आँफ डायरेक्टर की अन्तिम बैठक शुरू हो जाने के बाद यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और डायरेक्टर को इसके अध्ययन करने का अवसर नहीं मिला। उन्होंने यह निश्चिय किया कि बोर्ड की अगली बैठक में इस पर विचार किया जायेगा। मैं सभा को यह आश्वासन देता हूँ कि जैसे ही बोर्ड इस पर विचार कर लेगा हम सभा को इससे अवगत कर देंगे।

श्री सु० कु० तापड़िया : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या इसी प्रकार की रिपोर्ट पहले भी त्रैमासिक बैठक में प्रस्तुत की गई थी। यह पहला अवसर नहीं हो सकता जबकि इस प्रकार की जानकारी रिपोर्ट में दी गई हो ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि पिछले पांच वर्षों में निगम को कितनी हानि हुई ?

श्री प्र० चं० सेठी : जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि वित्तीय नियंत्रक त्रैमासिक रिपोर्ट बोर्ड आफ डायरेक्टर को प्रस्तुत करते हैं। जहां तक लाभ हानि खाते का सम्बन्ध है, 1962-63 में निगम को 1.33 करोड़ रुपये का और 1963-64 में 19.84 लाख रुपये का लाभ हुआ। 1964-65 में 1.71 करोड़ रुपये की हानि और 1965-66 में 61.80 लाख रुपये का लाभ हुआ। इस वर्ष का लेखा तैयार किया जा रहा है।

श्री सु० कु० तापड़िया : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। श्री शाह के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया था कि त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। मैंने पूछा था कि क्या

यह पहला ही अवसर है जब कि कुशबन्ध के सम्बन्ध में रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है या पहले भी कई अवसरों पर ऐसा किया गया था ।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, फिर भी प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिये ।

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक वित्तीय नियंत्रक द्वारा दी गई रिपोर्ट का सम्बन्ध है जो कुछ प्रेस में प्रकाशित किया गया है वह सब वर्तमान रिपोर्ट से सम्बन्धित है, पहली रिपोर्ट के सम्बन्ध में नहीं है ।

श्री सु० कु० तापड़िया : मेरा प्रश्न यह है कि क्या पहले भी इस बात का उल्लेख किया गया था ।

श्री रंगा : वह इस सरल से प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते ? यदि उनके पास जानकारी नहीं है तो वह कह सकते हैं कि वह इस सम्बन्ध में जानकारी करेंगे और उसके बाद सभा को उसकी सूचना देंगे ।

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (श्री चन्ना रेड्डी) : बोर्ड द्वारा समय समय पर पहले प्रस्तुत की गई रिपोर्टों की हमारे पास इस समय कोई जानकारी नहीं है । में निश्चित रूप से इसकी जांच करूंगा और यदि इस सम्बन्ध में कुछ मुख्य या गम्भीर बातें होगी तो मैं उनको नोट कर लूंगा, उनका सारांश तैयार करुंगा और माननीय सदस्यों को इससे अवगत कराऊंगा ।

श्री उमानाथ : राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के वित्तीय कार्यों के सम्बन्ध में बहुत गम्भीर बातों का पता लगा है । व्यवस्था के अनुसार कोयले की सप्लाई केवल बैंक गारन्टी के बराबर या प्रत्यय पत्र के विरुद्ध दी जाती है । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि 7 कम्पनियां जो कि दलाल का काम करती और जिन्होंने 17 लाख रुपये की बैंक गारन्टी की व्यवस्था की थी उन्हें केवल 1,59,00,000 रुपये की अधिक उधार दिया गया, यानि बैंक गारन्टी से 900 प्रतिशत अधिक । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या एक कम्पनी के मामले में 1158 प्रतिशत से अधिक का उधार दिया गया । यह बहुत ही गम्भीर मामला है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है, यदि हां तो क्या बोर्ड के किसी अधिकारी को इसके लिये जुम्मेवार ठहराया है और या जनता के रुपये का इस प्रकार दुरुपयोग करने के लिये उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

डा० चन्ना रेड्डी : इस प्रश्न के सम्बन्ध में ब्यौरा प्राप्त होने पर पता लगा है कि यह सच है । हमने बोर्ड से विस्तार से यह बतलाने के लिये कहा है कि गैर-सरकार फर्मों को इस सीमा तक सहायता कैसे दी गई ?

Shri Ramavatar Shastri : People's money have been invested in N. C. D. C. but it is being wasted. All the officers are indulging in corruption. I want to know the number of machines lying useless there, the number of theft of machines. Whether it is

also a fact that to hide this theft and corruption, the officers are putting the blame on labourers.

Shri Chenna Reddy : Some hon. members are considering it essential to give a picture of N. C. D. C. I would not say anything in that connection, but I would like to say that its function is not so bad as the members think. It is true that an amount of Rs. 162/ crores have been invested in it and during the last ten years there have been a profit of 230.60 lakh rupees. During the Third Five Year Plan the N. C. D. C. target for coal production was 30 million tonnes as compared to 9.40 million tonnes this year. Reduction in the coal production as well as other big factors have their effects on N. C. D. C. It is correct that there are some faults in it, but we cannot neglect the profit of Rs. 230.60 lakhs made by it and the other economic factors.

Shri Kameshwar Singh : Hon. Minister is giving a wrong information. He is misleading the House.

Shri Ramavatar Shastri : Hon. Minister has not told the number of machines lying useless there.

डा० रानेन सेन : प्रश्न यह था कि उन मशीनों की संख्या और कीमत क्या है जो बेकार पड़ी हैं । उन्होंने प्रश्न के उस भाग का उत्तर नहीं दिया है । करोड़ों रुपये की मशीनें बेकार पड़ी हैं और धन बर्बाद किया जा रहा है ।

श्री चन्ना रेड्डी : अपने लक्ष्य को ध्यान में रख कर स्वाभवत: हमने अधिक मशीनें खरीदी थी और इस समय हमारे पास बहुत सी ऐसी मशीनें पड़ी हैं जिनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है । इससे निश्चय ही हानि हो रही है ।

श्री कार्तिक ओराओं : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि परियोजना में व्यवस्थित राशि से बहुत अधिक धन उपक्रणों की खरीद में लगाने के कारण, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के पास कर्मचारियों को सूखा सहायता ऋण देने के लिये भी, जैसा कि सरकारी उपक्रमों और सरकारी विभागों में दिया जाता है, धन नहीं है । इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कर्मचारी 14 जून, 1967 से हड़ताल पर है और इसकी प्रतिक्रिया दूसरी खानों में भी होने की सम्भावना है । यदि यह सच है तो क्या मंत्री महोदय सर्वप्रथम सबसे पहले सूखा सहायता ऋण देने के लिये कदम उठायेंगे और फिर दूसरे मामलों का निबटारा करने के लिये कदम उठायेंगे ताकि निगम के कार्य को अच्छी प्रकार करने के लिये सामान्य तथा आपसी विश्वास का वातावरण पैदा करना होगा ।

श्री चन्ना रेड्डी : मेरे विचार से माननीय सदस्य ने इस संदर्भ में इस समय विद्यमान श्रम और प्रबन्ध से सम्बन्धित दो और तीन मामलों को मिला दिया है । मुख्यालय का श्रम संगठन गैर कानून हड़ताल पर है और उन्होंने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी, जो बोर्ड के विचाराधीन है । बोर्ड इस मामले पर विचार कर रहा है । जहां तक सूखे के लिये सुविधाएं और पेशगी धन-राशि देने का सम्बन्ध है बोर्ड द्वारा जांच के बाद उन्हें वही सुविधाएं प्रदान की जायेगी जो दूसरे उपक्रमों में उपलब्ध है । धन राशि की कमी से इस सम्बन्ध में रूकावट नहीं आयेगी । इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने मेरे से विस्तार से बातचीत की है ।

श्री कार्तिक ओराओं : सूखा सहायता ऋण के मामले में भिन्न नीति अपनाई गई है।

श्री अ० कु० गोपालन : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि कोयले और दूसरी चीजों की खरीद के लिये 39 बिचौलिये हैं और अभी तक खरीदने सम्बन्धी नियम और शर्तों पर कोई समझौता नहीं हुआ है। यदि यह सच है, तो इसका क्या कारण है ?

श्री चन्ना रेड्डी : यह प्रश्न भी वित्तीय मंत्रणाकार के वक्तव्य से सम्बन्धित है। अतः इस समय इसका ब्यौरा मेरे पास नहीं है। यदि माननीय मंत्री इसमें रूचि रखते हैं तो इस सम्बन्ध में मैं अवश्य ही आंकड़े इकट्ठे करूंगा।

Shri Kameshwar Singh : The Managing Director of the N. C. D. C. has recently resigned his post because he was not allowed to take measures to tide over the N. C. D. C.'s financial crisis. On the other hand, he was forced to resign. Shrl S. T. Raja had claimed that the N. C. D. C. earned profit during 1965–66 and he concealed the Government's obligations and loans towards N. C. D. C. All these things were later detected by the audit. It is a fact that accounts are concealed and faults find profits are shown, and if so, why ?

Dr. Chenna Reddy : It is true that N. C. D. C. suffered a loss to the tune of Rs. 1.71 lakhs during 1964–65 and earned a profit of Rs. 61 lakhs in 1965–66. As regards accounts, they cannot be concealed and even if they are concealed, the Auditor Generals' organisation is there to find out the facts. This was a discussion in this House on the resignation by the Managing Director and we had said that no body asked him to resign and he has not expressed any reason for his resigning.

Shri Kameshwar Singh : No body would like to work in such a filthy place.

Shri George Fernandes : Sir, I make a categorical indictment that N. C. D. C. is a **choron ka adda** (a den of thieves) and the hon. Minister is shielding those theives. The Report submitted by the Financial Commissioner a few days back is not a secret document. The statement of the hon. Minister runs counter to the report and is absolutely false and baseless. The report clearly mentions that at this place for the last so many years..

"The position is further aggravated by the fact that there are heavy arrears in the accounts work including stores accounts. It is a matter of great concern....

अध्यक्ष महोदय : हर समय चिल्लाते रहने का क्या फायदा है, यह उचित नहीं है। जिस सदस्य को प्रश्न पूछना हो, उसे प्रश्न का नोटिस देना चाहिए। दो-तीन व्यक्तियों को छोड़कर इस ओर के बाकी लोग पूरे घंटे भर (प्रश्न काल) चिल्लाते रहते हैं। यदि वे कुछ जानकारी चाहते हैं, तो उन्हें प्रश्न पूछना चाहिए और मैं उन्हें अवसर देता हूं—एक इस ओर से और दूसरा उस ओर से। जब मैं इस ओर देखता हूं, कोई व्यक्ति खड़ा नहीं होता, इसलिये मेरी नजर उस ओर जाती है। आप में से यदि किसी को प्रश्न पूछना है, तो मैं आपको मौका दूंगा।

Shri George Fernandes : And further :

"It is a matter of great concern that this corporation during its existence of ten years has not produced monthly accounts even once. The accounts are being produced annually because of statutory requirements."

Sir, I have a submission to make in connection with this ful-fledged den of thieves....

श्री क० ना० तिवारी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री क० ना० तिवारी : श्री बनर्जी साहब ने पहले भी कहा कि पब्लिक सेक्टर में यह चोरों का अड्डा है इस तरह की बातें रिकार्ड में जाने लायक नहीं हैं ।

Shri George Fernandes : I will repeat it several times that it is **choron ka adda.** Crores of rupees are being wasted....

Shri Madhu Limaye : Is NCDC their property ? Nothing has been said against the hon. Member Shri Tewari.

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रश्न पूछे । किन्तु प्रश्न पूछते समय इस ओर से अथवा उस ओर से हानिकर आक्षेप लगाने की आवश्यकता नहीं है । मैं इसे बार-बार कहता आ रहा हूं । ऐसा कहना कि वह चोरों का अड्डा है अथवा ऐसा है वैसा है, उचित नहीं है । प्रश्न काल जानकारी मालूम करने के लिये होता है न कि एक दूसरे को खरी-खोटी सुनाने के लिये । मतदान अथवा किसी विषय पर चर्चा के समय सरकार को हराकर उसे हटा सकते हैं अथवा जो चाहें कर सकते हैं लेकिन प्रश्न काल में आक्षेप अथवा निन्दा नहीं करनी चाहिए ।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है । मैं आपका ध्यान नियम 368 की ओर दिलाना चाहता हूँ जिसमें उन पन्नों को, जिनका उद्धरण दिया जाता है, सभा-पटल पर रखने के बारे में व्यवस्था है ।

अध्यक्ष महोदय : यह कैसे उत्पन्न होता है ?

Shri Madhu Limaye : He is referring to what Shri Fernandes has read out.

श्री स० मो० बनर्जी : पिछली बार जब हमने अल्प सूचना प्रश्न के रूप में इसे उठाया था, और कुछ उद्धरण देना चाहा, तो मंत्री महोदय ने नोटिस चाहा था । यहां तक कि कर्मचारियों के प्रतिनिधि को मारने के लिये एन० सी० डी० सी० में गुंडे तक तैनात किये गये जिन्हें सरकारी अतिथि-गृह में उचित रूप से रखा गया था; मंत्री जी को इसके लिये नोटिस की जरूरत पड़ी । मेरे मित्र श्री फरनेन्डीज ने अब एक ऐसे दस्तावेज का उद्धरण दिया है जो एन. सी. डी. सी. के कार्य-संचालन के विरुद्ध तथा उसके झूठे हिसाब-किताब आदि के बारे में प्रकाश डालती है । नियमों के अनुसार उन्हें इसे प्रमाणित करके सभा-पटल पर रखना है ताकि सभा को मालूम हो कि एन. स . डी. सी. में क्या हो रहा है, मैं इस पर विनिर्णय चाहता हूं ।

Shri Madhu Limaye : Sir, we seek your help in this matter. It is our duty as well as a privilege to bring such documents before the House.

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि मैंने कल भी कहा था, इसे विधिवत प्रमाणित करके अध्यक्ष को सौंपा जा सकता है। इस बात की जांच करने के बाद कि इसे सभा-पटल पर रखना जरूरी है, उसे सभा-पटल पर अवश्य रखा जायेगा। नियम यही है।

Shri Madhu Limaye : Without framing any rules in respect this there of Sir, I know that you have given directions that such documents should be handed over to you only when they are duly authenticated. But I want to know whether you have made any guide-lines in regard thereto. It is a Government document and they are concealing it. You may be pleased enough to allow Shri Fernandes to lay it on the Table if the same is duly authenticated.

Shri George Fernandes : It has appeared almost in all the Newspapers of Bihar....

अध्यक्ष महोदय : नियम संख्या 369 मंत्री पर लागू होता है।

Shri S. M. Banerjee : Rule 369. It says :

(1) A paper or document to be laid on the Table shall be duly authenticated by the Member presenting it

(2) All papers and documents laid on the Table shall be considered public.

ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि इसे अध्यक्ष को सौंपा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई मंत्री उसे चुनौती दे, तो.... (व्यवधान)

स० मो० बनर्जी : मैं आपका ध्यान इस सभा में एक पूर्वोदाहरण की ओर दिलाना चाहता हूं। जब श्री दाजी और मैंने डालमिया–जैन फर्मों के बारे में विश्वनाथ शास्त्री प्रतिवेदन पेश करना चाहा, तो तत्कालीन अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह ने वह दस्तावेज सभा-पटल पर रखने के लिये मंत्री जी को मजबूर किया था। उन्होंने अपना विनिर्णय हमारे पक्ष में दिया। यहां पर एक दस्तावेज है, जो एन० सी० डी० सी० के कार्य संचालन के बारे में, जिसमें उन अधिकारियों का चाल-चलन भी शामिल है जो इमानदार अधिकारियों को त्यागपत्र देने के लिये मजबूर कर रहे हैं, स्थिति से अवगत कराता है। आप या तो इसे सभा-पटल पर रखने की इजाजत दीजिये अथवा उनसे इसे सभा-पटल पर रखने के लिये कहें।

अध्यक्ष महोदय : वह मुझे यह दस्तावेज दें, और मैं उसकी जांच करूंगा।

श्री रा० बरुआ : यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में क्या कहना है, हम सुनना चाहते हैं। हमें आशा है कि मंत्री जी, इन बातों में जाने के बजाय इस दस्तावेज को सभा-पटल पर रखेंगे।

डा० चन्ना रेड्डी : स्थिति इस प्रकार है। प्रश्न में यह पूछा गया है "क्या एन० सी० डी० सी० के वित्तीय नियंत्रक के इस कथित वक्तव्य की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है .. " और उत्तर में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है "वित्तीय नियंत्रक ने कोई वक्तव्य नहीं

दिया है। 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि के लिये उनका त्रैमासिक प्रतिवेदन दे दिया गया है——"

अब, अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में राज्य मंत्री ने स्पष्टीकरण किया है कि यह प्रतिवेदन 28 मई को, जब कि वास्तव में निदेशक बोर्ड की बैठकें चल रही थीं, उसे दे दी गई थी और निदेशक बोर्ड ने उस दिन ऐसा सोचा कि चूंकि यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसे पढ़ने में उन्हें थोड़ा समय लगेगा, इसलिये उस पर आगामी बैठक में विचार करेंगे।

ऐसे प्रतिवेदन, निदेशक बोर्ड द्वारा उन पर विचार किये जाने के बाद तथा उन पर उनकी टीका-टिप्पणी के साथ मंत्रालय में आयेंगे और मंत्रालय इन ब्यौरों की जांच करेगा तथा उसके बाद मंत्रालय जो आवश्यक समझे, कार्यवाही करेगा। जैसा कि सभा ने इसमें रुचि दिखायी है, राज्य मंत्री सभा को आश्वासन दे चुके हैं कि सरकार द्वारा इस पर विचार किये जाने के बाद सभी गंभीर बातों तथा अनियमितताओं को सभा के समक्ष लाया जायेगा। मैंने भी स्पष्टत: यही कहा है कि यदि कोई गंभीर बातें तथा अनियमितताएं होंगी, तो हम उन्हें एकत्रित करेंगे और सभा-पटल पर रखेंगे और सभा को यह भी बतायेंगे कि हमने उन पर क्या कार्यवाही की है।

Shri George Fernandes : Sir, first of all, I refute the hon. Member's contention that it is a secret document by quoting from several newspapers that-

"Financial Controller exposes financial chaos in N. C. D. C.....crores of rupees wasted....."

So, there is noting secret in the document that the hon. Minister is trying to conceal it from the House. My question is, whether it is a fact that the Financial Controller has made a categorical allegation that the Financial chaos i the N. C. D. C. is not attributable to the recession in coal trade. Huge stocks of saleable coal are accumulating there, and it is not being lifted therefrom. The question, therefore, arises whether this financial chaos in the N. C. D. C. is attributable to its mismanagement and mal practices.

श्री ली० पे० वैंकटासुब्बया : मंत्री महोदय के जवाब देने से पहले मैं व्यवस्था का एक प्रश्न उठाना चाहता हूं। एन० सी० डी० सी० एक स्वायत्त निगम है और इसका प्रबन्ध एक निदेशक बोर्ड द्वारा किया जा रहा है, वित्तीय नियंत्रक ने अपना प्रतिवेदन निदेशक बोर्ड को दे दिया है। क्या इस प्रतिवेदन पर विचार किये जाने से पहले सरकार इस प्रतिवेदन में निहित बातों के बारे में बता सकती है अथवा उसे निदेशक बोर्ड से मंगवा सकती है? इस बारे में मैं आपका विनिर्णय चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : सरकार किसी भी स्वायत्त निगम से कोई भी पत्र मांग सकती है, यह उसका अधिकार है। कुछ भी हो, ये तो सरकारी निकाय है। हां इतना जरूर है कि इस प्रतिवेदन में गुप्त वह अथवा गोपनीय मान सकती है। यह अलग बात है।

श्री पे० वैंकटासुब्बया : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह था कि यह प्रतिवेदन निदेशक बोर्ड के समक्ष है, ऐसी स्थिति में क्या सरकार इस प्रतिवेदन को मंगा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ माननीय सदस्य ने पूछा था, उस पर मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है । अब माननीय मंत्री जो प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं ।

श्री क० नारायण राव : नियम 368 के विषय-क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । मंत्री महोदय ने यदि इस दस्तावेज से कोई उद्धरण दिया है, तो उनसे, इस नियम के अन्तर्गत, उसे सभा-पटल पर रखने के लिये कहा जायेगा । किन्तु इसमें उल्लिखित 'दस्तावेज' दूसरे किस्म का है, नियम 368 इस प्रकार है :

"If a Minister quotes in the House.... "

मैं 'quotes' शब्द पर अधिक जोर देना चाहता हूं । इस नियम में आगे यह कहा गया है :

"a despatch or other State paper which has not been presented to the House...."

इसलिये, कोई सदस्य यदि किसी खास दस्तावेज से उद्धरण देकर उसे प्रस्तुत करना चाहता है, तो नियम 368 में उसकी व्यवस्था नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला पहले ही उठाया जा चुका है और इस पर निर्णय दिया जा चुका है । नियम 368 मंत्री पर लागू होता है । किन्तु इस विषय के सम्बन्ध में निदेश है । इसलिये वह मामला तो अब समाप्त हो चुका है ।

मंत्री महोदय अब श्री जार्ज फरनेन्डीज के प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं ।

डा० चन्ना रेड्डी : जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, यह प्रतिवेदन एन० सी० डी० सी० का आन्तरिक प्रतिवेदन है जो बोर्ड को दिया गया है । इस प्रक्रम पर, किसी भी आन्तरिक प्रतिवेदन को जब तक कि उससे उद्धरण न दिया जाये, सभा-पटल पर नहीं रखा जा सकता, इसलिये इस नियम के अन्तर्गत, इस प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखना हमारे लिये जरूरी नहीं है ।

जिन अतिशयोक्तियों का माननीय सदस्य ने प्रयोग किया है, उनके बारे में मुझे कोई टीका-टिप्पणी नहीं करनी है । सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों के लिये ऐसे शब्दों का प्रयोग करना बहुत खेदजनक होगा ।

मुझे इस बात पर बहुत आपत्ति है कि सरकारी क्षेत्र के किसी उपक्रम से चोरों का अड्डा कहा जाये ।

जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि वहां ढेरों कोयला पड़ा है और उसे वहां से उठाया नहीं जा रहा है, प्राप्त जानकारी के अनुसार हमारे पास वहां 90,000 टन कोयला है जिसे बहुत बड़ा स्टाक नहीं समझा जा सकता । लेकिन बहुत सी बातें हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, हमने निर्धारित उत्पादन लक्ष्य तक पहुँचने की क्षमता स्थापित कर दी थी, किन्तु हम इसका उपयोग नहीं कर पाये हैं, इस क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है, इसी कारण हानि हो

रही है । किन्तु इस प्रतिवेदन में दिये गये वास्तविक ब्यौरे का जहां तक सम्बन्ध है, मैं इस समय उस बारे में कोई टीका-टिप्पणी नहीं कर सकता ।

Shri Kameshwar Singh : Mr. speaker, Sir.....

अध्यक्ष महोदय : आप पहले ही प्रश्न पूछ चुके हैं । मुझे अन्य सदस्यों को भी अवसर देना है ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है पहले साल 1.25 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था, उसके बाद वह घट कर .19 लाख रुपये हुआ था और फिर 171 लाख रुपये का घाटा आया था । क्या उस प्रक्रम पर सरकार ने यह जानने के लिये कि लाभ कम क्यों होता जा रहा है, तथा घाटे की इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये कोई कार्यवाही की थी ।

डा० चन्ना रेड्डी : वर्ष 1964-65 को छोड़कर शेष वर्षों में अर्थात् 1956-57 से लेकर 1966-67 तक हर वर्ष लाभ हुआ है किसी वर्ष कम और किसी वर्ष उससे अधिक । केवल वर्ष 1964-65 में, 171 लाख रुपये का घाटा हुआ । बोर्ड प्रतिवर्ष आवश्यक कार्यवाही करता रहा है । किन्तु प्रति वर्ष क्या-क्या खास कार्यवाही की गई, इस वक्त मैं नहीं कह सकता ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Sir, the hon. Minister has stated just now that the N. C. D. C. is facing a financial crisis which is attributable to the purchase and non-utilization of the machinery purchased and intalled to build up capacity to reach the target of production, resulting in a decline in production and increase in expenditures. I want to know the percentage of utilised capacity. May I know whether it is also a fact that the unrealistic target figures, such as 60 million tonnes for the second plan, 97 million tonnes for the third Plan and 107 million tonnes for the Fourth plan, given to the N. C. D, C. by the Central Government were also responsible for non-utilisation of the installed capacity ? In view of this, may I know whether the Government propose to appoint a High Powered Committee to go into the irregularities, mismanagement and burgling in the N. C. D. C. and fix responsibities for the same.

Shri Chenna Reddy : The hon. Member has raised two points-first about purchase and utilisation of machinery and second one-regarding the target figures of N. C. D. C. As I have already stated that I would like to collect data.....

Shri Kanwar Lal Gupta : The N. C. D. C. has been running for the last ten years.

Shri George Fernandes : Sir, allow a discussion on it.

श्री चन्ना रेड्डी : जहां तक मशीनरी की खरीद तथा उसका उपयोग न किये जाने का सम्बन्ध है, मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं इस सम्बन्ध में आकड़े एकत्रित करूंगा उसके बाद स्थिति स्पष्ट करूंगा ।

जहां तक उत्पादन लक्ष्य का सम्बन्ध है, जिन आकड़ों का उल्लेख किया गया है वे पूर्णतः गलत हैं । ये आकड़े एन० सी० डी० सी० के नहीं अपितु देश में कुल कोयला उत्पादन के आकड़े हैं । मन्दी तथा विभिन्न अन्य आर्थिक कारणों से उत्पादन लक्ष्य 9 करोड़ 60 लाख

टन से गिर कर 6 करोड़ 40 लाख आ गया है। एन० सी० डी० सी० में भी 3 करोड़ टन का लक्ष्य 96 लाख 80 हजार टन हो गया है।

श्री कंवर लाल गुप्त : जांच के बारे से क्या विचार है।

अध्यक्ष महोदय : बस, अब काफी है।

श्री सु० कु० तापड़िया : क्या आप इस पर एक घंटे की बहस की इजाजत देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह अलग विषय है, वह मुझे लिख कर दें।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

उड़ीसा में क्रोमाइट की खानें

*696. **श्री ह० प० चटर्जी :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री यशपाल सिंह :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा खनन निगम तथा गैर-सरकारी पक्षों द्वारा पृथक-पृथक कितनी खानों से क्रोमाइट निकाला जा रहा है ;

(ख) क्या जापान सरकार अथवा जापान की किन्हीं गैर-सरकारी व्यापारी फर्मों ने क्रोमाइट की सप्लाई के लिये उड़ीसा खनन निगम के साथ कोई करार किया है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या यह निर्यात पूर्वी भारत की पारादीप बन्दरगाह से किया जायेगा और क्या इसकी मंजूरी कर ली गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रैड्डी) : (क) प्राप्त हुई सूचना के अनुसार, उड़ीसा खनन निगम एक खान का विदोहन कर रही है और निजी पक्ष चार खानों का विदोहन कर रहे हैं।

(ख) उड़ीसा खनन निगम क्रोम चूर्ण के निर्यात के लिये जापान की व्यौपारी फर्मों के साथ बातचीत कर रही है। परन्तु अभी तक किसी समझौते या ठेके को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

(घ) अयस्क प्रदीप बन्दरगाह से बाहर भेजा जायगा तथा वह आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा जारी किये गये निर्यात अनुदेशों में वर्णित विशिष्टियों के समरूप होगा ।

Industries in North Bihar

*697. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs be** pleased to state :

(a) whether it is a fact that North Bihar is industrially much more backward as compared to other parts of the country;

(b) whether Government propose to formulate a scheme to establish big and small industries in North Bihar ; and

(c) if so, the main features thereof ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (c) In planning the industrial development of the country, Government take the entire area of a State as one single unit. Several industrial units have been set up in Bihar State. The location of any particular industrial unit within the State is governed primarily by economic considerations. However, so far as North Bihar is concerned Government have taken steps to establish both big and small industries in that area. The industrial projects proposed to be set up there during the Fourth Plan period include:

(i) A Newsprint/Pulp Mill.

(ii) A Fertilizer Factory at Barauni.

(iii) Expansion of the capacity of the Barauni Oil Refinery.

Certain proposals for the establishment of fruit preservation units in the area also under the consideration of the State Government.

पटसन की समूह खरीद (ग्रुप परचेज़) सम्बन्धी योजना

*698. **श्री राममूर्ति :**
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पटसन मिल संस्था ने पटसन की समूह खरीद (ग्रुप परचेज़) सम्बन्धी योजना लागू की है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या पटसन आयोग ने इस योजना को स्वीकार कर लिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण नीचे दिया जाता है ।

(ग) पटसन आयुक्त का योजना के लागू करने पर कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि उसके द्वारा दिये गये खरीद कोटों का मिलें पालन करें ।

विवरण

भारतीय पटसन मिल संघ द्वारा लागू की गई समूह खरीद योजना की प्रमुख बातें निम्न-लिखित हैं :–

(1) सदस्य मिलों को छः समूहों में बांटा गया है, प्रत्येक समूह में एक ग्रुप लीडर होगा। ये छः ग्रुप लीडर अपने कार्यों को करने के अलावा एक नियंत्रक बोर्ड के रूप में भी कार्य करेंगे जो योजना को सामान्यतः चलाने के लिये उत्तरदायी होगा।

(2) नियंत्रक बोर्ड प्रति सप्ताह गुरुवार को प्रातः अपनी बैठक करके इन विषयों पर निर्णय करेगा।

(1) आगामी सप्ताह में की जाने वाली पटसन की खरीद का कुल परिमाण इसे सामान्यतः पटसन आयुक्त के कोटे के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जायेगा और (2) ऐसी खरीद के लिये दिया जाने वाला अधिकतम मूल्य।

(3) इसके पश्चात् ग्रुप लीडर आगामी सप्ताह को बोर्ड की कार्यवाही से अवगत कराने के लिये अपने समूह के सदस्यों को एक साथ बुलाएंगे। अपने समूह के प्रत्येक सदस्य के सम्बन्ध में, नियंत्रक बोर्ड के कोटे से खरीदे गये परिमाण और दिये गये मूल्य की जांच करने का उत्तरदायित्व ग्रुप लीडर का होगा।

(4) यद्यपि मिलें प्रत्येक सप्ताह अपने पूरे कोटे को खरीदने के लिये बाध्य नहीं होंगी तथापि योजना के प्रथम चार सप्ताह का कोटा चार सप्ताह में ही ले लिया जाना चाहिये और इसी तरह इसके बाद के चार सप्ताह की अवधि के लिये भी खरीद की जानी चाहिये। प्रत्येक चार सप्ताह की अवधि में प्रथम सप्ताह का अप्रयुक्त कोटा (यदि कुछ हो) शेष तीन सप्ताहों में समान रूप में बांटा जायेगा, इसी तरह दूसरे सप्ताह का अप्रयुक्त कोटा शेष दो सप्ताहों के समान रूप में बांटा जायेगा; और तीसरे सप्ताह का अप्रयुक्त कोटा चौथे सप्ताह के कोटे में जोड़ दिया जायेगा जो (पिछले शेष, सहित यदि हो) सप्ताह के अन्त में समाप्त हो जायेगा।

(5) योजना, 17, अप्रैल 1967 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह से प्रारम्भ की गयी थी।

मद्रास में रेशम बुनाई उद्योग

*699. **श्री उमानाथ :** **श्री रमानी :**
श्री प० गोपालन : **श्री नम्बियार :**

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्चा रेशम न मिलने के कारण मद्रास राज्य में रेशम बुनाई उद्योग में संकट उत्पन्न हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इससे कितने बुनकर तथा करघों के काम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या यह सच है कि अब भी कच्चे रेशम का निर्यात किया जा रहा है जिसके कारण मूल्य बढ़ रहे हैं तथा देश में इसकी सप्लाई की स्थिति गम्भीर होती जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, नहीं। परन्तु रेशम बुनाई उद्योग को उपयुक्त मूल्यों पर कच्चा रेशम पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है।

(ख) मद्रास राज्य में रेशम बुनाई उद्योग में लगे हुये लगभग एक लाख बुनकरों तथा करीब 21,000 करघों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ग) कच्चे रेशम का निर्यात नहीं हो रहा है। परन्तु स्वदेशी कच्चे रेशम की मूल्य-वृद्धि का कारण प्रतिकूल मौसमी दशाओं के कारण 1966 में कच्चे रेशम के आन्तरिक उत्पादन में गिरावट होना तथा आयातित कच्चे रेशम के ऊंचे मूल्यों के कारण आयात में कमी होना भी है।

(घ) (1) केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने मैसूर सरकार से प्रार्थना की है कि वह राज्य सरकार द्वारा दिये गये लपेटे हुए कच्चे रेशम के मूल्य न बढ़ाये।

(2) केन्द्रीय रेशम बोर्ड की सिफारिश पर जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने केवल वास्तविक उपयोगकर्ताओं तथा निर्माता, निर्यातकों को 20,000 पौंड कश्मीरी लपेटे हुए रेशम का निर्धारित मूल्यों पर संभरण करना स्वीकार कर लिया है।

(3) 1967-68 में 60,000 कि० ग्रा० कच्चे रेशम के आयात का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

मिलों को रूई की सप्लाई

*700. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री प० गोपालन :
श्री राममूर्ति ।

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कपड़ा आयुक्त ने रूई के व्यापारियों से कहा है कि वे रूई के अपने स्टाक का ब्यौरा बतायें ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान ऐसे किसी मामले की ओर दिलाया गया है कि व्यापारियों द्वारा मिलों को बेची गई रूई को मिलें नहीं ले रही हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) इस निवेदन के उत्तर में बहुत कम ब्यौरे आये हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

National Coal Development Corporation

***701. Shri Maharaj Singh Bharati :**
Shri Indrajit Gupta :

Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to state :

(a) the amount invested in the National Coal Development Corporation and the profits earned by it so far ;

(b) whether its employees have lodged complaints with Government regarding misappropriation to the tune of crores of Rupees in the said Corporation ;

(c) if so, the action taken in this regard ; and

(d) the result of the enquiry held by Government to remove discontentment amongst the workers to increase efficiency and to assess the surplus staff ?

The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P. C. Sethi) : (a) Total amount invested in National Coal Development Corporation upto 31-3-67 is about Rs. 162 crores and profits earned are Rs. 2.3 crores upto 1965-66.

(b) and (c) The National Coal Organisation Employees' Association, Ranchi, presented a memorandum on 22-2-1966 which contained, inter alia, alleged cases of corruption etc. These were examined and found to be vague or baseless except in one case where suitable action was taken. Another letter dated 19-12-1966 was sent by N. C. O. E. A. to the Managing Director, National Coal Development Corporation with a copy to the Ministry referring to cases of corruption etc. This is being looked into by National Coal Development Corporation. Still another letter dated 23-5-67 was sent by the Association and is also being looked into by National Coal Development Corporation.

(d) Government has not conducted any such enquiry.

भिलाई इस्पात कारखाने द्वारा बिलेटों की सप्लाई

*702. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भिलाई इस्पात कारखाना पुनर्बेलन कारखानों को 6 मीटर की लम्बी बिलेट सप्लाई करने को तैयार नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 10,000 मीट्रिक टन बिलेट जिनमें से 90 प्रतिशत से अधिक बिलेट उक्त लम्बाई की है, जिनका दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाना है, बम्बई गोदी में लादी गई हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि भिलाई इस्पात कारखाने में उक्त लम्बाई की बिलेटों के लिये कोई अतिरिक्त मूल्य नहीं लिया; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और देश में खरीददारों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (श्री चन्ना रैड्डी) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) प्रस्तुत मामले में निर्यात मूल्य समेकित मूल्य था जिसमें सभी बातों जैसे उत्पादन-लागत, देश में बाजारों की स्थिति, अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों, विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की आवश्यकता आदि को ध्यान में रखा गया था। चूंकि निर्यात के लिए करार देश में बाज़ारों की स्थिति को ध्यान में रखकर किये गये थे, अतः देश में खरीददारों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये।

केरल में हथकरघा उद्योग

*703. **श्री प० गोपालन :** **श्री चक्रपाणी :**
श्रीमती सुशीला गोपालन : **श्री राममूर्ति :**
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में हथकरघा उद्योग को विशेष रूप से कण्णनूर में गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) अकेले केरल में इस उद्योग में बेरोजगारी की वास्तविक स्थिति क्या है;

(ग) क्या इस उद्योग को बचाने के लिये राज्य सरकार ने कोई प्रस्ताव पेश किये हैं;

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस उद्योग के संकट को टालने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, नहीं। फिर भी कण्णनूर सहित केरल में हथकरघा उद्योग को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

(ख) इसका कोई आकलन नहीं किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) हथकरघा उद्योग की सहायता के लिये राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :-

(1) गैर-सरकारी क्षेत्र को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार द्वारा एक हथकरघा वित्त निगम संगठित किया गया है।

(2) 1967-68 में धागे के व्यापार के लिये रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा हथकरघा बुनकरों की शिखर सहकारी समिति के लिये 20 लाख रुपये के नकद-उधार की व्यवस्था की गई है।

(3) शिखर समिति के लिये केरल राज्य सहकारी बैंक से भी 15 लाख रुपये के ओवर ड्राफ्ट की व्यवस्था की गई है।

(4) हथकरघा बुनकरों को अधिक धागा उपलब्ध कराने के लिये राज्य में दो और सहकारी कताई मिल स्थापित करने का विचार है।

केरल में काजू उद्योग

* 704. **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री प० गोपालन :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में काजू उद्योग को गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कितने कारखानें बन्द हो गये हैं तथा कितने व्यक्ति बेरोज़गार हो गये हैं;

(घ) इस उद्योग द्वारा प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा कमाई जाती है; और

(ङ) इस उद्योग को वर्तमान संकट से उभारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) अवमूल्यन के कारण कच्चे काजू के मूल्यों में वृद्धि होने, ऋण पर प्रतिबन्ध होने तथा काजू उद्योग के श्रमिकों की मजूरी में वृद्धि होने के कारण काजू उद्योग संकट में है तथा इसके परिणामस्वरुप 40 कारखाने बन्द हो गये हैं और 20,000 श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं। हाल में पूर्वी अफ्रीका में स्थापित किये गये नये कारखानों से प्रतिस्पर्द्धा बढ़ गई है।

(घ) अवमूल्यन से पहले के हिसाब से इन कारखानों द्वारा कमाई जाने वाली विदेशी मुद्रा की राशि लगभग 31 करोड़ रुपये हैं।

(ङ) सरकार काजू उद्योगों के पैकिंग सामग्री जैसे टीन की प्लेटें, डिब्बे आदि देकर उसकी सहायता करती है। निम्नलिखित दरों पर निर्यात किये गये काजू कारनेल पर सरकार शुल्क की कमी की पूर्ति भी करती है :-

(एक)	25 पौंड की क्षमता वाले टीन के डिब्बे जिनमें काजू कारनेल रखे जाते हैं तथा जिनमें परिक्षण के लिये सी० ओ 2 को उपयोग किया जाता है।	12.34 किलोग्राम के कुल वजन वाले प्रति 1000 डिब्बों के लिये 422 रुपये (टीन के डिब्बे का वजन 1 किलोग्राम)
(दो)	बोक्स स्ट्रेपिंग्स	प्रति 100 के लिये 2.50 रुपये
(तीन)	वायर नेलस्	प्रति 100 के लिये 0.12 रुपये

खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत कच्चे नारियल का आयात करने की खुली छूट है।

सरकार ने पहले ही काजू के लिये विकास परिषद् स्थापित कर दिया है, जो कि काजू के उत्पादन तथा क्रय-विक्रय के पहलुओं पर गौर करता है। आशा की जाती है कि इस परिषद् के कार्य के काजू उत्पादन तथा उद्योग को कच्चे माल की सप्लाई में वृद्धि करने में सहायक होंगे।

मोटर-गाड़ियों के मूल्य

*705. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हलकी व्यापारिक मोटर-गाड़ियों पर से मूल्य-नियन्त्रण हटा लेने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस श्रेणी में किन-किन किस्मों की मोटर-गाड़ियों को शामिल किया गया है;

(ग) क्या इस नई व्यवस्था के अन्तर्गत निर्माताओं को मोटर-गाड़ियों के मूल्य बढ़ाने के लिये सरकार की पूर्वानुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी; और

(घ) ऐसा निर्णय लेने तथा निर्माताओं को मूल्य बढ़ाने की इतनी अधिक छूट देने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) सरकार ने 22 मई 1967 से हल्की व्यापारिक मोटर गाड़ियों (जिनकी क्षमता 3 टन से कम है) पर से औपचारिक मूल्य नियन्त्रण हटा दिया है तथा इस श्रेणी में निम्नलिखित प्रकार की मोटर गाड़िया शामिल हैं :–

1. डोज/फरगो
   1 टन वाला ट्रक

2. स्टैंडर्ड
   1 टन वाला ट्रक
3. टैम्पो हैनसीट
   3 पहिये वाला (टन)
4. टैम्पो विकिंग
   4 पहिये वाला (900 किलोग्राम)
5. जीप ट्रक
   ($\frac{3}{4}$ टन)

(घ) हल्की व्यापारिक मोटर गाड़ियां बनाने वाले कारखानों की वर्तमान संख्या चार है। इस प्रकार की मोटर गाडियों की मांग की पूर्ति के लिये उनका उत्पादन पर्याप्त है। क्योंकि इन गाड़ियों की मांग तथा सप्लाई में कोई असंतुलन नहीं है तथा इस क्षेत्र में काफी प्रतिस्पर्द्धा है, इसलिये इस पर मूल्य नियन्त्रण का जारी रखना आवश्यक नहीं समझा गया। सरकार को यह सन्देह करने का कोई कारण ज्ञात नहीं होता कि हल्की व्यापारिक मोटरगाड़ियों पर से औपचारिक मूल्य नियन्त्रण हटाने के बाद निर्माता अकारण ही कीमतों को बढ़ा देंगे। तथापि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जायेगी तथा एक वर्ष के बाद इसका पुनरीक्षण किया जायेगा।

जापान को लोहे अयस्क का निर्यात

*706. **श्री मि० सू० मूर्ति :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जापान के साथ किये गये करार के अनुसार भारत के विभिन्न पत्तनों से, पत्तन-वार, कितने लोह अयस्क का निर्यात किया जायेगा।

(ख) क्या पिछले करार के अतिरिक्त हाल में कोई और करार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उस करार के अनुसार कितनी मात्रा में निर्यात किया जायेगा; और

(घ) किन-किन पत्तनों से अतिरिक्त निर्यात करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) 1967-68 में विभिन्न पत्तनों से जापान को निर्यात की जाने वाली लौह अयस्क की मात्रा दर्शाने वाला एक विवरण नीचे दिया जाता है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

विवरण

1967–68 में विभिन्न पत्तनों से जापान को निर्यात की जाने वाली लौह अयस्क की मात्रा दर्शाने वाला एक विवरण।

पत्तन	मात्रा ('000' टन में)
कलकत्ता	670
हालदिया	100

प्रदीप	600
विशाखापटनम्	2810
काकीनाड़ा	200
मद्रास	1285
कुडालौर	135
बेलीकेरी	100
रेडी	120
	योग 6020

केलों का निर्यात

#707. श्री मेघचन्द्र :
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केलों के निर्यात में वृद्धि करने की संभाव्यता का पता लगाया है और यदि हां, तो केलों का निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ख) वर्ष 1966 में कुल कितने तथा कितने मूल्य के केले बाहर भेजे गये थे ;

(ग) क्या देश में केलों के बागों का विकास करने की कोई योजना है ; और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में केन्द्र कुल कितनी राशि खर्च करेगा ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (घ) फारस की खाड़ी के देशों को केलों का निर्यात प्रति वर्ष बढ़ाया जा रहा है और सोवियत रूस में एक नये बाजार का विकास किया जा रहा है। इटली, जापान और अन्य देशों को केलों के निर्यात के लिये बातचीत की जा रही है। 1966 में लगभग 61 लाख रुपये मूल्य के 12,270 मे० टन केले भेजे गये।

चौथी योजना में 35130 एकड़ के अतिरिक्त क्षेत्र को केले की खेती के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है। दक्षिणी राज्यों से निर्यात के लिये केले तथा अन्य ताजे फलों के उत्पादन का विकास करने के लिये मद्रास, केरल, आन्ध्र प्रदेश तथा मैसूर की राज्य सरकारों द्वारा केला तथा फल विकास निगम, मद्रास नामक एक निगम की स्थापना की गयी है।

ये योजनाएं, जिनमें केले सहित अधिकांश फलों की फसलें आ जाएंगी, चौथी योजना के लिये सहायता की सामान्य रूपरेखा के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित की जायेंगी और इसलिये केवल केलों के विकास पर केन्द्र द्वारा खर्च की जाने वाली धनराशि को बताना सम्भव नहीं है।

हंगरी को सूती धागे का निर्यात

*708. श्री गुणा नन्द ठाकुर :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्षों के अन्त में राज्य व्यापार निगम ने सूती धागे के निर्यात के बारे में हंगरी के साथ कोई करार किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा के लिये तथा कितने मूल्य के लिये करार किया गया है ;

(ग) राज्य व्यापार निगम ने हंगरी को किस दर पर सूती धागा देना स्वीकार किया है ;

(घ) राज्य व्यापार निगम ने भारतीय मिलों/धागा निर्माताओं से किस दर पर सूती धागा खरीदा है ;

(ङ) क्रय-दर और निर्यात-दर में कितना अन्तर है ;

(च) इसमें कितनी हानि अथवा कितना लाभ होगा ; और

(छ) क्या इस गोलमाल वाले सौदे के बारे में जांच का आदेश दिया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) 45,73,800 रु० मूल्य के 12 नं० सूत के 700 टन के लिये ।

(ग) 29.70 रु० प्रति 10 पौंड लागत बीमा भाड़ा रिजेका ।

(घ) बम्बई के लिये औसत मूल्य 29.64 रु० प्रति 10 पौंड पर ।

(ङ) क्रय मूल्य, जिसमें फाबिग, बीमा, भाड़ा लागत शामिल है, 34.14 रु० प्रति 10 पौंड था । लागत बीमा भाड़ा वसूली तथा लागत बीमा भाड़ा क्रय मूल्य के बीच लागत बीमा भाड़ा अन्तर 4.44 रु० प्रति दस पौंड था ।

(च) 6,83,540,00 रु० की हानि होने की सम्भावना है ।

(छ) जी, नहीं ।

खादी का उत्पादन

*709. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेमराज :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने खादी उद्योग में सकट को दूर करने के लिये कुछ किस्मों के कपड़े का उत्पादन खादी उद्योग के लिये सुरक्षित करने का केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Industrial Development of North Bihar

***710. Shri T. Ram :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that North Bihar is the most backward area in the country in regard to the industrial development;

(b) whether it is also a fact that, except for Barauni, no other industrial establishment has been set up anywhere so far since the attainment of Independence; and

(c) the main impediments in the establishment of Industries in North Bihar and the action taken by Government to remedy the same ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (c) In planning the industrial development of the country, Government take the entire area of a State as one single unit. A number of industrial undertakings have been set up in the Bihar State. The location of any particular industrial undertaking within the State is governed primarily by economic consideration.

Besides the Barauni Oil Refinery, some more industrial undertakings, such as sugar mills, Paper factories and mining of Pyrites Ore have come up in North Bihar.

North Bihar is primarily an agricultural area. Government have, however, taken steps towards industrial development.

Use of Barley for Brewing Beer

***711. Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affair** be pleased to state :

(a) whether lakhs of maunds of barley is being used for brewing beer, while barley is as good a food-grain as wheat; and

(b) if so, whether Government propose to forbid the use of barley for brewing beer keeping in view the prohibition policy and also to conserve foodgrains ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b) About 4000 tonnes of barley are being used for the manufacture of Beer. There is no proposal to forbid the use of barley for such purpose.

However, beer has been placed in the banned list for licensing of industries for a number of years and no fresh licences are given for the manufacture of beer.

Trade with Ceylon

*712. **Shri Yajna Dutt Sharma**
Shri Hukam Chand Kachwai
Shri Onkar Lal Berwa
Shri B. S. Sharma
Shri O. P. Tyagi :
Shri Prakash Vir Shastri
Shri Ram Gopal Shalwale
Shri Shiv Kumar Shastri
Shri Raghuvir Singh Shastri

Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news appearing in the Delhi edition of the 'Indian Express' dated the 5th June 1967 that the Minister of Trade of Ceylon has announced the curtailment in trade with India;

(b) if so, the reaction of Government thereto; and

(c) the extent of loss of foreign exchange that India will have to suffer as a result thereof ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) Yes, Sir. However, we understand that the news is not factually correct.

(b) and (c) Do not arise.

Export of Textiles to Nepal

*713. **Shri Raghuvir Singh Shastri**
Shri Hukam Chand Kachwai
Shri Prakash Vir Shastri
Shri Arjun Singh Bhadoria
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Ram Avtar Sharma
Shri Ram Gopal Shalwale
Shri Onkar Lal Berwa
Dr. Surya Prakash Puri

Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the export of Indian cotton textiles to Nepal has considerably gone down;

(b) if so, whether the devaluation of rupee is the main cause of this decline; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of Commeree (Shri Dinesh Singh) : (a) to (c) Exports of cotton textiles to Nepal during 1966 do not reflect a decline over exports during the earlier years.

अफगानिस्तान के साथ व्यापार

*714. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पाकिस्तान अपना व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से अफगानिस्तान को एक व्यापारी प्रतिनिधिमंडल भेज रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान के व्यापारी प्रतिनिधिमंडल द्वारा अफगानिस्तान का दौरा किये जाने से अफग निस्तान में भारतीय व्यापार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) अफगानिस्तान के साथ हमारे व्यापार का बहुत बड़ा अंश वस्तु-विनिमय के आधार पर होता है । अफगानिस्तान से होने वाले आयात को, उस देश को उतने ही मूल्य का भारतीय माल निर्यात करके सन्तुलित करना होता है । अफगानिस्तान के साथ व्यापार बढ़ाने के पाकिस्तान के प्रयत्नों का हमें पता है । अफगानिस्तान से आने वाले ताजे फलों को छोड़कर शेष सभी भारत-अफगानिस्तान व्यापार को कराची के रास्ते से करने के बारे में पाकिस्तान के आग्रह के फलस्वरूप अफगानिस्तान को जाने वाले हमारे माल की परिवहन लागत बढ़ गई है । फिर भी, हमें प्रतियोगता का सामना करने के लिये भरसक प्रयत्न करना पड़ेगा ।

कपड़े के गलत नमूने

*715. **श्री कामेश्वर सिंह :** **श्री एस० एम जोशी :**
श्री श्रीधरन : **श्री मधु लिमये :**
श्री प० मु० सैयद :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिड़ला उद्योग-समूह ने कई किस्मों के कपड़ों के गलत नमूने दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या गलत नमूनों का प्रयोग करके बिड़ला उद्योग-समूह ने राजकोष को चार पैसे प्रति मीटर की दर से उत्पादन शुल्क से वंचित किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) ऐसी सूचना मिली है कि बिड़ला की एक फर्म दी टेक्नोलोजिकल इन्स्टीट्यूट आफ टैक्सटाइल, भिवानी, हरियाणा ने नियन्त्रण के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम लम्बाई से छोटी साड़ियों का उत्पादन किया है ।

(ख) और (ग) मामले की जांच की जा रही है ।

बोकारो परियोजना

*716. **श्री हेम बरुआ :** **श्री नाथपाई :**
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : **श्री रामावतार शास्त्री :**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात परियोजना अपने निर्धारित कार्यक्रम से बहुत पीछे हैं और इसके परिणाम-स्वरूप यह कारखाना 1972 से पहले चालू नहीं होगा;

(ख) यदि हां, तो इस अत्याधिक विलम्ब के क्या कारण हैं और इस कठिनाई को किस प्रकार दूर करने का सरकार का विचार है; और

(ग) क्या इस प्रश्न पर विचार करने के लिए सरकार का विचार कोई समिति नियुक्त करने का है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) जी, नहीं। वर्तमान स्थिति को देखते हुये ऐसी आशा की जाती है कि पूरा कारखाना 1971 के चौथे भाग में चालू हो जाएगा।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने के बारे में पाण्डे समिति का प्रतिवेदन

*717. **श्री वि० ना० शास्त्री :**
श्री भोग्रेन्द्र झा :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री वेदव्रत बरुआ :
डा० रानेन सेन :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दुर्गापुर इस्पात कारखाने के बारे में पाण्डेय समिति के प्रतिवेदन में निहित बातों का विचार करने के लिये एक विशेष दल बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो उस दल के सदस्य कौन-कौन है तथा उस दल द्वारा कब तक प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की आशा है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Powerloom Industry

*718. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Ram Avtar Sharma :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Arjun Singh Bhadoria :

Will the Minister of **Commerce** be plaased to state :

(a) whether it is a fact that 44 per cent of the cloth requirements of country are being met by Powerloom Industry;

(b) whether it is also a fact that due to excessive excise duty, the said Industry is likely to become almost extinct;

(c) whether Government have received any complaints in this regard; and

(d) if so, the main features thereof and whether Government have decided to call the persons concerned to find out their difficulties in this connection ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Shafi Qureshi) : (a) No, Sir. The Powerloom industry supplies about 21 of the cloth requirement of the country,

(b) No, Sir.

(c) Yes, Sir,

(d) The representations have pointed out that the proposed excise levy cannot be borne by the small units which would ultimately close down resulting in unemployment on a very large scale and consequent crisis in the power loom industry. Government is examining the various complaints received in this regard.

पूना नगरपालिका परिवहन समिति को आयात लाइसेंस जारी किया जाना

*719. **श्री जार्ज फरनेंडीज :**
श्री मधु लिमये :
श्री एस० एम० जोशी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1957 से 1965 तक पूना नगरपालिका परिवहन समिति को कितने और कितने मूल्य के आयात लाइसेंस दिये गये;

(ख) ये लाइसेंस किस के नाम दिये गये;

(ग) क्या सरकार को इन लाइसेंसों को दुरुपयोग के बारे में सूचनाएं मिली हैं तथा क्या इन लाइसेंसों का दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध कोई जांच की गई है; और

(घ) आयात लाइसेंसों के दुरुपयोग के दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) 1957 से 1965 तक की अवधि में पूना नगरपालिका परिवहन समिति को मोटर गाड़ियों के पुर्जों के आयात के लिये 3.10 लाख रुपये के मूल्य के 8 लाइसेंस दिये गए थे ।

(ख) ये लाइसेंस परिवहन प्रबन्धक, पूना नगरपालिका परिवहन उपक्रम के नाम में दिये गये थे ।

(ग) जी हां ।

(घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच के फलस्वरूप आयात तथा निर्यात (नियन्त्रण) अधिनियम 1947 की धारा 5 के अन्तर्गत मुकदमें चलाने के लिये आवश्यक मंजूरी दे दी गई है ।

बेल्लमपल्ली (दक्षिण मध्य रेलवे) में माल डिब्बों की अनियमित सप्लाई

*720. **श्री नारायण रेड्डी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि दक्षिण-मध्य रेलवे में बेल्लमपल्ली स्टेशन पर माल डिब्बों की भारी कमी होने तथा सप्लाई अनियमित होने के कारण 2 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के कोयले का भारी स्टॉक जमा हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप सभी सम्बन्धित लोगों को हानि तथा असुविधा उठानी पड़ रही है;

(ख) इस स्थिति को सुधारने तथा हानि को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) बेल्लमपल्ली में माल डिब्बों का नियतन न किये जाने के क्या कारण है तथा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां। हाल के महिनों में बेल्लमपल्ली कोयलाखान को माल डिब्बों की सप्लाई कुछ कम हुई, जिसके फलस्वरूप खान पर कुछ हद तक कोयला इकट्ठा हो गया।

(ख) बेल्लमपल्ली कोयला क्षेत्र सहित सिंगरेनी कोयलाखान में कोयले का लदान बढ़ाने के लिए कारगर उपाय किये जा रहे हैं। इस कोयला क्षेत्र में कोयले के लदान में तेजी लाने के लिए दक्षिण-मध्य रेलवे को अभी हाल में 4 और डीजल इंजन दिये गये हैं, इसके अलावा कोयले के लदान के लिए दक्षिण-मध्य रेलवे को खाली माल डिब्बे भेजने की व्यवस्था में सुधार करने के लिए भी उपाय किये गये हैं।

(ग) बेल्लमपल्ली क्षेत्र में कोयले के लदान में जो गिरावट आई और जिसके फलस्वरूप खान पर कोयले का स्टाक बढ़ गया, उसके मुख्य कारण इस प्रकार हैं :

(i) नवम्बर, 1966 में आन्ध्र प्रदेश में उपद्रव।

(ii) फरवरी, 1967 में आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की हड़ताल जिसका प्रभाव रेलों के परिचालन पर पड़ा।

(iii) आम चुनाव के फलस्वरूप छुट्टियों के कारण फरवरी, 1967 में कम लदान।

(iv) मद्रास और आन्ध्र प्रदेश से भारी मात्रा में और अनियोजित ढंग से देशी और आयात अनाज की ढुलाई के कारण परिवहन व्यवस्था का अस्त व्यस्त हो जाना।

झाझा तथा जमालपुर रेलवे वर्कशाप्स में स्थानापन्न कर्मचारी

3369. **श्री देवेन सेन :**
श्री मधु लिमये :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे के झाझा तथा जमालपुर वर्कशाप्स में भारी संख्या में ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें स्थानापन्न कर्मचारी कहा जाता है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और वे वहां ओसतन कितने समय से नौकरी कर रहे हैं; और

(ग) उन्हें नौकरी की सुरक्षा स्थायी रोजगार देने के लिये रेलवे प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

यन्त्र चालित हल का आविष्कार

3370. **श्री नायनार** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आविष्कार संवर्द्धन बोर्ड के निदेशक ने यंत्रचालित हलों तथा पानी के पम्पों के बारे में केरल राज्य के पालघाट जिले के श्री पी० एन० रामचन्द्रन की नई खोज को रद्द कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) श्री पी० एन० रामचन्द्रन से 10 दिसम्बर, 1964 को प्राप्त हुए प्रस्ताव 'मनुष्यों द्वारा संचालित गतिपाल पहिये के यान्त्रिक लाभ वाले यांत्रिक उपाय' के बारे में थे ।

(ख) आविष्कार संवर्द्धन बोर्ड के तकनीकी अधिकारियों ने उन प्रस्तावों की अच्छी तरह जांच की थी तथा तकनीकी निर्यात समिति द्वारा उन प्रस्तावों को क्रियान्वित योग्य नहीं समझा गया ।

पलासा स्टेशन पर प्लेट फार्म तथा साइडिंग

3371. **श्री रंगा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में दक्षिण पूर्व रेलवे के पलासा स्टेशन पर प्लेटफार्मों और साइडिंगों के पुनर्निर्माण की योजनाओं को कितनी बार बदला गया;

(ख) प्लेटफार्मों तथा उनके ऊपर की छतों का कितनी बार पुनर्निर्माण किया गया और इस काम पर कितना धन खर्च हुआ;

(ग) इस कुप्रबन्ध के लिये उत्तरदायी इंजीनियरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) क्या अब कम से कम एक ऐसा प्लेटफार्म बनाने का विचार है जिसकी छत बड़ी तथा पूरी लम्बाई की हो ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) केवल एक बार ।

(ख) दोहरी लाइन बिछाने के कारण पलासा यार्ड का ढांचा बदलते समय वर्तमान द्वीप प्लेटफार्म के एक पार्श्व को तोड़ना पड़ा और अतिरिक्त लाइन के लिए जगह निकाल कर, चोड़ाई कम करके, प्लेटफार्म का नया पार्श्व बना दिया गया । इस प्लेटफार्म की काम चलाऊ छत को उखाड़ना पड़ा और उसके बदले भारतीय रेल मानक टाइप 100 फुट लम्बी एक नई छत बना दी गई है । प्लेटफार्म की जो काम चलाऊ छत बन गयी, उसे नये अतिरिक्त प्लेट फार्म

पर अतिरिक्त सुविधा के रूप में फिर लगा दिया गया है। इसमें धन का कोई अपव्यय नहीं हुआ है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

(घ) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्रीकाकुलम रोड तथा पलासा रेलवे स्टेशनों पर विश्राम कक्ष

3372. **श्री रंगा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दक्षिण पूर्व रेलवे का श्रीकाकुलम रोड रेलवे स्टेशन, श्रीकाकुलम नगर की सेवा करता है; जहां जिला मुख्यालय हैं; और पलासा, श्री काकुलम जिले में दूसरे नम्बर का बड़ा स्टेशन है, क्या सरकार का विचार श्रीकाकुलम रोड तथा पलासा रेलवे स्टेशनों पर विश्राम कक्षों की व्यवस्था करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) इन स्टेशनों पर ऊंचे दर्जे का यात्री यातायात इतना नहीं है कि यहां अभी विश्रामालय बनाने का औचित्य हो।

सोमपेटा स्टेशन पर मेल गाड़ियों का रोका जाना

3373. **श्री रंगा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के सोमपेटा रेलवे स्टेशन के व्यापारिक तथा सामाजिक महत्व को देखते हुए इस प्रकार का प्रस्ताव है कि इस स्टेशन पर मद्रास-हावड़ा तथा हावड़ा-मद्रास मेल के ठहरने की व्यवस्था की जाय ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : जी नहीं। इस स्टेशन पर लम्बी दूरी का यातायात बहुत कम है।

रेयन सूत की उत्पादन लागत

3374. **श्री रबी राय :** **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री मधु लिमये : **श्री जे० एच० पटेल :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेयन सूत की उत्पादन लागत लगभग 2 रुपये प्रति पौंड है;

(ख) क्या अवमूल्यन के पश्चात् इस सूत पर से उत्पादन शुल्क हटा लिया गया था;

(ग) क्या अवमूल्यन के पश्चात् कुछ समय के लिए मूल्य गिर कर 5 रुपये 50 पैसे प्रति पौंड हो गया था;

(घ) क्या इस व्यापार वाले बड़े लोगों के सिंडिकेट ने सम्मिलिखित कार्यवाही से इसके मूल्य फिर 7 रुपये प्रति पौंड तक पहुँचा दिये;

(ङ) क्या रेयन सिंडीकेट द्वारा मूल्य निर्धारित किये जाने के परिणाम स्वरूप सूरत तथा बनारस के बुनकरों को भारी कठिनाई हो गई है और इससे निर्यात पर बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(च) यदि हां, तो मूल्यों को न बढ़ने देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं। परन्तु उधार देने में कठोरता बरतने में फलस्वरूप कुछ लोगों को बाध्य होकर माल बेचना पड़ा और यह भी सम्भव है कि छुटपुट बिक्री 5.50 रुपये प्रति पौंड (उत्पादन शुल्क अतिरिक्त) की दर से हुई हो।

(घ) कोई मूल्य नियन्त्रण नहीं है।

(ङ) निर्यात में गिरावट अनेक कारणों से आई है, जिसमें कृत्रिम रेशम के कपड़े तथा होजरी के सम्बन्ध में निर्यात संवर्द्धन योजना का निलम्बन भी शामिल है।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

बम्बई हीरा व्यापारी संस्था

3375. **श्री रबी राय** :
श्री मधु लिमये :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री जे० एच० पटेल :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई हीरा व्यापारी संस्था की सामान्य सभा ने लाइसेंस जारी करने की योजना सीमा शुल्क निकासी परमिट के बारे में सरकार से विरोध प्रगट किया है;

(ख) यदि हां, तो उसने इसके क्या कारण बताये थे; और

(ग) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) 18 नवम्बर, 1966 को बम्बई हीरा व्यापारी संघ की असाधारण सामान्य सभा की बैठक में पारित एक संकल्प सरकार को भेजा गया था। जिसमें कहा गया था कि सदस्य एतद्द्वारा वाणिज्य तथा वित्त मन्त्रालयों से सीमा शुल्क निकासी परमिट योजना को एकदम समाप्त करने हेतु अनुरोध करने का सकल्प करते हैं क्योंकि यह राष्ट्र और व्यापार के हित में नहीं है।

(ख) जैसा संकल्प में उल्लेख है।

(ग) सरकार के विचार में सीमा शुल्क निकासी परमिट योजना देश के हीरे-जवाहरातों के निर्यात व्यापार में लाभदायक प्रयोजन सिद्ध कर रही है। योजना विदेशी मुद्रा के व्यय के

बिना हीरा परिष्करण उद्योग को अपेक्षित कच्चे माल के प्राप्त करने तथा तैयार उत्पादों के पुनर्निर्यात के अवसर प्रदान करती है अन्यथा यदि निर्यातिक स्वयं इस माल का आयात करते तो विदेशी मुद्रा का व्यय करना पड़ता ।

Solapur Cotton Mills

3376. **Shri R. M. Madhukar :**
Shri R. Shastri :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some of the share-holders of Solapur Cotton Mills, district 24-pargana of West Bengal have neither been paid any dividend till now nor the amount of the share is being repaid to them while they had made a request for the same ; and

(b) if so, the action Government propose to take in this matter ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) :

(a) Complaints were received from the shareholder of Sodepore Cotton Mills Ltd., Sodepur, District 24-Parganas (not Solapur Cotton Mills) that the company had not paid any dividend on the shares held by him and demanding that it should return to him the amount of the investment made by him in shares.

(b) It would appear that no dividend had been declared by the company. The question of return of capital by a company can arise only when (i) the company goes into liquidation or (ii) it reduces its share capital with the confirmation by the court to pay off any paid up capital which is in excess of its wants. However, the complainant was requested to get into touch with the Regional Director, Company Law Board, Calcutta, who was requested to render all possible assistance to the complaint.

गोआ का खनिज सर्वेक्षण

3377. **श्री शिकरे : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या गोआ में खनिज सर्वेक्षण करने की एक योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार गोआ के लिये एक ऐसी योजना को अन्तिम रूप देने का है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) हां, महोदय ।

(ख) इस योजना में 250 वर्ग किलोमीटर का भूवैज्ञानिक मानचित्रण और खनिज निर्धारण तथा सतारी तालुक में चूना पत्थर के विस्तृत अनुसंधान तथा गोआ के बेतुल गांव के समीप स्फोदिज और पाइराइट की प्रातियों के लिये बड़े पैमाने पर मानचित्रण करके और गढ्ढे और खाइयां खोदकर विस्तृत अन्वेषण का कार्यक्रम शामिल है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नौपाड और गुणपुर (दक्षिण-पूर्व रेलवे) के बीच रेलगाड़ी

3378. **श्री वी० नरसिम्हा राव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे के नौपाड और गुणपुर स्टेशनों के बीच छोटी लाइन पर चलने वाली एक रेलगाड़ी को बन्द करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस छोटी लाइन सेक्शन में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) इस खण्ड पर जितना यातायात होता है उसके लिए वर्तमान गाड़ियां और दूसरी सुविधाएं सामान्यतः पर्याप्त हैं ।

मैसर्स राज रत्न नरनभाई मिल्स

3379. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स राज रत्न नरनभाई मिल्स कम्पनी लिमिटेड, पेटलाद (गुजरात राज्य) के मामलों की जांच करने के लिये संसद सदस्य, श्री घनश्याम लाल ओझा, की अध्यक्षता में एक जांच समिति नियुक्त की गई थी ;

(ख) क्या इस जांच समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ग) यदि हां, तो समिति की सिफारिशें क्या हैं ;

(घ) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) इस मिल को पुनः चालू करने में कितना समय लगेगा ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ङ) संसद सदस्य, श्री ओझा मैसर्स राज रत्न नरनभाई मिल्स के मामलों की छानबीन करने वाली जाँच समिति के अध्यक्ष नियुक्त किये गये । समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को दे दिया है । समिति के विचार में, नवीकरण के बिना, जिसमें बहुत खर्च आयेगा, मिल लाभकर ढंग से नहीं चल सकती । इसके अतिरिक्त, चूंकि वर्तमान प्रबन्धक मिल को पुनः चलाने के लिये वित्त की व्यवस्था करने की स्थिति में नहीं है, अतः उन्होंने सुझाव दिया है कि इसे प्राधिकृत नियन्त्रक के अधीन कर दिया जाये और इसके साथ साथ अपेक्षित वित्त व्यवस्था की जाये । जब तक गुजरात उच्च न्यायालय में विचाराधीन समापन सम्बन्धी याचिका का निर्णय नहीं हो जाता तब तक आगे कार्यवाही करना सम्भव नहीं है । दूसरे, मिल के लेने में वित्तीय जोखिम तो है ही, इसके अलावा, सरकार उस समय तक किसी कपड़ा मिल को अधिकार में लेने का विचार नहीं रखती जब तक कि अलाभकर (सिक) मिलों को लेने सम्बन्धी विधेयक, जिसे शीघ्र ही पुनःस्थापित करने का विचार है, पारित नहीं हो जाता ।

कलोल स्टेशन को फिर से बनाना

3380. **श्री द० रा० परमार :**
श्री रामचन्द्र ज० अमीन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के कलोल (छोटी लाइन) स्टेशन यार्ड को फिर से बनाने के बारे में कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये कितनी भूमि तथा इमारतें अर्जित की जायेंगी ;

(ग) भूमि और इमारतों के अर्जन पर कितना व्यय होगा ;

(घ) इस पर कुल कितना व्यय होने का अनुमान है ; और

(ङ) इस प्रस्ताव को कब तक कार्य रूप दिये जाने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

अन्तर्राष्ट्रीय बी० 275 ट्रैक्टर का मूल्य

3381. **श्री सोमसुन्दरम्** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किराया खरीद योजना के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय बी० 275 ट्रैक्टर का मूल्य 1 मार्च, 1967 से 19,630 से बढ़ा कर 21,346 कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किन किन अन्य ट्रैक्टरों का मूल्य बढ़ाने की अनुमति दी गई है ;

(ग) इस वृद्धि की अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या 1 मार्च, 1967 से पहले दिये गये क्रयादेशों पर ट्रैक्टर पुरानी कीमत पर दिये जायेंगे अथवा नई कीमत पर ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) 30 मार्च, 1967 से पहले कृषि ट्रैक्टरों के विक्रय मूल्य पर सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं था । अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अन्तर्गत 30 मार्च, 1967 से ट्रैक्टर (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1967 बनाया गया था । ट्रैक्टर (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1967 के खण्ड 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन केन्द्रीय सरकार ने देश में बने विभिन्न प्रकार के कृषि ट्रैक्टरों के विक्रय मूल्य अधिसूचित किये हैं जो इस प्रकार हैं:—

क्रमांक	ट्रैक्टर का मैक तथा मॉडल	निर्माता का नाम	विक्रय मूल्य	अधिसूचना की तारीख
1.	डीजल इन्जन द्वारा चालित मैसे-फरगूसन् ट्रैक्टर, मॉडल एम० एफ० 1035, जिसमें अगले टायर 6×16 और पिछले 10×28 लगाये गये हैं।	मैसर्स ट्रैक्टर एण्ड फार्म इक्यूपमैंट लिमिटेड, 202 मांऊट रोड, मद्रास	20,838	30-3-67
2.	मैक कोरमिक इन्टरनैशनल डीजल इन्जन द्वारा चालित ट्रैक्टर, मॉडल B–275, जिसमें अगले टायर 6×16 और पिछले 11×28 लगाये गये हैं।	मैसर्स इन्टर नैशनल ट्रैक्टर कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, गैटवे बिल्डिग, बम्बई।	20,900	30-3-67
3.	एस्कार्ट डीजल इन्जन द्वारा चालित ट्रैक्टर, माडल 37, जिसमें अगले टायर 6×16 तथा पिछले टायर 11×28 लगाये गये हैं।	मैसर्स एस्कार्ट लिमिटेड, 6 प्रताप बिलडिंग, कनाट सर्कस, नई दिल्ली–1	19,500	30-3-67
4.	ईचर डीजल इन्जन द्वारा चालित ट्रैक्टर, मॉडल 115/8 जिसमें अगले टायर 5.50×16 और पिछले टायर 11.20×28 के लगाये गये हैं।	मैसर्स ईचर ट्रैक्टर ऑफ इण्डिया लिमिटेड, 16 एफ, आसफ अली रोड, नई दिल्ली	17,836	30-3-67
5.	हिन्दुस्तान डीजल इन्जन द्वारा चालित ट्रैक्टर, मॉडल एच० डब्ल्यू० टी० 50 जिसमें अगले टायर 6.50×20 और पिछले 11.20×28 के लगाये गये हैं।	मैसर्स हिन्दुस्तान ट्रैक्टर एण्ड बुलडोजर लिमिटेड, ट्रैक्टर हाऊस, विश्व मूर्ति, बड़ौदा	21,880	18-4-67

6.	हिन्दुस्तान डीज़ल इन्जन द्वारा चालित ट्रैक्टर, मॉडल 35, जिसमें अगले टायर 6 × 16 और पिछले टायर 12.4 × 28 के लगाये गये हैं।	तदैव	16,110	18-4-67

उपर्युक्त मूल्य में ही ट्रैक्टरों के साथ निर्माताओं तथा उनके व्यापारियों को निम्नलिखित सहायक वस्तुएं भी देनी होती हैं :—

(1) हाईड्रालिक लिफ्ट।

(2) 3-प्वाइंट लिंकैज।

(3) आगे की बत्ती, पिछे की बत्ती तथा हलकी बत्ती सहित रोशनी करने का उपकरण।

(4) औजारों का एक सेट।

(5) पावर टेक ऑफ।

(6) बिजली का हॉरन।

उपर्युक्त मूल किराया खरीद के आधार पर ट्रैक्टर खरीदने तथा अन्य किसी प्रकार से ट्रैक्टर खरीदने पर लागू है।

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत सरकार द्वारा स्वीकृत तथा अधिसूचित मूल्य संगत अधिसूचना जारी करने के बाद सब ट्रैक्टरों की बिक्री पर लागू होंगे।

नरम इस्पात बिलेट परियोजना

3382. श्री सोमसुन्दरम : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रूस की सहायता से लगभग 4 करोड़ रुपये की लागत की 50,000 टन की क्षमता वाली नरम इस्पात बिलेट परियोजना स्थापित करने का है, जिसमें रद्दी लोहे और स्पंज लोहे का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परियोजना कहाँ पर स्थापित की जायेगी ; और

(ग) इस कच्चे माल के किस राज्य से मिलने की सम्भावना है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

सलेम लौह अयस्क की खोज

3383. श्री सोमसुन्देरम : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास कार्यक्रम की सहायता से सलेम लौह अयस्क, मान्दौर सीसा-जस्ते-तांबा के निक्षेप, सलेम मगनेसाइट बौक्साइट तथा फासफेट की खोज का कार्य आरम्भ करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब आरम्भ किये जाने की सम्भावना है तथा खोज सम्बन्धी अन्तिम प्रतिवेदन कब तक उपलब्ध हो जायेगा ; और

(ग) क्या इस सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत सलेम लौह अयस्क की खोज का काम भी लाने की कोई आवश्यकता है, जबकि इसके बारे में दस्तूर कम्पनी तथा जापानी विशेषज्ञों की व्यापक रिपोर्ट पहले ही मौजूद है और ऐसा करके सलेम लौह अयस्क परियोजना को आरम्भ करने में विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायगी ।

Bridge Between Badla Ghat and Dhamara Ghat (N. E. Rly.)

3384. Shri R. Shastri : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there is a railway bridge near Maithon between Badla Ghat and Dhamara Ghat Railway Stations on the North-Eastern Railway where many accidents take place every year;

(b) whether a big fair is held at Maithon for four days during a week in which more than 25 thousand people participate and most of whom travel by rail; and

(c) if so, whether Government propose to put up the siding or to adopt some other measures to avoid these accidents ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) There is a railway bridge between Badla Ghat and Dhamara Ghat Railway Stations but no accident of any kind on this bridge has been reported during the last 3 years.

(b) No, There is however a temple situated on the river bank less then half a mile from Dhamara Ghat Station. About 4 to 6 hundred people visit this temple every Monday and Friday and they avail of the trains from Dhamara Ghat Station,

(c) Does not arise.

National Highway No. 31

3385. Shri R. Shastri : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the National Highway No. 31 is at a distance of 1/10 mile from Sahebpur Kamal station on the North-Eastern Railway; and

(b) whether Government are considering a proposal to link this station with the said Highway by constructing a pucca road so as to facilitate passengers to and from journey ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) The National Highway No. 31 is about two furlongs away from Sahebpur Kamal Junction Station.

(b) A road linking the Station with the National Highway already exists, which is partly within Railway limits and partly outside. The portion within Railway limits is pucca for some distance, while the portion outside Railway limits is entirely kutcha and making this portion "pucca" is the responsibility of the State Government/Road Authority. The accepted practice is to have the same type of road surface within railway limits as existing beyond railway limits, for such approach roads.

Waiting Hall at Monghyr Ghat Station

3386. Shri R. Shastri : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is no Waiting Hall for the passengers to stay at Monghyr Ghat station on the North-Eastern Railway;

(b) whether it is also a fact that the ship at the Ghat makes four trips during a day and still there is a great rush of passengers therein;

(c) if so, whether Government propose to take any action to provide a waiting hall there; and

(d) if so, when ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No. A thatched waiting hall for passengers exists. Due to vagaries of the river Ganges, construction of a permanent waiting hall is not possible.

(b) It is a private ferry service under contract with Bihar Government that runs between Monghyr Ghat and Monghyr. Railway is not aware of the exact volume of traffic handled by the ferry.

(c) and (d) Does not arise, in view of reply to part (a) above.

Rail Service From Monghyr-Ghat to Monghyr

3387. Shri R. Shastri : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Railways have no service of their own for going from Monghyr-Ghat (North-Eastern Railway) to Monghyr;

(b) whether a personal Steamer belonging to Shri Bhagwati Prasad Singh is plying in the river to move passengers across the river;

(c) whether the private shipping company has raised the fare for the Steamer journey from 25 paise to 50 paise, which has hit the passengers;

(d) if so, whether Government propose to start their own service and the time likely to be taken in this behalf; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes, railways have no such service of their own.

(b) Yes,

(c) Yes, the fare has been raised.

(d) There is no proposal for the Railway taking over this ferry service.

(e) There is no reason for the Railway taking over this service.

खादी का उत्पादन

3389 श्री बाबूराव पटेल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रति वर्ष कितने मूल्य की खादी का उत्पादन होता है तथा उसे बेचने से प्रति वर्ष कितनी राशि प्राप्त होती है;

(ख) अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के कर्मचारियों के वेतन पर तथा उसके कार्यालयों और प्रदर्शन कक्षों के रख रखाव पर प्रति वर्ष कितना खर्च होता है;

(ग) इस बोर्ड की भारत में कितनी शाखायें, दुकानें तथा प्रदर्शनकक्ष हैं तथा उनके रख रखाव पर प्रति वर्ष कितना व्यय होता है;

(घ) 31 मार्च, 1967 को कितने मूल्य का माल बिना बिके पड़ा था तथा कितने मूल्य का माल खराब हो गया;

(ङ) क्या यह सच है कि विभिन्न शाखाओं में खादी तथा सूत का भारी स्टाक जमा हो जाने से इस ग्रामोद्योग को काफी खतरा पैदा हो रहा है; और

(च) क्या सरकार का विचार इस खादी उद्योग को समाप्त करने का है, क्योंकि इससे बहुत हानि हो रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 1963–64, 1964–65 तथा 1965–66 में सूती, ऊनी तथा रेशमी खादी का औसत वार्षिक उत्पादन एवं बिक्री क्रमश: 23.39 करोड़ रु० तथा 21.12 करोड़ रु० थी ।

(ख) 1963-64, 1964–65 तथा 1965–66 में औसत वार्षिक खर्च निम्न-लिखित था :—

खादी	—	93.49 लाख रु०
ग्रामोद्योग	—	86.57 लाख रु०
	योग	180.06 लाख रु०

(ग) छः 1963–64, 1964–65 तथा 1965–66 में औसत वार्षिक खर्चा 24.64 लाख रु० था ।

(घ) अब तक प्राप्त सूचनाओं के आधार पर 31–3–1967 तक सूती, ऊनी, रेशमी कपड़े एवं धागे का स्टाक क्रमश: 22.78 करोड़ रु० तथा 5.99 करोड़ रु० का था ।

(ङ) यद्यपि स्टाक सामान्य सीमा से अधिक जमा हो गया है फिर भी उसके निपटान की समस्या ऐसी नहीं है कि उसे हल न किया जा सके और खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग इस सम्बन्ध में उपयुक्त कार्यवाही कर रहा है ।

(च) जी, नहीं ।

बिड़ला और टाटा सार्थ समूह

3390. श्री शिव चन्द्र झा : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिड़ला और टाटा समूह की फर्मों की संख्या क्या है;

(ख) उनके द्वारा कौन सी वस्तुएं बनाई जाती हैं;

(ग) बिड़ला तथा टाटा को प्रति वर्ष कुल कितना मुनाफा होता है;

(घ) वे प्रति वर्ष कितना कर देते हैं; और

(ङ) प्रथम योजना के आरम्भ में उनकी कुल आस्तियां कितनी थीं और इस समय वे कितनी हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) फर्मों के राज्य सरकारों द्वारा व्यवहारित होने के कारण, बिड़ला तथा टाटा समूहों से सम्बन्धित जानकारी नहीं दी जा सकती। बिड़ला समूह की कम्पनियों की संख्या, उनके साधारण क्रिया-कलाप तथा उनके द्वारा निर्मित मुख्य उत्पादनों से सम्बन्धित सूचना, एकाधिकार जांच आयोग की रिपोर्ट के पृष्ठ 47 से 54 में दी गई है। टाटा समूह के बारे में भी इसी प्रकार की सूचना, उसी रिपोर्ट के पृष्ठ 106 से 109 में प्राप्य है। एकाधिकार जांच आयोग की रिपोर्ट सदन के पटल पर, 8 दिसम्बर, 1965 को सुशोभित की गई थी।

(ग) से (ङ) इच्छित सूचना सैकड़ों कम्पनियों के माध्यम से संग्रहित की जायेगी, इसलिये इसमें दीर्घ समय तक विचारणीय श्रम लगाना होगा। आवश्यक आंकड़ों के संकलन के पूर्ण होने के पश्चात्, यह सदन के पटल पर सुशोभित की जायेगी।

गोआ में लघु उद्योग

3391. श्री शिंकरे : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की गोआ स्थित सब शाखाओं के माध्यम से गोआ में लघु उद्योगों को कुल कितना ऋण दिया गया है;

(ख) गोआ में इन सब शाखाओं में ऋण के हेतु कितने तथा कितनी रकम के लिये आवेदन पत्र अनिर्णित पड़े हैं;

(ग) क्या सरकार को धन की कमी के कारण लघु उद्योगों को होने वाली कठिनाइयों का पता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन शाखाओं को यह सलाह देने का है कि वे अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण देकर इनकी और अधिक सहायता करें ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) सम्बद्ध अधिकारी से जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) जी हां ।

(घ) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया से लघु उद्योगों को अधिक ऋण दिलाने के लिये सरकार उपयुक्त उपायों पर विचार कर रही है ।

डीजल इंजनों का निर्माण

3392. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :
श्री न० कु० सांघी :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री शंकर राव माने :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाराणसी के निकट स्थित डीजल लोकोमोटिव वर्क्स का विचार 1969 के अन्त तक मीटर गेज के लिये 40 डीजल इंजन बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो एक डीजल इंजन पर कितनी लागत आयेगी;

(ग) क्या इन इंजनों का डिज़ाइन, जो इस कारखाने द्वारा पिछली बार बनाये जायेंगे, एक विदेशी फर्म द्वारा तैयार किया जायेगा;

(घ) यदि हां, तो उस फर्म का नाम तथा इस बारे में अन्य ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस प्रयोजन के लिये कनाडा ने 20 लाख डालर मंजूर किये हैं; और

(च) यदि हां, तो प्राप्त हुई राशि का ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) संयुक्त राज्य अमरीका में कारखाने में प्रति रेल इंजन लागत 1,68,000 डालर है (इसमें एस्केलेशन प्रभार शामिल नहीं है) । डीजल रेल इंजन कारखाने में प्रति इंजन लगभग 14 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है ।

(ग) और (घ) मीटर लाइन के जो डीजल रेल इंजन बनाये जायेंगे, वे डीजल रेल इंजन कारखाने के अमरीकी सहयोगियों अर्थात् मैसर्स एल्को प्राडक्टस इनकार्पोरेटेड द्वारा सप्लाई किये गये डिजाइन के अनुरूप होंगे । इस समय डीजल रेल इंजन कारखाने में बड़ी लाइन के जो डीजल रेल इंजन बनाये जा रहे हैं, उनका डिजाइन भी मैसर्स एल्को द्वारा सप्लाई किया जाता है ।

(ङ) और (च) कनाडा सरकार ने 118.5 लाख कनाडियन डालर के जिस गैर-परियोजना ऋण की मंजूरी दी है, उसमें से 22 लाख कनाडियन डालर जो 1.52 करोड़ रुपये के बराबर होते हैं, मीटर लाइन के 40 रेल इंजनों के आयात पुर्जों की खरीद के लिए नियत हैं ।

कोटा–चित्तौड़गढ़ रेलवे लाइन

3393. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या रेलवे मंत्री 31 मार्च, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 316 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कोटा-चित्तौड़गढ़ रेलवे लाइन का निर्माण करने सम्बन्धी प्रस्ताव इस समय किस अवस्था में है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : इस परियोजना की यातायात सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच की जा रही है और जांच पूरी होने में थोड़ा समय और लगने का अनुमान है ।

वाणिज्य मत्रालय में भ्रष्ट्राचार के मामले

3394. **श्री दामानी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में उनके मंत्रालय में हुए भ्रष्टाचार के किन्हीं मामलों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) मंत्रालय के अधीन विभिन्न कार्यालयों से जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में भ्रष्टाचार के मामले

3395. **श्री दामानी :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों में उनके मंत्रालय में हुए भ्रष्टाचार के मामलों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां ।

(ख) वर्ष 1964, 1965 तथा 1966 में इस मंत्रालय के ध्यान में लाये गये मामलों की संख्या तथा उन पर की गई कार्यवाही निम्नलिखित है :

		1964	1965	1966
(1)	अधिकारियों की शिकायत सम्बन्धी रिपोर्ट हुए मामले	33	9	21
(2)	ऐसे मामले जिन पर प्रारम्भिक जांच के बाद अग्रेतर कार्यवाही नहीं की गई	16	4	2

(3)	उन मामलों की संख्या जिनमें सजायें हुई/विभागीय कार्यवाही के लिये भेजे गये	17	5	19
(4)	उन मामलों की संख्या जिनमें सजा दी गई ।	10	2	6
(5)	उन मामलों की संख्या जिनमें सजा नहीं दी गई ।	1	—	—
(6)	अनिर्णीत मामलों की संख्या	6	3	13

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची

3396. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 अप्रैल, 1967 के "इण्डियन नेशन" में "बिहारियों के मामले का लिया जाना—रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में नियुक्तियां" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां ।

(ख) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के प्रबन्धकों ने स्वीकार किया है कि यदि निम्न वेतन क्रमों के पदों पर परियोजना के निकटवर्ती क्षेत्रों के व्यक्ति भर्ती होते हैं, तो यह परियोजना के लिये लाभदायक है । सरकार को वर्तमान नीति के अनुसार श्रेणी III अथवा IV और इनके समक्ष पदों को छोड़ कर अन्य पदों पर भर्ती ज्ञापन द्वारा अखिल भारतीय आधार पर की जाती है । श्रेणी III तथा श्रेणी IV के कुल पदों की संख्या 13,823 है, जिनमें से 10,742 पदों पर बिहार के व्यक्ति काम कर रहे हैं ।

Pushing of Bogies with Hands at Sawai Madhopur

3397. **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) Whether it is a fact that due to slanting position of the Phalodi Quarry siding of the Jaipur Udyog Ltd. at Sawai Madhopur, the engine of the train is not utilised and instead brake is used in one bogie and the ramaining bogies are pushed with hands which is susceptible of causing an accident;

(b) whether it is also a fact that more than 36 to 4o tonnes of goods are loaded in a bogie in contravention of the rule to load 22 tons and 3 quintals which might result in the derailment of the train;

(c) whether a weigh bridge which was brought by the Railways 18 months back has not been utilised; and

(d) if so, whether any enquiry has been held in these matters and the result thereof ?

The Minister of Railways (Shri C. M, Poonacha) : (a) and (b) : The lime stone rake between Sawai Madhopur and Phalodi Quarry is worked by two engines, one engine leading and the other in the rear. Both these engines are utilised for placement and removal of wagons in and from the siding at Phalodi. These rakes consist of purely four-wheeler wagons and therefore the reference to bogie wagons is not understood. The question of loading bogie wagons to the extent of 36 to 40 tons therefore also does not arise. Loaded wagons might possible be hand-shunted in the siding for collecting them at a convenient place to be picked up subsequently by the train engine. However, once the rake reaches Phalodi Quarry, shunting is performed by train engine of the lime stone rake,

(c) The weigh-bridge has not been brought in to use as some alterations in its structure and the yard layout are necessary to suit weighment both of Broad Gauge as well as Metre Gauge wegons, as subsequently decided. A 100 tonne weigh-bridge received in July. 1965 is under installation.

(d) On receipt of a letter from one of the hon'ble Members which mentioned, decides the points referred to at (a), (b) and (c) of the question, that the Railway officials have been won over by the Jaipur Udyog Ltd. Sawai Madhopur, to secure certain unfair advantages for the firm, the matter has been referred to the Central Bureau of Investigation and their report is awaited.

Strike by Railway Conference Association Employees.

3398. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the employees of the Indian Railway Conference Association have been agitating for some time;

(b) if so, the nature of their demands; and

(c) the action taken thereon?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha) (a) Yes.

(b) The following demands have been put forward by the employees:

(1) Abolition of the written test required to be passed at the time of promotion from Clerk grade Rs. 110-180 to Clerk grade Rs. 130-300 according to the extant rules.

(2) Reduction of daily quota of work in Car Record Sections of the office, which is 540 wagons entries a day per clerk.

(3) Cancellation of all punishments awarded to the defaulting staff by the Assistant Officers in accordance with the discipline and Appeal Rules.

(c) The matter has been looked into by the I.R.C.A. Administration and they have not found any justification to accede to the demands mentioned at items (1) and (3) above. As regards demand (2) above, in a meeting held with the representatives of the I.R.C.A. Union on 10.5.67, the President of IRCA has agreed to have a work study Conducted and to revise the daily quota in accordance with the report of the Work Study.

बिड़ला उद्योग समूह को लाइसेंसों का दिया जाना

3399. **श्री मधु लिमये :**
श्री एस० एम० जोशी :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिड़ला उद्योग समूह ने सरकार की लाइसेंस देने की निर्धारित क्षमता में से पहले ही बहुत लाइसेंस प्राप्त कर लेने की नीति जानबूझकर अपनाई थी;

(ख) क्या यह सच है कि बिड़ला उद्योग समूह को दिये गये लाइसेंसों में से लगभग आधे लाइसेंस अप्रयुक्त ही रहे हैं और क्या इसके परिणामस्वरूप अन्य उपक्रमी औद्योगिक विकास में भाग लेने से रोक दिये गये हैं और औद्योगिक प्रगति में बाधा पड़ गई है;

(ग) क्या बिड़ला उद्योग समूह को कोई दण्ड दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या दण्ड दिया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ) मैं समझता हूँ कि यह प्रश्न औद्योगिक आयोजन तथा लाइसेंस देने की नीति सम्बन्धी डा० आर०के० हजारी द्वारा प्रस्तुत अन्तरिम प्रतिवेदन में की गई टिप्पणियों पर आधारित है । यह प्रतिवेदन अभी विचाराधीन है । सरकार ने अन्य बातों के साथ–साथ गत दस वर्षों में अपनाई गई लाइसेंस देने की नीति की जांच करने तथा इन बातों का पता लगाने के लिए कि क्या बड़े–बड़े व्यापार गृहों ने वास्तव में अन्य आवेदनपत्रदाताओं की उपेक्षा अनुचित लाभ उठाया है, ऐसे व्यापार गृहों को दिये गये लाइसेंसों का कितना उपयोग किया गया है तथा क्या पहले ही लाइसेंस प्राप्त कर लेने की नीति के परिणामस्वरूप औद्योगिक प्रगति में बाधा पड़ी है, गैर सरकार सदस्यों की एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है । अग्रेतर कार्य-वाही समिति के निष्कर्षों पर निर्भर होगी ।

केरल में टाइटेनियम का कारखाना

3400 **श्री प्र० के० देव :**
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री धीरेन्द्र नाथ :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में टाइटेनियन का एक कारखाना लगाया जा रहा है और क्या इसके लिए लाइसेंस दिया गया है;

(ख) इस कारखाने पर कितना खर्च आने तथा विदेशी मुद्रा खर्च होने का अनुमान है;

(ग) टाइटेनियम का प्रयोग किस काम के लिये किया जाता है और हम विदेशों से टाइटेनियम का कितना आयात करते हैं; और

(घ) देश में टाइटेनियम के उत्पादन से विदेशी मुद्रा की कितनी बचत होगी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) सरकार को दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं—एक हाई टाइटेनियम सलेग, कच्चा लोहा, टाइटेनियम टैटराक्लोराइड, टाइटेनियम मैटल सपौंज, टाइटेनियम डाइऑक्साइड तथा मैनीसीयम धातु बनाने के लिए और दूसरा धातु पिण्ड/बिल्टस, चादरें, पत्तियां, पल्टें, छड़ें, तार, ट्यूबें, नालियां, ढली वस्तुएं तथा टाइटेनियम मिश्रित धातु बनाने के लिये। दूसरे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया है, क्योंकि यह अधूरा था। पहला प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है।

(ख) विचाराधीन प्रस्ताव के लिए 25 करोड़ रुपये के पूंजीगत उपकरण की आवश्यकता होगी, जिसमें से 16 करोड़ रुपये का उपकरण आयतित होगा।

(ग) टाइटेनियम धातु का प्रयोग जेट इंजन कम्प्रेसर पार्ट्स तथा एयर फ्रेम के ढांचों के बनाने में होता है। टाइटेनियम डायक्साईड टाइटेनियम धातु का एक महत्वपूर्ण योग है जो कि बाहरी रोगनों में सफेदी लाने के काम में आता है। टाइटेनियम टाइट्राकलोराइट इथेन के उत्प्रेरक बहुलीकरण के काम में आता है। प्रति वर्ष लगभग 60 से 70 लाख रुपये के मूल्य के टाइटेनियम डायक्साइड का आयात किया जाता है। टाइटेनियम धातुओं तथा इसकी मिश्रित धातुओं के उपयोग का अभी तक देश में विकास नहीं किया जा सका है इसलिये इस धातु का निर्यात किया जा रहा है।

(घ) कारखाने के पूरा हो जाने के बाद प्रतिवर्ष 60 से 70 लाख रुपये की अतिरिक्त बचत होने के अलावा इससे 5.6 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का अर्जन होगा।

Export of Beef and Hides

3401. Shri KanwarLal Gupta : Will the Minister of Commerce be pleased to state the figures of the export from India of beef and hides during the last three years ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : During the last three years, exports of semi-processed hides have been as given below:—

(Fig. in '000' Rs.)

	1964-65	1965-66	1966-67 (Upto Feb'6,
Cow hides :	Nil	Rs.26.7	Nil
Buffalow hides :	Nil	Rs, 7.5	Nil
Other hides :	Nil	Nil	Rs. 393.9

Export of beef during this period have been nil.

Price of Cement

3402. Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the cost of cement per bag;

(b) the price at which it is sold by the State Trading Corporation; and

(c) the rate at which it is purchased by the State Trading Corporation ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs(Shri F. A. Ahmed) (a) The current F.O,R. destination selling price of cement is Rs. 8.67 per bag (50 Kg,) subject to a rebate of Rs. O.30 per bag for supplies under the D.G. S&D rate contract. This is exclusive of sales tax, octroi duty, town duty and other local taxes.

Retail price of cement varies from place to place due to addition of godown charges, handling charges, stockist's commission, transport charges from the rail-head to the stockist's godown, etc. The retail price of cement (exclusive of sales-tax octroi/town duty local taxes) at a few places are given below:—

Place	Price per bag (Rs.)
Bhopal	9·12
Ahmedabad	9.28
Bombay	9.17
Calcutta	9.28
Lucknow	9.30
Madras	9.27
Bangalore	9.24
Hyderabad	9.19 (for movement by rail)
Hyderabad	9.39 (for movement by road)
Trivendrum	9.29
Pondicherry	9.23

(b) and (c) Since decontrol of cement with effect from 1.1.1966, the State Trading Corporation of India Ltd., has ceased to deal in cement trade.

रेलवे द्वारा कोयले की खरीद

3403. श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री जे० ए० पाटिल :
श्री मधु लिमये :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारती रेलवे प्रतिवर्ष कितना कोयला खरीदती है और पिछले दो वर्षों में यह कोयला किस मूल्य पर खरीदा गया; और

(ख) क्या रेलवे को कोयले की बिक्री के लिये टेंडर मांगे गये थे, और यदि हां, तो टेंडर देने वालों ने क्या क्या दरें भरी थीं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें सूचना दी गई है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 771/67]

मध्य रेलवे द्वारा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की नियुक्ति

3404. श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री मधु लिमये :
श्री जे० एच० पटेल :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गर्मियों की छुट्टियों में यात्रियों की भारी भीड़ के परिणामस्वरूप बढ़ जाने वाले कार्य को निपटाने के लिए मध्य रेलवे द्वारा नियुक्त किये गये विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है;

(ख) यह नियुक्तियां किन किन शर्तों पर की गईं; और

(ग) क्या ऐसे अंशकालिक बुकिंग क्लर्कों को सभी रेलवे में तथा सभी मौसमों में रखने का कोई प्रस्ताव है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) कुछ नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

पूर्व रेलवे पर रोकी गई गाड़ियां

3405. श्री यशपाल सिंह :
श्री रामसिंह अयरवाल :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक-सभा के पिछले सत्र की समाप्ति से लेकर अब तक पूर्व रेलवे पर कितनी तथा कौन कौन सी गाड़ियां रोकी गईं;

(ख) उन्हें रोके जाने के मुख्य कारण क्या थे; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 8.4 67 से 10.6.67 तक 34 गाड़ियां रोकी गयीं, जिनमें 26 उपनगरीय, 7 सदारी और 1 एक्सप्रेस गाड़ी शामिल है। इनके रुकने से 148 अन्य गाड़ियों (अर्थात् 16 डाक/एक्सप्रेस, 14 सवारी और 118 उपनगरीय गाड़ियों) को विलम्ब हुआ और 85 गाड़ियां रद्द करनी पड़ीं।

(ख) मुख्य कारण थे चावल की तस्करी रोकने के लिए जनता द्वारा गाड़ियों का रोका जाना, यात्रियों में परस्पर झगड़ा, गाड़ियों के देर से चलने का विरोध, अतिरिक्त स्टेशनों पर गाड़ियों के ठहराने की व्यवस्था, गाड़ियों के समय में संशोधन, आदि ।

(ग) गाड़ी रोके जाने के सभी मामलों की रिपोर्ट सिविल अधिकारियों को की जाती है और बड़े मामलों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भी भेजी जाती है । जहां तक गाड़ियों के समय में सुधार और स्टेशनों पर उन्हें ठहराने आदि मांगों का संबंध है, यातायात के सर्वाधिक हित और कोचिंग स्टाक आदि के रूप में साधनों की उपलब्धता का ध्यान रखते हुए, व्यावहारिक और औचित्यपूर्ण कार्रवाई हमेशा की जाती है । गाड़ियों को समय पर चलाने की दिशा में भी सभी स्तरों पर नजर रखी जाती है और इस बात की पूरी-पूरी कोशिश की जा रही है कि गाड़ियां समय पर चलें ।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने का विस्तार

3406. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री स० च० सामन्त :
श्री शारदा नन्द :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री रणजीत सिंह :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री वासुदेव नायर :
श्री जनार्दनन :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात कारखाने के विकास के दूसरे चरण के बारे में चल रही बातचीत में रुकावट पैदा हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार बातचीत जारी रख रही है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री (श्री चन्ना रेड्डी) : (क) से (ग) : मामला अभी विचाराधीन है ।

कटनी में फास्फोरस

3407. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री रामसिंह आयरवाल :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री नाथूराम अहिरवार :
श्रीमती अगमदास गुरु मिनीमाता :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री 29 जुलाई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 815 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कटनी में उपलब्ध लौह अयस्क में फास्फोरस काफी मात्रा में होता है और जब उसे कच्चे लोहे में बदला जाता है तो वह मीड़कृत बालियां (स्पन पाइप) बनाने के लिए बहुत उपयुक्त हो जाता है; और

(ख) यदि हां, तो कटनी में लौह अयस्क से तीन लाख मीट्रिक टन कच्चा लोहा बनाने के लिये मध्यप्रदेश सरकार के आवेदन पत्र पर क्या निर्णय किया गया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) राज्य सरकार के कथनानुसार कटनी के निकट कान्हवरा के लौह अयस्क में 0.39 से लेकर 0.57 प्रतिशत तक जलरहित फास्फोरस है । स्पन पाइप बनाने के लिए कच्चे लौहे में फास्फोरस की अधिक मात्रा वांछनीय है ।

(ख) चौथी योजना अवधि में कच्चे लोहे की और अधिक क्षमता पैदा करने के प्रश्न पर अपेक्षित मार्ग और उपलब्ध साधनों को देखते हुये पुनर्विचार किया जा रहा है ।

बादली औद्योगिक बस्ती में अतिरिक्त भूमि का आवंटन

3408. **श्री बेणी शंकर शर्मा :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बादली औद्योगिक बस्ती के औद्योगिक कारखानों ने सरकार से यह अनुरोध किया है कि वह उनके कारखानों से लगी अतिरिक्त भूमि को जहां कहीं सम्भव हो, उन्हें आवंटित कर दे; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) बादली औद्योगिक बस्ती विस्तार योजना के अन्तर्गत 36 एकड़ भूमि का विकास कार्य जोरों से चल रहा है । पूरी तरह विकसित होते ही इस भूमि को अलाट कर दिया जायेगा । विकसित प्लाटों का आवंटन करते समय भी औचित्य के आधार पर बादली औद्योगिक बस्ती के कारखानों की अतिरिक्त भूमि आवंटित करने की प्रार्थना पर विचार किया जायेगा ।

बादली औद्योगिक बस्ती (दिल्ली) चल रहे कारखाने

3409. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बादली औद्योगिक बस्ती में इस समय कितने कारखाने वास्तव में काम कर रहे हैं ;

(ख) कितने कारखानों में उत्पादन नहीं हो रहा है तथा कब से ऐसी स्थिति है;

(ग) क्या सरकार ने उनके बन्द होने के कारण का पता लगाया है ;

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन कारखानों को पुनः चालू कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 6

(ख) 1 जुलाई, 1965 से एक कारखाना

(ग) जी, हां।

(घ) कारखाने के बन्द होने के कारण हैं—धन की कमी, कच्चे माल की कमी तथा कार्य संचालन में अकुशलता।

(ङ) कारखानेदार को यथोचित सहायता देने का वचन दिया गया था, परन्तु वह कठिनाइयों पर काबू नहीं पा सका।

बादली औद्योगिक बस्ती (दिल्ली) में कारखानों को कच्चे माल की सप्लाई

3410. **श्री बेणी शंकर शर्मा :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकार बादली औद्योगिक बस्ती में कारखानों के लिये कच्चे माल की व्यवस्था कर सकी है ताकि वे अपनी पूरी क्षमता तक काम कर सकें ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : जी नहीं। अप्रैल 1965 से मार्च 1966 तक के लिये भारत सरकार द्वारा घोषित आयात नीति बहुत ही सीमित थी। इसलिये यह सम्भव नहीं था कि इन कारखानों की पूरी क्षमता के लिये आवश्यक कच्चा माल दिया जा सके। तथापि अप्रैल 1965 से मार्च 1966 की लाइसेंस देने की अवधि में जब पहली बार आयात निर्यात मुख्य नियंत्रक ने कच्चे माल के आयात के लाइसेंसों के लिये राज्य की अधिकतम मात्रा निर्धारित की थी, तो दिल्ली प्रशासन ने बादली औद्योगिक बस्ती को विशेष रियायत दी थी और उनके सामान्य हक से 25 प्रतिशत अधिक विदेशी मुद्रा नियत की थी।

अप्रैल 1966 से मार्च 1967 की अवधि में भारत सरकार की उदारीकृत आयात नीति के अन्तर्गत बादली औद्योगिक बस्ती के कारखानों को कच्चे माल का आयात करने के लाइसेंस देने की सिफारिश की थी।

Rail on Lakshmikantapur Station

3411 **Shri Onkar Singh :**
Shri Hukm Chand Kachwai :

Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 280 on the 31st March, 1967 and state ;

(a) whether the inquiry being conducted by the Police against the persons who had raided the office of the Station Master, Lakshmikantapur has since been completed; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) (a) Not yet.

(b) Does not arise.

Manufacture of Turbo-Alternator Sets

3412. Shri Rabi Ray :
Shri Madhu Limaye :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Dr. Ram Manohar Lohia :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have asked a company, who was desirous of manufacturing turbo-alternator sets; not to manufacture them;

(b) whether it is also a fact that the said Company has the capacity to manufacture such sets and that they only required the necessary Permission to import raw materials;and

(c) if so, the reasons for not allowing this Company to manufacture turbo-alternator sets ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F.A. Ahmed) : (a) No, Sir; no such proposal has been received.

(b) and (c) : Do not arise,

निर्यात-शक्यता वाले उद्योग

3413. श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्यात-शक्यता वाले अनेक उद्योग अपनी क्षमता के अनुसार पूरा उत्पादन नहीं कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे उद्योगों को सहायता देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां ।

(ख) निर्यात-शक्यता वाले उद्योगों को नकद सहायता के रूप में प्रोत्साहन दिये जाते हैं । प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की श्रेणी में आने वाले उद्योगों की कच्चे माल की समस्त आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है । दूसरे उद्योगों को आयात व्यापार नियन्त्रण नीति के अन्तर्गत आयात करने के हक दिये जाते हैं । औद्योगों पर निर्भर निर्यात पर ये हकुक 5 से 50 प्रतिशत तक दिये जाते हैं ।

लोह अयस्क का निर्यात

3414. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री शिंकरे :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में लौह अयस्क की बिक्री बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है,

(ख) क्या इस सम्बन्ध में विदेशों के साथ नए करार किये गये हैं, और

(ग) यदि हां, तो ऐसे देशों के नाम क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) लौह अयस्क की बिक्री बढ़ाने के लिये खनिज एवं धातु व्यापार निगम के प्रतिनिधिमण्डल अनेक देशों के दौरे कर रहे हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) जापान, चैकोस्लोवाकिया, रूमानिया, पौलेण्ड, यूगोस्लाविया, हंगरी, पूर्व जर्मनी तथा इटली।

राज्य व्यापार निगम द्वारा रसायनों का निर्यात

3415. **श्री मधु लिमये :** **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री स० मो० बनर्जी : **डा० राममनोहर लोहिया :**

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम बोरिक, बोरेस ऐसिटिक एसिड तथा अन्य संबंधित रसायनों का इस समय आयात कर रहा है अथवा हाल में कर रहा था;

(ख) क्या भारत इस सम्बन्ध में आत्मनिर्भर हो गया है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई;

(घ) इनका आयात बन्द न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या देश में तैयार किये गये इन रसायनों के कुछ भाग को सरकार द्वारा नियत किये गये मूल्य पर खरीदने तथा नियंत्रित मूल्य से फिर इनके मूल्य अधिक हो जाने पर इन्हें बेचने की व्यवहार्यता का सरकार ने विचार किया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) बोरेक्स तथा बोरिक एसिड के लिये लाइसेंस प्राप्त क्षमता आन्तरिक मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त होगी, और नगण्य परिमाण में एसिड को छोड़कर जो खास विशिष्टियों के अनुसार नहीं बनता है, एसेटिक के सम्बन्ध में देश सामान्यतः आत्मनिर्भर हो गया है।

(ग) तथा (घ) : रसोराइट, कोले-मानाइट जैसे कच्चे माल और बोरेक्स तथा बोरिक एसिड के निर्माण के लिये अत्यावश्यक फालतू पुर्जों के आयात के लिये विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करनी होती है। इसी तरह एसेटिक एसिड की, जो खास विशिष्टियों के अनुसार नहीं बनता, नगण्य मात्रा के आयात के लिये भी विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करनी होती है। उपर्युक्त प्रयोजन के लिये दी गयी विदेशी मुद्रा का ब्यौरा निम्नलिखित है—

एसेटिक एसिड

1963–64	5.41 लाख रुपये
1964–65	1.11 लाख रुपये
1965–66	1.51 लाख रुपये

बोरेक्स तथा बोरिक एसिड

1963–64	19.68 लाख रुपये
1964–65	8.00 लाख रुपये
1965–66	59.146 लाख रुपये

वर्तमान नीति के अनुसार एसेटिक एसिड, बोरिक एसिड तथा बोरेक्स के आयात पर पाबन्दी है।

(ङ) जी, नहीं।

राजस्थान में खादी ग्रामोद्योग समितियां

3416. **श्री मधु लिमये :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री० जार्ज फरनेन्डीज :
श्री राम सिंह ग्रायरवाल :
श्री० हुकम चन्द कछवाय :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री 7 अप्रैल, 1967 के अतरांकित प्रश्न संख्या 864 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने राजस्थान में खादी ग्रामोद्योग समितियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा गबन की शिकायतों के बारे में जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) : खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को केवल एक समिति के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई थीं। राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने यह मामला सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को भेज दिया था तथा उसके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

Jeep-Train Accident

3417. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a jeep and a train were involved in an accident near Jaitu Station, (Bhatinda) on 22.4.1967;

(b) if so, the causes of the accident; and

(c) the loss of life and property suffered as a result thereof ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Presumably the reference is to the accident in which train No, 3 BH collided with a station wagon at an unmanned level crossing between Abohar and Panj-Kosi stations of Northern Railway on 22.4.1967,

(b) The accident was due to the driver of the station wagon negotiating the level crossing in the face of approaching train.

(c) In this accident 2 persons lost their lives. The cost of damage to the train engine was estimated at approximately Rs. 5/-.

Irregularities at Railway Stations

3418. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many irregularities are prevalent at the railway stations with regard to the goods despatched through parcels, as a result of which businessmen now send lesser quantity of goods through the Railways, as compared to the quantity despatched in the past;

(b) whether it is a fact that the thefts of Railway Parcels at the stations have increased and the despatch takes a long time in comparison to transportation by bus; and

(c) if so, the remedial steps taken by Government in this regard ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Parcels traffic has not gone down. As to whether irregularities are prevalent at railway stations, the question naturally cannot be answered with a simple "yes" or "no", The hon'ble Member possibly has in view irregularities committed by certain persons at certain stations. If he makes the facts available, appropriate action can be taken.

(b) While there has been no increase in the incidence of parcel thefts on Southern, Northeast Frontier, South Central, Estern, Western and Northern Railways, a slight increase has been reported on the Central, North Eastern and South Eastern Railways during 1966–67 as compared to 1965–66. Figures of transit time for parcels by bus are not readily available for comparison with transit time by rail.

(c) In order to prevent the incidence of thefts of parcels adequate security measures have been taken and surprise checks are made by R.P.F. staff

पांशकुड़ा रेलवे स्टेशन

3419. श्री ह० प० चटर्जी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री यशपाल सिंह :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक व तार विभाग द्वारा प्रस्तुत प्लान तथा प्राक्कलन के अनुसार पांशकुड़ा रेलवे स्टेशन (दक्षिण-पूर्व रेलवे) के प्लेट फार्म पर एक पृथक तथा उपयुक्त इमारत बन गई है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि डाक व तार विभाग ने इस बारे में दस-बारह साल पहले रेलवे बोर्ड से अनुरोध किया था और रेलवे ने उसके अनुरोध को मान लिया था ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) दिसम्बर, 1960 में पश्चिमी बंगाल के पोस्ट मास्टर जनरल से रेलवे डाक सेवा कार्यालय के निर्माण के लिए प्रस्ताव मिला था । हवड़ा-खड़गपुर खण्ड के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में स्टेशन का ढांचा बदलने के कारण, मार्च 1962 तक रेलवे डाक सेवा कार्यालय के लिए नक्शा तैयार न किया जा सका । मार्च, 1962 में डाक तार विभाग को एक नक्शा भेजा गया और उसने मार्च, 63 में उसकी स्वीकृति दी । परन्तु, हावड़ा और पांसकुड़ा के बीच प्रस्तावित तीसरी लाइन के कारण, स्टेशन के ढांचे में फिर परिवर्तन करना जरूरी हो गया । अन्तिम नक्शे और अनुमानित खर्च 10.6.66 को पश्चिमी बंगाल के पोस्ट मास्टर जनरल को भेजे गये हैं और उनकी स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है ।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची द्वारा अर्जित फालतू भूमि

3420. श्री प्र० कु० घोष : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची द्वारा अर्जित की गई 2500 एकड़ फालतू भूमि में खेती करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस सारे क्षेत्र में किस प्रकार तथा कब तक खेती आरम्भ कर दी जायेगी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) बस्ती के लिये अर्जित की गई 4490 एकड़ भूमि में से 1800 एकड़ भूमि को काम में लाया गया है तथा 220 एकड़ भूमि बिहार सरकार, बिहार राज्य बिजली बोर्ड तथा रेलवे को दे दी गई है । शेष 2470 एकड़ भूमि को बस्ती का विस्तार करने, नई परियोजनाओं तथा विस्तार कार्यों के लिये काम में लाया जायेगा ।

60 एकड़ भूमि पर विभागीय तौर पर खेती की गई है, जो कि प्रयोगात्मक आधार पर है। इस फार्म को कर्मचारियों की एक सहकारी समिति के सौंपने का प्रस्ताव विचाराधीन है। यथा सम्भव शीघ्र अस्थायी तौर पर और भूमि पर खेती की जायेगी।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में फालतू कर्मचारी

3421. **श्री प्र० कु० घोष** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में विभिन्न वर्गों के निर्माण-कार्य सम्बन्धी कुल कितने कर्मचारी फालतू हो गये हैं ;

(ख) ऐसे कितने कर्मचारियों को अब तक कारपोरेशन में ही रोजगार दे दिया गया है, कितनों को मंत्रालय के जरिये अन्य रोजगार मिला है और कितनों को अपने प्रयास से अन्यत्र रोजगार मिला है ;

(ग) इस समय विभिन्न श्रेणियों में कितने कर्मचारी फालतू हैं; और

(घ) क्या और छंटनी करने का कोई प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ) नवीनतम जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

3422. **श्री प्र० कु० घोष** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची ने अपने सभी कर्मचारियों को क्वार्टर दे दिये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो कितने कर्मचारियों को क्वार्टर नहीं दिये गये हैं ; और

(ग) क्या कुछ और क्वार्टर बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) इस कम्पनी ने 10453 कर्मचारियों को क्वार्टर दिये हैं और 1500 कर्मचारियों के लिये होस्टल आवास की व्यवस्था की है। इस समय 3861 व्यक्ति क्वार्टर पाने के हकदार हैं किन्तु उन्हें अभी तक क्वार्टर नहीं मिले हैं।

(ग) छोटी श्रेणी में 3000 और मकान बनाने का प्रस्ताव है। ये मकान धन की उपलब्धता के अनुसार प्रक्रम में बनाये जायेंगे।

Hauling of Trains by Diesel Locomotives

3423. **Shri S, C. Samanta** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state ;

(a) the time saved in reaching the destination on those Railway lines where the Mail and Express trains are run by diesel locomotives;

(b) whether more bogies have been attached with the Passenger trains on account of dieselisation and if so, the number of bogies attached with each such train; and

(c) the difference in expenditure on a steam-engine and a diesel-locomotive ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Time saved varies between 25 minutes and 5 hours 35 minutes.

(b) Yes, as indicated below :—

Train No.	Total No. of additional coaches put on.
3/4 Howrah-Madras Mails.	4
1/2 Howrah,Delhi Mails.	2
21/22 Madras–New Delhi AC/Southern Expresses.	4
39/40 Madras-Bangalore City Brindavan Expresses.	2
3/4 Bombay Central-Delhi Frontier Mails	4
5/6 Howrah-Amritsar Mails.	3

(c) A precise figure of additional cost is not available but the additional direct cost (repairs and maintenance, interest and depreciation of locomotives, fuel and engine crew) of working the express/mail trains by diesel locomotives is estimated at about Rs. 1.92 per engine kilometrs.

Gates at Etawah Railway Station

3424. **Shri Arjun Singh Bhadoria :**
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are two gates at Etawah Station of the Northern Railway, one for the entrance and the other for exit of passengers, and both of these gates were thrown open for use recently;

(b) the reasons for opening only one gate now;

(c) whether he is aware of the fact that on account of not opening both the gates simultaneously, there is a great rush of incoming and outgoing passengers as a result of which many passengers fail to catch trains; and

(d) whether Government propose to issue orders again for the opening of both the gates at the time of arrival of trains ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) to (d) Two Gates have been provided at Etawah Railway station, Till recently, only one Gate used to be opened both for entrance and exit of passengers. The position has since been reviewed and it has been decided to open the other Gate also during peak hours,

Dacoity in Delhi-Farrukhabad Passenger Train

3425. **Shri Arjun Singh Bhadoria :**
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total amount stolen in a dacoity committed on the 20th/21st April, 1967 in Delhi-Farrukhabad passenger train between Shikohabad and Farrukhabad Stations;

(b) whether some personnel of the Railway Police Force have also been arrested along with others in this dacoity; and

(c) the total number of persons arrested so far in this connection ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No dacoity occurred in Delhi-Farrukhabad Passenger train on 20th/21st April, 1967 between Shikohabad and Farrukhabad stations, However, a theft was committed in Shikohabad-Farrukhabad Passenger train between Mota and Pakhna stations on Shikohabad-Farrukhabad Section on the night of 17/18 April, 1967, in which a box containing Rs. 15,106-65 P. in cash and some clothes belonging to an employee of Wire & Allied Industries Ltd. Farrukhabad, was stolen,

(b) No.

(c) Three.

लघु उद्योग उत्पादों का निर्यात

3426. श्री दामानी : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के माध्यम से लघु उद्योग उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के प्रयत्न कहां तक सफल रहे हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद) : वर्ष 1956–57 में लघु उद्योग निगम ने लघु उद्योगों के उत्पादों का निर्यात बढ़ाने का कार्य आरम्भ किया था। इन उत्पादों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिये निगम ने विदेशों में हुई अनेक प्रदर्शनियों में भाग लिया। ऊनी होजरी का सामान, सूती होजरी का सामान, मोजे, खेल-कूद का सामान, फल सुरक्षित रखने की वस्तुएं, गृह निर्माण में प्रयोग आने वाली वस्तुएं, कांच-मनका, नारियल जटा के रेशे तथा जूते जैसी वस्तुएं निर्यात बढ़ाने के लिये छांटी गई। जूतों के लिये काफी क्रयादेश मिलने के अतिरिक्त मोजों और खेलकूद के सामान के लिये कम क्रयादेश मिले।

हाथ से बने जूतों का रूस को निर्यात करने का कार्य 1956 के अन्तिम अवधि में सरकारी स्तर पर आरम्भ किया गया था। उसके बाद पूर्वी जर्मनी, पोलेंड, हंगरी, रूमानिया और बालोरिया को जूतों का निर्यात किया गया। तथापि रूस ही हमारा नियमित ग्राहक बना है।

3. निगम ने लगभग 430.73 लाख रुपये के मूल्य के लगभग 16 लाख जोड़े जूते सप्लाई किये हैं।

वर्षवार क्रयादेशों की स्थिति इस प्रकार है :—

वर्ष	जोड़ों की संख्या (लाखों में)	मूल्य (लाख रुपये में)
1956-57	1.31	30.97
1957-58	1.49	35.65

1958-59	1.60	38.44
1959-60	1.44	42.69
1960-61	2.44	69.20
1961-62	1.65	46.06
1962-63	1.20	32.31
1963-64	2.75	78.38
1964-65	2.02	57.03
(जनवरी, 1965 के अन्त तक	15.70	430.73

4. इस नीति के अनुसार कि जूतों के निर्यात के लिये क्रयादेश प्राप्त करने तथा उनका निर्यात एक संस्था द्वारा किया जाये, निर्यात व्यापार 1 जनवरी, 1965 से भारतीय राज्य व्यापार को सौंपा गया था। इसके बाद निगम लघु उद्योगों के उत्पादों का निर्यात बढ़ाने का कार्य नहीं करता है।

प्रबन्ध अभिकरण

3427. श्री दामानी : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 में कितने मामलों में तथा कितनी अवधि तक प्रबन्ध अभिकरणों की पुनः अवधि बढ़ाई गई है ; और

(ख) क्या इस नवीकरण के कोई विशेष कारण थे ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) 1966-67 के वर्ष में, 110 मामलों में प्रबन्ध अभिकरणों के नवीनीकरण का अनुमोदन किया गया। यह नवीनीकरण अलग-अलग अवधि अनुसार निम्नलिखित हैं :–

	अवधि	मामलों की संख्या
(1)	एक वर्ष तक	8
(2)	एक वर्ष से ऊपर परन्तु दो वर्ष से अधिक नहीं	3
(3)	2 वर्ष से ऊपर, परन्तु 3 वर्ष से अधिक नहीं	68
(4)	3 वर्ष से ऊपर, परन्तु 4 वर्ष से अधिक नहीं	31

नवीनीकरणों को अनुमोदित करने के लिये, प्रत्येक मामले के गुणावगुण, संसद के सदनों के समक्ष दिनांक 5-9-1966 को उस समय के विधि मन्त्री द्वारा, आख्यापन किये गये, प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली के सम्बन्ध में सरकार की नीति के प्रकाश में, विचार किया गया। उस आख्यापन में यह संकेत किया गया था, कि सरकार के पांच उद्योगों, अर्थात्, सूती वस्त्र, जूट का सामान, चीनी, सीमेंट तथा कागज व लुगदी के प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को समाप्त करने

का निर्णय किया है। कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 324(1) के अधीन एक अधिसूचना संख्या जी० एम० आर० 2023, दिनांक 21-12-66, में नवीनीकरण की अनुमेय अधिकतम अवधि 1-4-1970 निर्धारित कर, प्रेषित करके, इस निर्णय को प्रभावी बनाया गया था। किसी भी कम्पनी के, प्रबन्ध अभिकर्त्ता के कार्यालय की अवधि, जो उपरोक्त उद्योगों में संलग्न हैं, तथा 2-4-67 तक जो प्रबन्ध अभिकर्त्ता हैं, उसकी अवधि यदि पहले समाप्त न हुई तो वह 1-4-70 को समाप्त हो जायेगी। अन्य उद्योगों के मामलों में इस प्रकार की कोई विधिक अवधि-सीमा नहीं है। इन मामलों में, नवीनीकरण के अनुमोदन के समय, जिस अवधि की अनुमति दी जाती है, वह साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होती, यद्यपि कुछ मामलों में, यह अवधि कुछ महीनों के लिये बढ़ाने की अनुमति दी जाती है ताकि प्रबन्ध अभिकर्त्ता की अवधि की समाप्ति, कम्पनी के आर्थिक वर्ष की समाप्ति एक साथ हो सके। उपरोक्त मद् संख्या (1) तथा (2) में दिखाये गये बहुत से मामलों में, जहां कम्पनी विधि बोर्ड की राय में प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं की पुनर्नियुक्ति न्यायोचित नहीं थी, वहां उसने उनकी लघु अवधि बढ़ाने की अनुमति दे दी जिससे कि कम्पनियाँ प्रबन्ध के एकान्तर रूप को अन्तरण करने के लिये आवश्यक कानूनी तथा आर्थिक व्यवस्थायें कर लें।

विद्युत् चालित करघों के लिये लाइसेंस

3428. श्री दामानी : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 में विद्युत चालित करघों के लिये कितने लाइसेंस दिये गये; और

(ख) 1965-66 की तुलना में ये आंकड़े कम हैं अथवा अधिक ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 1966-67 में 24,627 परमिट दिये गए।

(ख) 1965-66 में विद्युत चालित करघों की स्थापना की अनुमति नहीं थी।

Rehabilitation of Adivasis by H. E. C. Ranchi

3429. Shri Sidheshwar Prasad :
Shri Kartik Oraon :
Shri P. K. Ghosh :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the 1st and 2nd May, 1967, Adivasis had staged a violent demonstration in front of the office of the Heavy Engineering Corporation, Ranchi :

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the reasons for not rehabilitating the Adivasis whose land had been acquired for the factories ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) Some persons, including a fairly large number of Adivasis, armed with lethal weapons

staged a demonstration infront of Heavy Engineering Corporation at Ranchi on 1st May, 1967. No demonstration took place on 2nd May, 1967.

(b) It is understood that the demonstration was for the purpose of demanding recruitment of Hatia displaced/affected persons in Heavy Engineering Corporation Limited.

(c) So far 1536 Hatia displaced/affected persons have been employed by the Company. It is the intention to employ as many displaced persons as possible subject to the availability of suitable posts. At present there are not enough vacant posts to employ all the displaced/affected persons. As and when suitable vacancies arise, further employment of displaced persons will be considered.

दानापुर डिवीजन के लोको शैडों के यान्त्रिक कारीगर (मैकेनिकल आर्टिजन)

3403. **श्री देवेन सेन :**
श्री मधु लिमये :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे के दानापुर डिवीजन के लोको शैडों के यांत्रिक कारीगरों ने उनके पास बहुत अधिक काम होने, उन पर अनुचित ढंग से जिम्मेवारी डाली जाने, विभाग के अन्दर तथा बाहर उनके लिये पदोन्नति के अवसर न होने, फैक्टरी अधिनियम के उपबन्धों को लोको शैडों पर लागू न किये जाने और बिजली तथा डीजल से रेलगाड़ियां चलाये जाने के कार्यक्रम के कारण बेरोजगारी होने के बारे में रेलवे अधिकारियों को कोई अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी शिकायतों की जांच करने के लिये कोई समिति अथवा जांच न्यायालय स्थापित किया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या उनकी शिकायतों के बारे में विभागीय कार्यवाही हो रही है; और

(घ) उपरोक्त जांच अथवा विभागीय कार्यवाही का क्या परिणाम निकला है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (घ) जी नहीं। लेकिन, 22.4.67 को झाझा में दानापुर मंडल के इंजन शैडों के कतिपय यांत्रिक कारीगरों की एक बैठक हुई थी, जिसकी कार्यवाही की एक नकल प्राप्त हुई है, और उस पर विचार किया जा रहा है।

माल गाड़ियों के क्रैंक पैट्रन को पूर्वी रेलवे के कुछ सैक्शनों पर लागू करना

3431. **श्री देवेन सेन :**
श्री मधु लिमये :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे के आसनसोल के वर्तमान डिवीजनल सुपरिटेंडेंट ने दानापुर के डी० ओ० एस० के पद पर कार्य करते समय मितव्ययता के उपाय के रूप में नई माल गाड़ियों के सम्बन्ध में कई योजनायें चालू की थीं ;

(ख) क्या इन योजनाओं पर लाखों रुपयों का व्यय होना था;

(ग) क्या ये योजनाएं असफल हो गई हैं;

(घ) यदि हां, तो इनके परिणामस्वरूप रेलवे को कितनी हानि हुई;

(ङ) क्या उसी अधिकारी ने नया माधोपुर-गरहारा माल गाड़ी लिंक चालू किया है; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन योजनाओं की जांच करने तथा नई माधोपुर–गरहारा माल गाड़ी लिंक के बारे में पुनर्विचार करने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां । उन्होंने जो योजना चलायी थी उसे अब माल गाड़ी संचालन का क्रैंक पैटर्न कहा जाता है ।

(ख) जी नहीं । कुल इतना ही खर्च हुआ कि मुगलसराय में एक घूम-चक्कर लगाना पड़ा, जिसे एक अन्य स्थान से लाया गया था । इसके अलावा और कोई खर्च नहीं करना पड़ा ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

(ङ) जी हां । उसी प्रकार की जैसी कि दानापुर मण्डल में चलायी गयी थीं; ताकि डीज़ल इंजनों और कर्मी-दल का बेहतर उपयोग हो सके ।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राज्यों में औद्योगिक विकास

3432. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री नीति राज सिंह चौधरी :
श्री गं० च० दीक्षित :
श्री रामसिंह अयरवाल :
श्री लखन लाल गुप्त :

(क) क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री** सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा घोषित की गई बिजली की दरें, भूमि के किराये तथा वित्तीय सहायता के बारे में विभिन्न रियायतें, जो सम्बन्धित राज्यों में उद्योग स्थापित करने के लिए गैर-सरकारी उद्योगपतियों को आकृष्ट करने के लिए लागू की गई हैं, दर्शाई गई हों; और

(ख) देश में सन्तुलित क्षेत्रीय औद्योगिक विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ऐसी रियायतें देना वांछनीय समझती है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) मैसूर तथा जम्मू और काश्मीर राज्य को छोड़कर सभी राज्यों के बारे में जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 772/67**] इन दो राज्यों के बारे में यथा समय दी जायेगी ।

दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर गेहूँ बुक करना

3433. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री अ० कु० किस्कु :
श्री श० ना० माइती :

श्री त्रिदिव कुमार चौधरी : श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री शशि रंजन : श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : श्री गाडलिंगन गौड :
श्री मुहम्मद इमाम : श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र से रेलवे स्टेशनों से गेहूं किसी वैध पर्मिट के बिना ही बुक किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

काफी का निर्यात

3434. श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई :
श्री धुलेश्वर मीना : श्री ख० प्रधानी :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1966 के लिये काफी के निर्यात के लिये निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख) काफी के उत्पादन में कमी के कारण 1965–66 के लक्ष्य को पूर्ति नहीं की जा सकी।

होजरी उद्योग द्वारा निर्यात

3435. श्री रामचन्द्र उलाका : श्री ख० प्रधानी :
श्री धुलेश्वर मीना : श्री हीरजी भाई :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के होजरी उद्योग ने अब तक कितना निर्यात किया है ;

(ख) क्या इस बात का पता लगाया गया है यह उद्योग विदेशों को कितना निर्यात बढ़ा सकता है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) 1966–67 में होज़री के माल के निर्यात से 2 5 करोड़ रुपये तक के निर्यात उपार्जन की आशा है।

(ख) और (ग) विदेशी व्यापार की भारतीय संस्था ने हाल ही में होज़री के माल का वस्तु अध्ययन किया है तथा अन्य बातों के साथ-साथ निर्यात के क्षेत्र पर भी विचार किया गया है। सम्बन्धित निर्यात संवर्द्धन परिषदें भी बाजारों की खोज तथा निर्यात वृद्धि के लिये कदम उठा रही हैं।

टाइलों का निर्यात

3436. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री ख० प्रधानी :
श्री हीरजी भाई :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टाइलों का निर्यात काफी कम हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) (1) मलयेशिया, सिंगापुर तथा श्री लंका के मुख्य विदेशी बाजारों में टाइलों के स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि तथा उनके स्थान पर दूसरी प्रकार के, जैसे कि सीमेन्ट टाइलों का प्रयोग।

(2) अधिक जहाजी भाड़ा।

उड़ीसा में नमक का उत्पादन

3437. श्री रामचन्द्र उलाका ;
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री ख० प्रधानी :
श्री हीरजी भाई :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 में उड़ीसा में नमक का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या उक्त अवधि में उड़ीसा में नमक तैयार करने वाले उद्योगों को केन्द्रीय सरकार ने कोई वित्तीय सहायता दी थी; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 47,000 मीट्रिक टन,

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में हथकरघा वस्तुओं का उत्पादन

3438. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धलेश्वर मीना :
श्री हीरजी भाई :
श्री ख० प्रधानी ;

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966–67 में उड़ीसा में हथकरघा वस्तुओं का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) इसी अवधि में सूत की कुल कितनी खपत हुई; और

(ग) इसी अवधि में राज्य में हथकरघा उद्योग के विकास के लिये उड़ीसा को कुल कितनी राशि दी गई ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) 7. 8 करोड़ मीटर ।

(ख) 65 लाख किलोग्राम ।

(ग) 7. 39 लाख रुपये ।

सूत का मूल्य

3439. श्री पार्थसारथी :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री इसहाक साम्भली :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूत के मूल्य में वृद्धि के कारण तथा माल की कम बिक्री के कारण भी हथकरघा उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संकट को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, हां । सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । हाल ही के महीनों में सूत के, विशेष रूप से अत्यन्त महीन सूत के, मूल्य बढ़े हैं ।

(ख) सूत के मूल्यों में कमी करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:-

1. मूल्यों का पुनरीक्षण करने तथा उपयुक्त उपायों का सुझाव देने के लिये वस्त्र आयुक्त द्वारा सूती धागे सम्बन्धी एक तदर्थ समिति की स्थापना की गई है ।

2. मिलों द्वारा सहायता मांगी जाने पर वस्त्र आयुक्त कपास का अधिग्रहण करता है ।

3. सूत के संभरण के लिए समितियों एवं संघों से प्राप्त अभ्यावेदनों को दक्षिण भारत मिल मालिक संघ को भेज दिया जाता है, जो इस प्रकार की मांगों की पूर्ति करता है ।

उड़ीसा में शिशु आहार (बेबी फूड) की कमी

3440. श्री चिन्तामणि पाणिग्राही : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उड़ीसा में इस समय शिशु आहार (बेबी फूड) की अत्यधिक कमी है;

(ख) उड़ीसा को प्रति मास विभिन्न किस्मों के शिशु आहार की सामान्यतया कितनी मात्रा में सप्लाई होती है; और

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिये अब क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) शिशु आहार की अत्यधिक कमी की कोई सूचना उड़ीसा से प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) औसतन लगभग 12000 कि. ग्राम प्रति मास।

(ग) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत शिशु आहार को अत्यावश्यक वस्तु घोषित किया गया है और इसका उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रत्येक सम्भव सुविधा दी जा रही है, जिसमें सपरेटा दूध का आयात भी शामिल है।

मद्रास में रेशम-बुनाई उद्योग

3441. श्री उमानाथ :
श्री प० गोपालन :
श्री रमानी :
श्री नम्बियार :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास राज्य में कांचीपुरम के रेशम बुनकर संघ, रेशम बुनकर सहकारी समिति और रेशम तथा 'लेस' कपड़ा उत्पादक संघ ने कच्चा रेशम न मिलने के बारे में दिनांक 5-4-1967 को एक ज्ञापन भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या निर्णय किये हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड

3442. श्री उमानाथ :
श्री नम्बियार :
श्री प० गोपालन :
श्री रमानी :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने कुछ गैर-सरकारी फर्मों के साथ विक्रय अभिकरण के करार किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) इस कम्पनी ने स्वचालित खैरात मशीनों तथा होरिजेन्टल बोरिंग मशीनों की बिक्री के लिये क्रमश: मैसर्स महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लिमिटेड, बम्बई तथा इम्पोर्ट कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई को एकाधिकारी विक्रय अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया है। इन अभिकर्ताओं को बुनियादी मशीन, विशेष पुर्जों, अथवा औजारों अथवा फालतू पुर्जों की बिक्री पर 7½ प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक कमीशन दिया जाता है। प्रारंभ में ये करार तीन वर्ष के लिये हैं।

उड़ीसा में नया इस्पात कारखाना

3443. श्री चिंतामणि पाणिग्राही : क्या **इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा सरकार से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें उड़ीसा में एक और इस्पात कारखाना लगाने की प्रार्थना की गई है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार की इच्छा इस कारखाने को किस स्थान पर स्थापित करने की है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) जी, हां। मई 1964 में उड़ीसा के राज्यपाल ने सुन्दरगढ़ और क्योंझार जिलों के बनिय–नयागढ़ लौह अयस्क के क्षेत्र में लोहे और इस्पात का एक सर्वतोमुखी कारखाना लगाने के बारे में एक ज्ञापन भेजा था।

(ख) ज्ञापन में इस बात की सिफारिश की गई थी कि बनिय-नयागढ़ का स्थान लोहे और इस्पात का एक सर्वतोमुखी कारखाना लगाने के लिए बहुत उपयुक्त है और इस बात का सुझाव दिया गया था कि इन स्थलों का भी सर्वेक्षण किया जाय जिससे देश में दूसरे स्थलों की तुलना में प्रत्येक स्थल की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जा सके।

Ring Railway Around Delhi

3444. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Railways** be pleased to state;

(a) whether the ring railway around Delhi would connect nearby cities in different States around Delhi; and

(b) whether after the completion of the said Railway, it would be possible to run trains to and from between Delhi Main Station, New Delhi and Ghaziabad over the new rail bridge over the Jamuna ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No,

(b) with the completion of the Second bridge across the Yamuna river and the Goods Avoiding Lines between Tughlakabad and Ghaziabad in 1966, it is even now possible to run trains between Delhi Main, New Delhi, and Ghaziabad Stations over the new bridge,

Copper Mines

3445. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to State :

(a) the number of copper mines in the country and the capacity thereof;

(b) whether the present production is sufficient to meet the country's demand of copper and if not, the steps taken to increase its production; and

(c) whether the use of other metals in place of copper is being encouraged in order to reduce the consumption of copper and if so, the names of those metals ?

The Minister of Steel. Mines and Metals (Dr. Channa Reddy) : (a) There are at present 3 copper mines in the country (Mosabani, Surda and Patharghora), all belonging to the Indian Copper Corporation Limited, The ore from these mines is smelted in the Smelter of the company at Maubhandar in Bihar, which has a production capacity of 9,960 tonnes of fire refined copper,

Besides, copper mines are being developed at Khetri and Kolihan in Rajasthan. There are also copper deposits at Rakha in Bihar, Dariba in Rajasthan and Agnigundala in Andhra Pradesh which have been investigated in some detail.

(b) The present production (9333 tonnes in 1966) is not sufficient to meet the country's demand for copper. The following steps have been taken to increase copper production:-

(i) The Indian Copper Corporation Ltd., has been granted an industrial licence for the establishment of a smelter with a capacity of 16,560 tonnes of Blister Copper per annum,

(ii) The Copper deposits at Khetri and Kolihan in Rajasthan are being developed to produce 31,000 tonnes of electrolytic copper per annum.

(iii) The National Mineral Development Corporation have prepared schemes for the development of the copper deposits at Rakha in Bihar and Dariba in Rajasthan to produce copper concentrates which will yield 3,500 tonnes of metal per annum from Rakha and 1,400 tonnes of metal from Dariba, These Schemes are under consideration. They are also preparing a scheme for the development of Agnigundal and Mylaram copper deposits in Andhra Pradesh.

(c) Yes, Sir, The use of aluminium and its alloys is being encouraged as substitutes of copper and its alloys. Considerable progress in this direction has been made in case of electrical and cable industries & minting of coins,

Priority Industries

3446. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Industrial Develoment and Company Affairs be** pleased to state;

(a) the number of priority industries and whether paint and varnish industry is also one of them;

(b) whether it is a fact that there is discrimination regarding taxes in the case of paint and varnish factories established prior to 6th July, 1963 and those established thereafter; and

(c) whether it is also a fact that paint and varnish is also exported ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) There are 59 priority industries and paint, varnish and enamel is one of these.

(b) No, Sir,

(c) Yes, Sir,

हैवी इंजीनियरिंग निगम, रांची द्वारा अर्जित लाभ

3447. श्री कार्तिक ओराओं : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची स्थित भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड को मुनाफा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक परियोजना में कितनी पूंजी लगाई गई है तथा प्रत्येक परियोजना में उसमें लगाई गई वास्तविक पूंजी के हिसाब से कितना प्रतिशत लाभ हुआ है;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उसके क्या कारण है; और

(घ) उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) अभी तक नहीं,

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) इस कम्पनी को सभी परियोजनाएं अभी पूरी की जानी हैं । इस किस्म के तथा इस आकार के औद्योगिक संस्थान में सामान्यतः समय अधिक लगता है । कारखाने में कुछ वर्ष तक पूरी क्षमता से उत्पादन होने पर ही लाभ की आशा की जा सकती है ।

(घ) इस कारखाने के लिये पर्याप्त संख्या में क्रयादेश प्राप्त करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं । विभिन्न उत्पादों के उत्पादन का विस्तार करने की योजना विचाराधीन है ।

काली मिर्च का निर्यात

3448. श्री अ० क० गोपालन : **श्री चक्रपाणि :**
श्रीमती सुशीला गोपालन : **श्री राममूर्ति :**

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों में काली मिर्च का निर्यात काफी घट गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केरल में काली मिर्च पैदा करने वाले को मदद देने की सरकार की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) 1964-65 से 1966-67 तक काली मिर्च का निर्यात निम्नलिखित था:-

वर्ष	परिमाण (मे० टन)	मूल्य (करोड़ रु० में)
1964-65	17,381	6·8
1965-66	26,305	11·1
1966-67	20,520	11·1

उत्पादन में कमी तथा इण्डोनेशिया की काली मिर्च से प्रतियोगिता के कारण 1965-66 की तुलना में 1966-67 के निर्यात में कमी हुई है।

(ग) और (घ) : काली मिर्च पैदा करने वालों की सहायतार्थ राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की गई कुछ योजनाएं निम्नलिखित हैं:-

दीर्घावधि ऋण

(1) काली मिर्च के क्षेत्र को बढ़ाकर उत्पादन में वृद्धि करने के लिये काली मिर्च पैदा करने वालों को दीर्घावधि ऋण दिये जाते हैं। ऋण के रूप में प्रति एकड़ 500 रुपये दिये जाते हैं। इस प्रयोजन के लिये चौथी योजना में 2.28 लाख रुपये देने का विचार है।

काली मिर्च के लिये समेकित कार्यक्रम

(2) काली मिर्च का उत्पादन बढ़ाने के लिये कुल 1000 एकड़ क्षेत्र के दो खण्डों में समेकित (पेकेज) रूप में एक सघन कार्यक्रम शुरू किया गया है। उत्पादन बढ़ाने के लिये कुल प्रचलनों पर आधारित तकनीकी मार्गदर्शन के अलावा, क्षेत्र के काली मिर्च पैदा करने वालों को 50 प्रतिशत उपदान के हिसाब से पौधे की रक्षा करने वाले रसायन दिये जाते हैं तथा काली मिर्च के मिश्रण के रूप में 125 रु० प्रति एकड़ के हिसाब से ऋण भी दिये जाते हैं। इस कार्यक्रम के लिये चौथी योजना में 7·2 लाख रुपये नियत किये गये हैं।

बढ़िया (रुट कटिंग्स) का वितरण

(3) अच्छी किस्म के काली मिर्च के पौधों को लोकप्रिय बनाने के लिये आगामी चार वर्षों में 40 लाख रुट कटिंग्स को उगाने तथा वितरित करने का एक कार्यक्रम चल रहा है। चौथी योजना में इसके लिये 9 लाख रुपये रखे गये हैं।

व्यापक छिड़काव

(4) कन्नानूर जिले में काली मिर्च के सूखा रोग को रोकने के लिये व्यापक छिड़काव किया जायगा। छिड़काव मुफ्त किया जाता है अत: किसान से कुछ नहीं लिया जाता। इस प्रयोजन के लिये चौथी योजना में 10 लाख रुपये नियत किये गये हैं।

केन्द्रीय नर्सरी की स्थापना

(5) काली मिर्च की सुधरी हुई किस्म अर्थात् पामियर प्रथम के बढ़ाने और वितरण के लिये केरल में एक केन्द्रीय नर्सरी भी स्थापित करने का विचार है ।

केरल में रेलवे लाइन

3449. श्री अ० क० गोपालन :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री नायनार :
श्री चक्रमणि :
श्री राममूर्ति :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए कितनी रेलवे लाइनों का सुझाव दिया है और उनका प्राथमिकता क्रम क्या है; और

(ख) क्या सरकार अलप्पी के रास्ते कायनकुलन से एरणाकुलम तक सम्पर्क लाइन आवश्यक समझती है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) केरल सरकार ने जिन नयी रेल लाइनों को चौथी पंचवर्षीय योजना में शमिल करने की सिफारिश की है. अग्रता-क्रम में वे इस प्रकार हैं:-

1. पीरमाडे और कुमिली होकर कोट्टयम–बोदिनायाकन्नूर
2. तेल्लिचेरी–मैसूर
3. एलेप्पी होकर कार्यकुलम–एर्णाकुलम
4. तिरूवनन्तपुरम–कन्याकुमारी
5. गुरूवायूर और कर्रगानूर होकर कुट्टीपुरम्–एर्णाकुलम

(ख) जी नहीं ।

अजीमगंज जंकशन पर रेल-इंजन-घर का बन्द करना

3450. श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के बी० ए० के० लूप सेक्शन में अजीमगंज जंकशन पर रेल-इंजन-घर (लोको शेड) को बन्द करने का निर्णय किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या रेलवे कर्मचारियों, यात्रियों तथा अन्य लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों से पूर्व रेलवे प्रशासन को इस प्रस्ताव के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन मिला है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी हां ।

पटसन का निर्यात

3451. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में पटसन का निर्यात कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसका निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) पटसन की कमी, पटसन तथा उसके फलस्वरूप पटसन के माल के ऊंचे मूल्य, पाकिस्तान से तीव्र प्रतियोगिता तथा इसके स्थान पर संश्लिष्ट उत्पादों के आ जाने के कारण गिरावट आई है ।

(ग) पटसन के माल के निर्यात को बढ़ाने के लिये किये गये कुछ महत्वपूर्ण उपायों का ब्यौरा निम्नलिखित है:—

(1) कृषि की समुन्नत पद्धतियों को अपनाकर कच्चे पटसन के उत्पादन को बढ़ाने तथा किस्म में सुधार करने के लिये सतत प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

(2) पटसन के माल के नवीन एवं विविध उपयोग खोजने के लिये एक प्रभावशाली गवेषणा कार्यक्रम बनाया गया है जिससे पटसन की अपेक्षाकृत अधिक निकासी हो सके । भारतीय पटसन मिल संघ संयुक्त राज्य अमेरिका में औद्योगिक परामर्शदाताओं (कपड़ा गवेषणा प्रयोगशालाओं) की एक फर्म के सहयोग से पटसन के माल के नवीन उपभोगों के विकास का प्रधान लक्ष्य रख कर हाल ही में एक गवेषणा कार्यक्रम शुरू कर रहा है ।

(3) पहली जनवरी, 1965 ये निर्यात (गुण नियन्त्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम 1963 के अन्तर्गत लदान पूर्व अनिवार्य निरीक्षण तथा गुण नियन्त्रण आरम्भ कर दिया गया है ।

(4) रूस तथा पूर्व योरोपीय देशों के साथ दीर्घकालीन व्यापार समझोते किये गये हैं जिनमें पटसन के माल के निर्यात के लिये विशिष्ट उपबंध हैं ।

(5) पटसन की वस्तुओं पर लगने वाले निर्यात शुल्क की समय समय पर समीक्षा की जाती है । हाल ही की समीक्षा के फलस्वरूप पटसन की वस्तुओं की समस्त किस्मों पर शुल्क कम कर दिया गया है जो कि निम्ननिर्दिष्ट है:—

(1) कालीन का अस्तर (2) विशेष माल	900 रु० से 600 रु० प्रति मे० टन
(3) अन्य हेसियन	900 रु० से 750 रु० प्रति मे० टन

(4) बोरियां 600 रु० से 450 रु० प्रति मे० टन

(5) रुई भरने के बोरे 11.2.67 से 600 रु० से 200 रु० प्रति मे० टन

रेलवे में प्रतिकर के मामले

3452. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री भगवान दास :
श्री उमानाथ :
श्री वि० कु० मोडक :
श्री चक्रपाणि :
श्री हेमराज :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966–67 में रेलवे में मार्ग में खोये गये माल के लिये भिन्न–भिन्न रेलवे क्षेत्रों (जोनों) में प्रतिकर सम्बन्धी कितने मामले दर्ज किये गये और इस अवधि में कितने मामलों का निपटारा किया गया और कितने मामले अभी विचाराधीन हैं;

(ख) उक्त अवधि में प्रतिकर की कितनी राशि दी गई;

(ग) गत दो वर्षों में ऐसे मामलों की क्या स्थिति थी; और

(घ) मार्ग में हानि/क्षति को कम करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु पुनाचा) : (क) से (ग) अनुबन्ध 'क' में एक विवरण संलग्न है जिसमें यह बताया गया है कि 1964–65, 1965–66 और 1966–67 के तीन वर्षों में विभिन्न क्षेत्रीय रेलों में कितने दावे प्राप्त हुए, कितने निबटाये गये, और कितने अनिर्णीत रहे, और क्षतिपूर्ति के रूप में कितनी रकम दी गयी। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 773/67**]

जितने दावे किये जाते हैं और उनमें से जितने अस्वीकार कर दिये जाते हैं, उनके आंकड़े कारणों के अनुसार सकलित नहीं किये जाते। वितरण में दिखाये गये आकड़ों में पूर्ण और आंशिक हानि तथा क्षति दोनों शामिल हैं।

(घ) एक विवरण अनुबन्ध 'ख' में संलग्न है जिसमें यह बताया गया है कि मार्ग में होने वाली हानि/क्षति को कम करने के लिए क्या–क्या उपाय किये जा रहे हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 774/67**]

202-डाउन लुमडिंग-सिल्वर सवारी गाड़ी का पटरी से उतर जाना

3453. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 15 मई, 1967 को 202 डाउन लुमडिंग-सिल्वर सवारी गाड़ी का इन्जन और एक डिब्बा पूर्वोत्तर रेलवे के किडिंग और माहुर स्टेशनों के बीच पटरी से उतर गये थे;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण थे; और

(ग) रेलवे सम्पत्ति की कुल कितनी हानि हुई ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां। फिडिंग और माहुर स्टेशन पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में है।

(ख) जिस स्थान पर यह दुर्घटना हुई, वहां इन्जीनियरिंग प्रतिबन्ध के कारण सभी गाड़ियों की रफ्तार प्रति घण्टा 8 किलोमीटर सीमित कर दी गयी थी। गाड़ी के पटरी से उतरने का कारण यह था कि ड्राइवर ने रफ्तार की निर्धारित सीमा का पालन नहीं किया।

(ग) रेल सम्पत्ति को लगभग 965/– रुपये की क्षति पहुंचने का अनुमान है।

जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य से उर्वरक

3454. श्री काशीनाथ पांडे : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य ने 1967 में सरकार को उर्वरक सप्लाई करने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो कितना तथा कितने मूल्य का ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां।

(ग) जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य ने 8.64 करोड़ रुपये मूल्य के (6·08 करोड़ रुपये का 1, 68,000 मे टन म्यूरेट पोटाश तथा 2,56 करोड़ रुपये का 1,10,000 टन अमोनिय . सल्फेट) उर्वरक सप्लाई करने की पेशकश की है, जिनके संविदे पहले ही हो चुके हैं तथा लदान निर्धारित समय पर किये जा रहे हैं।

रेलवे चार्जमैन तथा फोरमैनों की याचिका

3455. श्री स० च० बेसरा : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलों में काम करने वाले अधिकतर चार्जमैनों तथा फोरमैनों ने सरकार को एक याचिका प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या हैं; और

(ग) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) उनकी मुख्य मांग यह थी कि वेतन-मान में वृद्धि की जाये।

(ग) उनकी मांगों पर विचार किया गया था लेकिन सरकार को उन्हें स्वीकार करने का कोई औचित्य दिखायी नहीं दिया।

चार्जमैनों तथा फोरमैनों को अधिक समय तक कार्य करने का भत्ता

3456. श्री स० च० बेसरा : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयुध कारखानों में फोरमैनों तथा चार्जमैनों को तथा प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत कार्य करने वाले लोगों को भी अधिक समय कार्य करने का भत्ता दिया जाता है, परन्तु रेलवे में कार्य करने वाले फोरमैनों तथा अधिकतर चार्जमैनों को इस भत्ते से वंचित रखा जाता है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

लोको शेड अरकोणम

3457. श्री सम्बन्धन : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि अरकोणम के लोको शेडों की दशा इतनी खराब है कि वह स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है;

(ख) क्या कर्मचारियों को धूप और वर्षा में काम करना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) अरकोणम लोको शेड की दशा अस्वास्थ्य-कर नहीं है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अरकोणम स्थित इन्जीनियरी वर्कशाप

3458. श्री सम्बन्धन : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अरकोणम स्थिति इन्जीनियरी वर्कशापों में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(ख) क्या इन कर्मचारियों के लिए पीने के पानी की कोई व्यवस्था की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या व्यवस्था की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 2676 ।

(ख) जी हां ।

(ग) पानी के 18 नल और एक जल-शीतक की व्यवस्था की गई है ।

अरकोणम इन्जीनियरी वर्कशाप क्षेत्र में नई वर्कशाप

3459. श्री सम्बन्धन : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरकोणम इन्जीनियरी वर्कशाप क्षेत्र में नई वर्कशाप बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका निर्माण-कार्य कब पूरा हुआ था;

(ग) क्या वर्तमान वर्कशापों को इन नये स्थानों में ले जाया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) अरकोणम इन्जीनियरिंग कारखाना क्षेत्र में कुछ वर्तमान कर्मशालाओं के लिए पांच नई इमारतें बनाई गई हैं। एक ओर इमारत बन रही है :

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर में बताई गई पांचों इमारतें अप्रैल, 1965 से नवम्बर, 1966 की अवधि में बन चुकी थीं, लेकिन सड़कें, नालियां, जल-व्यवस्था आदि से सम्बन्धित कार्य अभी पूरे नहीं हुए हैं।

(ग) मूल कर्मशालाओं का केवल कुछ भाग अभी नयी इमारतों में गया है। पुरानी कर्मशालाओं से मशीनों को हटाने और नयी कर्मशालाओं में उन्हें नये सिरे से लगाने का काम जारी है।

(घ) कर्मशालाएं पूरी तरह में नयी इमारतों में नहीं ले जायी जा सकीं, क्योंकि वर्तमान उत्पादन में उत्पादन व्यवस्था को अस्त-व्यस्त किए बिना या उसमें कोई व्यवधान डाले बिना मशीनों को पुरानी इमारतों से नई इमारतों में विभिन्न चरणों में स्थानान्तरित करना था। जहां तक उन इमारतों का सम्बन्ध है, जो वर्तमान कर्मशालाओं की पश्चिमी चार-दीवारी के बाहर, कच्ची सड़क पर स्थित हैं, कच्ची सड़क की दायीं ओर स्थित इण्डियन ह्यूम पाइप कम्पनी द्वारा दायर की गई रिट याचिका के कारण भी देरी हुई थी। इस रिट याचिका पर न्यायालय से बाहर निर्णय अभी मार्च, 1967 में हुआ है।

भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्था सलेम

3460. **श्री सम्बन्धन** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्था सलेम में प्रति वर्ष कितने छात्र दाखिल किये जाते हैं;

(ख) दाखिल के लिए चयन का तरीका क्या है;

(ग) इस संस्था से कितने छात्र पास होकर निकल चुके हैं;

(घ) क्या सरकार ने इसका कोई अनुमान लगाया है कि इस संस्था से प्रति वर्ष कितने छात्र पास होकर निकले और कितनों को रोजगार मिल गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए चालीस तथा अल्प-अवधि पाठ्क्रम के लिए आठ।

(ख) अभ्यार्थियों के इन्टरव्यू के बाद एक समिति द्वारा चयन किया जाता है जिसमें संस्था का प्रधानाध्यापक और राज्य सरकार तथा बुनकर सेवा केन्द्र के प्रतिनिधि होते हैं।

(ग) 1966 तक 106.

(घ) जी, हां।

(ङ) डिप्लोमा होल्डरों को रोजगार मिलने की राज्यवार स्थिति, उन्हीं से मिली जानकारी के अनुसार, निम्नलिखित विवरण में दी जाती है :–

राज्य का नाम	डिप्लोमा पास उम्मीदवारों की संख्या	रोजगार प्राप्त उम्मीदवारों की संख्या
मद्रास	46	32
आंन्ध्र प्रदेश	28	18
महाराष्ट्र	6	6
मैसूर	12	7
केरल	10	4
पांडिचेरी	3	1
गुजरात	1	—
योग	106	68

अन्य राज्यों द्वारा कोई सूचना नहीं भेजी गई।

नवेली में बिजली का उत्पादन

3461. श्री सम्बन्धन : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवेली में इस समय कितनी बिजली तैयार की जाती है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि यह उत्पादन अधिष्ठापित क्षमता से कम हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) (क) नयवेली ताप बिजली घर से, जिसकी प्रतिष्ठापित क्षमता 400 मेगावाट है, 24-4-67 से 23-5-67 तक उत्पादित की गई बिजली की मात्रा 187·29 मिलियन किलोवाट आवर्स (शुद्ध) थी।

(ख) इस बिजली घर की सभी सात इकाइयां–छः इकाई प्रत्येक 50 मेगावाट की तथा एक इकाई 100 मेगावाट की संधारण के लिए मशीन बन्द करने को छोड़कर सामान्य भार पर पूर्ण क्षमता से कार्य कर रही हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

आयात लाइसेंस दिया जाना

3462. डा० रानेन सेन : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 में कितने आयात लाइसेंस दिए गए और उनमें से कितने लाइसेंसों का उपयोग किया गया; और

(ख) क्या आयात व निर्यात व्यापार करने वाली फर्मों के बीच कोई सम्बन्ध है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) वर्ष 1966-67 में दिए गए आयात लाइसेंसों की संख्या 1,57,167 थी। लाइसेंसों के केवल थोड़े से वर्गों के सम्बन्ध में उपयोग संबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) आयात नीति में पंजीकृत निर्यातकों के लिए निर्यात तथा आयात परस्पर सम्बद्ध हैं जिसके अन्तर्गत पंजीकृत निर्यातकों (या उनके नामित व्यक्तियों) के लिए, जो निर्माता हों, कुछ विशेष वस्तुओं के निर्यात के बदले आयात द्वारा पुनःभरण की व्यवस्था है।

रुई पर से मूल्य नियन्त्रण हटाना

3463. श्री भ० अमरसे : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माल, मजदूरी, निर्माण-लागत तथा अन्य सेवाओं की लागत के उतार-चढ़ाव के आधार पर कंट्रोल वाले कपड़े के मूल्य समय-समय पर बढ़ा दिए जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कपास के मूल्यों के उतार-चढ़ाव पर भी इसी सिद्धान्त को लागू करने का है तथा कपास के मूल्य की अधिकतम सीमा को भी हटाने का है।

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) कपास के मूल्य कपास मौसम के शुरू होने के पहिले पुनरीक्षित किये जाते हैं तथा सम्बद्ध कारणों को ध्यान में रखते हुए उसके सांविधिक न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। आगामी मौसम के लिए मूल्य नीति विचाराधीन है।

राज्य व्यापार निगम

3464. श्री यशपाल सिंह : **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री मेघ चन्द्र :**

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम का विचार कुछ और वस्तुओं का निर्यात तथा आयात सम्बन्धी कार्य अपने हाथ में लेने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) राज्य व्यापार निगम निरन्तर विदेशी व्यापार का विस्तार करने तथा विभिन्न बाजारों में, जिनमें हमारी वस्तुओं का

निर्यात नहीं होता है, नई वस्तुओं के निर्यात एवं साथ ही अपरम्परागत बाजारों को परम्परागत वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा है। जहां तक आयात का सम्बन्ध है, राज्य व्यापार निगम संभरण के विभिन्न स्त्रोतों से पूंजीगत माल और अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर औद्योगिक कच्चे माल तथा देश के आर्थिक तथा औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक कुछ दुर्लभ वस्तुओं के आयात का प्रबन्ध करता है। यह निगम उन वस्तुओं के आयात का प्रबन्ध भी करता है, जो सरकार द्वारा समय-समय पर एक मात्र इसको आयात के लिए सौंपी जाती हैं।

Tractor Factory in Madhya Pradesh

3465. **Shri Y. S. Kushwah :**
Shri Nathu Ram Ahirwar :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) since when the Question of setting up a tractor factory in Datia district of Madhya Pradesh is under consideration;

(b) the places in Madhya Pradesh from where demands have been put forth for the setting up of a tractor factory;

(c) whether experts have been consulted on the said question; and

(d) if so, the details of the opinion given by them ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) to (d) Datia was one of several sites suggested by the Madhya Pradesh Government in March 1966 for the location of the proposed public sector project for the manufacture of tractors, Similar suggestions had been received from the Government of Uttar Pradesh regarding suitable locations in that State, After evaluating the advantages and disadvantages of all the suggested location, the experts recommended Ramnagar in the Varanasi District of Uttar Pradesh as the most suitable site,.

इस्पात का निर्यात

3466. **श्री विश्वनाथ राय :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहा तथा इस्पात के मामले में देश आत्म-निर्भर हो गया है; और

(ख) क्या इस वर्ष सरकार इसका निर्यात करने की स्थति में है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) कुछ किस्मों के लोहे और इस्पात के बारे में हम आत्म-निर्भर हो गए हैं।

(ख) कुछ वर्षों से हम कच्चा लोहा और इस्पात निर्यात कर रहे हैं।

खानों के मालिकों के लिये वित्त व्यवस्था

3467. **श्री चिन्तामणि पाणिग्राही :** क्या इस्पात खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनन के प्रयोजन के लिए निजी खान मालिकों के लिए वित्त व्यवस्था करने के लिए उनके मन्त्रालय के अधीन कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात खान तथा धातु मन्त्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) नहीं महोदय ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कटक-परादीप रेलवे लाइन

3468. श्री चिन्तामणि पाणिग्राही : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सचिवों की समिति कटक-पारादीप रेलवे लाइन परियोजना की स्वीकृति दे चुकी है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या रेलवे की अल्पकालीन परियोजना के रूप में पहले छोटी लाइन बनाने और बाद में फिर उसी को बड़ी लाइन में बदल देने की कोई योजना है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) जी नहीं । लौह अयस्क निर्यात के लिये सचिवों की समिति ने केवल रेलवे बोर्ड के इस विनिश्चय का समर्थन किया है कि पारादीप बन्दरगाह को किसी उपयुक्त जंक्शन पर पूर्वी तट की वर्तमान मुख्य लाइन से मिलाने के लिए जो परियोजना बनाई गई है, इन्जीनियरिंग की दृष्टि से उसकी व्यावहारिकता और क्षमता प्रमाणित करने के लिए अपेक्षित सर्वेक्षण का काम जारी रखा जाये । इस सम्बन्ध में इन्जीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण पहले से हो रहे हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कशाप में बिजली के इन्जनों का निर्माण

3469. श्री धुलेश्वर मीना : **श्री ख० प्रधानी :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री हीरजी भाई :**

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 में चित्तरंजन लोकोमोटिव फैक्टरी में बनाये गये बिजली द्वारा चलने वाले इन्जनों की संख्या कितनी है; और

(ख) उसमें कितने प्रतिशत विदेशी सामान का प्रयोग किया जाता है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 57

(ख) कुल मूल्य के आधार पर 43·47 प्रतिशत ।

इन्टेग्रल कोच फैक्टरी, पैरम्बूर

3470. श्री धुलेश्वर मीना
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री हीरजी भाई :
श्री ख० प्रधानी :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1966-67 में पेरम्बूर स्थित इन्टेग्रल कोच फैक्टरी में सवारी डिब्बों का निर्माण निर्धारित उत्पादन लक्ष्य के अनुसार हुआ था; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण थे ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) डिब्बों के खोल बनाने का लक्ष्य पूर्णतया प्राप्त कर लिया गया था, लेकिन पूरी तरह साज़-सामान लगे डिब्बों का उत्पादन लक्ष्य से कुछ कम रहा।

(ख) साज-सामान लगे डिब्बों के उत्पादन में कमी का कारण यह था कि वातानुकूल एक्सप्रेस गाड़ियों के लिये कुछ विशेष प्रकार के डिब्बों में साज-सामान लगाना पड़ा जिनमें अपेक्षाकृत अधिक काम करना था।

एच० एम० टी० की कलाई घड़ियां

3471. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री ख० प्रधानी :
श्री हीरजी भाई :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों में एच० एम० टी० की कलाई घड़ियां न मिलने के बारे में कितनी शिकायतें आई हैं; और

(ख) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की घड़ियां न मिलने की बार-बार शिकायतें मिलती हैं; तथापि इन शिकायतों का कोई अभिलेख नहीं रखा जाता है।

(ख) सीमित राशि में विदेशी मुद्रा मिलने के कारण हम अपेक्षित सामान का पर्याप्त मात्रा में आयात नहीं कर सकते हैं, अतः निकट भविष्य में सप्लाई की स्थिति से सुधार होने की कोई सम्भावना नहीं है।

ऊनी हौजरी माल तैयार करने के कारखाने

3472. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री ख० प्रधानी :
श्री हीरजी भाई :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भिन्न-भिन्न भागों में इस समय ऊनी होजरी माल तैयार करने के कितने कारखाने हैं; और

(ख) इस समय इन कारखानों का कुल वार्षिक उत्पादन कितना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरैशी) : (क) 1,046,

(ख) 1966 में संगठित क्षेत्रों के कारखानों का उत्पादन 204,000 कि० ग्रा० हुआ। विकेन्द्रित क्षेत्र के कारखानों के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

केरल में माल डिब्बों का न मिलना

3473. **श्री स० चं सामन्त :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री नन्द कुमार सोगानी :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल डिब्बे न मिलने के कारण केरल में मात्तनचेरी के विभिन्न गोदामों से 15 लाख रुपये के मूल्य का नारियल जटा का सामान नहीं उठाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) रेलों का सम्बन्ध केवल इस बात से है कि किसी स्टेशन से माल भेजने के लिए वास्तव में कितने माल डिब्बों की मांग की जाती है। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं रहती कि गोदामों में कितना माल पड़ा है और उसका मूल्य क्या है।

आयात अनाज, उर्वरक और उच्च अग्रता वाले दूसरे यातायात के भारी संचलन के बावजूद कोच्चिन हार्बर टर्मिनस स्टेशन से नारियल की जटा का लदान बढ़ाने के लिए प्रयास किये गये हैं। मात्तनचेरी का यातायात इसी स्टेशन से होता है। 1 मार्च से 8 जून 1967 तक की अवधि में कोच्चिन हार्बर टर्मिनस से नारियल की जटा के 178 माल डिब्बे लादे गये। इसके अलावा इस स्टेशन से 49,937 क्विंटल नारियल के रेशे और नारियल का सामान भी 'फुटकर' माल के रूप में भेजा गया। नारियल की जटा के यातायात में सुधार करने के लिए तिरपाल से ढके खुले माल डिब्बों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।

उड़ीसा में सीमेंट का कारखाना

3474. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में सम्बलपुर में स्थित औद्योगिक विकास निगम के बारगढ़ सीमेंट कारखाने को सरकार ने कितनी राशि का ऋण दिया है;

(ख) क्या इस कारखाने में उत्पादन आरम्भ हो चुका है;

(ग) यदि हां, तो इस कारखाने की क्षमता कितनी है और इस पर कुल कितनी पूंजी लगाई गई है; और

(घ) क्या इस कारखाने को, जब कि उसमें उत्पादन आरम्भ हो चुका है किसी गैर-सरकारी फर्म को बेचा जा रहा है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 30 अप्रैल, 1967 तक सरकार ने बाढ़गढ़ सीमेंट कारखाने को 206.03 लाख रुपये का ऋण दिया।

(ख) इस कारखाने में परीक्षण के रूप में उत्पादन आरम्भ हो गया है। अगस्त 1967 से नियमित रूप से उत्पादन आरम्भ होने की आशा है।

(ग) इस कारखाने की उत्पादन क्षमता 4 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। इसमें 30 अप्रैल, 1967 तक 535.39 लाख रुपये की पूंजी लगाई गई।

(घ) जी, नहीं।

लक्ष्मी रत्न काटन मिल्स, कानपुर

3475. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :

क्या वाणिज्य मंत्री 31 मार्च, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 267 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लक्ष्मी रत्न काटन मिल्स, कानपुर के मामलों सम्बन्धी जांच समिति के प्रतिवेदन पर अन्तिम रूप में विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) भारत सरकार ने निश्चय किया है कि किसी भी मिल के प्रबन्ध को तब तक अपने हाथ में नहीं लिया जाये, जब तक कि वह विधेयक पारित नहीं हो जाता, जिसे शीघ्र ही पुरःस्थापित करने का विचार है, जिससे कि कुछ बन्द अथवा सम्भवतः बन्द होने वाली मिलों को अपने प्रबन्ध में लेने का सरकार को अधिकार मिल जाये। परन्तु इस मिल को राज्य सरकार द्वारा लिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। इस आशय की राज्य सरकार को सूचना दी जा चुकी है।

Foreign aid for Steel Plants

3476. Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the article written by a former Steel Minister published in the daily Patriot' of the 29th May. 1959 wherein the present steel Plants have been asked not to seek foreign aid; and

(b) the reaction of Government thereto ?

The Minister of Steel Mines and Metals (Dr. Channa Reddy) : (a) Yes, Sir.

(b) In planning the development of steel capacity Government's policy is to rely on Indian resources to the maximum and to seek foreign aid only to the extent considered really necessary to meet the expected demand for steel in time.

भागलपुर में खनिज

3477. श्री वेणीशंकर शर्मा : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भागलपुर जिले में ऐसी बहुत बड़ी पठार भूमि है, जहां से विभिन्न किस्मों के खनिज प्राप्त होने की सम्भावनायें हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व वहां पर कुछ कार्य आरम्भ किया गया था;

(ग) क्या स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद उस क्षेत्र का सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) से (ग) हां, महोदय ।

(घ) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किये गये कार्य से केवल समुखिया तथा सतलेतवा के समीप पाये जाने वाले मिट्टी के विदोहन योग्य निक्षेपों का पता चला है ।

तृतीय योजना काल में तांबा-सीसा-जस्ता अयस्कों के अनुसंधान हाथ में लिये गये थे परन्तु अभी तक इन धातुओं के विदोहन योग्य निक्षेपों का पता नहीं चला है ।

इसके अतिरिक्त ज़खजोर, कुसीदोल और गुंदरा में अबरक के पुराने निक्षेपों का पता चला है परतु आर्थिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं ।

कोक तैयार करने की विधि

3478. श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घरेलू प्रयोग में आने वाला कोक बनाने के लिए एल० टी० सी० संयंत्र स्थापित करने के लिये बड़ी पूंजी लगाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने अथवा उसकी किसी प्रयोगशाला ने कोई ऐसा मध्यवर्ती तरीका निकाला है, जिस पर अधिक पूंजी लगाने की आवश्यकता न हो, और जो दक्षतापूर्वक सस्ता कोक बना सके;

(ख) उस विधि को वाणिज्य स्तर पर प्रयोग में लाने की स्थिति क्या है;

(ग) घरेलू प्रयोग में आने वाला कोक बनाने का तरीका अपनाये जाने के लिये प्रोत्साहन देने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) मध्यम आकार की परियोजना पर कितनी अनुमानित लागत आयेगी और उत्पादित वस्तु का अनुमानित मूल्य कितना होगा ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) घरेलू प्रयोग के लिये बिना धुंए का साफ्ट कोक उत्पादित करने के लिये केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था धनवाद ने चलने वाले 'ग्रेट स्ट्रोकर कारबोनाइजर' में कोयले के सतत् उत्पादन न होने की एक प्रतिक्रिया दक्षतापूर्ण विकसित की। इस प्रक्रिया पर आधारित प्लांटों पर एल० टी० सी० प्लांटों की अपेक्षा कम पूंजी लगानी पड़ेगी और आशा है कि इनसे कोयला सस्ता और कुशलता से पैदा किया जा सकेगा।

(ख) कुछ निजी पक्षों में चलने वाले 'ग्रेट स्ट्रोकर कारबोनाइजर प्लाँट' स्थापित किये हैं जिनमें से एक ने वाणिज्य उत्पादन आरम्भ कर दिया है। अन्य पक्षों ने भी इस क्रिया के प्रयोग में रुचि दिखाई है।

(ग) सरकार इस प्रक्रिया के विकास को स्पष्ट करके कोयला उद्योग के सामने लाई है और उसने उद्योग के साथ इस प्रक्रिया को अपनाने में आने वाली कठिनाइयों को हल करने के विषय में भी बातचीत की है। इस विषय पर कोयला विकास परिषद् की जौलाई 1967 के पहले हफ्ते में होने वाली बैठक में आगे बातचीत की जायेगी।

(घ) 40 टन प्रति दिन क्षमता का प्लांट लगाने पर लगभग 2 लाख रुपये तथा 150 टन प्रति दिन क्षमता वाला प्लांट लगाने पर लगभग 5 लाख रुपये पूंजी लागत आयेगी।

उत्पादन की लागत लगभग 30 रुपय प्रति टन आयेगी और इसका मूल्य प्लांट को दिये गये कोयले की लागत तथा दूसरे कारकों पर निर्भर होगा।

Trade with America

3479. **Shri K. M. Madhukar :**
Shri Shastri :
Shri Kameshwar Singh :

Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether it is a fact that great volume of trade is carried with America and other Western Countries not with-standing favourable trade conditions offered by the Soviet Union and several Socialist countries of East Europe;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether Government are taking steps to increase their trade with the Soviet Union and other East European Countries as compared to their trade with America, Britain and Western Countries; and

(d) if so, the nature thereof ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) Government is anxious to increase trade with all countries irrespective of regional or ideological considerations. The volume of trade with East European Countries has grown more rapidly in the last decade than with any other region in the world.

(b) Does not arise.

(c) As indicated in the answer to part (a), Government are taking steps to increase trade with all regions. As trade is carried on by state or State controlled monopolies in East European Countries, the bilateral agreements on balanced basis with Russia and other Socialist Countries facilitate increase of trade in an easier manner than in countries where market economies operate in entirty. The steps that are being taken to promote trade with East European Countries are, therefore, slightly different from the promotional measures taken inregard to other countries in the world. In fact, some of these measures can be used even in respect of market economies.

(d) Steps specially adapated for Russia and other Socialist Countries are :

(i) Participation in the International Trade Fairs in these countries in a big way and selective exhibition of our engineering products based upon the import requirements of these countries.

(ii) Exploration of possibilities of industrial co-operation which will result in two-way exchange of engineering goods and components and industrial raw materials.

(iii) Long-term trade arrangements for exchange of certain commodities.

(iv) Establishment of State Trading Corporation Offices in these countries.

(v) More effective participation of State Trading Corporation in the trade with these countries.

(vi) Visits by businessmen to explore the possibility of increasing our export in particular fields and to secure orders from the enterprises. Such visits are particularly encouraged to synchronise with the holding of trade fairs and exhibitions when technical salesmen will also be available for explaining the technical data regarding Indian manufactured goods.

Manufacture of Papar from Bagasse

3480. Shri K. M. Madhukar :
Shri R. Shastri :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Bagasse from sugar mills in Champaran goes waste as either people use it as fuel or it decays;

(b) whether Government have considered the possibility of manufacturing paper from Bagasse;

(c) if so, whether Government propose to set up a paper mill in Champaran in the public sector; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) Bagasee in this Country is mostly being used as fuel by sugar mills themselves. It is possible that some of it might be going waste.

(b) Yes, Sir.

(c) The possibilities of setting up a Paper Mill based on bagasse in U. P./Bihar are being explored.

(d) Does not arise.

इस्पात कारखाने

3481. श्री दी० चं० शर्मा : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में पांचवें और छटे इस्पात कारखाने स्थापित करने के बारे में योजना आयोग के सुझाव पर विचार कर लिया गया है, जिससे कि वे रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन द्वारा तैयार की जाने वाली क्षमता का प्रयोग कर सकें; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख) चौथी योजना अवधि में सरकारी क्षेत्र में इस्पात के नये कारखाने लगाने के प्रश्न पर अपेक्षित मांग और उपलब्ध साधनों को देखते हुये पुनर्विचार किया जा रहा है। सरकार का इरादा है कि जब कभी भी नये इस्पात कारखाने लगाने का फैसला किया गया तो हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में उपलब्ध सुविधाओं का अधिकाधिक उपयोग किया जाएगा।

पश्चिम रेलवे का बाह्य यातायात लेखा कार्यालय, दिल्ली

3482. श्री चक्रपाणि :
श्री नायनार :
श्री पं० गोपालन :
श्री नम्बियार :
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे के दिल्ली स्थित बाह्य यातायात लेखा कार्यालय में वर्ग 2 के क्लर्कों की वर्ग 1 क्लर्कों के पदों पर 20 नवम्बर, 1963 से आज तक कोई भी पदोन्नति नहीं की गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उत्तर रेलवे के दिल्ली स्थित यातायात लेखा कार्यालय में वर्ग 2 के क्लर्कों की वर्ग 1 के क्लर्कों के पदों पर 22 अक्तूबर, 1964 से आज तक कोई भी पदोन्नति नहीं की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) जी नहीं।

(ग) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

Termination of Services of Railway Employees.

3483. Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri ;

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the services of some Railway employees have been terminated during the last two years without giving any reasons;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the number of Station Masters and Assistaat Station Masters (Division and Railway-wise), whose services have been terminated under the Service Termination Orders ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes,

(b) In terms of service conditions.

(c) Nil.

सरकारी कम्पनियों तथा संविहित निगमों के बोर्डों में गैर-सरकारी व्यक्ति

3484. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की कम्पनियों तथा संविहित निगमों में काम कर रहे सभी गैर-सरकारी निदेशकों के नाम तथा उनकी योग्यताएं क्या हैं;

(ख) सरकारी उपक्रमों के इन गैर-सरकारी निदेशकों में से कितने व्यक्ति गैर-सरकारी क्षेत्र के व्यापार तथा उद्योगों के साथ भी सक्रिय रूप से सम्बद्ध हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बोर्डों में कितने भूतपूर्व अधिकारी तथा राजनीतिज्ञ हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

औद्योगिक लाइसेंस देना

3485. श्री रामगोपाल शालवाले :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री पार्थ सारथी :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री शिवचन्द्र झा :
श्री श्रीधरन :
श्री प० मु० सैयद :
श्री एस० एम० जोशी :
श्री मधु लिमये :
श्री वेदव्रत बरुआ :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री वि० ना० शास्त्री :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों में औद्योगिक लाइसेंस देने में किसी बड़े व्यापार-गृह के साथ अनुचित पक्षपात किये जाने के बारे में जांच कराने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह जांच किस स्तर पर की जायेगी; और

(ग) इसके निश्चित विचारार्थ विषय क्या होंगे ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) जी, हां, अन्य बातों के साथ-साथ इस बात की जांच करने के लिये कि क्या पिछले दस वर्षों में बड़े व्यापार गृहों को वास्तव में औद्योगिक लाइसेंस देने के मामले में अन्य आवेदन कर्ताओं से अनुचित लाभ दिया गया है, गैर-सरकारी व्यक्तियों का एक विशेषज्ञ नियुक्त करने का निर्णय किया गया है ।

(ग) इस समिति के निदेश पद विचाराधीन है ।

रेलवे कुलियों की समस्यायें

3486. श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री मधु लिमये :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर काम करने वाले कुलियों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिये एक अध्ययन दल नियुक्त किया गया है;

(ख) इस अध्ययन दल के निदेश पद क्या हैं; और

(ग) इस अध्ययन दल का प्रतिवेदन कब तक उपलब्ध होने की आशा है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Cultivation of land along the Railway Tracks

3487. Shri K. M. Madhukar :
Shri R. Shastri :
Shri Suraj Bhan :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to cultivate the land lying useless on both sides of the railway track;

(b) if so, whether proper arrangements would be made to ensure that the condition of such land does not deteriorate to the extent to which it has deteriorated in the State Farms; and

(c) whether the cultivation would be done on contract basis or by the Railway employees ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) to (c) Government do not propose to undertake the job of cultivating the surplus railway lands departmentally or

through contract basis. Out of the total cultivable lands of approximately 90,000 acres available with the Railways, 41,839 acres have already been handed over to the State Govts. for allotment to the cultivators and for the balance, Zonal Railways have been asked that in the case of cultivable lands between stations the owners of the adjoining fields may be permitted to cultivate them, and those within the stations by the railway staff, free of charge in both cases upto June, 1968.

चीन के साथ व्यापार

3488. श्री शिवचन्द्र झा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 1962 में चीन द्वारा भारत पर आक्रमण किये जाने के बावजूद अभी तक चीन के साथ कुछ व्यापारिक लेन देन हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर तथा किन करारों के अन्तर्गत ; और

(ग) क्या दोनों देशों के बीच व्यापार को और अधिक बढ़ाने के लिये चीन की ओर से अथवा भारत की ओर से कोई प्रस्ताव किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप–मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : यद्यपि 1962 से भारत तथा चीन के बीच व्यापार काफी अधिक सीमा तक रुका हुआ है, फिर भी कुछ आयात-निर्यात सौदे हुए हैं, जिनके आंकड़े नीचे दिये जा रहे हैं :

(हजार रु० में)

वर्ष	चीन से आयात	चीन को भारत से निर्यात
1963	1342	नगण्य
1964	236	44
1965	64	5
1966	1	नगण्य

आयात के सौदे या तो पहले खोले गये ऋण-पत्रों के कारण हुए अथवा कुछ डाक-सौदे हुए । चीन को भारत से निर्यात के सम्बन्ध में भी ऐसा ही हुआ ।

(ख) दोनों देशों के बीच फिर से व्यापार शुरू करने के लिये चीन की ओर से भारत सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है और परिणामस्वरूप इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है ।

Express and Mail Trains Running Between Itarsi and Bombay.

3489. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that third class compartments of Express and Mail trains running between Itarsi and Bombay are so over-crowded as to cause suffocation ;

(b) if so, whether Government propose to convert Janata Express at present running between these stations twice a week into a daily service; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Some over-crowding exists on Bombay-Itarsi section in Mail/Express trains.

(b) and (c) Increase in frequency of 41 Dn./42 Up Bombay-Howrah bi-weekly Janata Expresses is not, at present, operationally feasible for want of line capacity on sections enroute. Works for augmenting line capacity have, however. been programmed and some are in progress. When these are completed, increasing the frequency of the Janata Express will be considered, depending on engine and coaching stock position. Meanwhile the Dieselisation of the Punjab Mails, which is under consideration from 1st October, 1967, will permit augmentation of its load and afford some relief.

Production of Handloom Cloth in Madhya Pradesh

3490. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) the total length of handloom cloth produced in Madhya Pradesh during 1966-67 ;

(b) the total length of cotton cloth produced during the said period ; and

(c) the total amount sanctioned to Madhya Pradesh for the development of handloom industry in the state during the said period ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Shafi Qureshi) : (a) about 21.6 million metres.

(b) 7,305 million metres.

(c) Rs. 534,000

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड

3491. श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, चीफ इंजीनियर टेकनीकल, चीफ इंजीनियर सिविल, तथा हैवी पावर इक्विन्ट प्लांट के वर्क्स मैनेजर वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कारखाने से 20 मील दूर बसे कस्बे में रहते हैं और उन्हें मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिकर भत्ता दिया जाता है हालांकि कारखाने के पास उनके लिये काफी रिहायशी मकान है ;

(ख) यदि हां तो उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जाने के क्या कारण हैं जबकि निम्न श्रेणियों के कर्मचारियों को कारखाने के पास ही रहना पड़ता है; और

(ग) इस कारखाने के अधिकारियों पर विमान यात्रा के लिये क्या नियम लागू होते हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) इस समय जनरल मैनेजर, वर्क्स मैनेजर, चीफ इंजीनियर(सिविल) तथा चीफ इंजीनियर

(टेकनीकल) नगर में रहते हैं। जनरल मैनेजर और चीफ इंजीनियर (सिविल) को मकान किराया भत्ता नहीं मिलता है। जनरल मैनेजर के लिये क्वार्टर बनाया जा रहा है। ऊंची श्रेणी के अलाटमेंट में, जिनमें से सभी एलाट कर दिये गये हैं, विदेशी विशेषज्ञों तथा इस कम्पनी के नियमित कर्मचारियों को प्राथमिकता दी गई है। वर्तमान चीफ इंजीनियर (सिविल) चीफ इंजीनियर (टेकनीकल) तथा वर्क्स मैनेजर को, जो सभी प्रति नियुक्ति पर हैं, अपनी निजी आवास व्यवस्था जारी रखने की अनुमति दी गई है।

(ग) 1600 रुपये अथवा उससे अधिक मासिक वेतन पाने वाले अधिकारियों को अपनी इच्छा के अनुसार विमान से यात्रा करने की अनुमति है।

1600 रुपये से कम और 1300 रुपये और उससे अधिक वेतन पाने वाले इन शर्तों पर विमान से यात्रा कर सकते हैं : (क) यदि प्रस्तावित यात्रा की दूरी 800 किलोमीटर से कम न हो और वहां एक दिन में रेल द्वारा न जाया जा सके। (ख) हवाई अड्डा सबसे छोटे मार्ग में पड़ता हो और वहां पर रेल द्वारा पहुँचने में चक्करदार मार्ग न हो। (ग) विमान से यात्रा करने से पर्याप्त संख्या में कार्य दिवस बचें।

अन्य कर्मचारी विशेष मामलों में तभी विमान से जा सकते हैं जबकि सक्षम अधिकारी यह प्रमाणित करे कि इस दौरे का प्रयोजन अत्यन्त आवश्यक है और विमान से यात्रा करना कम्पनी के हित में अत्यावश्यक है।

Railway Bridge on S. E. Railway

3492. Shri Bramhanandji :
Shri Jagannah Rao Joshi :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the people of Telghani Naka in Raipur on the South-Eastern Railway have sent representation to Government regarding the construction of a bridge near that place as reported in 'the Nav Bharat Times' dated the 1st June, 1967 ;

(b) whether it is a fact that the South-Eastern Railways authorities have given an assurance regarding the construction of the bridge a number of times ;

(c) if so, the reasons for not constructing the bridge so far ; and

(d) the time by which this work is likely to be completed ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : References have been received from time to time from the State Government/Local Municipality and the Public for construction of a road overbridge in replacement of Telghani-Naka level crossing at the west end of Raipur Station.

(b) and (c) Under the extant rules the Rilways undertake construction of road over/underbridges in replacement of busy level crossings provided the schemes are sponsored by the State Government and provided also the State Government/Road authority agree to bear their share of the cost.

In this particular case, the Railways have all along agreed according to the rules to construct at their cost the bridge proper for an over-bridge in replacement of this level

crossing provided the Road authorities simultaneously construct the road approaches at their cost. The State Government, however, have not made any firm proposal so far for the road overbridge, presumably because on account of the heavily built up areas in the vicinity, the construction of road approaches, would cost a heavy amount. As soon as the State Government make a firm proposal for construction of this road over-bridge and are in a position to take up the construnction of the approaches, the Railway would be prepared to take up the work on the bridge proper.

(d) Does not arise :

विमान से राजस्थान का सर्वेक्षण

3493. **श्री राम गोपाल शालवाले :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **इस्पात खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका ध्यान राजस्थान विधान सभा में लगाये गये इस आशय के आरोपों की ओर दिलाया गया है कि अमरीकी कम्पनी का विमान, जो हवाई सर्वेक्षण कर रहा था सीमा के सामरिक महत्व के क्षेत्रों की ओर उड़ गया था ;

(ख) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार का ध्यान राजस्थान विधान सभा में जनसंघ पार्टी के नेता भैरोंसिंह के स्थगन प्रस्ताव पर 1-6-67 को की गई बहस की ओर दिलाया गया है । यह प्रस्ताव सीमांत क्षेत्र में पाकिस्तानी हवाई जहाज की जासूसी कार्यकलापों तथा भारत की हवाई सीमा के उलंघन के विषय में था। अमरीकी कम्पनी जो हवाई सर्वेक्षण कार्य की इनचार्ज थी, के हवाई जहाज के विषय में लगाये गये आरोप निराधार हैं । अभी तक राजस्थान में हवाई सर्वेक्षण कार्य आरम्भ नहीं हुआ है। इस प्रयोजन के लिए जिस अमरीकी कम्पनी को ठेका दिया गया है, वह अभी तक भारत में कोई हवाई जहाज नहीं लाई है ।

Cement Factory in Madhya Pradesh

3494. **Shri Bramhanandji :**
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Indhstrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government have issued a licence to Birla Brothers for setting up a cement factory at Patharia, District Damoh (Madhya Pradesh);

(b) if so, when the construction work of that factory would be completed; and

(c) the proposed production capacity of that factory ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmad): (a) to (c) In November, 1964, a latter of intent had been issued to Birla Jute Manufacturing Co. Ltd., valid for a period of six months (later extended up 31-12-65) for setting

up a cement factory at Patharia with an annual capacity of 200,000 tonnes. Cement industry has since been exempted from the licensing provisions of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, with effect from 13th May, 1966 and it is no longer necessary for any one to obtain a licence for setting up cement factories or to seek extension of validity of old letters of intent. No progress has been reported by Birla Jute Manufacturing Company Limited.

Accident at Bina Station

3495. Shri Bramhanandji :
Shri Jagannath Rao Joshi:
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a railway train met with an accident at Bina Station, Central Railway, as a result of which one person was killed and two others injured as reported in the "Nav Bhart Times" dated the 31st May, 1967;

(b) if so, the causes of the accident;

(c) the loss of life and property caused thereby; and

(d) the action taken in regard thereto ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Pooncha) : (a) and (c) Presumably the reference is to the accident in which Up Sectional and Transhipment Express Goods train derailed after entering the sand hump siding at Sumreri station on the Bina-Katni Section of Central Railway on 29-5-1967. In this accident the driver of the train was killed and the two firemen and guard of train sustained minor injuries. The cost of damage to railway property was estimated at approximately Rs, 1,81,150/-.

(b) The cause of the accident is under investigation,

(d) On finalisation of the cause of the accident suitable action will be taken.

सरकारी क्षेत्र की कोयला खानें

3496. श्री कामेश्वर सिंह :
श्री श्रीधरन :
श्री क० मि० मधुकर :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 में सरकारी क्षेत्रों की कोयला खानों के अधुनिकीकरण के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) इस कार्य में यदि विदेशी मुद्रा खर्च हुई है तो कितनी ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

जापान को कोंकिंग कोयले का निर्यात

3497. श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जापान को 2 लाख 50 हजार मीट्रिक टन कोकिंग कोयले का निर्यात करने का है;

(ख) जापान के सम्भावित आयातकों के साथ बातचीत अब किस स्तर पर हो रही है;

(क) क्या अकेले खनिज तथा धातु व्यापार निगम को ही कोकिंग कोयले के निर्यात का अधिकार दिया गया है अथवा क्या गैर-सरकारी उत्पादकों को भी इसकी सम्भावनाओं की खोज करने तथा कोकिंग कोयले का निर्यात करने का अधिकार दिया गया है; और

(घ) कोकिंग कोयले के निर्यात को बढ़ाने के लिये क्या प्रोत्साहन सुविधाएं दी जा रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जापान को 2.5 लाख मे० टन कोकिंग कोयले के निर्यात की व्यावहारिकता अब भी विचाराधीन है ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

कोयला लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध

3498. श्री गं० चं० दीक्षित : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झांसी के उत्तर में स्थित मध्य प्रदेश के कोयला क्षेत्रों से कोयले को इधर-उधर ले जाने पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन आया है; और

(ख) यदि हां तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) चूंकि कटनी-बीना-कोटा खण्ड से उत्तर की ओर के गंतव्य स्थानों को कोयला सप्लाई करने का युक्तिसंगत और योजनाबद्ध स्रोत बंगाल/बिहार का कोयला क्षेत्र है, इसलिए यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सका ।

युक्तिकरण की जो योजना लागू है उसके विपरीत किसी तरह के तदर्थ संचलन से संचलन की वर्तमान प्रणाली, जिसके लिए क्षमता विकसित की जा चुकी है, अस्त-व्यस्त हो जायेगी । इससे लाइन क्षमता बेकार हो जायेगी और कठिन मार्गों पर कोयले का दुतरफा संचलन होने लगेगा जिससे बचा जा सकता है ।

कोयला विकास परिषद् की परिवहन, वितरण और नियंत्रण समिति के अधीन गठित उप समिति ने कोयले के संचलन पर लगायी गयी वर्तमान पाबन्दियों की जांच करने के लिए पहले ही एक उप समिति बना रखी है । उसकी सिफारिशों की प्रतिक्षा की जा रही है ।

कटनी-सिंगरोली-चोपन रेलवे लाइन

3499. श्री गं० च० दीक्षित : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कब तक कटनी सिंगरोली-चोपन रेलवे लाइन का निर्माण कार्य पूरा होने तथा यातायात के लिये वह लाइन खुल जाने की सम्भावना है ? और

(ख) चोपन और सिंगरोली कोयला क्षेत्रों के बीच के रेलवे सैक्शन का काम कब तक पूरा होने तथा यातायात के लिये खुल जाने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय सिंगरोली के रास्ते कटनी से ओवरा तक की रेलवे लाइन से है । ओवरा-सिंगरोली खण्ड का काम 1.10.68 तक समाप्त करने का कार्यक्रम है, जबकि सिंगरोली-कटनी भाग को 31.3.70 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है ।

आंध्र प्रदेश में औद्योगिक एकक

3500. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के अन्नतपुर, करनूल चित्तूर और कुडपा जिलों में चिरकालिक अकाल तथा सूखे की स्थिति को दृष्टि में रखते हुए सरकार का बेरोजगारी तथा लोगों का कष्ट दूर करने के लिये इन क्षेत्रों में कुछ औद्योगिक एकक स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ।

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

कपड़े का मूल्य

3502. **श्री मधु लिमये :**
श्री रवि राय :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री एस० एम० जोशी :
श्री सोक्वेरा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने कृपा की करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक ही किस्म तथा नम्बर के धागे से विभिन्न मिलों द्वारा बनाये गये कपड़े के जिन पर नियंत्रण है, मूल्य भिन्न-भिन्न निर्धारित किये जाते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि बिड़ला मिलों द्वारा बनाये गये कपड़े के नियंत्रित मूल्य टाटा, वाडिया तथा मफतलाल आदि मिलों में बने हुए उसी किस्म के कपड़े के नियंत्रित मूल्यों की अपेक्षा अधिक होते हैं;

(ग) इन मिल-समूहों के कपड़ों के मूल्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो मूल्यों में अन्तर होने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) एक सी गुण विशिष्टियों और निर्माण विधि के अनुसार बने हुए नियंत्रित कपड़े के कारखाने से चलते समय के अधिकतम मूल्य समान होते हैं, चाहे उनका

बनाने वाला कोई भी हो, जब तक कि कोई निर्माता निर्धारित मूल्य से कम मूल्य स्वयं न छापना चाहे ।

तुर्की में व्यापार मेला

3503. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त-सितम्बर, 1967 में तुर्की में एक अन्तराष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित किया जायेगा;

(ख) क्या सरकार इस मेले में भाग ले रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) लगभग 15,000,00 रुपये की विदेशी मुद्रा तथा 25,000 रुपये की भारतीय मुद्रा ।

हासपेट में लौह अयस्क के निक्षेप

3504. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या, **इस्पात खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बेंगलोर में हासपेट क्षेत्र में लोह अयस्क के निक्षेपों का पता लगाने के लिये सर्वेक्षण किया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

इस्पात खान तथा धातु मंत्री (श्री चन्ना रेड्डी) : (क) हां महोदय ।

(ख) 1964 में व्यधन द्वारा रमनदुर्ग तथा दोनामलाई में कच्चे लोहे के विस्तृत अन्वेषण किये गये थे । रमनदुर्ग क्षेत्र में अयस्क के अस्थाई संचयों का अनुमान 330 मिलियन टन लगाया गया है । अयस्क का अनुमानित रसायनिक गठन है–63 से 64 प्रतिशत लोहा, 1 से 2 प्रतिशत सिलीका, 2 से 3 प्रतिशत एल्यूमिना, .08 से .09 प्रतिशत फास्फोरस । दोनामलाई खण्ड का कार्य प्रगति कर रहा है ।

उड़ीसा में पटसन की मिलें

3505. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में सहकारी क्षेत्र में एक पटसन मिल स्थापित करने की योजना सरकार द्वारा स्थगित कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) उड़ीसा में सहकारी पटसन मिल की स्थापना करने की सरकार की कोई योजना नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हुबली से रेलगाड़ियों का विलम्ब से प्रस्थान

3506. श्री अगाडी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 जून, 1967 को बंगलौर–पूना एक्सप्रेस टी० नम्बर 203 और हुबली–गन्टूर रेलवे पैसेन्जर. टी० नम्बर 222 हुबली से लगभग 100 मिनट देरी से रवाना हुई थी;

(ख) क्या उपर्युक्त दोनों महत्वपूर्ण रेलगाड़ियां इंजनों में पानी लने के कारण देरी से चली थी;

(ग) पिछले कुछ दिनों से हुबली में पानी की सप्लाई कम हो रही है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए क्या पूर्वोपाय किये गये हैं ताकि ये रेलगाड़ियां ठीक समय पर चल सकें; और

(घ) क्या यह भी सच है कि रेलगाड़ियां तैयार करने में हमेशा विलम्ब हो जाता है तथा उन्हें उनके छूटने के निर्धारित समय से कुछ ही मिनट पहले और कभी कभी तो बाद में, विशेष कर दक्षिण मध्य रेलवे के हुबली स्टेशन पर, प्लेटफार्म पर लाया जाता है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) पानी की कमी केवल अस्थाई थी और इसका कारण यह था कि नगरपालिका के पानी के मुख्य पाइप जिनसे हुबली स्टेशन पर रेलवे की जरूरत का अधिकतर पानी मिलता है, फट गये थे। पानी देने की रेलवे की अपनी व्यवस्था का इस्तेमाल करके और कुछ इंजनों को पास के धारवाड़ स्टेशन से पानी दिला कर गाड़ियों को चालू रखा गया।

(घ) हुबली और अन्य स्टेशनों से चलने वाली गाड़ियों के रेक सामान्यतः काफी समय रहते प्लेटफार्म पर लगा दिये जाते हैं। देर से चलने वाली अधिक महत्वपूर्ण गाड़ियों को रास्ता देने के कारण अथवा, दुर्घटनाओं या खराब डिब्बों के बदलाव आदि के फलस्वरूप जब प्लेटफार्म खाली नहीं रहता, केवल उसी हालत में रेकों को प्लेटफार्म पर लगाने में देर हो जाती है, जो अपरिहार्य है।

नेपाल के साथ संयुक्त व्यापार कारोबार

3507. श्री यज्ञ दत्त शर्मा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल सरकार ने भारतीय व्यापारियों के साथ मिल कर संयुक्त व्यापार कारोबार करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो यह मामला इस समय किस स्थिति में है;

(ग) क्या नेपाल के साथ भारतीय व्यापारियों के कोई संयुक्त कारोबार पहले भी चल रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) नेपाल की महामहिम सरकार और भारत सरकार के प्रतिनिधियों के मध्य काठमाडू में, दिसम्बर, 1966 में हुई व्यापार वार्ता के दौरान नेपाल के उद्योगीकरण की प्रक्रिया में सहायता देने हेतु एक संयुक्त औद्योगिक सहकारी परिषद् के गठन सम्बन्धी प्रस्ताव पर भी विचार विमर्श हुआ और यह तय हुआ कि ऐसी परिषद की स्थापना यथाशीघ्र की जाये। परिषद को विचारार्थ जिन विषयों को सौंपने का प्रस्ताव है उनमें अन्य बातों के साथ साथ, अपने अपने औद्योगिक विकास निगमों के मध्य सहयोग और व्यावहारिकता अध्ययन तथा प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार करना भी शामिल है। परिषद् के विचारार्थ विषय नेपाल की महामहिम सरकार के परामर्श से तैयार किये जा रहे हैं।

(ग) और (घ) भारतीय उद्योगपतियों ने पहले ही अपने आप नेपाल में ऊनी धागे तथा कत्थे के निर्माण के लिये उद्योग स्थापित किये हैं। संयुक्त उद्यम के रूप में एक सूती कपड़ा मिल की भी स्थापना की जा रही है। इस प्रयोजन के लिये तीन करोड़ रु० (नेपाली मुद्रा) की प्राधिकृत पूंजी से एक सार्वजनिक सीमित समवाय गठित किया गया है। प्रस्तावित मिल की उत्पादन क्षमता लगभग 11000 गांठें होगीं तथा आशा है कि इसकी खपत नेपाल में ही हो जायेगी।

पंजाब में उद्योगों की स्थापना

3508. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने पंजाब में कुछ उद्योग स्थापित करने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार ने किन किन उद्योगों की स्थापना के सुझाव दिये हैं; और

(ग) इनके बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पंजाब का रेशेदार धागा उद्योग

3509. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा आयात सहायता योजना वापस ली जाने के कारण पंजाब के रेशेदार धागा (स्टेपल धागा) उद्योग को भारी धक्का लगा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अमृतसर और लुधियाना के कपड़ा मिल मालिकों ने इसके बारे में केन्द्रीय सरकार को अभ्यावेदन दिये हैं; और

(ग) इस सीमान्त राज्य में इस उद्योग को बचाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) : अवमूल्यन से उत्पन्न तथा सभी निर्यात संवर्द्धन योजनाओं के समाप्त कर दिये जाने के परिणामस्वरूप नकली रेशम के वस्त्रों के लिए पुरानी निर्यात संवर्द्धन योजना समाप्त कर दी गई है। उस योजना के अन्तर्गत नकली रेशम के निर्यातकों को नकली रेशम के धागे (संश्लेषित नायलन धागा) के आयात की अनुमति दी जाती थी जो उनके निर्यात के जहाज पर माल पहुँचाने तक के मूल्य के 70 प्रतिशत तक होती थी। इसके परिणामस्वरूप संश्लेषित धागे (नायलन धागा) की उपलब्धि में कुछ कमी हो गई है। देश में सैलूलोस विस्कोस तन्तु धागे तथा स्टेपल रेशे के धागे का उत्तरोत्तर उत्पादन बढ़ रहा है और यह आन्तरिक मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त है। सरकार को पंजाब तथा देश के अन्य भागों के नकली रेशम बुनाई उद्योग से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें ये शिकायतें की गई हैं कि नकली रेशम के धागे के अधिक मूल्य का नकली रेशम वस्त्रों के बहुत से शक्तिचालित करघा निर्माताओं पर प्रभाव पड़ा है और इससे स्थापित कारखानों की क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पा रहा है अथवा कुछ छोटे कारखाने बन्द भी हो गए हैं। पंजाब सरकार ने सुझाव दिया है कि एक समिति को, जिसमें सरकार, कत्तिनों तथा बुनकरों के प्रतिनिधि हों, कत्तिनों के लागत–ढांचे का अध्ययन करना चाहिए, जिससे उन उचित मूल्यों का पता लग सके जिन पर बुनाई उद्योग को धागा बेचा जाना चाहिए।

सरकार बुनाई उद्योग की कठिनाइयों से परिचित है और उनकी सहायता करने के लिए 4.5 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा नियत करवाई गई है जो संश्लेषित धागे के आयात के लिए विदेशी ऋणों के साथ सम्बद्ध होगी। यह आयात राज्य व्यापार निगम द्वारा किया जायेगा। ऋणों से सम्बद्ध होने के कारण, आयात में कुछ विलम्ब हो गया है। तब से जापान तथा पश्चिमी जर्मनी के साथ लगभग 1 करोड़ रु० के मूल्य के संश्लेषित धागे के संभरण के लिए एक संविदा राज्य व्यापार निगम द्वारा की जा चुकी है और जुलाई के अन्त तक माल के देश में पहुँच जाने की सम्भावना है। स्थानिक देशी धागे के मूल्य देश में उत्पादित तथा आयातित संश्लेषित धागे की उपलब्धि से सम्बद्ध है। जब आयातित संश्लेषित धागा पहुँचना शुरू हो जायेगा तब ऐसी आशा है कि देश में उत्पादित विस्कोस तथा स्टेपल रेशे के धागे के मूल्य भी उचित स्तरों पर आने लगेंगे। आशा है कि आगामी कुछ महीनों में बुनाई उद्योग को उचित मूल्यों पर धागा उपलब्ध हो सकेगा।

कत्तिनों के लागत ढांचे के अध्ययन तथा बुनाई उद्योग को धागे के उचित बिक्री मूल्य के निर्धारित करने के लिए कत्तिनों, बुनकरों तथा सरकार के प्रतिनिधियों की एक समिति का जो सुझाव है, उसके विषय में स्थिति यह है कि यह भी रेयन तथा संश्लेषित रेशे एवं धागे पर लगाये गये नये उत्पादन शुल्कों से सम्बन्धित है और इसकी पहले से ही जांच की जा रही है।

पाकिस्तानी यात्रियों द्वारा फीरोजपुर स्टेशन पर जाली नोटों का प्रयोग किया जाना

3510 श्री यज्ञदत्त शर्मा : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस समाचार पत्र में छपे आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तानी यात्रियों के एक दल ने फीरोजपुर स्टेशन पर रेलवे अधिकारियों को 100,100 रुपये के जाली नोट देकर ठग लिया था; और

(ख) यदि हां, तो इस समाचार के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) : फिरोजपुर छावनी के सरकारी रेलवे पुलिस स्टेशन के सब डिवीजनल अफसर से प्राप्त 16-5-1967 की एक रिपोर्ट के अनुसार 48 पाकिस्तानी तीर्थयात्रियों की एक टोली 10-5-67 को लगभग 17.30 बजे हुसैनीवाला जांच चौकी के रास्ते भारतीय क्षेत्र में दाखिल हुई। इस टोली के पास समुचित पारपत्र थे और कोई सैयद जियाउद्दीन अहमद इसके मुखिया थे। श्री अहमद ने अपने एक साथी श्री गुलाम कादर को 200 पाकिस्तानी रुपये भारतीय मुद्रा में बदलवाने के लिए दिये। श्री कादर ने फिरोजपुर के निवासी श्री ब्रजमोहन और श्री अमरनाथ से 200 पाकिस्तानी रुपयों को 240 भारतीय रुपयों में बदलवा लिया। इनमें 100-100 रुपये के 2 जी०सी० नोट भी थे। टोली के एक सदस्य श्री अब्दुल अजीज ने फिरोजपुर छावनी के टिकट बाबू से 141 रुपये 60 पैसे मूल्य के 48 टिकट खरीदे। उसे 58 रुपये 40 पैसे लौटाये गये। बाद में जांच करने पर टिकट बाबू को मालूम हुआ कि दोनों जी० सी० नोट जाली हैं और इसकी सूचना उसने तार द्वारा लुधियाना के रेल कर्मचारियों को दे दी।

सरकारी रेलवे पुलिस के सब-डिवीजनल अफसर ने जहांकलां, जिला होशियारपुर में सैयद जियाउद्दीन अहमद, श्री अब्दुल अजीज और श्री गुलाम कादर से पूछताछ की और उन्होंने जो तथ्य बताये, वे संक्षेप में ऊपर दिये गये हैं।

पुलिस ने फिरोजपुर के निवासी श्री बृजमोहन, श्री अमरनाथ और श्री धर्म मित्र को रोक लिया है। ये लोग हुसैनीवाला में मुद्रा विनिमय का कारोबार करते हैं और इनके बारे में कहा गया है कि पाकिस्तानी टोली को दो जाली जी० सी० नोट इन्होंने दिए। पुलिस द्वारा आगे जांच-पड़ताल जारी है।

बागान जांच आयोग

3511. **श्री ज्योतिर्मय बसु** :
श्री कं० हाल्दर :
श्री चक्रपाणि :
श्री भगवान दास :
श्री नायनार :
श्री रमानी :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी समितियां बनाने के बारे में राजा राम राव बागान जांच आयोग 1956 की सिफारिशों का अध्ययन किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या निर्णय दिये हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) बागान जांच आयोग की सिफारिश कार्यान्वयन के लिए चाय बोर्ड को भेज दी गई थी। अभी तक ऋण सहायता तथा अन्य अनुदानों से 6 सहकारी कारखाने मद्रास में, एक केरल में और एक हरियाणा में स्थापित किए गए हैं।

चाय बोर्ड

3512. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री कं० हाल्दर :
श्री नायनार :
श्री भगवान दास :
श्री चक्रपाणि :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में कलकत्ता स्थित चाय बोर्ड के प्रधान कितनी बार दिल्ली आये हैं;

(ख) उक्त अवधि में उन्होंने दिल्ली के दौरों के लिए यात्रा तथा दैनिक भत्ते के रूप में कितनी राशि ली है;

(ग) उक्त अवधि में उन्हें अन्य स्थानों के दौरों के लिए यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते के रूप में कितनी राशि दी गई; और

(घ) ऐसे दौरों के क्या कारण हैं तथा इनसे क्या लाभ हुआ है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) 1966–67 में बारह बार।

(ख) दैनिक भत्ते तथा प्रासंगिक प्रभार —1680 रु०
चाय बोर्ड द्वारा दिया गया विमान तथा रेल किराया —6176 रु०

(ग) दैनिक भत्ते तथा प्रासंगिक प्रभार —917 रु०
विमान तथा रेल किराया दिया गया —3640 रु०

(घ) दिल्ली में अध्यक्ष के दौरे वाणिज्य, वित्त और खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालयों में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न बैठकों तथा वार्ताओं में शामिल होने के लिए हुए थे। भारत में अन्य स्थानों पर उनके दोरे चाय बोर्ड के अध्यक्ष की हैसियत से चाय व्यापार के सम्बन्ध में विभिन्न बैठकों में शामिल होने के लिए हुए थे।

अध्यक्ष ने दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर अपने कार्यालय कर्तव्यों के निष्पादन करने के लिए दौरे किए थे। ऐसे दौरों से चाय उद्योग से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों में शीघ्र विचार तथा कार्यवाही करने में सहायता मिलती है।

बिना टिकट यात्रा

3513. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री कं० हाल्दर :
श्री चक्रपाणि :
श्री नायगर :
श्री भगवान दास :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में बिना टिकट यात्रा के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या पर्याप्त संख्या में टिकट निरीक्षक (टी०टी०) नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या टिकट निरीक्षकों (टी०टी०) को कोई विशेष प्रोत्साहन दिया जायेगा; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) पिछले पाँच वर्षों में बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गये यात्रियों के तुलनात्मक आंकड़े इस प्रकार हैं—

1962–63	1963–64	*1964–65	*1965–64	*1966–67
80,63,743	90,06,051	63,84,525	65,46,482	68,81,113

(ख) और (ग) : रेलों में टिकटों की जांच करने वाले कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त है; अतिरिक्त कर्मचारी भर्ती करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) : टिकटों की जांच करने वाले जो कर्मचारी प्रशंसनीय कार्य करते हैं उन्हें नकद पुरस्कार और प्रशंसात्मक प्रमाण-पत्र पहले से दिये जा रहे हैं।

*बिना टिकट यात्रियों के आंकड़ों में उन मामलों को शामिल किया जाता है, जिनमें यात्रियों से अधिक जुर्माना लिया गया हो। उत्तर और पूर्वोत्तर रेलें पहले उन मामलों को, जिनमें कम जुर्माना लिया गया हो, तथा अन्य मामलों को भी, इन आंकड़ों में शामिल कर लेती थीं। 1964–65 से ये रेलें ऐसे मामले को शामिल नहीं करतीं।

मध्यप्रदेश में लघु उद्योग

3514. श्री गा० शं० मिश्र : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात और सीमेंट पर से नियन्त्रण हटा लिये जाने पर भी लघु उद्योगों को इस्पात, सीमेंट और टीन के रूप में आवश्यक कच्चा माल आसानी से नहीं मिलता;

(ख) उद्योगों को चलाने के लिए कच्चा माल प्राप्त करने में कठिनाई होने के कारण कितने उद्योगों के बन्द होने का खतरा है; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क)से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

Sale of Indian Steel at World Markets

3515. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 691 on the 26th May, 1967 and state ;

(a) whether Government have to suffer a loss by selling steel in the world markets at the rate at which other advanced countries do; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in The Ministry of Steel Mines and Metal (Shri P. C. Sethi) : (a) Government give financial assistance for the export of steel,

(b) The f. o. b. realisations of the exporters based on the competitive international prices are less the domestic prices ,

आसाम में चाय बागान

3516. **श्री वि० ना० शास्त्री** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में आर्थिक दृष्टि से अलाभप्रद चाय बागानों को, जो बन्द हो चुके हैं अथवा शीघ्र ही बन्द होने वाले हैं, चलाने के लिये एक निगम बनाने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रेलवे की भूमि

3517. **श्री वि० ना० शास्त्री** :
श्री सूरज भान :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के पास कुल कितने एकड़ कृषि–योग्य भूमि है ;

(ख) उसमें से कितने प्रतिशत भूमि जोतने के लिए पट्टे पर दी गई ;

(ग) रेलवे अधिकारियों ने 1965–66 में पदाधिकारियों से कितनी राशि राजस्व अथवा किराये के रूप में वसूली की ; और

(घ) क्या रेलवे का विचार इस प्रकार उपलब्ध भूमि को जोतने के लिये किसानों की एक टोली बनाने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) लगभग 90,000 एकड़ ।

(ख) लगभग 60,000 एकड़ जो कि 67 प्रतिशत आता है ।

(ग) 4.07 लाख रुपये ।

(घ) जी नहीं । फिर भी क्षेत्रीय रेलों से कहा गया है कि रेलवे की जो फालतू जमीन स्टेशनों के बीच में पड़ती है, उस पर निकटवर्ती खेतों के मालिकों को तथा स्टेशन की

परिसीमा में पड़ने वाली जमीन पर रेल कर्मचारियों को जून, 1968 तक निःशुल्क खेती करने की अनुमति दे दी जाये।

सिलीगुड़ी से जोगीघोपा तक बड़ी रेलवे लाइन

3518. श्री वि० ना० शास्त्री : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में सिलीगुड़ी से जोगीघोपा तक बड़ी रेलवे लाइन का निर्माण-कार्य पूरा हो चुका है ;

(ख) यदि हां, तो यह लाइन यात्री गाड़ियों के लिये कब खोल दी जायेगी ; और

(ग) क्या जोगीघोपा से पंचरात्र तक ब्रह्मपुत्र नदी में रेलवे नौका चलाने का प्रस्ताव है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) : सिलीगुड़ी से जोगीघोपा तक नयी बड़ी लाइन का निर्माण-कार्य पूरा हो चुका है और 1.1.1966 से इसे यात्री यातायात के लिए खोल दिया गया है।

(ग) इस तरह का कोई विचार नहीं है।

Announccments at Delhi Junction

3519. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Prakash Vir Shastri ;
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Dr. Surya Prakash Puri :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that at Delhi Junction announcement is made about two times a day to the effect that the sleeping coach or the II class compartment would not be attached to a particular train on that day and the passengers should, therefore, take the refund of their fare ;

(b) whether it is also a fact that the said announcement is made only 20 to 25 minutes before the departure of the train; and

(c) whether Government are aware that much inconvenience is caused to the passengers as a result of the said sudden announcement and the steps taken by Government to remove it ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) Yes. Such announcements are made whenever a coach is damaged and cannot be despatched by the train.

(b) Such as announcement are made as early as possible and as soon as the information regarding not-availability of coach is received. Since most of passengers come to the station only 20 to 25 minutes before the departure of the train, such announcements are made more frequently during that period.

(c) Yes. Arrangements are made to provide alternative accommodation to the passengers as far as possible.

गांधीगंज (दक्षिण मध्य रेलवे) के निकट उपरि पुल

3520. श्री नारायण रेड्डी : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार दक्षिण मध्य रेलवे के निजामाबाद शहर में गांधीगंज के निकट रेलवे लाइन पर एक उपरि पुल बनाने की किसी योजना पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसका निर्माण आरम्भ करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) : रेलें व्यस्त समपारों के बदले रेलवे लाइन के ऊपर या नीचे सड़क-पुलों का निर्माण करती हैं, बशर्ते योजनाएं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित की जायें और बशर्ते राज्य सरकार या सड़क प्राधिकारी वर्तमान नियमों के अनुसार लागत के अपने हिस्से का खर्च देने के लिए सहमत हो।

निज़ामाबाद शहर में गांधीगंज स्थित समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल बनाने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार की ओर से अभी तक कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है। जब राज्य सरकार इस तरह का प्रस्ताव करेगी और बतायेगी कि वह किस वर्ष लागत के अपने हिस्से की व्यवस्था कर सकेगी तथा पहुंच-मार्गों का निर्माण शुरू करेगी, तब रेलवे पुल के ढांचे के निर्माण के लिए तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करेगी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

निजामाबाद रेलवे स्टेशन

3521. श्री नारायण रेड्डी : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने काचिगुडा-मनमाड मीटर गेज लाइन पर निजामाबाद रेलवे स्टेशन पर विश्राम-कक्ष बनाने तथा पहले और दूसरे दर्जे के प्रतीक्षालयों को बड़ा करने के बारे में कोई प्रस्ताव तैयार किया है ;

(ख) क्या पहले और दूसरे दर्जे के प्रतीक्षालयों में पूति कुण्डों (सेप्टिक टैंकों) से चलने वाले शौचालय बनाने का भी प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित निर्माण-कार्यों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं। इस सम्बन्ध में मंडलीय रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समिति में एक प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया था, लेकिन जांच करने पर इसका औचित्य नहीं पाया गया।

(क) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

निजामाबाद से वारंगल तक रेल लाइन

3522. श्री नारायण रेड्डी : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) निजामाबाद से करीमनगर होकर वारंगल तक प्रस्तावित नई रेलवे लाइन बनाने का काम अब किस अवस्था में है ;

(ख) क्या यह योजना चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में नयी लाइनों से सम्बन्धित प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। लेकिन, राज्य सरकार ने भी इस लाइन को चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में बनाने की सिफारिश नहीं की है और धन की कमी के कारण रेलों की चौथी पंचवर्षीय योजना में इसके शामिल किये जाने की बहुत कम संभावना है।

पांडिचेरी में लाइसेंस जारी किया जाना

3523 श्री राममद्र नायडू: क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पांडिचेरी राज्यक्षेत्र में यानम तथा माही के सब आयातकों को पांडिचेरी राज्यक्षेत्र के लिये घोषित की गई लाइसेंस देने की प्रथम नीति से बिना किसी वैध कारण के ही बाहर निकाल दिया गया है ;

(ख) क्या माही तथा यानम के किसी भी आयातक को कोई विशेष अतिरिक्त लाइसेंस नहीं दिया गया है, जो पांडिचेरी और कराईकाल के व्यापारियों को दिये गये हैं और;

(ग) यदि हां, तो ऐसे भेदभाव के क्या कारण हैं और उसे दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं। 1 नवम्बर 1954 से आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1957 भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियों पर भी लागू कर दिया गया। तदनुसार भूतपूर्व फ्रांसीसी भारतीय बस्तियों के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले समस्त पात्र आयातक आयात लाइसेंसों के लिए पांडिचेरी में आयात और निर्यात के नियंत्रक को आवेदन कर सकते हैं।

(ख) जी, नहीं। माही और यानम के आयातकों को भी वे ही अतिरिक्त विशेष लाइसेंस दिये गये थे जो कि पांडिचेरी और कराईकाल के व्यापारियों को दिये गये थे।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Carnival in Railway Headquarters, Baroda House, New Delhi.

3524. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Carnival is held in February every year in Baroda House, the Headquarters of the Northern Railway, New Delhi under the auspices of All-India Railway Women's Federation;

(b) if so, the main objectives therof;

(c) the way in which sponsors are profited thereby;

(d) the amount spent thereon every year during the last three years; and

(e) the source thereof.

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes. But it is held under the auspices of the Mahila Samiti, Northern Railway and not under All-India Railway Women's Federation.

(b) the main objectives are collection of funds for the Railway Minister's Welfare and Relief Fund and for other causes according to the need of time.

(c) Sponsors are not profited in any manner whatsoever.

(d) The amount spent during the last three years is as follows:

1965	–	Rs. 9,649
1966	–	Rs. 20,817
1967	–	Rs. 12,674

(e) The expenditure was met partly from the subscription paid by the members of the Mahila Samiti monthly and partly from the profits made out of the sale of the articles made by the members themselves, as also through advertisements publ shed in the brochures issued on the occasion.

रेलवे के कल-पुर्जों की खरीद

3525. श्री य० अ० प्रसाद :
श्री न० कु० सांघी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के कल-पुर्जे खरीदने के लिये 2 करोड़ 80 लाख मार्क के ऋण के सम्बन्ध में जर्मन ऋण बैंक के साथ एक करार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां । पश्चिम जर्मन सरकार के विदेशी सहायता कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी जर्मन बैंक क्रेडिटांस्टाल्ट फोर वीदराफवाऊ के साथ 2 जून, 1967 को 282.5 लाख ड्यूशे मार्क के ऋण के लिए जो 5.3 करोड़ रुपये के बराबर है एक करार पर हस्ताक्षर हुए हैं ।

(ख) इस ऋण पर 3% वार्षिक व्याज देना होगा जो 7 वर्ष की अधिस्थगन अवधि के बाद 31 दिसम्बर, 1974 से शुरू होकर 36 अर्द्धवार्षिक किश्तों में दिया जाना है । ऋण की अवितरित रकम पर $\frac{1}{4}$% वार्षिक दर से वचनवद्धता प्रभार भी देना है । यह ऋण पश्चिमी जर्मनी से निम्नलिखित की खरीद के लिए विदेशी विनिमय की लागत की पूर्ति के लिए है :–

(1) 2500 अश्व-शक्ति वाले आठ डीजल हाइड्रालिक रेल इंजन ;

(2) चितरंजन रेल इंजन कारखाने में बड़ी लाइन के 70 ए०सी० बिजली रेल इंजनों के निर्माण के लिए बिजली उपस्कर ;

(3) छोटी लाइन की मुख्य लाइन के 10 डीजल हाइड्रालिक रेल इंजनों के लिए पावर पैक; और

(4) चितरंजन रेल इंजन कारखाने में बनाये जाने वाले बड़ी लाइन के 24 डीजल शंटिंग रेल इंजनों के लिए पावर-पैक ।

Aminchand-Pearelal Group of Firms

3526. Shri Hukam Chand Kachwai
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) the number of firms belonging to Aminchand Pearelal Group and the nature of business transacted by each of them;

(b) whether the enquiry being conducted by Government in regard to Aminchand Pearelal Group of firms has been concluded;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the amount of Income-tax and sales-tax being paid by these firms ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) Firms are dealt with by the State Governments and the Department of Company Affairs which is concerned with companies has no information regarding the number of firms belonging to the group. The required information about companies belonging to this group is being collected and shall be laid on the Table of the House in due course,

(b) An Inquiry Committee under the chairmanship of Shri A. K. Sarkar was appointed on 12.9.66 on the basis of the recommendation made by the Public Accounts Committee in their 50th Report. The work of the Committee is still continuing.

(c) Does not arise.

(d) Information about income-tax is being collected and shall be laid on the table of the House when available. But sales-tax is a State subject and it will not be possible to furnish information in this regard.

Birla Group of Firms

3527. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) the number of firms under the management of Birla Bros. in the country and the names of the firms of which Birla Bros. are the sole proprietors;

(b) the amount of foreign exchange granted to each of those firms separately, during the past five years; and

(c) the amount of the foreign exchange earned by them ?

The Minister of the Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (c) As firms are dealt with by the States the information sought for about them cannot be furnished. However, the information about the concerned companies is being collected and will be placed on the Table of the House in due course.

स्वेज़ नहर का बन्द होना

3528. श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री मधु लिमये :
डा० कर्णसिंह :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वेज़ नहर को बन्द कर दिये जाने से भारतीय व्यापार पर होने वाले प्रभाव के बारे में उन्होंने अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) इस बात के लिए क्या उपाय करने का इरादा है कि भारतीय व्यापार पर उसका कम से कम प्रभाव पड़े ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) मूल्य के हिसाब से हमारे निर्यात के 70 प्रतिशत और आयात के 80 प्रतिशत के लिये स्वेज़ नहर का मार्ग सबसे छोटा है। स्वेज़ नहर के मार्ग के बंद हो जाने से आशा अंतरीप होकर लम्बा रास्ता अपनाने की आवश्यकता हो गई है जिसके परिणाम स्वरूप परिवहन में अधिक समय लगता है और भाड़े में वृद्धि हुई है। इसके प्रभाव का आकलन इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता तथा इस समय स्थिति पर ध्यान रखा जा रहा है।

Construction of Railway Lines

3529. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the particulars of the railway lines the proposals in regard to which were approved during the First, Second and Third Five Year Plan periods;

(b) the particulars of the railway lines out of the above on which work has been started; and

(c) in case work has not been started on all the proposed railway lines, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) to (c) A statement is attached. [Placed in Library, See No. LT-775/67]

Bhilai Steel Plant

3530. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to state :

(a) the tota (l) numbers of employees, category–wise in Bhilai Steel Plant ;

(b) the number of employees in each category, State-wise;

(c) the number of permanent, temporary and casual workers separately;

(d) whether it is a fact that most of the casual workers there are local persons; and

(e) if so, the reasons thereof ?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Channa Reddy) : (a) and (c) The total number of employees category-wise is as follows :

Regular workers		37,003
Workcharged (Temporary) workers		9,897
Nominal Muster Roll workers (Casual)		403
	Total	47,303

(d) A State-wise list of employees is not maintained ?

(e) Yes, Sir.

(t) This is due to the fact that the work on which they are employed is of a very temporary nature.

मोटर गाड़ियों के स्प्रिंग

3531. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या इस्पात, खान, तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मोटर गाड़ियों के स्प्रिंग बनाने के लिए जापान से विशेष इस्पात का आयात किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो 1965-66 और 1966-67 में कितना ऐसा इस्पात आयात किया गया था।

(ग) किन-किन फार्मों अथवा व्यक्तियों को उपरोक्त इस्पात दिया गया था तथा कितनी कितनी मात्रा में;

(घ) क्या यह विशेष इस्पात भारत में तैयार नहीं किया जाता ;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(च) यदि यह इस्पात भारत में तैयार किया जाता है, तो उसका आयात करने के क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां। स्प्रिंग बनाने का इस्पात दूसरे देशों से आयात किया जा रहा है, जिनमें जापान भी शामिल है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) से (च) भारत में स्प्रिंग इस्पात का उत्पादन किया जा रहा है परन्तु उत्पादन इतना नहीं है जिससे देश की कुल आवश्यकता पूरी की जा सके।

भोपाल के निकट हबीबगंज स्टेशन पर एक्सप्रेस रेल गाड़ियों का रुकना

3532. **श्री नीति राज सिंह चौधरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भोपाल जब से राजधानी बनी है, उसका विस्तार मध्य रेलवे पर स्थित हबीबगंज स्टेशन के पश्चिम और पूर्वोत्तर की ओर हुआ है और भोपाल से वहां जाने वाले तथा वहां से भोपाल जाने वाले काफी प्रतिशत यात्री इस क्षेत्र में रहते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार हबीबगंज स्टेशन पर एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रोकने का है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) हबीबगंज के निकट कुछ विस्तार हुआ है, लेकिन वहां रहने वाले जो यात्री भोपाल स्टेशन पर गाड़ी में सवार होते हैं या वहां गाड़ी से उतरते हैं, उनके प्रतिशत के बारे में रेलवे के पास सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) लम्बी दूरी का यातायात काफी नहीं जान पड़ता और हबीबगंज में रहने वाले यात्री आसानी से भोपाल स्टेशन का उपयोग कर सकते हैं ।

रेलवे द्वारा अर्जित की गई भूमि के लिये मुआवजा

3533. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे द्वारा अर्जित की गई भूमि का मुआवजा देने के लिये रेलवे, विशेष कर मध्य रेलवे कितना समय लेती है ;

(ख) जिस तारीख से भूमि का कब्जा दिया जाता है, क्या यह अवधि उस तारीख से तीन साल से भी अधिक हो जाती है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले हैं जिनमें चार से अधिक वर्ष पहले भूमि अर्जित की गई थी परन्तु अब तक उसका मुआवजा नहीं दिया गया है ; और

(घ) इन मामलों में शीघ्र मुआवजा देने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) रेलें भूमि का अधिग्रहण राज्य सरकारों की मार्फत करती हैं और भूमि का मुआवजा भी राज्य के राजस्व प्राधिकारियों द्वारा पंचाट घोषित करने के तुरन्त बाद राज्य सरकारों की मार्फत दिया जाता है । कुछ मामलों में भूमि के मालिकों को अन्तिम भुगतान करने के लिए पहले से राज्य सरकारों के पास रकम जमा दी जाती है ।

(ख) केवल ऐसे अपवादिक मामलों में जब प्राप्तकर्त्ता की वैधता विवादग्रस्त हो जाये य भूमि के मालिकों द्वारा पंचाट स्वीकार न किया जाय या पंचाट घोषित करने में देरी हो जाय ।

(ग) 77 मामले । इनमें से अधिकतर मामलों में देरी राजस्व प्राधिकारियों द्वारा पंचाट घोषित करने में लगने वाले समय के कारण हुई ।

(घ) समय-समय पर राजस्व प्राधिकारियों से पंचाट शीघ्र घोषित करने और मुआवजे के भुगतान की व्यवस्था करने का अनुरोध किया जाता है।

मध्य प्रदेश में छोटे पैमाने के उद्योग

3534. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1967-68 में मध्य प्रदेश में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास संबंधी किन्हीं योजनाओं पर विचार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो वे योजनाएं क्या हैं और वे उद्योग कहां पर चालू किये जायेंगे ; और

(ग) प्रत्येक योजना पर कितना धन लगाने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुदीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना काल के अपने कार्यक्रमों में ये योजनाएं (1967-68 के लिये योजनाएं पृथक नहीं दी गई हैं उद्योगों के लिये राज्य सहायता शामिल की है।)

1. (एक) ऋण और अनुदान।

   (दो) ऋणों के ब्याज, बिजली तथा औद्योगिक बस्तियों में शेडों के किरायों के लिए राज सहायता।

   (तीन) प्रबन्ध सम्बन्धी सहायता।

   (चार) औद्योगिक बस्तियां आदि बनाने के लिये दिये गये ऋणों पर जीवन बीमा निगम तथा अन्य ऋण देने वाली ऐजेन्सियों द्वारा लिये जाने वाले ब्याज के लिये राज सहायता।

2. लघु औद्योगिक एकक सरकार अथवा सरकारी निगम द्वारा चलाये जायेंगे।

3. लघु उद्योग निगम के माध्यम से किराया खरीद आधार पर मशीनों की सप्लाई।

4. नियार्य संवर्धन तथा क्रय विक्रय की सुविधायें।

5. परीक्षण तथा चिन्ह अंकित करने की सुविधाओं की व्यवस्था।

6. सरकारी तथा गैर सरकारी पदाधिकारियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसमें कारखानों में तथा संस्थाओं में प्रशिक्षण भी शामिल है।

7. सर्वेक्षण तथा आंकड़े एकत्रित करना और योजनाएं बनाना तथा क्षेत्रीय विकास अध्ययन।

8. प्रचार तथा प्रदर्शनी, गोष्ठियां, और सरकारी तथा गैर सरकारी पदाधिकारियों के अध्ययन दौरे।

9. उद्योग निदेशालय के मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में कर्मचारियों को अधिक सक्षम बनाना ।

10. अर्ध नगरीय 'औद्योगिक विकास केन्द्रों' का विकास (इसमें औद्योगिक बस्तियों का निर्माण शामिल नहीं है) ।

11. चमड़ा उद्योग का विकास ।

(ग) 1967-68 में लघु उद्योगों का विकास करने तथा औद्योगिक बस्तियां बनाने के लिये ग्राम तथा लघु उद्योग सम्बन्धी कार्यकारी दल ने 152.70 लाख रुपये की व्यवस्था करने की सिफारिश की है ।

सीमेंट की उत्पादन लागत

3535. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री भगवान दास :
श्री कं० हाल्दर :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री रमानी :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न क्षेत्रों में साधारण ग्रे सीमेंट की कारखाना-द्वारा आधार पर उत्पादन लागत कितनी है ;

(ख) (1) नये बोरों में तथा (2) काम में आने वाले योग्य पुराने बोरों में सीमेंट भरने पर कितनी लागत आती है;

(ग) उत्पादक (1) नये बोरे और (2) पुराने बोरे किस मूल्य पर खरीदते हैं; और

(घ) क्या इन लागतों के बारे में जांच की गई है और यदि हां, तो किस के द्वारा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरूदीन) : (क) सीमेंट कारखानों के तीन मुख्य समूहों को दिये जाने वाले कारखाना मूल्य (इसमें बोरों में भराई तथा उत्पादन शुल्क शामिल नहीं है । इस प्रकार है :—

1. कम लागत वाले इन कारखानों को 90.50 रुपये मीट्रिक टन (बिना बोरों भरे):

1. मचेरला (आंध्रप्रदेश)
2. डालमियां नगर (बिहार) रोहतास
3. डालमियां नगर बिहार (अशोक)
4. डालमियां पुरम (मद्रास)
5. भद्रावती (मैसूर)
6. बागल कोट (मैसूर)
7. राजगनपुर (उड़ीसा)
8. सवाई माधोपुर राजस्थान)

9. चुर्क (उत्तर प्रदेश)
10. किस्त्रा (आन्ध्र प्रदेश)
11. मन्चेरियल (आन्ध्र प्रदेश)
12. सिन्दरी (बिहार)
13. चैबासा (बिहार)
14. खालड़ी (बिहार)
15. द्वारका (गुजरात)
16. सेवालिया (गुजरात)
17. कैमूर (मध्यप्रदेश)
18. बनमोर (मध्य प्रदेश)
19. मदुक्कराई (मद्रास)
20. शाहबाद (मैसूर)
21. सूरजपुर (हरियाना)
22. लखेरी (राजस्थान)

2. मध्य लागत वाले इन कारखानों को 93.50 रुपये प्रति मीट्रिक टन (बिना बोरों में भरे):-

1. तलाइयुथु (मद्रास)
2. सिक्का (गुजरात)
3. सतना (मध्य प्रदेश)
4. बन्जारी (बिहार)

3. अधिक लागत वाले इन कारखानों को 96 रुपये प्रति मीट्रिक टन (बिना बोरों में भरे):-

1. सीमेन्ट नगर (आन्ध्र प्रदेश)
2. रणावाव (गुजरात)
3. तुलुकापट्टी (मद्रास)
4. जपला (बिहार)
5. विजयवाड़ा (आन्ध्र प्रदेश)
6. डालमिया दादरी (हरियाना)
7. अम्मसान्ड (मैसूर)
8. शंकरी द्रुग (मद्रास)
9. जमुल (मध्य प्रदेश)

10. पोरबन्दर (गुजरात)

11. नये कारखाने/विस्तार

(ख) सरकार के परामर्श से निर्धारित सीमेंट के बोरों में भरने की वर्तमान दर 19.50 रुपये प्रति मीट्रिक टन है (अर्थात 2 : 1 के अनुपात में डी डब्ल्यू० सीज पटसन के 20 नये तथा उपयोग के लायक बोरों में भराई के लिये) ।

(ग) इसमें समय समय पर परिवर्तन होगा जो पटसन के प्रचलित बाजार मूल्य पर निर्भर है तथा विभिन्न उत्पादकों के, पर प्रत्येक उत्पादक द्वारा पटसन के बोरों के विक्रेताओं के साथ की गई व्यवस्था के अनुसार निर्भर है ।

(घ) प्रशुल्क आयोग ने सीमेंट उत्पादन लागत की अन्तिम जांच 1961 में की थी और उसने सीमेन्ट उत्पादकों को देय उचित मूल्यों के बारे में रिपोर्ट दी थी । प्रशुल्क आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार प्रत्येक तिमाही के पहले नौ महीनों में पटसन के बोरों के औसत दैनिक मूल्यों के आधार पर प्रत्येक तिमाही में भराई की दर भी निर्धारित की जाती है ।

कालोल रेलवे स्टेशन पर रेलवे का उपरि-पुल

3536. **श्री द० रा० परमार :**
श्री सोमचन्द सोलंकी :
श्री रामचन्द्र ज० प्रधान :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिमी रेलवे के कालोल (छोटी लाइन) स्टेशन यार्ड के दक्षिण फाटक पर रेलवे का एक उपरि पुल बनाने का प्रस्ताव है, ताकि रेलवे स्टेशन के दूसरी ओर रहने वाले लगभग आठ हजार व्यक्तियों को सुविधा मिल सके ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के कब क्रियान्वित किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसा न करने का क्या कारण है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां, कालोल नगरपालिका का प्रस्ताव है कि कालोल स्टेशन के दक्षिणी सिरे पर रेलवे लाइन के आर-पार इस क्षेत्र में पैदल चलने वालों के लिए एक ऊपरी पैदल पुल बनाया जाये ।

(ख) नियमों के अन्तर्गत ऐसी सुविधा की लागत जिसकी आवश्यकता यातायात के लिए रेलवे लाइन खोले जाने के बाद और उस क्षेत्र में अनुवर्ती विकास कार्यों के फलस्वरूप होती है। उसका भार ऐसी सुविधा की मांग करने वाले प्राधिकारी द्वारा वहन किया जाता है ।

तदनुसार रेलवे नगरपालिका से प्रस्तावित ऊपरी-पैदल पुल के खर्च का भार उठाने की सहमति देने और इसका नक्शा और अनुमान तैयार करने के लिये रेलवे के पास आवश्यक शुल्क जमा कराने के लिये पहले ही अनुरोध कर चुकी है लेकिन इस सम्बन्ध में नगरपालिका से अभी उत्तर नहीं मिला है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गिरधरनगर और आसरवा रेलवे फाटकों पर उपरि पुल

3537. **श्री द० रा० परमार :**
श्री सोमचन्द्र सोलंकी :
श्री रामचन्द्र ज० अमीन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अहमदाबाद नगर में पश्चिमी रेलवे के अहमदाबाद-मेहसाना तथा अहमदाबाद प्रान्तिज सैक्शनों पर कमश: गिरधरनगर और आसरवा रेलवे फाटकों पर उपरि पुल बनाने अथवा कोई दूसरी व्यवस्था करने के प्रस्ताव हैं, ताकि लोगों की कठिनाई दूर हो, जिनको वहां पर काफी समय तक रुकना पड़ता है;

(ख) यदि, हां, तो इन प्रस्तावों के कब क्रियान्वित होने की संभावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) **और** (ख): अहमदाबाद और साबरमती स्टेशनों के बीच किलोमीटर 497/7-8 पर गिरधरनगर समपार पर पहले ही बिजली चालित ऊपर उठने वाले फाटकों की व्यवस्था की जा चुकी है और आशा है अहमदाबाद-असारवा स्टेशनों के बीच भी किलोमीटर 0/9-10 पर असारवा समपार नम्बर 1 पर चालू वर्ष में उसी तरह के फाटक काम करने लगेंगे ।

सुधरी हुई किस्म के ये फाटक इन दोनों समपारों पर सड़क यातायात की रुकावट को बहुत हद तक कम कर देंगे ।

इन दो समपारों के बदले लाइन के ऊपर/नीचे सड़क-पुल बनाने का अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है । लेकिन असारवा स्टेशन से परे समपार नम्बर 2 के बदले एक ऊपरी सड़क पुल बनाने के लिये अहमदाबाद नगरपालिका से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । अभी तक यह प्रस्ताव प्रारम्भिक अवस्था में ही है । नगरपालिका के साथ शर्तों और निबन्धनों की स्वीकृति के लिए लिखा-पढ़ी हो रही है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पोलीएस्टर धागे की कमी

3538. **श्री नन्द कुमार सोमानी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कृत्रिम धागे विशेष कर पौलीएस्टर धागे की कमी है और यदि हां तो क्या खुले बाजार में इस की कीमतें बहुत बढ़ गई है; और

(ख) क्या कपड़ा मिलों की निर्यात के लिए कपड़ा बनाने की अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार इस धागे तथा अन्य धागों के सम्यक वितरण के लिये सरकार ने कोई योजनाएं बनाई हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां । क्योंकि पोलीएस्टर धागे का निर्माता कुल उत्पादन को वास्तविक प्रयोग कर्त्ताओं को बेचता है इसलिए खुले बाजार में मूल्यों की वृद्धि का प्रश्न नहीं उठता ।

(ख) जी, नहीं । क्योंकि मानव निर्मित धागे के उपभोक्ताओं की संख्या बहुत बड़ी है और इनमें से कुछ उपभोक्ता विशेषकर पोलीएस्टर से इतर धागे के उपभोक्ता बहुत छोटे पैमाने के हैं, इसलिए इन धागों का वितरण करना सरकार के लिए व्यवहार्य नहीं होगा ।

पोलीएस्टर धागा बनाने वाले कारखानों ने अपने उत्पादन के एक भाग को रियायती मूल्य पर निर्यातकों को देने की एक योजना बनाई है जो विचाराधीन है ।

मनीपुर में हाथ करघा उद्योग

3539. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **वाणिज्य** मंत्री 7 अप्रेल, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 859 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में हथकरघा उद्योग जिस गंभीर संकट में से गुजर रहा है क्या मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र में भी उसी प्रकार के गंभीर संकट में से गुजर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कितने करघों तथा बुनकरों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या मनीपुर सरकार के कुछ महत्वपूर्ण राज्यों की राजधानियों तथा दिल्ली में हाथकरघे का कपड़ा तथा दस्तकारी की वस्तुओं के लिये एम्पोरियम खोलने की सुविधायें दी जाने का अनुरोध किया है; और

(घ) मनीपुर सरकार ने मनीपुर के बाहर वस्तुओं की बिक्री के लिये कितने एम्पोरियम खोले हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख) मनीपुर सरकार ने हमें अप्रैल 1967 में सूचित किया था कि उस राज्य क्षेत्र में हथकरघा उद्योग में कोई संकट नहीं है । सूत, रंग एवं रसायनों के मूल्य 10 से 12-1/2 प्रतिशत तक बढ़े हैं । मनीपुर सरकार से अधुनातन जानकारी भेजने के लिए कहा गया है जो यथा समय सभापटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) और (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Doubling of Railway Lines

3540. **Shri Nathu Ram Ahirwar**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the particulars of the main railway lines on which the doubling work was completed by 1965-66, the lines where it is yet incomplete and the lines about which decision is yet to be taken; and

(b) when the work of laying double lines is likely to be completed ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :(a) and (b) A statement is attached [Plasced in Library, See No. LT-776/67] The further programme for doubling sections on the main lines will depend on the way traffic develops from time to time, and the availability of resources.

दिल्ली और अहमदाबाद के बीच डी–लक्स रेलगाड़ी

3541. श्री द० रा० परमार :
श्री रामचन्द्र ज० अमीन :
श्री रा० की० अमीन :
श्री मीठा लाल :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या दिल्ली और अहमदाबाद के बीच एक डी–लक्स रेलगाड़ी चलाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक कार्य रूप दिये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) मीटर गेज के दो वातानुकूल रेकों की खरीद की योजना बनायी गयी है । वर्तमान संकेतों के अनुसार आशा है कि ये रेक किसी समय 1970 में उपलब्ध होंगे । मीटर गेज के एक या दो ट्रंक मार्गों पर वातानुकूल गाड़ियां चलाने के लिए इनका इस्तेमाल करने का विचार है । यदि अपेक्षित लाइन क्षमता सुलभ हुई, तो दिल्ली-अहमदाबाद उन मार्गों में से एक है, जिन पर वातानुकूल गाड़ियां चलाने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है ।

बर्मों (रिगों) का निर्माण

3542. श्री कामेश्वर सिंह :
श्री मधु लिमये :
श्री कर्णी सिंह :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय–कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र में नलकूप खोदने के लिए बर्मे (रिग) बनाने की सम्भाव्यताओं का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो बर्मे बनाने का काम कब तक आरम्भ हो जाने की सम्भावना है; और

(ग) प्रति वर्ष कितने बर्मे बनाये जायेंगे और उन पर कितनी लागत आयेगी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां । कुए खोदने के बरमों निर्माण हैवी इंजीनियरी कारपोरेशन लिमिटेड, राची के हैवी मशीन बिल्डिग प्लांट में आरम्भ किया गया है ।

(ख) उत्पादन 1967–68 से होने लगेगा ।

(ग) 1967–68 में 22 बरमे (रिग) बनाये जाने की आशा है। उसके बाद निर्माण मांग पर निर्भर करेगा। अभी निर्माण लागत नहीं निकाली गई है।

भारतीय भू–तत्वीय सर्वेक्षण विभाग के खोज विंग के कर्मचारी

3543. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय भू-तत्वीय सर्वेक्षण विभाग के खोज विंग के कर्मचारियों की विरिष्ठता निर्धारित करने के बारे में सरकार ने कोई कार्यवाही की है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय भू-तत्वीय सर्वेक्षण विभाग के महा निदेशक को उन कर्मचारियों की तदर्थ पदोन्नति करने का अधिकार है जो तीन साल की नौकरी पूरी कर चुके हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या खोज विंग के उन कर्मचारियों की पदोन्नति करना संभव है जिनका सेवाकाल अपेक्षित अवधि से ज्यादा हो चुका हो ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख) पूर्व भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में विभिन्न प्रकार के पदों 187 तथा भारतीय खान ब्यूरो की अन्वेषण शाखा में 153 विभिन्न सेवा–शृंखलाएं थीं जिन्हें मिलाकर एक कर दिया गया है और अब जो अब एक संस्था के अधीन हैं। इन सेवा शृंखलाओं का एकीकरण तथा संयुक्त संस्था के व्यक्तिगत पद–धारियों की आपसी वरिष्ठता निश्चित करने में अवश्य ही कुछ समय लगेगा, क्योंकि इसके लिये वेतनक्रमों, निर्धारित योग्यताओं तथा विभिन्न पदों की संगत विशेषताओं की विस्तृत जांच करनी पड़ेगी ताकि उन्हें ठीक संयुक्त वेतन क्रम में लगाया जा सके और वेतन ढ़ांचे की सीढ़ी में उनकी स्थिति निश्चित की जा सके। एक दूसरे की वरिष्ठता निश्चित करने के लिये आवश्यक सिद्धान्तों का भी निर्णय करना पड़ेगा।

समस्या जटिल होने पर भी, ड्रिलिंग साइड के राजपत्रित अधिकारियों की सेवा शृंखलाओं के लिये एकीकृत भर्ती के नियम बनाने का कार्य पूरा हो चुका है और तदनुसार शीघ्र ही इन पदाधिकारियों की सापेक्ष वरिष्ठता निश्चित करना सम्भव हो सकेगा। इसी प्रकार, दूसरे पदों के विषय में भी कार्य हो रहा है।

(ग) महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण श्रेणी 2, श्रेणी 3 और श्रेणी 4 कर्मचारियों को केवल आपात काल में ही अस्थायी आधार पर पदोन्नत कर सकता है जबकि इन पदों के लिये प्रशासन सेवा के हित में भर्ती शीघ्र की जानी हो। बाद में इसका जल्दी से जल्दी सामान्य पद्धति के अनुसार अनुसमर्थन करना पड़ता है।

(घ) और (ङ) ये पदोन्नतियां अधिकारियों की केवल सेवा अवधि पर ही आधारित नहीं होती अपितु ये प्रथम रूप से प्रशासन की आवश्यकताओं पर आश्रित होती हैं।

नेपाल के साथ व्यापार

3544. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री न० कु० सांघी :
श्री शंकर राव माने :
श्री तुलसी दास दासप्पा :
श्री उमानाथ :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री प० गोपालन :
श्री चक्रपाणि :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेपाल सरकार ने भारत से कुछ मुख्य वस्तुओं, जैसे सूती कपड़ों का आयात करने के लिये लाइसेंस देने की प्रणाली तुरन्त लागू करने तथा दोनों देशों के बीच माल लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय किया है;

(ख) क्या यह सच है कि भारत से नेपाल को भेजे जाने वाले माल में 50 प्रतिशत लागत का सूती कपड़ा होने का अनुमान है ;

(ग) यदि हां, तो क्या नेपाल के इस निर्णय से दोनों देशों के बीच माल का बिना रोक टोक आना जाना रुक जाने की संभावना है; और

(घ) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) नेपाल सरकार द्वारा कुछ वस्तुओं के लिए प्रारम्भ की जाने वाली प्रस्तावित लाइसेंस प्रणाली के ब्यौरे हाल ही में प्राप्त हुए हैं । इनकी जांच की जा रही है तथा सरकार द्वारा उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी ।

मैसूर में सरकारी बिजली कारखाना

3545. **श्री श्रीधरन :**
श्री मंगलाथुपाडोम :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामगोपाल शालवाले :
श्री मेघचन्द्र :
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मैसूर में राज्य के सरकारी बिजली कारखाने को विदेशी सहयोग वाले उपक्रम का रूप दिया जा रहा है जिसका प्रबन्ध नियंत्रण वस्तुतः पश्चिम जर्मनी के सहयोगकर्त्ताओं के हाथ में होगा ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं ।

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) और (ख) 1965 में मैसूर सरकार ने प्रस्ताव किया था कि राज्य सरकार के न्यू गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक

फैक्टरी लिमिटेड को एक नयी कम्पनी में परिवर्तित किया जाये जिसमें सामान्य शेयर इस प्रकार हों :–

ए० इ० जी० पश्चिम जर्मनी	40 प्रतिशत
मैसूर सरकार	30 प्रतिशत
औद्योगिक वित्त निगम	11 प्रतिशत
वाशिंगटन	19 प्रतिशत
जनता	

यह प्रस्ताव इसलिये किया गया था क्योंकि राज्य सरकार को अपने साधनों से धन जुटाने में कठिनाई हो रही थी। इसका दिन प्रतिदिन का प्रबन्ध एक प्रबन्ध समिति को, जिसमें तीन निदेशक ए० ई० जी० के, दो निदेशक मैसूर सरकार द्वारा नामजद तथा अध्यक्ष भी राज्य सरकार द्वारा नामजद व्यक्ति हो, सौंपने का प्रस्ताव था।

भारत सरकार ने यह प्रस्ताव स्वीकृत किया और राज्य सरकार से इसमें संशोधन करने के लिये कहा ताकि इसमें विदेशों के आधे से कम शेयर हों। संशोधित प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

रूरकेला इस्पात कारखाने का विस्तार

3546. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री ख० प्रधानी :
श्री हरिजी भाई :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में रूरकेला इस्पात कारखाने का और विस्तार करने के प्रस्ताव करने की जांच कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) राउरकेला इस्पात कारखाने का चौथी योजना अवधि में और अधिक विस्तार करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के केन्द्रीय इंजीनियरी और रूपांकन कक्ष को विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार करने का काम सौंपा गया है। यथा समय अन्तिम निर्णय लिया जाएगा।

सरकारी कर्मचारियों को स्कूटरों का आवंटन

3547. **श्री सूरज भान** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर 1966 से फरवरी 1967 तक केन्द्रीय सरकार के कोटे में से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को कितने स्कूटर आवंटित किये गये ;

(ख) 1 मार्च, 1967 से 31 मई, 1967 तक सरकारी कर्मचारियों को वास्तव में कितने स्कूटर दिये गये ;

(ग) उपरोक्त भाग (क) और (ख) के आंकड़ों में अन्तर होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस मामले में सुधार लाने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री(श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) 1056 स्कूटर ।

(ख) इस अवधि अलांटियों के देने के लिये निर्माताओं ने 898 स्कूटर अपने डीलरों को दिये ।

(ग) और (घ) प्रत्येक एलाँटी बंटन आदेश जारी करने की तिथि से निर्माताओं को डिलीवरी की हिदायत देने के लिए 60 दिन क समय दिया जाता है और डिलीवरी की हिदायत मिलने पर ही स्कूटर दिये जाते हैं । इन्ही बातों के कारण किन्हीं विशेष तीन महीनों में एलांट किये स्कूटर देने में यह समय लगता है ।

अम्बाला सिटी स्टेशन पर ठंडे पानी की मशीन

3548. श्री सूरज भान : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्हें पता है कि अम्बाला सिटी पर ठंडे पानी की कोई मशीन नहीं है जिसके कारण गर्मियों में जनता को बड़ी कठिनाई होती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस स्टेशन पर रेलवे तथा रेलवे डाक सेवा के कर्मचारियों के लिये मूत्रालय अथवा शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क)अम्बाला सिटी रेलवे स्टेशन पर अभी जल-शीतक नहीं लगाया गया है क्योंकि जल-शीतकों के निर्माण में विदेशी मुद्रा खर्च होती है और इस कारण रेलवे स्टेशनों पर जल-शीतक की व्यवस्था करने पर आंशिक प्रतिबन्ध लगा हुआ है । ठंडा पानी देने के लिये वैकल्पिक व्यवस्था वहां उपलब्ध है ।

(ख) रेल डाक सेवा और दूसरे रेल कर्मचारियों के लिए अलग टट्टियां नहीं बनायी गयी है । लेकिन सभी प्लेटफार्मों पर और तीसरे दर्जे के प्रतिक्षालयों में टट्टियों की व्यवस्था है । कर्मचारी इन टट्टियों का इस्तेमाल करते हैं ।

(ग) भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता ।

रेलवे में ड्राइवरों और फायरमेनों के वेतनक्रम

3549. श्री सूरज भान : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'बी' श्रेणी के फायरमैन जब 'ए' श्रेणी के फायरमैनों के स्थान पर कार्य करते हैं तो उन्हें उन पदों पर कार्य करने का वेतन नहीं मिलता जब कि 'सी' श्रेणी और 'बी' श्रेणी के ड्राइवरों को तथा 'सी' श्रेणी के फायरमैनों को ऊपर के पदों पर अस्थाई रूप से कार्य करने के लिये यह वेतन मिलता है; और

(ख) यदि हां, तो इस असमानता को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) 100–130 रु० वेतनमान के 'बी' ग्रेड के प्रथम फायरमैनों की और 125-155 रु० वेतनमान के 'ए' ग्रेड के प्रथम फायरमैनों ड्यूटी एक जैसी होती है और दोनों वेतन–मान क्रमशः नीचे के कर्मचारियों की तरक्की और सीधे भर्ती किये गये अप्रेंटिसों के लिए हैं, जिनकी न्यूनतम योग्यता मैट्रिकुलेशन होती है । अतः थोड़ी अवधि के लिए स्थानापन्न रूप से तरक्की देना अनुमेय नहीं है । फिर भी, जब 125–155 रु० के वेतनमान में 'ए' ग्रेड के प्रथम फायरमैनों की दीर्घ कालीन जगहें खाली होती है, तो ऐसी 25 प्रतिशत जगहों पर 100–130 रु० वेतनमान के 'बी' ग्रेड के सेवारत प्रथम फायरमैनों को नियुक्त किया जाता है । इसके विपरीत ग्रेड 'ए' और 'बी' के ड्राईवर प्रवर कोटियों में आते हैं जिनकी जिम्मेदारी क्रमशः 'बी' और 'सी' ग्रेड के ड्राइवरों की अपेक्षा कहीं अधिक होती है और इसीलिये थोड़ी अवधि के लिए भी जो जगह खाली होती हैं, उन पर स्थानापन्न रूप से तरक्की देना अनुमेय है । यही बात 80–95 रु० के वेतनमान में द्वितीय फायरमैनों के सम्बन्ध में ('सी' श्रेणी फायरमैनों के सम्बन्ध में नहीं) भी उस समय लागू होती है जब वे 'बी' ग्रेड के प्रथम फायरमैनों के पद पर स्थानापन्न रूप से काम करते हैं, क्योंकि उत्तरोक्त ग्रेड के पदों की जिम्मेदारियां पूर्वोक्त ग्रेड के पदों की जुम्मेदारियों की अपेक्षा कहीं अधिक होती हैं ।

कमर्शियल क्लर्कों का कार्य-भार

3550. श्री सूरज भान : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलों में कमर्शियल क्लर्कों का कार्य भार 1959–60 की तुलना में इस समय दुगुना हो गया है, परन्तु उनकी संख्या में कोई वृद्धि नहीं की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस श्रेणी के कर्मचारियों को राहत देने के लिये इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का सरकार का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) कार्य-भार दुगुना नहीं हुआ है; जहां कार्य-भार बढ़ा है, वहां औचित्य होने पर कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की मंजूरी दी गई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रेलवे में वाणिज्यिक संहिता

3551. श्री सूरज भान : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के वाणिज्यिक क्लर्कों के प्रयोग के लिये तथा सम्बन्धित जनता की जानकारी के लिये रेलवे विभाग ने अब तक कोई वाणिज्यिक संहिता जारी नहीं की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

घोर सलार स्टेशन पर रेल गाड़ी का रुकना

3552. **श्रीमती सुशीला रोहतगी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्वोत्तर रेलवे के घोर सलार स्टेशन (उत्तर प्रदेश का विलहोर कानपुर जिला) पर गाड़ियों के रुकने के बारे में कोई अभ्यावेदन मिले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो जनता की इस उचित मांग को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) इस समय घोर सलार हाल्ट पर तीन अप और तीन डाउन सवारी गाड़ियां ठहरती हैं । इस स्टेशन पर जितना और जिस प्रकार का यातायात होता है, उसे देखते हुए यहां और सवारी गाड़ियों के ठहराये जाने के अनुरोध की जांच की जा रही है और इस संबंध में जैसा उचित और व्यावहारिक होगा वैसी कार्यवाई की जायेगी ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा इस्पात की पिण्डकों (बिलेट) का उत्पादन

3553. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने कितने मीट्रिक टन तथा कितने मूल्य के इस्पात का उत्पादन किया और इसमें से कितना निर्यात किया गया तथा निर्यात की गई मात्रा में कितने पिण्डक थे ; और

(ख) इस समय भारत में प्रतिवर्ष पिण्डक की कितनी आवश्यकता है तथा उनकी सप्लाई कितनी है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 777/67]** देश में विभिन्न प्रकार के उत्पादित तथा वितरित इस्पात के मूल्यों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) इस समय बिलेट पुनर्बेलन मिलों की अभिज्ञात आवश्यकता लगभग 1 मिलियन टन प्रतिवर्ष है। 1965-66 और 1966-67 में सभी उत्पादकों का बिलेट का प्रेषण इस प्रकार था :—

विदेशी तकनीकी जानकारी सम्बन्धी मुदालियर समिति की रिपोर्ट

3558. **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री मधु लिमये :
श्री योगेन्द्र झा :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदेशी तकनीकी जानकारी के सम्बन्ध में मुदालियर समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति प्राप्त हो चुकी है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार इसे सभा पटल पर रखने का है ;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) समिति की सिफारिशों के बारे मे सरकार का निर्णय क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) से (ङ) यह प्रतिवेदन इस समय सरकार के विचाराधीन है । इस प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के बारे में सरकार अपना दृष्टिकोण बना लेने के बाद इस प्रतिवेदन की एक प्रति तथा उसके बारे में सरकार के निर्णय सभा पटल पर रखे जायेंगे ।

रेलगाड़ियों में वातानुकूल व्यवस्था का खराब हो जाना

3559. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास और नई दिल्ली के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों में वातानुकूल व्यवस्था के बार-बार खराब हो जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या वातानुकूलन व्यवस्था खराब हो जाने की स्थिति में, वातानुकूलित डिब्बों के लिये यात्रियों से वसूल किया गया 32 रुपये से कुछ अधिक राशियां अधिभार यात्रियों को उनकी यात्रा पूरी हो जाने पर वापिस किया जाता है ; और

(ग) भविष्य में अच्छी वातानुकूलन व्यवस्था रखने तथा उसे खराब न होने देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) रास्ते में उपस्कर की अप्रत्याशित खराबियों के कारण मद्रास और नयी दिल्ली के बीच चलने वाली डीलक्स एक्सप्रेस गाड़ियों के कुर्सी यानों में खराबी होने की कुछ घटनाएं हुई है । उपस्कर में खराबी का मुख्य कारण यह है कि पिछले दस वर्षों में इनका बहुत अधिक इस्तेमाल किया गया ।

(ख) यात्रा समाप्त होने के बाद यथासंभव शीघ्र अधिप्रभार की रकम वापस कर दी जाती है । यह उल्लेखनीय है कि वापसी के दावों की प्रतीक्षा किये बिना ही रेलवे रकम वापस करने की कार्रवाई शुरू कर देती है ।

वर्ष	बिलेट (फोर्जिंग)	बिलेट (फोर्जिंग को छोड़कर)	कुल टन
1965-66	96,034	6,72,397	7,68,431
1966-67 (दिसम्बर 1966 तक)	1,22,502	7,30,150	8,52,652

बिड़ला समूह की कम्पनियों के साथ व्यापार

3554. **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री मधु लिमये :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एकाधिकार आयोग के प्रतिवेदन अथवा हजारी प्रतिवेदन में दी गई बिड़ला समूह की कम्पनियों के साथ रेलवे ने पिछले पांच वर्षों में कितना व्यापार (करोड़ रुपये में) किया ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : सूचना मंगायी जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Steam Locomotives

3555. **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Atam Das :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Onkar Lal Berwa :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of steam locomotives rendered surplus on those railways where diesel and electric locomotives have been introduced;

(b) whether these locomotives are still lying idle with them or whether they have been given to other Railways ; and

(c) the number of employees connected with steam locomotives rendered surplus and the monthly saving to the Railways therefrom ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) 1491

(b) No. 667 locomotives have been utilised to meet additional traffic offering on non-dieselied/non-electrified portion of the Railways by inter-railway and adjustments. 7 have been sold to srivati parties and 817 have been condemned on age-cum-Condition-cum obsolescence basis,

(c) The information is being collected and will be placed on the table of the House in due course.

रेलवे के आयुर्वेदिक और यूनानी औषधालय

3556 श्री राजदेव सिंह :
डा० महादेव प्रसाद :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे का कोई भी आयुर्वेदिक अथवा यूनानी औषधालय नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) चिकित्सा की आयुर्वेदिक या यूनानी प्रणाली को सरकार द्वारा अधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी गयी है ।

मध्य प्रदेश में उद्योगों का स्थापित किया जाना

3557. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 में मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा स्थापित किये जाने वाले भारी उद्योगों तथा औद्योगिक एककों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उनमें कितनी पूंजी लगाई जायेगी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) (क) और (ख) चौथी पंचवर्षीय योजना काल में मध्य प्रदेश में क्रियान्वित की जाने वाली परियोजनाएं तथा उनमें से प्रत्येक में 1967-68 में लगाई जाने वाली पूंजी की राशि इस प्रकार है :—

		(रुपये करोड़ में)
1.	हैवी इलैक्ट्रिकल कारखाना, भोपाल का विस्तार	11.69
2.	नेपा मिल का विस्तार	1.75
3.	भिलाई इस्पात कारखाने का विस्तार	18.08
4.	सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद	2.07
5.	कोर्बा एल्यूमिनियम कारखाना	5.00
6.	न्यू एलकलोइड फैक्टरी, नीमच	.30
7.	मंधार सीमेंट कारखाना	इस कारखाने के लिये प्रस्तावित पृथक धन की व्यवस्था के बारें में अभी निर्णय किया जाना है ।

(ग) आवधिक ओवरहाल की सुविधाएं पेरम्बूर कारखाने में केन्द्रित कर दी गयी है जहां उपस्कर का पुनर्नवन भी किया जाता है। उपस्कर को ठीक हालत में रखने के लिए काफी यात्रा में पुर्जे प्राप्त किये जा रहे हैं।

निर्यात–आयात विनियमों का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारियां

3560. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच विभाग ने हाल में निर्यात-आयात विनियमों का कथित उल्लंघन करने के आरोप में बम्बई में विभिन्न फर्मों के अनेक निदेशकों को गिरफ्तार किया था ;

(ख) यदि हां, तो गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या कितनी है तथा उन के नाम क्या है और इन गिरफ्तारियों से सम्बन्धित फर्मों के नाम क्या हैं ; और

(ग) उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों तथा फर्मों के नाम निम्नलिखित हैं :–

व्यक्तियों के नाम	फर्मों के नाम
1. श्री सतवन्त सिंह साहनी	मैसर्स इण्डो योरोपियन कारपोरेशन, बम्बई।
2. श्री चमन लाल पुत्र श्री लेख राज	मैसर्स चमन लाल ओवरसीज़ प्रा० लि०, बम्बई।
3. श्री नारायण दास प्रभु दयाल	मैसर्स चमन लाल ब्रदर्स, बंबई।
4. श्री रोशन लाल पुत्र श्री लेख राज	मैसर्स स्टील (1957) प्रा० लि०, बम्बई।
5. श्री बी० एन० मुल्ला	मैसर्स बार्टर इण्डिया प्रा० लि०, बम्बई।
6. श्री अरुण सांघी	मैसर्स आर्यव्रत एक्सपोर्ट कार्पोरेशन बम्बई।
7. श्रीमती कृष्णा कुमारी पत्नी श्री चमन लाल	
8. श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी श्री रोशन लाल	

9. श्रीमती कमला पत्नी
श्री ब्रह्म पाल

(ग) मामलों की तहकीकात की जा रही है।

जापान के लौह अयस्क का निर्यात

3561. श्री गा० शं० मिश्र :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जापान तथा अन्य देशों को निर्यात किये जा रहे लौह अयस्क में लोहे का अंश कितना होता है; और

(ख) भिलाई, दुर्गापुर और रूरकेला इस्पात कारखानों में प्रयोग में लाये जाने वाले अयस्क में लोहे का कितना-कितना अंश होता है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) गोआ के लौह अयस्क में, जो जापान और यूरोप को भेजा जाता है, लौह अयस्क के पिण्डों में लोहे का अंश 56 प्रतिशत से लेकर 62 प्रतिशत तक और चूरे में 60 प्रतिशत से 62 प्रतिशत है। रेदी की बन्दरगाह से जो लोह अयस्क थोड़ी मात्रा में जापान भेजा जाता है, उसमें भी लोहे का अंश इतना ही है। किरिबुरू के लोह अयस्क में जो विशाखापतनम से जापान भेजा जाता है, अयस्क पिण्डों में लोहे का अंश 62 प्रतिशत है। दूसरी बन्दरगाहों से जापान और यूरोप को भेजे जाने वाले लोह अयस्क में लोहे का अंश 62 प्रतिशत तक है।

(ख) 1967 में भिलाई में लोह अयस्क में लोहे के अंश की औसत 63 प्रतिशत थी, दुर्गापुर में 62 प्रतिशत से 67 प्रतिशत और राउरकेला में 59 प्रतिशत से 65 प्रतिशत।

चौथी योजना में जूतों का निर्यात

3562. श्री रा० बरुआ : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जूता निर्यात समिति ने बहुत बढ़िया और नवीनतम डिजाइन के माल की मांग पूरी करने के लिए तुलनात्मक दृष्टि से कम दर पर बढ़िया माल तैयार करने के लिये पांच यंत्रीकृत कारखाने लगाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दिशा में ठोस कदम उठाये गये हैं; और

(ग) क्या चौथी योजना अवधि में जूतों के निर्यात में वृद्धि होने वाली है और यदि हां, तो हमारे देश में पशुओं की संख्या सब से अधिक है इस बात को ध्यान में रखते हुए जूता व्यापार में विश्व की तुलना से हमारा निर्यात कैसा रहेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) जूतों का अनुमानित विश्व व्यापार 450 करोड़ रुपये वार्षिक तक है। इसमें भारत का हिस्सा तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में 1 प्रतिशत (4.3 करोड़ रुपये–अवमूल्यन से पहले के) से कम था। ऐसा अनुमान है कि 1965–66 में चमड़ा तथा चमड़ा युक्त जूतों का निर्यात 1965--66 के 4.3 करोड़ रुपये से बढ़कर 1970--71 में 10.8 करोड़ रुपये (अवमूल्यन से पहले के) हो जायेगा। इस प्रकार विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा 1 प्रतिशत से बढ़कर 2 प्रतिशत हो जायेगा।

रेलवे में बिजली की व्यवस्था करने की परियोजना के तकनीकी कर्मचारी

3563. **श्री नम्बियार :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री चक्रपाणि :
श्री गणेश घोष :
श्री प० गोपालन :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1955 से अब तक सरकार ने रेलवे के बिजली की व्यवस्था करने वाले तकनीकी कर्मचारियों को देश में तथा विदेशों में प्रशिक्षण दिलाने पर प्रतिवर्ष कितना धन व्यय किया;

(ख) भारत में तथा अन्य देशों में कितने कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाया गया;

(ग) क्या इन कर्मचारियों ने अच्छी तकनीकी जानकारी प्राप्त कर ली है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि भारत विकासशील देशों के लोगों को इन क्षेत्रों में प्रशिक्षण दे कर विदेशी मुद्रा कमा सकता है;

(ङ) क्या इसके बारे में किसी विदेशी विकासशील देश की ओर से कोई पेशकश आई है; और

(च) क्या इस विषय में विदेशी विकासशील देशों के साथ पत्र व्यवहार करने के लिये अब तक कोई कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया. देखिये संख्या एल०टी० 778/67]**

(ख) 128 को विदेशों में प्रशिक्षित किया गया; अन्य कर्मचारियों ने सामान्य ड्यूटी के दौरान विदेशों में प्रशिक्षित कर्मचारियों से साथ काम करके आवश्यक कौशल अर्जित किया।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां। 1948 से अब तक हम विकासशील देशों के 50 से अधिक विदेशी रेल कर्मचारियों को भारतीय रेल के विभिन्न विभागों में प्रशिक्षण की सुविधा दे चुके हैं।

(ङ) जी हां, राजनयिक माध्यमों से।

(च) जी हां, भारत सरकार के संचार–विभाग के जरिये भारतीय रेल सिगनल-इंजीनियरिंग और दूर–संचार स्कूल, सिकन्दराबाद में इस समय उपलब्ध प्रशिक्षण की सुविधाओं के लिए।

बालंगीर टाउन (दक्षिण-पूर्व रेलवे) में हाल्ट स्टेशन

3564. श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री धीरेन्द्र नाथ :
श्री प्र० के० देव :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बालंगीर टाउन (दक्षिण पूर्व रेलवे) में सवारी गाड़ियों का एक हाल्ट स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है क्योंकि बालंगीर स्टेशन टाउन से बहुत दूर है;

(ख) क्या सरकार के पास लोगों की ओर से इसके बारे में कोई अभ्यावेदन आया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

टिटलागढ़ स्टेशन के निकट निचला सड़क पुल

3565. श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री धीरेन्द्र नाथ :
श्री प्र० के० देव :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण–पूर्व रेलवे के टिटलागढ़ रेलवे स्टेशन के निकट एक निचला सड़क पुल बनाने के सम्बन्ध में लोगों से कोई प्रार्थनापत्र मिला है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) प्रस्तावित निचला पुल बनाना व्यावहारिक नहीं समझा जाता क्योंकि आसपास के भूप्रदेश की सतह ऊंची है और इस कारण पानी के निकास की पर्याप्त व्यवस्था करना बहुत कठिन और खर्चीला होगा ।

वरिष्ठ तथा कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

3566. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी विशेष रेलवे में वरिष्ठ तथा कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अधिक से अधिक कितने समय तक कार्य कर सकते हैं;

(ख) पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय में ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है जो निर्धारित अवधि से अधिक समय से वहां कार्य कर रहे हैं; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) किसी एक रेलवे में तैनात रहने की कोई निश्चित अवधि निर्धारित नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी अमरीकी ऐजेंसी की सहायता से खनिजों की खोज

3567. **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के बहु-प्रयोजनीय खनिजों की खोज के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी अमरीकी एजेंसी की सलाह से एक योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस योजना पर कितना व्यय होने का अनुमान है;

(घ) क्या खोज-कार्य का ठेका अमरीका की एक इंजीनियरिंग कम्पनी को दिया गया है;

(ङ) यदि हां तो ठेके की शर्तें क्या हैं; और

(च) इस योजना को कब तक कार्य रूप दिये जाने की आशा है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख) हां, महोदय । इस योजना के अन्तर्गत निम्न तीन चुने हुए क्षेत्रों का जो कि अलौह धातुओं के संसाधनों का पता लगाने में बहुत महत्वशाली है ,हवाई सर्वेक्षण करने का विचार है ।

(1) राजस्थान का अरावली खण्ड

(2) आंध्र प्रदेश की पूर्वी कुडाप्पा तलहटी ।

(3) बिहार की अबरक पट्टी और रांची पठार ।

ये तीन क्षेत्र 1,20,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। ये सर्वेक्षण मिली जुली मैगनेटोमीट्रिक, ईलेक्ट्रो मैगनेटिक और रेडियोमीट्रिक पद्धतियों द्वारा किये जायेंगे । आशाजनक खण्डों का पता लगने पर इस हवाई सर्वेक्षण के कार्य के बाद भूवैज्ञानिक, भूभौतिकी तथा भूरसायनिक सर्वेक्षण और व्यधन कार्य भूमि पर किया जायेगा । एक अर्वाचीन सुसज्जित धातुकार्मिक अयस्क शोधन तथा रसायनिक प्रयोगशाला भी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित की जायेगी ।

हवाई सर्वेक्षण का समस्त कार्य तथा बाद में भूमि पर किया जाने वाला कार्य अमरीका की एक फर्म ठेके पर करेगी ।

(ग) इस योजना की अनुमानित लागत 4.5 करोड़ रुपये हैं जिसमें 3.5 मिलियन डालर विदेशी मुद्रा शामिल है ।

(घ) हां, महोदय । 4 फरवरी 1967 को लास एंजेल्स की पारसन्ज कारपोरेशन के साथ एक ठेके पर हस्ताक्षर हुए थे । उन्होंने बाद में हवाई सर्वेक्षण कार्य कराने के लिए एरो सर्विस कारपोरेशन के साथ एक उप–ठेका किया है ।

(ङ) और (च) ठेके की शर्तों के अनुसार ठेकेदार भारत सरकार के निदेशानुसार समस्त कार्य करेगा । इस प्रयोजन से वह आवश्यक उपकरणों से सज्जित एक जहाज भारत लायेगा ताकि मैगनेटोमीट्रिक, इलेक्ट्रोमैगनेटिक तथा रेडियोमीट्रिक सर्वेक्षण किया जा सके । ठेकेदार भौमिकी, भूभौतिकी, भूरसायन, भू-चित्रण, धातुकार्मिकी तथा व्यधन क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी लायगा । यह विशेषज्ञ भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा भारतीय खान ब्यूरो से लिये गये तकनीकी अधिकारियों के सहयोग में काम करेंगे । ठेकेदार आवश्यक उपकरण और सेवाएं देने का जिम्मेदार होगा और वह यह कार्य सरकार द्वारा निश्चित की जाने वाली समय–सारिणी तथा आवश्यकताओं के अनुसार करेगा । दिन प्रति दिन प्रशासन के लिये एक वरिष्ठ भारतीय भूवैज्ञानिक को उप-समन्वयकार बनाया गया है । यह वैज्ञानिक खान तथा धातु विभाग के सचिव की सहायता करेगा । यह सचिव इस परियोजना के समन्वयकार के रूप में कार्य करेंगे । इस परियोजना के साथ मंत्रालय की तकनीकी संस्थाएं अर्थात भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय खान ब्यूरो तथा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम समुचित रूप से सम्बन्धित रहेंगी । आशा है कि कार्य की प्रथम प्रावस्था अर्थात् हवाई सर्वेक्षण शीघ्र ही शुरू हो जायगी । ठेकेदार से भी आशा है कि वह अपने कार्यक्रम को इस प्रकार बनायेगा कि ये सब कार्य हवाई सर्वेक्षण कार्य शुरू होने के बाद 30 महिने के अन्दर अन्दर पूरे हो जायेंगे ।

हरी चाय की उपज

3568. श्री हेमराज : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963, 1964, 1965 तथा 1966 में देश में राज्य-वार हरी चाय की कितनी उपज थी ; और

(ख) उक्त अवधि में चाय का कितना निर्यात किया गया और उन देशों के नाम क्या हैं जिनको निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी नीचे दी जा रही है:–

हरी चाय का उत्पादन (हजार कि० ग्रा० में)

राज्य	वर्ष			
	1963	1964	1965	1966
असम	359	432	50	145

पश्चिमी बंगाल	2872	3132	2548	3349
त्रिपुरा	168	196	146	230
बिहार	60	54	39	44
उत्तर प्रदेश	221	494	378	317
हिमाचल प्रदेश (कांगड़ा तथा मंडी)	934	618	553	696
योग	4614	4926	3714 +	4781+

+ (आंकड़े अन्तिम हैं)

हरी चाय का निर्यात (परिमाण, हजार कि० ग्रा० में)

देश	वर्ष			
	1963	1964	1965	1966
अफगानिस्तान	2084	2310	1378	2191
अन्य देश	26	23	6	3
योग :	2110	2333	1384	2194

चाय बोर्ड की रिपोर्ट

3569. श्री हेमराज: क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1965–66 और 1966–67 के लिये चाय बोर्ड की रिपोर्ट तैयार हो गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो ये सभा के समक्ष कब तक प्रस्तुत की जायेंगी ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1665–66 के लिए चाय बोर्ड की बारहवीं वार्षिक प्रशासन रिपोर्ट 6 सितम्बर, 1966 को सभा-पटल पर रख दी गई थी। वर्ष 1966–67 की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। आशा है कि यह रिपोर्ट अगस्त, 1967 में किसी दिन सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

कांगड़ा तथा देहरादून की चाय

3570. श्री हेमराज : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कांगड़ा चाय बागान मालिकों की संस्था तथा देहरादून के चाय बागान मालिकों की ओर से कांगड़ा तथा देहरादून की चाय के मानक निर्धारित किये जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) मामले पर विचार किया जा रहा है ।

हिमाचल प्रदेश का भूतत्वीय सर्वेक्षण

3571. श्री हेमराज : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1963–64, 1965–66 और 1966–67 में हिमाचल प्रदेश का भूतत्वीय सर्वेक्षण किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना, रेड्डी) : (क) हां, महोदय ।

(ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की अनुसंधानों के फलस्वरूप धरम कोट, सतन तथा गगल में सीटि श्रेणी के चूना पत्थर तथा बखलाग में राक फास्फेट प्राप्त हुए हैं। चूना पत्थर निक्षेपों के वास्तविक संचयों के अनुमान लगाये जा रहे हैं ।

मिट्टी, तांबा अयस्क, अबरक और पाइराइट भी राज्य के कुछ भागों में प्राप्त हुए हैं । अनुसंधान प्रगति कर रहे हैं ।

जापान को लौह अयस्क का निर्यात

3572. श्री सु० कु० तापडिया : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान को लौह अयस्क का निर्यात धीरे–धीरे कम होता जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं :

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Drinking Water on Stations

3573. Shri Nathu Ram Ahirwar: Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is an acute shortage of drinking water on all the stations on the Agra-Gwalior Jhansi and Jhansi-Manikpur lines;

(b) whether it is also a fact that in this hot whether, the passengers are put to much inconvenience because of the non-availability of water at these stations; and

(c) if so, the arrangements Government propose to make for the supply of drinking water on these lines ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) to (c) As a result of scanty rain-fall during the last two years, there has been some shortage of water supply on these sections, but the shortage is not acute.

The existing wells at the railway stations on these Sections have been deepened or alternative sources of water have been tapped. Where water is not available locally, it is being supplied from nearby stations by trauelling water tanks. Additional water-chatties and water drums have been provided at the railway stations. Additional water-men have also been employed for the summer season. All possible effort is being made to ensure adequate supply of drinking water to the passengers. With the onset of monsoon, the position is expected to improve .

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

आसाम तथा पश्चिम बंगाल में अनाज की भारी कमी

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : मैं खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—'आसाम और पश्चिमी बंगाल में अनाज की भारी कमी"

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : यदि आप चाहें तो मैं इस वक्तव्य को पढ़ देता हूं अन्यथा इसे सभा पटल पर रख देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : वह इसे सभा-पटल पर रख सकते हैं ।

श्री जगजीवन राम : मैं विवरण सभा पटल पर रखता हूं ।
[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 769/67]

श्री हेम बरुआ : पश्चिम बंगाल में स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है और अनाज की गाड़ियों तथा बसों को लूटने की घटनाओं से यह बात स्पष्टत: सिद्ध हो जाती है । पश्चिम बंगाल में भूखमरी फैली हुई है । आसाम में भी भूखमरी फैल गई है और इस भूखमरी फैलने के मुख्य कारण हैं (1) राज्य व्यापार निगम द्वारा समय रहते अनाज का क्रय–विक्रय न करना तथा इसके परिणामस्वरूप अनाज का बचौलियों के हाथों में चला जाना, (2) आसम से पाकिस्तान तथा चीन को चोरी छिपे अनाज ले जाना बन्द करने में सरकार की असफलता तथा (3) मई और जून महीनों के लिये आसाम को अबंटित गेहूं का कलकत्ता से गोदाम के संचलन करने में सरकार को असफलता । वह गेहूं कलकत्ता के गोदामों में सड़ रहा है । इन कारणों से आसाम में कठिनाई आई है ।

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल तथा आसाम की मांगों को पूरा करने के लिये सरकार क्या विशेष कार्यवाही कर रही है ? क्या वह वहां लोगों को भूखा मरने देगी ?

श्री जगजीवन राम : यह कहना सच नहीं है कि सारे पश्चिम बंगाल तथा आसाम में भूखमरी फैल रही है। जहां तक आसाम के सम्बन्ध है, शायद माननीय सदस्य खाद्य निगम के कार्यों से परिचित नहीं है और इसी कारण उन्होंने खाद्य निगम पर दोष लगाया है।

श्री हेम बरुआ : खाद्य निगम ने आसाम के बाजारों में अनाज का क्रय-विक्रय बहुत देर से आरम्भ किया है और इसी कारण वह बचौलियों के हाथ में चला गया है।

श्री जगजीवन राम : शायद माननीय सदस्य को मालूम नहीं है। मैं उन्हें बता देता हूं कि जनवरी के उत्तरार्द्ध में राज्य सरकार द्वारा खाद्य निगम को अनाज का क्रय विक्रय करने को कहा गया था। अतः यह दोष खाद्य निगम का नहीं है कि उसने देर से खाद्यान्न का कारोबार आरम्भ किया है। यह दोष राज्य सरकार का है। और इसके लिये माननीय सदस्य हमें उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। मैंने स्वंय अपने वक्तव्य में कहा है कि आसाम में कठिनाई पैदा होने का कारण आसाम राज्य की अधिप्राप्ति व्यवस्था का भंग होना है। आसाम को चावल सप्लाई करने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की नहीं है।

पहले वर्षों में भी हम ने कभी आसाम को चावल सप्लाई नहीं किया है। जहां तक गेहूं की सप्लाई का प्रश्न है बिहार, उत्तरप्रदेश के कुछ भागों तथा मध्य प्रदेश में अत्यधिक सूखे की स्थिति होने के कारण गेहूं की आवंटित मात्रा में थोड़ी कटौती करनी पड़ी यह कहना ठीक नहीं है कि कलकत्ता के गोदामों में गेहूं सड़ रहा है। इस महीने हम ने आसाम को गेहूं का आवंटन बढ़ा दिया है और अब तक हम उन्हें 6,000 मीटरीक टन गेहूं दे चुके हैं तथा आवंटन को बढ़ा कर 10,000 मीटरीक टन किया गया है। मैं समझता हूं कि यदि राज्य सरकार खाद्य निगम की अब भी सहायता करे तो भी वहां काफी चावल की अधिप्राप्ति हो सकती है।

बंगाल के बारे में हमने कुछ कदम उठाये हैं। वहां भी अधिप्राप्ति पूर्वानुमान के अनुसार नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल के मंत्रियों ने यह घोषणा की थी कि दो लाख मीटरी टन चावल की अधिप्राप्ति की जायेगी परन्तु अभी तक वे केवल 40,000 मीटरीक टन चावल अधिप्राप्त करने में सफल हुए हैं। अतः इस में कोई संदेह नहीं कि यदि पश्चिम बंगाल सरकार अधिप्राप्ति के अपने कार्यक्रम को और सक्रिय करती है तो वह दो लाख मीटरीक टन चावल अधिप्राप्त करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकती है। हम पश्चिम बंगाल को जो कुछ सप्लाई कर रहे हैं, वह केवल उनकी आन्तरिक कमी की पूर्ति को लिये है। अधिप्राप्ति की उन की असफलता को ध्यान में रखते हुए हमने विशेष कार्यवाही की है। हमने आन्ध्रप्रदेश से 3,000 मीटरी टन उधार लेकर वहां भेजा है। अब तक उन्हें 54,000 मीटरी टन से अधिक गेहूं दिया जा चुका है और कुछ ही महीनों में 75,000 मीटरी टन की सप्लाई पूरी हो जायेगी। कल ही पंजाब से 10,000 टन गेहूं उन्हें आवंटित किया गया है तथा उसे भेजने के प्रयत्न किया जा रहे हैं। पिछले महीने पश्चिम बंगाल को 5,000 टन माइलो आवंटित किया गया था और इसे हम महीने दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सूखाग्रस्त क्षेत्रों में मुफ्त बांटने के लिये उन्हें 2,000 टन उधार गेहूं का आवंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि तीन महीने तक

सूखाग्रस्त क्षेत्रों में 500 भोजनालय चलाने के लिये 5,000 मन गेहूं प्रतिदिन देना मंजूर किय गया हैं ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : क्या पश्चिम बंगाल सरकार तथा खाद्य मंत्री के बीच हुई बातचीत में खाद्य मंत्री द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि केन्द्र सरकार खाद्यान्न की जितनी मात्रा देने को वचनबद्ध है उसकी सप्लाई की जायेगी तथा चावल के कोटे में कोई कमी नहीं की जायेगी ? क्या मन्त्री महोदय ने बाकूरा तथा पुरुलिया के अभावग्रस्त जिलों के लोगों को खाद्यान्न देने की केन्द्र की विशेष जिम्मेदारी के बारे में भी विचार-विमर्श किया है ?

श्री जगजीवनराम : राज्य सरकार को हमने जो आश्वासन दिया है, वह जून के अन्त तक के लिये ही है । इस के बाद कितनी सप्लाई की जा सकेगी, वह विदेशों से आमद तथा केन्द्र की उपलब्धि पर निर्भर है । पश्चिम बंगाल को चावल की सप्लाई करने में हम पूर्णतया उड़ीसा पर निर्भर हैं । उड़ीसा सरकार तथा उसके मुख्य मंत्री ने हमें पूर्ण सहयोग दिया है और इसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं । जुलाई तथा इसके बाद वाले महीनों की सप्लाई इस बात पर निर्भर है, कि उड़ीसा, हमें इस उद्देश्य के लिये कितना चावल देता है ।

राज्य के किसी विशेष सूखाग्रास्त क्षेत्र अथवा जिले के लिये हम कोई आवंटन नहीं करते हैं । यह राज्य की जिम्मेदारी है । जहां तक सहायता कार्यों का सम्बन्ध है, यह भी राज्य की जिम्मेदारी है । परन्तु यदि पश्चिम बंगाल सरकार का सहायता कार्यों, का खर्च इस उद्देश्य के लिये प्रतिवर्ष किये जाने वाले खर्च से बढ़ जाता है, तो केन्द्र सरकार उसका 75 प्रतिशत खर्च वहन करने की सामान्य परम्परा का पालन करेगी । मैंने स्वयं सेवी सस्थाओं से उस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में भोजनालय खोलने का अनुरोध किया है । यह प्रसन्नता की बात है कि बहुत स्वयंसेवी संस्थाओं ने वहां मुफ्त खाद्यान्न बांटने, मुफ्त भोजनालय खोलने, बच्चों, दूध पिलाने वाली स्त्रियों तथा गर्भवती स्त्रियों की देख भाल करने का काम आरम्भ कर दिया है ।

श्री अ० कु० किस्कु (झाड़ग्राम) : किसान को अपने खेत में अन्न पैदा करने में कम से कम तीन महीने लगेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि किसान को यह मानसिक आश्वासन दिलाने के लिये कि इन तीन महीने तक उसका पेट भरने में देश समर्थ है । क्या केन्द्र सरकार के लिये यह संभव होगा कि पश्चिम बंगाल को इन तीन महीने में कुछ अतिरिक्त खाद्यान्न दिया जाय ?

श्री जगजीवन राम : जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं अपने साधनों से यथा संभव अधिक खाद्यान्न देने की केन्द्र एवं राज्य दोनों की साझी जिम्मेदारी है । यदि पश्चिम बंगाल सरकार वसूली की अपनी व्यवस्था को अधिक प्रभावी करती है और केन्द्र खाद्यान्न की सप्लाई करने का अधिक से अधिक प्रयत्न करता है, जैसा कि वह कर रहा है, तो मैं समझता हूं कि हम पश्चिम बंगाल की न्यूनतम आवश्यकता को पूरी करने में सफल होंगे ।

श्री श० ना० माइती (मिदनापुर) : पश्चिम बंगाल में और विशेषतया बांकुरा तथा पुरुलिया जिलों में खाद्यान्न की अत्यधिक कमी को देखते हुए केन्द्र ने कितना अतिरिक्त खाद्यान्न देने का पश्चिम बंगाल के साथ पक्का करार किया है ?

श्री जगजीवन राम : जून के अन्ततक 15,000 टन चावल और 75,000 टन गेहूं प्रतिमास सप्लाई करने का हमारा करार है। पूर्वकथित कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, मैंने आन्ध्र प्रदेश से 3,000 टन जावल पंजाब से 10,000 गेहूं 5,000 टन माइलो तथा 2,000 टन गेहूँ उपहार स्वरूप भेजने की व्यवस्था की है। ये सब उपाय पश्चिम बंगाल को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिये किये गये हैं।

श्री स० चं० सामन्त (तामलुक) : खाद्य मंत्री ने पिछली बार हमें बताया था कि अमरीका से खाद्यान्न लाने वाले जहाज़ों को विशाखा पटनम् तथा अन्य बन्दरगाहों पर भेजा गया और इसलिये पश्चिम बंगाल को गेहूं का कोटा देने में देरी हुई। मैं जानना चाहता हूं कि इन जहाज़ो को अन्य स्थानों पर क्यों भेजा गया, जबकि गत चार अथवा पांच वर्षों, से ये जहाज़ हल्दिया बन्दरगाह पर आते रहे हैं, इनसे वहां खाद्यान्न उतारा जाता रहा है तथा कोटे की सप्लाई की जाती रही है ?

श्री जगजीवन राम : मैंने अब तो यह नहीं कहा है। वर्तमान कठिनाई यह है कि गेहूं नहीं आया है, इसलिये उतारने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री ह० प० चटर्जी (कृष्ण नगर) : पश्चिम बंगाल के बहुत से भागों में पटसन पैदा किया जाता है, जिससे हमें दुर्लभ मुद्रा प्राप्त होती है। उदहारणार्थ नादिया जिला, जो कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, पटसन पैदा करने वाला जिला है। इस बार वहां लोग पटसन की बजाए धान पैदा कर रहे हैं। वहां बहुत अच्छी फसल होने की आशा है। परन्तु ये कमी के महीने हैं और वहां लोग भूखे मर रहे हैं।

वहां कोई व्यवस्था नहीं है। लोग हज़ारों की तादाद में लोग दाने दाने को भटक रहे हैं। करीमपुर, कृष्णनगर, नाबद्धीप तथा शांतिपुर इत्यादि में जन साधारण द्वारा दुकानों तथा बाजारों को लूटने की घटनायें हुई हैं। इस बात को देखते हुए और इस बात को देखते हुए की खेती करने वाले किसान को आगामी फसल के लिये सहायता की जरुरत है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या खाद्य मंत्री उनकी सहायता करेंगे ?

श्री जगजीवन राम : जो कुछ मैंने कहा है, इसके अतिरिक्त मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता। अगामी फसल के आने तक पश्चिम कठिन स्थिति पर काबू पाने के लिये देश में खाद्यान्न की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए हम पश्चिम की बंगाल की यथा संभव अधिक सहयता कर रहे हैं।

श्री धीरेश्वर कलिता (गोहाटी) : माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में जो आंकड़े बताये है, वह उप-मन्त्री श्री एरिंग के 12 जून, 1967 के पत्र में लिखित आंकड़ों से भिन्न है। श्री एरिंग के पत्र में कहा गया है कि मई, 1967 के दौरान 3,800 टन अनाज भेजा गया, जब

कि माननीय मंत्री ने अपने आज के वक्तव्य में कहा है "जनवरी से मई, 1967 तक 35.7 हजार मीटरी टन गेहूं सप्लाई किया गया, जबकि 44.6 मीटरी टन गेहूं आवांटित किया गया था" माननीय खाद्य मंत्री बहुत से आश्वासन देते है, परन्तु उन्हें क्रियान्वित नहीं किया जाता। माननीय मंत्री ने आज ही कहा है कि आसाम को 6000 मीटरी टन गेहूं भेजा गया है। परन्तु मुझे एक तार प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि आसाम में अभी तक एक किलोग्राम गेहूं भी नहीं पहुंचा है और वहां मिलें बन्द पड़ी हैं। अत : मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री आसाम के गेहूं के कोटे में वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार करेंगे तथा जितना गेहूं भेजने का वचन दिया है, उसे अविलम्ब आसाम को भेजेंगे ?

श्री जगजीवन राम : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य उस समय सभा में उपस्थित थे, जब मैंने पश्चिम एशिया तथा स्वेज नहर के संकट के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई कठिनाई का उल्लेख किया था। इस कठिनाई को देखते हुए आसाम के कोटे में और वृद्धि करना संभव नहीं है।

श्री गणेश घोष (कलकत्ता दक्षिण) : केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल को 15,000 टन चावल और 85.000 टन गेहूं, नकि 75,000 टन जैसा कि मंत्री महोदय ने अभी कहा है, प्रतिमास देने का वचन दिया था।

निर्वाचन के तुरन्त बाद अप्रैल तथा मई के महीनों में जब स्वेज नहर का कोई संकट नहीं था, केन्द्र द्वारा पश्चिम बंगाल को खाद्यान्न का पूरा कोटा नहीं दिया गया। पश्चिम बंगाल के कोटे में से 53,000 टन अनाज अभी दिया जाना बाकी है। पश्चिम बंगाल में बिल्कुल अनाज नहीं है। लोग दुकानों एवं बाजारों को लूट रहे हैं। स्वेज नहर के संकट के होते हुए भी पंजाब ने बंगाल को चावल देने की पेशकश की है। उन्होंने गेहूं देने की भी पेशकश की है। मैं जानना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की असाधारण स्थिति को ध्यान में रखते हुए तथा इस बात को ध्यान में रखते हुये कि पश्चिम बंगाल को खाद्यान्न की सप्लाई करने में केन्द्रीय सरकार असफल रही है, क्योंकि वहां संयुक्त विधायक दल की सरकार है क्या केन्द्र सरकार पश्चिम बंगाल सरकार को पंजाब से गेहूं और चावल लेने की अनुमति देगी ?

श्री जगजीवन राम : माननीय सदस्य को तथ्यों की पूरी जानकारी नहीं है। जून के महीने से पहले चावल की सप्लाई में कभी कमी नहीं हुई, केवल गेहूं की सप्लाई में कमी हुई थी। जहां तक पंजाब का सम्बन्ध है, ऐसा मालूम होता है कि इस बारे में मैंने पहले जो कुछ कहा है, माननीय सदस्य ने उसे सुना नहीं है।

डा० रानेन सेन (बारसाट) : प्रश्न यह पूछा गया है कि स्वेज नहर का संकट होने से पहले पश्चिम बंगाल को गेहूँ की सप्लाई में कमी क्यों हुई ?

श्री जगजीवन राम : मैं पहले ही कह चुका हूँ कि पश्चिम बंगाल के अलावा सूखा ग्रस्त अन्य क्षेत्रों से अधिक गंभीर स्थिति होने के कारण खाद्यान्न उपलब्ध नहीं था।

श्री नायनार (पालघाट) : माननीय मन्त्री ने अपने वक्तव्य में कहा है "यह भी उल्लेखनीय है कि मार्च, 1967 से पश्चिमी बंगाल को राज्य में से दो लाख मीटरीक टन चावल

वसूल करने की आशा थी। लेकिन वे अब तक लगभग 40,000 मीटरीक टन चावल वसूल करने में समर्थ हुए हैं। पश्चिम बंगाल को अपनी चावल सम्बन्धी आवश्यकतायें अधिकांशतः अपनी आन्तरिक उपलब्धि से पूरी करनी पड़ेगी। केन्द्र के लिए राज्य की चावल की सभी वितरण सम्बन्धी आवश्यकतायें पूरी करना सम्भव नहीं है।'

इसका अर्थ यह हुआ कि सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। क्या यह पश्चिमी बंगाल की गैर-कांग्रेसी सरकार के साथ भेदभाव करना नहीं है। पिछले वर्ष जब वहां कांग्रेसी सरकार थी, तो केन्द्रीय सरकार ने खाद्य के बारे में उन्हें सहायता दी थी। क्या केन्द्रीय सरकार अब भी सहायता करेगी ?

श्री जगजीवन राम : यह तो केवल केन्द्र तथा राज्य दोनों के संयुक्त सहयोग पर निर्भर है। यदि राज्य सरकार अपने वसूली के कार्यक्रम को अधिक सक्रिय बनाती है, तथा हम राज्य को सप्लाई करते हैं, जैसा कि उड़ीसा की सहायता से हम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ, हम स्थिति पर काबू पा लेंगे।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर) : माननीय मन्त्री हाल ही में कलकत्ता गये थे। मैं समझता हूँ वहां उन्होंने वहां के मुख्य मन्त्री तथा खाद्य मन्त्री से विचार-विमर्श किया होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उन्हें यह बताया गया था कि जून तक के करार के अतिरिक्त, जुलाई तथा अगस्त के महीनों के लिए पश्चिमी बंगाल को केन्द्रीय खाद्य पूल से कितने खाद्यान्न की आवश्यकता पड़ेगी तथा वह कितना खाद्यान्न देने की स्थिति में है ?

श्री जगजीवन राम : मैंने पश्चिमी बंगाल के मुख्य मन्त्री तथा खाद्य मन्त्री ही नहीं, अपितु सारे मन्त्री मण्डल से विचार-विमर्श किया था। फसल के आने से पहले इन कमी के महीनों में पश्चिमी बंगाल को आवश्यकता के बारे में विचार-विमर्श किया गया था। जहां तक 15,000 टन चावल सप्लाई करने का प्रश्न है, मैं इस मामले को पुनः उड़ीसा सरकार से साथ उठाऊंगा और मुझे आशा है उड़ीसा सरकार यह सप्लाई करने को सहमत हो जायेगी। 75,000 टन गेहूँ की सप्लाई केन्द्र द्वारा की जायेगी और इसके अतिरिक्त प्रतिमास 15,000 टन की और सप्लाई करने का प्रयत्न किया जायेगा।

श्री हो०ना० मुकर्जी (कलकता उत्तर-पूर्व) : जहां तक मैं समझ सका हूँ मार्च और जून के महीनों के बीच पश्चिम बंगाल को गेहूँ की सप्लाई में 43,000 टन की कमी रही है। यद्यपि बिहार की आवश्यकता अधिक थी, क्योंकि वहां स्थिति ज्यादा खराब थी अपितु उस समय पुरुलिया तथा बंकूरा में भी भूखमरी की हालत थी। मई में वहां स्थिति बहुत गम्भीर हो गई थी और भूख के कारण लोगों की मृत्यु होने के समाचार आने लगे थे। मैं जानना चाहता था कि सप्लाई में जो कमी हुई है क्या उसकी पूर्ति हो जायेगी अथवा नहीं ? मुझे डर है कि जून के बाद केन्द्र वहां सप्लाई करने की जिम्मेदारी नहीं लेगा और वहां संकट आयेगा। माननीय मन्त्री को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

श्री जगजीवन राम : मार्च के महीने में सप्लाई में कोई कमी नहीं हुई, अपितु अप्रैल-मई के महीने में कमी हुई थी। इस बात को मैंने सभा में स्वीकार किया है। जहां तक पुरुलिया तथा

बंकूरा का सम्बन्ध है मैं नहीं समझता कि पश्चिम बंगाल सरकार भी उनकी स्थिति के बारे में जागरूक है, क्योंकि बड़े-बड़े सहायता कार्य वहां अभी आरम्भ किये गये हैं। मैंने पश्चिम बंगाल सरकार को आश्वासन दिया है कि जुलाई-अगस्त और सितम्बर के लिए 15,000 टन प्रति मास का आवंटन किया जा रहा है।

श्री हुमायून कबिर (बालेरहाट) : मैं इस बात की सराहना करता हूँ कि पंजाब से 10,000 टन गेहूँ तथा कुछ टोटा चावल दिया गया है। मैं माननीय मन्त्री से दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या माननीय मन्त्री ने आस्ट्रेलिया तथा तेवान से चावल मंगाने के प्रश्न पर भी विचार किया है ? मैं समझता हूँ कि वहां चावल उपलब्ध है और उसे आसानी से भारत में मंगाया जा सकता है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या पंजाब से कुछ चावल बंगाल नहीं भेजा जा सकता। भारत सरकार अधिकतर चावल कश्मीर भेज रही है। वर्ष 1958-59 के कमी वाले वर्ष में भी कश्मीर का चावल का कोटा 50,000 टन का था, परन्तु अब उसे बढ़ाकर 1,50,000 टन कर दिया गया है। क्या माननीय मन्त्री इस बात की जांच करेंगे कि क्या पंजाब, उड़ीसा अथवा आन्ध्र प्रदेश से बंगाल को कुछ अतिरिक्त चावल दिया जा सकता है।

श्री जगजीवन राम : यदि आन्ध्र प्रदेश केरल को अपने करार से अधिक चावल देने को सहमत हो जाता है और यदि केरल भी पश्चिम बंगाल को चावल देने को रजामन्द हो जाता है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

जहां तक जम्मू तथा काश्मीर को चावल की सप्लाई का प्रश्न है, माननीय सदस्य की जानकारी सही नहीं है। वास्तव में पंजाब में बहुत थोड़ी मात्रा में चावल उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल को जो चावल दिया गया है, वह टोटा चावल है। हां, यदि पश्चिम बंगाल सरकार उसे ठीक समझती है तथा पंजाब सरकार व्यापारियों से जिनके पास यह चावल है, इसे वसूल कर लेती है तो इसे पश्चिम बंगाल भेज दिया जायेगा।

श्री हुमायून कबिर : आस्ट्रेलिया तथा तेवान के बारे में नहीं बताया गया।

श्री जगजीवन राम : आस्ट्रेलिया से हम गेहूं ले रहे हैं। तेवान के बारे में मुझे जानकारी नहीं है।

श्री चित्तरंजन राय (जयनगर) : पश्चिम बंगाल की स्थिति बहुत चिन्ताजनक है। भूख कोई कानून नहीं जानती। यह ज्ञात ही है कि वहां खाद्य के बारे में दंगे आरम्भ हो गये हैं। केन्द्र सरकार ने सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर डाल दी है कि वह वसूली करने में असफल रही है। क्या केन्द्र सरकार इस समस्या को हल करने का प्रयत्न करेगी तथा इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेगी और पश्चिम बंगाल सरकार को आन्ध्र प्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा से खाद्यान्न खरीदने की अनुमति देगी ?

श्री जगजीवन राम : कानून तथा व्यवस्था बनाये रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। यदि अशांति फैलती है तो यह उस राज्य की सरकार के अक्षम्य होने का सबूत है। जहां

तक जिम्मेदारी का प्रश्न है, केन्द्र सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ले सकता। आन्ध्र प्रदेश ने 3,000 टन उधार देकर उदारता का परिचय दिया है। जहां तक अन्य राज्यों का प्रश्न है, वहां दूसरे राज्य को वसूली करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

सभापटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

लवण विभाग आदि का प्रतिवेदन

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) लवण विभाग के वर्ष 1965-66 के प्रतिवेदन की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 758/67]**

(2) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–क की उपधारा (1) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर, के 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 759/67]**

(3) राष्ट्रीय उत्पादन परिषद् के 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल०टी० 760/67]**

(4) भारतीय मानक संस्था के 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल०टी० 761/67]**

(5) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत ट्रेक्टर (मूल्य नियन्त्रण आदेश. 1967 की एक प्रति जो दिनांक 30 मार्च, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1118 में प्रकाशित हुआ था।

(6) ट्रेक्टर (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1967 की धारा 4 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) एस० ओ० 1119 जो दिनांक 30 मार्च, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) एस० ओ० 1435 जो दिनांक 18 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(7) उक्त मद (5) और (6) की अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण ।

बोकारो स्टील लिमिटेड के संस्था के अन्तर्नियमों में संशोधन आदि

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री (डा० चन्ना रेड्डी) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) बोकारो स्टील लिमिटेड के संस्था के अन्तर्नियमों में संशोधन की एक प्रति जो बोकारो स्टील लिमिटेड के सदस्यों की 20 जनवरी, 1967 को हुई असाधारण सामान्य बैठक में स्वीकार किया गया था ।

(2) बोकारो स्टील लिमिटेड के संस्था के ज्ञापन तथा संस्था के अन्तर्नियमों में संशोधन की एक प्रति जो बोकारो स्टील लिमिटेड के सदस्यों की 20 मार्च, 1967 को हुई असाधारण सामान्य बैठक में स्वीकार किये गये थे ।

(3) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–क की उपधारा (1) के अन्तर्गत बोकारो स्टील लिमिटेड के 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखा-परीक्षित लेखा तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा । [**पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 763/67**]

(4) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–क की उपधारा (1) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड, कलकत्ता, के 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(5) उक्त मद (4) के प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण ।

(6) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1965 की धारा 619–क की उपधारा (1) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड, कलकत्ता, के 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा। [**पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 764/67**]

कोयला बोर्ड के लेखे सम्बन्धी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं कोयला खान (पुरिक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम, 1952 की धारा 12 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कोयला बोर्ड के 1965-66 के लेखे सम्बन्धी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ। [**पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 765/67**]

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के लेखे

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : मैं निम्न पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :–

(1) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के 1964-65 के वार्षिक लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। [**पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 766/67**]

(2) कपड़ा समिति अधिनियम, 1963 की धारा 13 की उपधारा (4) के अन्तर्गत 22 अगस्त, 1964 से 31 मार्च, 1965 तक की अवधि के लिए कपड़ा समिति के लेखे सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति। [**पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 767/67**]

(3) रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 25 की उपधारा (3) के अन्तर्गत रबड़ बोर्ड (सेवा) संशोधन नियम, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 10 जून, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 901 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 768/67**]

राज्य-सभा से सन्देश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : महोदय, राज्य सभा ने अपनी 16 जून, 1967 की बैठक में लोक सभा की इस सिफारिश से सहमति प्रकट की है कि लाभ पदों सम्बन्धी संसद की दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में वह सम्मिलित हो।

मैं लोक सभा को यह भी बताना चाहता हूं कि राज्य सभा में 22 जून, 1967 की बैठक में निम्न सदस्यों को उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए निर्वाचित घोषित किया है:–

(1) श्री सुन्दर सिंह भण्डारी

(2) श्री लोक नाथ मिश्र

(3) श्री नारायण पत्रा

(4) श्री वीरेन राय

(5) श्री एच० वी० त्रिपाठी ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति
PUBLIC UNDERTAKINGS COMMITTEE

पहला प्रतिवेदन

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज) : मैं प्राक्कलन समिति (तीसरी लोक-सभा) के 47वें प्रतिवेदन—निर्यात जोखिम बीमा निगम लिमिटेड, बम्बई (जिसे अब निर्यात प्रत्यय तथा गारण्टी निगम लिमिटेड, बम्बई, का रूप दिया गया था)—में गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का पहला प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ ।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

पहला प्रतिवेदन

श्री तिरुमल राव (कारीनाडा) : महोदय, मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का पहला प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

**इसके पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2 बजे म० प०
तक के लिए स्थगित हुई**

The Lok Sabha then adjourned for lunch till 14 of the clock.

**लोक सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात दो बज कर पांच मिनट
म० प० पर पुनः समवेत हुई**

The Lok Sabha reassembled after lunch at Five Minutes past fourteen of the Clock.

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

संसद कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : महोदय 26 जून, 1967 से 21 जुलाई 1967 तक इस सभा में निम्न कार्य पर चर्चा होगी :–

(1) आज की कार्य सूची में लिखे सरकारी कार्य जिन पर पूरी चर्चा नहीं हुई है, पर चर्चा ।

(2) मैंने 9 जून 1967 को सामान्य बजट के बारे में जो घोषणा की थी उसकी अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान ।

(3) 22 जून 1967 को गृह कार्य मंत्री ने आपात स्थिति के बारे में जो वक्तव्य दिया उस पर नियम संख्या 193 के अन्तर्गत 26 जून 1967 को 4 बजे चर्चा ।

सदस्यों के पास लोक सभा सचिवालय द्वारा एक ओर विवरण प्रसारित किया है जिसमें प्रत्येक मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के बारे में लिखा है ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : आपात काल स्थिति के बारे में मेरा सुझाव यह है कि हम यह चर्चा नियम संख्या 184 के अन्तर्गत ले ताकि उस पर संशोधन पेश किये जा सकें और इससे सरकार को भी सहायता मिलेगी । नियम 193 में सभा का निर्णय नहीं होगा केवल चर्चा होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय ने इन सब बातों पर विचार करने के पश्चात नियम संख्या 193 के अन्तर्गत चर्चा की स्वीकृति दी है ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि पहला नोटिस नियम संख्या 184 के अन्तर्गत प्राप्त हुआ था अथवा नियम संख्या 193 के अन्तर्गत ? जो नोटिस पहले प्राप्त हुआ था उसी को पहले स्वीकार करना होगा ।

डा० राम सुभग सिंह : महोदय निर्णय तो आपको लेना है परन्तु हम तो इसे नियम संख्या 193 के अन्तर्गत चाहते हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : पहला नोटिस किसने दिया ?

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur) : On which notice is this disscussion taking place ?

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : इस प्रस्ताव का नोटिस नियम संख्या 184 के अन्तर्गत दिया है और अध्यक्ष को उसे मानना होगा क्योंकि वह नियम आदेश के रूप में है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह सारे विचार अध्यक्ष के पास पहुँचा दूंगा। इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री स० मो० बनर्जी। आपको याद होगा कि पहले भी हम मंत्री महोदय से प्रार्थना कर चुके हैं कि कुछ पत्र सभा पटल पर रखें। इस सभा में एकाधिकार जांच आयोग तथा डा० हजारी के प्रतिवेदनों पर चर्चा यहां होगी। मैं श्री मधु लिमये तथा कुछ अन्य सदस्य चाहते हैं कि न्यू एशियाटिक इन्शोरेंस कम्पनी तथा रुबी जनरल इन्शोरेंस कम्पनी के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को भी सभा पटल पर रखा जाये और हम उनकी प्रतियां भी चाहते हैं। जब वित्त मंत्री ने गजेन्द्रगडकर आयोग का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा तो हमने प्रार्थना की थी कि इस पर चर्चा करने का शीघ्र अवसर दिया जाये। हम चाहते हैं कि इस पर तुरन्त चर्चा हो।

जब रक्षा विभाग में कुछ केन्द्रीय पानी ले जाने वाले तथा सफाई का कार्य करने वाले कर्मचारियों को बचत करने के कारण छंटनी की थी और इस पर एक अविलम्बनीय लोक महत्व का नोटिस स्वीकार कर लिया था तो अध्यक्ष महोदय मान गये थे कि इस पर पूरी चर्चा हो। इसके लिये भी अवसर दिया जाना चाहिए।

Shri Prakash Vir Shastri : The committee which decides about the "no named motions" has admitted for discussion two such motions. One of them pertains to the tension on our borders as a result of arms aid to Pakistan by U.S.A. The other relates to the motion on the West Asian situation. Although decision about the discussion on these vital issues was taken about three weeks back yet the same have been discussed here. I want these to be discussed next week.

Shri Sidheshwar Prasad (Nalanda) : Previously there used to be a discussion on international situation but the same is not being done now, I want it to be revived.

श्री काशी नाथ पाण्डेय (पदरौना) : मेरा चीनी सम्बन्धी स्थिति के बारे में चर्चा का नोटिस स्वीकृत हो चुका है। उस पर चर्चा करने का अवसर दिया जाना चाहिये।

Shri S. M. Joshi (Poona) : I support the demand of Shri S. M. Banerjee that there should be a discussion on Gijendragadkar Commission's report.

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : एक दिन पश्चिम एशिया के संकट तथा उससे जो पाठ इस देश ने सीखा है के संबंध में चर्चा करने के लिये रखा जाये।

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : The report of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be discussed at an early date.

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक एक घंटे की दो चर्चा होनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : पहली प्राथमिकता तो वित्तीय कार्य को दी जायेगी।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : The non-defence employees in the Defence Ministry are being retrenched on a big scale. That should be discussed here.

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : एक पूरा दिन अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के लिये रखा जाये ।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम) : अन्तर्राष्ट्रीय मामलों की चर्चा के लिये केवल 7 घंटे रखे गये हैं । इस समय को बढ़ाया जाये ।

Shri Bibhuti Mishra (Motipari) : Sir this is the budget session and the greatest impo tance should be given to passing of budget, all other subject can be discussed at the time of discussion on demands for grants of various ministries.

श्री सोनावने (पेंढरपुर) : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धा प्रतिवेदन पर चर्चा होनी चाहिये ।

श्री अमृत नाहाटा (बाडमेर) : विदेशी मामलों पर हमें पूरी तरह चर्चा करनी चाहिये ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं श्री सोनावने आदि से सहमत हूं कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी प्रतिवेदन पर विचार किया जाना चाहिये । परन्तु इसके लिये समय बजट पास होने के पश्चात ही मिलेगा क्योंकि यह बजट सत्र है ।

Shri Madhu Limaye : Atleast Hazari Committee Report should be discussed.

Dr. **Ram Subhag Singh** : The hon. Deputy Prime Minister informed that other day that it will be discussed after the cabinet has taken a decision on it.

Shri S. M. Banerjee : It will be better if the Cabinet discusses it after listening to the views here in the House about it.

डा राम सुभग सिंह : रूबी तथा एशियाटिक कम्पनियों सम्बन्धी लेखा परीक्षा के प्रतिवेदनों के बारे ने पहले एक बार वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री में यह कहा था कि वे गुप्त प्रतिवेदन है । फिर भी मैं संबंधित मत्रियों से बात करूंगा और जहां तक संभव होगा सदस्यों की मांग पूरी करने का प्रयास करूंगा ।

We will try to find time for discussion on no-day yet named motions pertaining to Pakistan and China. About retrenchment of defence employees, the same can be discussed when the demands of the Ministry of Defence are taken up. The discussion on the external affairs ministry will be taken up on 12th July. The time on it can be extended by the speaker.

श्री स० मो० बनर्जी : महोदय हजारी रिपोर्ट से पहले न्यू एशियाटिक तथा रूबा जनरल इन्शोरेंस कम्पनियों के लेखापरिक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा की जाये ।

पूर्व तथा दक्षिण—पूर्व रेलवे के कुछ सेक्शनों पर रेलवे सेवायें अव्यवस्थित हो जाने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. DISLOCATION OF TRAIN SERVICE ON CERATIN SECTIONS OF EASTERN SOUTH, EASTERN RAILWAYS

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : 1 अप्रैल से 17 जून, 1967 के बीच पश्चिमी बंगाल में पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलों में गाड़ियों के रोके जाने की 128 घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं के कारण कई गाड़ियां रुकी रहीं और बहुत सी गाड़ियां रद्द करनी पड़ीं। इससे यात्रा करने वाली जनता को बड़ी असुविधा हुई है। इन घटनाओं का सम्बन्ध अधिकतर चावल की तस्करी और लूटपाट से और समाज विरोधी तत्वों की गुण्डागर्दी से है। इसके अलावा लूट-मार की 6 घटनाएं भी हुई हैं। 35 रेल कर्मचारियों पर हमला किया गया जिससे वे घायल हो गये। समाज-विरोधी तत्वों ने खतरे की जंजीर खींच कर, होज पाइप को काटकर और रेलवे लाइन पर बैठकर गाड़ियों को रोका।

इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि गाड़ियों के संचालन और गाड़ी गुजारने वाले रेल कर्मचारियों के काम में दखल देना बहुत खतरनाक बात है क्योंकि धमकी में आकर और मनोबल गिर जाने से रेल कर्मचारी ऐसा काम करने के लिए बाध्य हो सकते हैं जो गाड़ियों के निरापद संचालन के हित में न हो। स्थिति यह है कि गाड़ियों का समय पर चलना और जनता को दक्ष सेवा उपलब्ध करना कठिन हो गया है। कुछ अवसरों पर गाड़ियों को अनुचित रूप से रोक लिये जाने के कारण महत्वपूर्ण खण्डों पर कुछ समय तक यातायात पूरी तरह बन्द कर देना पड़ा है।

पूर्व रेलवे के महाप्रबन्धक ने पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री से भेंट की और उन्हें स्थिति से अवगत कराया। समय-समय पर पश्चिमी बंगाल के पुलिस अधिकारियों को भी इन घटनाओं की सूचना दी जाती रही है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए महाप्रबन्धक ने मुख्य मंत्री से रेलों की सहायता करने का अनुरोध किया ताकि गाड़ियों का सामान्य संचालन कायम रखा जा सके। चूंकि स्थिति बराबर बिगड़ती जा रही थी और जिलों में शान्ति और व्यवस्था की कठिन स्थिति के कारण राज्य की रिजर्व पुलिस की पूरी शक्ति उस ओर लगी हुई थी, पश्चिमी बंगाल के पुलिस महानिरीक्षक ने 20 जून को रेलवे सुरक्षा दल के महानिरीक्षक को बेतार-संदेश भेज कर उनसे अनुरोध किया कि रेलवे सुरक्षा दल की 8 कम्पनियां भेज दी जायें। रेलवे सुरक्षा दल के महानिरीक्षक ने तुरन्त कार्यवाही की और उसी दिन कम्पनियां कलकता भेज दीं। 22 जून को रेलवे सुरक्षा दल के महानिरीक्षक हवाई जहाज से कलकता गये और उन्होंने पश्चिमी बंगाल के पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अपर महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों के साथ विचार-विमर्श किया। पश्चिमी बंगाल के पुलिस महानिरीक्षक ने रेल मंत्रालय द्वारा तुरन्त कार्यवाई किये जाने पर आभार प्रदर्शित किया है।

पश्चिमी बंगाल के पुलिस महानिरीक्षक ने रेलवे सुरक्षा दल के महानिरीक्षक को आश्वासन दिया है कि अव्यवस्था फैलाने वाले तत्वों के विरुद्ध रेलों की रक्षा के लिए राज्य पुलिस अपने प्रयास में कोई कसर न उठा रखेगी।

यह निश्चित किया गया है कि गाड़ियों के साथ चलने के लिए राज्य पुलिस एक सब-इंस्पेक्टर या एक सहायक सब इंस्पेक्टर के साथ पुलिस दल भेजेगी और रेलवे सुरक्षा विशेष दल के लोग भी शामिल रहेंगे। पूर्व, दक्षिण पूर्व और पूर्वोत्तर-सीमा रेलों के मुख्य सुरक्षा अधिकारी पश्चिमी बंगाल पुलिस को पूरी सहायता दे रहे हैं।

इस व्यवस्था के फलस्वरूप यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो जायेगी। समाज विरोधी तत्वों ने यात्रियों को बहुत परेशान कर रखा था। यात्री सम्बन्धित प्राधिकारियों पर इस बात के लिए जोर दे रहे थे कि सवारी गाड़ियों के साथ सशस्त्र रक्षक भेजे जायें।

गृह मंत्रालय को भी इस स्थिति से अवगत किया जाता रहा है। गाड़ियों के निरापद संचालन के लिए सामान्य स्थिति लाने के लिए सभी संभव उपाय किये जा रहे हैं।

मैंने महसूस किया कि इस स्थिति की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान भी दिलाया जाना चाहिए, क्योंकि माननीय सदस्य इस क्षेत्र के सम्बन्ध में सही स्थिति जानने के लिए व्यग्र होंगे।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आपको समय दूं तो बहुत सदस्यों को समय देना होगा।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Sir we want to discuss West Bengal situation as there is no law and order there,

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : आप वहां के मुख्यमन्त्री से सूचना लीजिये। यह पश्चिमी बंगाल की सरकार को हानि पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें यात्रा तथा कानून और व्यवस्था का मामला है और बहुत से सदस्य प्रश्न पूछना चाहेंगे। परन्तु यह अवसर बाद में दिया जायेगा।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : आपने यह कह कर कि वहां यात्रा करना कठिन हो गया है, एक कठिन समस्या उत्पन्न कर दी है। इस प्रकार सदन की कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये थी।

मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस प्रकार के विचार व्यक्त न किया करें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने रेलवे के उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए ही ऐसे विचार व्यक्त किये थे।

श्री ही० ना० मुकर्जी : आपको ऐसे विचार व्यक्त करने का कोई मतलब नहीं है जिनकी भिन्न प्रकार से व्याख्या की जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी समझ में यह नहीं आता कि आप इतने भावुक क्यों हो।

श्री ही० ना० मुकर्जी : क्योंकि आपने अध्यक्षपीठ से ऐसा व्यवहार किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब और प्रश्नों की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री ही० ना० मुकर्जी : आप इस समय अध्यक्षपीठ पर हैं, कांग्रेस सदस्य नहीं।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : आपको कार्यवाही वृत्तान्त से अपनी टिप्पणी निकाल देनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे आपको निर्देश देना ही पड़ेगा।

श्री स० मो० बनर्जी : आप बहुत सी चीजें कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने स्थान पर बैठ जाइये।

श्री स० मो० बनर्जी : परन्तु पश्चिम बंगाल की सरकार को बदनाम करने का प्रयास अवश्य किया गया है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : आप अध्यक्षपीठ से सरकार के मामले का समर्थन नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने तथ्यपूर्ण विचार व्यक्त किया है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : आप यह मत भूलिये कि आप उपाध्यक्ष हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कोई आपत्तिजनक बात नहीं कही है। मैंने कहा है कि मैं सभी सम्बन्धित सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा, परन्तु अभी नहीं बाद में। अतः श्री बनर्जी ने जो टिप्पणी की है मुझे उस पर आपत्ति है। यदि उन्होंने पुनः ऐसा किया तो मुझे उनके विरुद्ध कार्यवाही करनी पड़ेगी।

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने कौनसी टिप्पणी की है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने स्थान पर बैठ जाइये।

श्री कृष्णमूर्ति (कडुलूर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। रेलवे मन्त्री ने रेलवे के बारे में एक वक्तव्य दिया है। अब यह सभा पर निर्भर करता है कि वह इस पर चर्चा करती है कि अथवा जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछती है। परन्तु आपने अकस्मात यह आरोप लगा दिया। क्या यह उचित है ? मैं केवल यह ही जानना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने यह विचार इसलिए व्यक्त किया था ताकि यह पता लग जाये कि इस मामले पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री कृष्णमूर्ति : परन्तु सभा उससे सहमत नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब बहुत से सदस्य खड़े हो रहे थे तो मैंने कहा था कि मैं प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री कृष्णमूर्ति : आप किसी बात पर पूर्व अनुमान लगा कर विचार व्यक्त नहीं कर सकते ।

उपाध्यक्ष महोदय : उसमें आपत्तिजनक बात क्या थी । ऐसे वक्तव्य पर विचार व्यक्त करना मेरा अधिकार है ।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : क्या आप यह आश्वासन देते हैं कि आपका अभिप्राय: पश्चिम बंगाल सरकार की कार्य कुशलता, क्षमता आदि पर लांछन लगाना नहीं था ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा यह बिल्कुल अभिप्राय: नहीं था ।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : पश्चिम बंग ल में गृह-युद्ध हो रहा है। वहां गाड़ियां लूटी जा रही हैं । वहां की सरकार के लिए यह शर्म की बात है ।

श्री विरमल राव (काकिनाडा) : माननीय मन्त्री ने तथ्यपूर्ण वक्तव्य दिया है । उन्होंने जो जानकारी उन्हें पश्चिम बंगाल के कार्यालयों से मिली है वही बताई है । इसमें अध्यक्षपीठ द्वारा लांछन लगाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता । आपने यह विनिर्णय दिया है कि यदि दूसरी ओर के माननीय सदस्यों को कोई आपत्ति हो तो इस मामले पर आधे घण्टे अथवा एक घण्टे की चर्चा के रूप में विचार किया जा सकता है । माननीय मन्त्री इस तरह से आपके विनिर्णय का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं ।

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : Sir, on a point of order.

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आपने यह कह कर कि आप किर्स के प्रश्न को नहीं सुनेंगे अन्य सदस्यों को बोलने का अवसर दिया । मुझे इस पर आपत्ति है ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि दूसरी ओर के सदस्यों को भी अवसर प्रदान किया गया है ।

श्री हेम बरुआ : हमें यह आपत्ति इसलिए है क्योंकि आपने हमें कहा था कि बाद में आपको बोलने का अवसर दिया जाएगा और अब नहीं दिया जा रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी किसी भी प्रकार की उपेक्षा नहीं की जाती है ।

श्री हेम बरुआ : मेरी यह शिकायत है कि चूंकि मैं अल्प-विकसित राज्य से आया हूं इसलिये मेरी उपेक्षा की जाती है । क्योंकि अध्यक्षपीठ की सदा ऐसी प्रवृत्ति रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप जैसे व्यक्ति को ऐसे विचार व्यक्त नहीं करने चाहिए ।

श्री नायनार (पालघाट) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यदि आप प्रश्न पूछने की अनुमति दे देते तो उस पर इससे कम समय लगता जितना इस तरह से लग गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री स्थिति का सही मूल्यांकन बता चुके हैं।

श्री नायनार : हम उस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं।

श्री कंडप्पन (मैटूर) : आप कैसे कह सकते हैं कि यह सही है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह मेरा विचार है।

Shri Hukam Chand Kachwai : Our anxiety has been intensified by the statement given by the hon. Minister. The lives of the persons there is not save.

उपाध्यक्ष महोदय : यह मामला बाद में उठाया जा सकता है।

Shri Hukam Chand Kachwai : We want to seek more information from the hon. Minister.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगला विषय लेंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या ५४१ के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO STARRED QUESTION NO. 541

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : लोक सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 541 के 16 जून, 1967 को दिये गये उत्तर में मैंने यह बताया था—

(संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा घोषित एक टन स्टैण्डर्ड ग्रेड इस्पात का रुपयों में मूल्य)

मद	1-5-67 से पहले मूल्य गम्यस्थान के रेलवे स्टेशन तक निष्प्रभार	1-5-67 के पश्चात् मूल्य गम्यस्थान रेलवे स्टेशन तक निष्प्रभार	मूल्य में वृद्धि	प्रतिशत वृद्धि
पहिये और टायर*				
नये डिजाइन के	1286	1356	70	5
पुराने डिजाइन के	1140	1373	233	20
धुरे*				
नये डिजाइन के	1394	1416	70	5
पुराने डिजाइन के	1109	1342	233	21

*एफ० ओ० आर० वर्क्स

संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा 15 मई, 1967 को की गई मूल्य घोषणा में गलती थी जो उन्होंने अब ठीक करली है। सही स्थिति इस प्रकार है—

मद	1-5-67 से पहले मूल्य गम्यस्थान के रेलवे स्टेशन तक निष्प्रभार	1-5-67 के पश्चात् मूल्य गम्यस्थान रेलवे स्टेशन तक निष्प्रभार	मूल्य में वृद्धि	प्रतिशत वृद्धि
पहिये और टायर*				
नये डिजाइन के	1286	1356	70	5
पुराने डिजाइन के	1140	1210	70	6
धुरे*				
नये डिजाइन के	1394	1464	70	5
पुराने डिजाइन के	2209	1179	70	6

*एफ० ओ० आर० वर्क्स

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बारे में कुछ कहना है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने शुद्धि कर दी है। आप इसे किसी और अवसर पर कह सकते हैं।

समितियों के लिये निर्वाचन
ELECTIONS TO COMMITTEES

(एक) काफी बोर्ड

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : मैं श्री दिनेश सिंह की ओर से प्रस्ताव करता हूँ :—

"कि काफी अधिनियम, 1942 की धारा 4 की उप-धारा (2) (बी) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, तीन वर्ष की अवधि के लिए काफी बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुनें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि काफी अधिनियम, 1942 की धारा 4 की उप-धारा (2) (बी) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, तीन वर्ष की अवधि के लिए काफी बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

(दो) रबड़ बोर्ड

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : मैं श्री दिनेश सिंह की ओर से प्रस्ताव करता हूँ :—

"कि रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 4 की उप-धारा (3) (ई) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यश निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, तीन वर्ष की अवधि के लिए रबड़ बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुनें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 4 की उप-धारा (3) (ई) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, तीन वर्ष की अवधि के लिए रबड़ बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

(तीन) इलायची बोर्ड

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : मैं श्री दिनेश सिंह की ओर से प्रस्ताव करता हूं :—

"कि इलायची अधिनियम, 1965 की धारा 4 की उप-धारा (3) (सी) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, तीन वर्ष की अवधि के लिए इलायची बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुनें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इलायची अधिनियम, 1965 की धारा 4 की उप-धारा (3) (सी) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों

के अधीन रहते हुए, तीन वर्ष की अवधि के लिए इलायची बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

नियम समिति
RULES COMMITTEE

दूसरा प्रतिवेदन

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं यह प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा नियम समिति के दूसरे प्रतिवेदन से, जो 22 जून, 1967 को सभा-पटल पर रखा गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : The new provision to give notice for a question twenty-one days in advance has created many-fold difficulties for us. It is not possible give such a big notice for some important happenings specially during that sessions.

उपाध्यक्ष महोदय : नियम समिति ने ऐसी सब बातों को ध्यान में रख कर ही यह किया है।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : I am of the opinion that **status quo** should be maintained as regard questions. In case the provision to give notice for questions twenty one days in advance is once finalised, it will be difficult for us to give notice for questions at the end of the Session, In other words we will not be in a position to ask Question. Our experience has also shown that Short Notice Questions are not generally accepted by the Ministers.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : I am also of the opinion that this Report should be sent back to the Committee. It should not be passed.

Shri A. S. Saigal (Bilaspur) : Sir, I would like to know the reasons which have necessitated this change. I am also of the opinion that period of ten days should be there for giving notice to ask questions.

Shri Y. S. Kushwah (Bhind) : I submit that this report should be sent back to Rules Committee for reconsideration.

श्री नायनार (पालघाट) : मैं नियम समिति के सदस्यों से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने 10 दिन की बजाय 21 दिन की अवधि क्यों की है ?

Dr. Ram Subhag Singh : It is not so, as the hon. Members have understood it. The period is not being extended from 10 to 21 days, The minimum time will be 10 days and the maximum 21 days.

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मुझे खेद है कि नियमों को गलत समझा जा रहा है। निम्नतम अवधि हो दस दिन ही है। अधिकतम अवधि को 21 दिन कर दिया गया है। इसका कारण यह है कि सदस्य सत्र के आरम्भ में सारे सत्र के लिये प्रश्न दे दिया करते थे और जब उन प्रश्नों को पूछने की तिथि आती थी तो उस समय उनका कोई महत्व नहीं रहता था। इसलिये अधिकतम सीमा को 21 दिन कर दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सारी स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। अतः और प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिये।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। या तो मध्यान्ह भोजन काल समाप्त किया जाना चाहिये अथवा संसद भवन स्थित भोजनालय द्वारा परोसे जाने वाले भोजन में सुधार किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उस विषय पर बाद में आऊंगा।

अब प्रश्न यह है :-"कि यह सभा नियम समिति के दूसरे प्रतिवेदन से, जो 22 जून 1967 को सभा-पटल पर रखा गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : आप मध्यान्ह भोजन काल के बारे में क्या कहना चाहते हैं।

श्री हेम बरुआ : या तो भोजन में सुधार किया जाना चाहिये अथवा मध्यान्ह भोज काल समाप्त किया जाना चाहिये।

डा० राम सुभग सिंह : मेरा सभा से निवेदन है कि सरकारी कार्य के लिये एक घ की अवधि बढ़ाई जाये। उसे चार बजे तक बढ़ाया जाये। फिर गैर-सरकारी सदस्यों का क लिया जायेगा।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : सरकारी कार्य अर्थात् कम्पनी अधिकरण (उत्पाद विधेयक, 1967 को 4 बजे तक पास नहीं किया जा सकता। यह एक महत्वपूर्ण विधेय और इसके लिये अधिक समय की आवश्यकता है।

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur) : In case this Bill does not finish upto what will happen then.

Dr. Ram Subhag Singh : We will allot time of Congress Members.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हमें इस पर विचार चर्चा आरम्भ कर देनी चाहिये।

कम्पनी अधिकरण (उत्पादन) विधेयक
COMPANIES TRIBUNAL (ABOLITION) BILL

औद्योगिक विकास और समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"कि कम्पनी अधिकरण के उत्पादन का उपबन्ध करने के लिये और उससे संसक्त मामलों सम्बन्धी विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

माननीय सदस्यों को याद होगा कि कुछ समय पहले सरकार ने कुछ कम्पनियों के मामलों की जांच करने के लिये विवियन बोस आयोग नियुक्त किया था। इस आयोग ने यह बताया था कि कुछ कम्पनियों के प्रबन्ध में गम्भीर अनियमितायें की जा रही है। उस आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि कम्पनी अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिये। विवियन बोस आयोग की सिफारिशों पर विचार करते समय यह बात सामने आई थी कि जिन लोगों ने प्रबन्ध के मामले में अवांछनीय ढंग से काम किया है उन्हें अधिकार के पदों से आसानी से नहीं हटाया जा सकता है। अत: सरकार ने इस स्थिति में सुधार करने के लिये ऐसे लोगों को नौकरी से हटाने के लिये सभी अधिकारों को अपने हाथ में ले लिया है। प्रभावित लोगों के अभ्यावेदनों पर शीघ्रातिशीघ्र विचार करने के उद्देश्य से ही यह निर्णय किया गया था कि ऐसे मामलों को एक न्यायाधिकरण के पास निर्णय करने के लिये सौंपा जाना चाहिये। उसके अनुसार ही कम्पनी अधिनियम 1956 का 1963 में संशोधन किया गया था। इस संशोधन में एक ऐसा अधिकरण बनाये जाने की व्यवस्था की गई थी जिसे निदेशकों आदि को हटाने के बारे में केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करने का अधिकार हो।

तदनुसार 1 जुलाई, 1964 को न्यायाधिकरण बनाया गया था। बाद में केन्द्रीय सरकार और न्यायालय की ऐसी कुछ शक्तियां भी इस न्यायाधिकरण को सौंपी गई थी।

न्यायाधिकरण बनाते समय ऐसा विचार किया गया था कि न्यायाधिकरणों के निष्कर्षों के अनुसार केन्द्रीय सरकार कदाचार और भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्तियों को हटाने के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही कर सकेगी। इसके पीछे ध्येय यह था कि शीघ्र कार्यवाही किये जाने से लोक हित की रक्षा की जा सकेगी।

अब तक धारा 388 बी के अन्तर्गत केवल एक मुकदमा दायर किया गया है। उस पर ी कलकत्ता उच्च न्यायालय ने रोक आदेश लगा दिया है। क्योंकि उसके समक्ष लेख-याचिका ा की गई थी। इसी कारण ही अधिकरण उस पर विचार नहीं कर सका है। हमें अपने ुभव से यह भी पता लगा है कि उच्च न्यायालय के लेख याचिका सम्बन्धी अधिकार के रण अधिकरण की कार्यवाही में प्राय: बाधा पड़ती है। इसलिये यह महसूस किया जा रहा कि यह न्यायाधिकरण वांछित उद्देश्य पूरा नहीं कर पाया है।

अधिकरण के कार्य संचालन के बारे में भी खासकर कलकत्ता और बम्बई जैसे व्यापारिक ां में यह बराबर आलोचना की जा रही है कि न्यायाधिकरण के समक्ष मुकदमा चलाने में

बड़ी असुविधा होगी क्योंकि उसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसके अलावा मुकदमा चलाने में खर्च में बहुत आयेगा।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही सरकार ने 1 जुलाई, 1967 से अधिकरण को समाप्त करने का निश्चय किया है। इस विधेयक को इसी प्रयोजन के लिये ही लाया गया है। इस विधेयक में न्यायाधिकरण से पहले वाली स्थिति पर लौट आने का ही प्रयास किया गया है।

अतः मैं सिफारिश करता हूँ कि सभा इस पर विचार करे।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री कंडप्पन (मैंटूर) : गैर-सरकारी विधेयक भी बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। उस पर विचार करने के लिये भी अधिक समय की आवश्यकता है।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : पहले इस विधेयक को निपटा दिया जाना चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : इसमें कौनसी जल्दी की बात है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : इस सभा से पास होकर इसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिये भेजे जाने है। चूंकि राष्ट्रपति लगभग दस दिनों के लिये बाहर जा रहे हैं इसलिये इसे शीघ्र निपटाने की ही आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इसे एक घंटे में ही समाप्त करने का प्रयास करेंगे।

श्री सोनावने (पेंढरपुर) : अध्यक्षपीठ द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री नि चं० चटर्जी : मुझे इस कम्पनी न्यायाधिकरण के सम्मुख कई महत्वपूर्ण मामलों के सम्बन्ध में उपस्थित होने का अवसर मिला है। इससे मैं इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि जिस उद्देश्य से इस न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी वह पूरा नहीं हो पाया है। इसमें अधिकरण का कोई दोष नहीं है। उसमें न्यायाधिपति गोखले जैसे महान व्यक्ति हैं। उन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न किया परन्तु प्रक्रिया सम्बन्धी कठिनाइयां होने के कारण वे ठीक ढंग से काम नहीं कर सके। इस न्यायाधिकरण को बनाने का मुख्य उद्देश्य तो शीघ्र निर्णय किये जाने का था परन्तु वह लम्बी प्रक्रिया होने के कारण पूरा नहीं हो सका। धारा 10 ग के अन्तर्गत काम करने वाला यह न्यायाधिकरण प्रक्रिया सम्बन्धी देरी में बुरी तरह से फंस गया था। अतः मंत्री महोदय ने यह विधेयक लेकर बहुत अच्छा काम किया है। यह बात मुकदमा लड़ने वाले लोगों के हित में है कि ऐसा न्यायाधिकरण काम करना बन्द कर दें तथा उनके स्थान पर अधिक प्रभावकारी संस्था स्थापित हो।

श्री सो० मुत्तुस्वामी (करूर) : श्रीमान्, केवल तीन चार वर्ष पूर्व इस सरकार के एक पूर्वाधिकारी ने एक विधेयक प्रस्तुत किया था और स्वयं सम्बन्धी मामलों के लिये एक न्यायाधिकरण बनाने के पक्ष में बहुत कुछ कहा था। पर विचार बहुत अच्छा था परन्तु वास्तविक क्रियान्विति में यह व्यर्थ तथा अनावश्यक सिद्ध हुआ है। इसलिये, इस विधेयक द्वारा इसे समाप्त किया जा रहा है। यह विधेयक सरकार की इस सामान्य नीति के आधार पर है कि न्यायालयों, अधिकरणों तथा न्याय निर्णय सम्बन्धी अन्य निकायों से सभी शक्तियां अपने हाथ में ले ली जायें। यह कमजोर सरकार की कमजोर नीति का एक प्रमाण है। यदि अधिकरण को समाप्त करना ही है तो ऐसे मामलों का निर्णय करने के लिये शक्ति किसी उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय में निहित होनी चाहिये।

मैंने इस विधेयक में कुछ संशोधन प्रस्तुत किये हैं। उनका उद्देश्य स्पष्ट है। समवायों के मामलों तथा विवादों सम्बन्धी राज्य तथा केन्द्रीय सरकार सदा निष्पक्ष नहीं होती हैं। कभी-कभी वह उन समवायों का पक्ष लेती हैं जो चुनाव के अवसर पर उनकी सहायता करते हैं। अतः उच्च न्यायालय अथवा कोई न्यायिक निकाय ही इस मामले पर निर्णय देने के लिये उचित प्राधिकारी है, मेरे विचार में न्यायाधिकरण को समाप्त करने से और विलम्ब होगा। इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि हमारा संशोधन स्वीकार कर लें और सभी निलम्बित मामले उच्च न्यायालय अथवा अन्य न्यायिक निकाय को भेज दें

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : जब 1956 में समवाय अधिनियम लाया गया था तो यह आशा थी कि इससे निगमित क्षेत्र में बुराइयां तथा दुराचार समाप्त हो जायेंगे, परन्तु उसे वह सफलता नहीं मिली है जिसकी कि आशा थी। कई बार समवाय अधिनियम में संशोधन किया गया है परन्तु अब भी उसमें कुछ संशोधन करने की आवश्यकता समझी जाती है।

कुछ समय पूर्व समवाय न्यायाधिकरण की स्थापना के लिये एक विधेयक लाया गया था और कहा गया था कि इससे समवायों सम्बन्धी मामले शीघ्र निपटाये जा सकेंगे। अब सरकार चाहती है कि यह न्यायाधिकरण समाप्त कर दिया जाये। इससे मालूम होता है कि सरकार का विचार इस सम्बन्ध में स्पष्ट नहीं है।

समवाय न्यायाधिकरण के कुछ लाभ थे। उससे सम्बन्धित लोगों पर अधिक बोझ नहीं पड़ता था। अब उन्हें फिर उच्च न्यायालयों के समक्ष अपने मामले पेश करने पड़ेंगे। वहां बहुत समय लग जाता है। उससे मामलों में और विलम्ब होगा। विधेयक में यह नहीं बताया गया है कि मामले शीघ्र कैसे निपटाये जायेंगे।

इन न्यायाधिकरणों पर बहुत धन व्यय हुआ है। वह सब व्यर्थ जायेगा। यदि अधिक स्वस्थ प्रथा होगी कि अधिकाधिक प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित किये जायें और विभागों की स्वविवेकीय शक्तियां ले ली जायें।

न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत सभी मामले उच्च न्यायालय को निर्दिष्ट किये जाने चाहिये। इन मामलों के निर्णय के लिये उच्च न्यायालय अन्तिम प्राधिकार होना चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमान, 28 नवम्बर, 1963 को श्री ति० ल० कृष्णमाचारी ने समवाय (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत करते समय कहा था कि समवाय प्रबन्ध में अवांछनीय रूप से कार्य करने वाले लोगों को हटाने के लिये समवाय न्यायाधिकरण स्थापित किया जाना चाहिये । अब माननीय मंत्री सभा को यह आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि स्थिति में सुधार के लिये इस न्यायाधिकरण को समाप्त करना अत्यावश्यक है, इससे मालूम होता है कि सरकार ने इस मामले पर पूरा ध्यान नहीं दिया है । इस बात में भी सन्देह है कि विधेयक पारित किये जाने के बाद भी मामले शीघ्र निपटाये जा सकेंगे क्योंकि उच्च न्यायालयों के पास अभी भी बहुत बड़ी संख्या में मामले निलम्बित पड़े हैं । कलकत्ता उच्च न्यायालय में 32,000 और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 36,000 मामले निलम्बित पड़े हैं ।

मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूँ कि वह इस मामले पर पुनः विचार करें । यदि सरकार इसे किसी प्रवर समिति को सौंपती अथवा सभी दलों के विधि के विशेषज्ञ सदस्यों की एक अनौपचारिक बैठक बुला ी तो अधिक अच्छा होता । सरकार को वर्तमान विधि की कमियां दूर करने के लिये एक व्या क विधेयक लाना चाहिये ।

Shri Randhir Singh (Rohtak): Mr. Deputy Speaker, Sir, the Government have done a great service to the litigants by bringing this bill. It is a welcome bill and will go a long way in helping the public in general and corporate sector in particular. The Government has taken a very wise decision in abolishing the tribunal. They are of no use, They were manned by retired judge and they delayed the disposal of cases referred to them in their own interest.

The cases which have been diverted to the Magistrates should have been diverted to the District Judge. According to the procedure previously followed the appellate powers were vested in the Central Government. Since those findings were judicial finding, these powers should be vested in High Court. This bill will avoid delay in the decision of cases.

श्री नायनार (पालघाट) : हमारे दल के प्रतिनिधियों को समय बिल्कुल नहीं दिया गया है ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : It is already three O'clock. Discussion on Private Members' Business should be started now. The discussion on this bill should be postponed and one hour may be allotted to it afterwards.

श्री कंडप्पन : सरकार ने जल्दी में न्यायाधिकरण स्थापित किया और अब इसे जल्दी में ही समाप्त करना चाहती है । हमें इसके उपबन्धों पर अधिक सावधानी से विचार करना चाहिये ।

श्री स० कुण्डू (बालासोर) : मंत्री महोदय को इस पर चर्चा स्थगित करने के लिये सहमत होना चाहिये ।

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : सभा की अनुमति से इस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिये एक घंटे का समय दिया जाना था ।

श्री विश्वनाथ मेनन (एरणाकुलम) : इस प्रकार विधेयक पारित करना देश के हित में नहीं है। तीन वर्ष पूर्व इस न्यायाधिकरण की स्थापना के लिये विधेयक प्रस्तुत किया गया था और अब कहा जा रहा है कि न्यायाधिकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा किये जाने के कारण नहीं बताये गये हैं। ऐसे गम्भीर मामले को बहुत कम समय में निपटाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

यदि सरकार समवाय सम्बन्धी मामलों को निपटाने में विलम्ब नहीं चाहती और लोगों के लिये अच्छा काम करना चाहती है तो उसे प्रत्येक राज्य में न्यायाधिकरण स्थापित करने चाहिये न कि केवल दिल्ली में न्यायाधिकरण स्थापित किया जाये और सभी को दिल्ली में आने के लिये कहा जाये। ऐसा करने की बजाय सरकार ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है। खण्ड 3 से स्पष्ट पता लगता है कि केन्द्रीय सरकार ने शक्तियां लेने का प्रयत्न किया है। वास्तव में सरकार कुछ बड़े व्यापारियों को बचाना चाहती है और उसने इसी कारण यह विधेयक प्रस्तुत किया है।

मेरा नम्र निवेदन है कि इस विधेयक पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये। इस प्रयोजन के लिये उसे श्री नि० चं० चटर्जी, श्री अ०ना० मुल्ला, श्री दांडेकर तथा अन्य सदस्यों पर सम्मिलित एक प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिये।

श्री स० कुण्डू : मैं इस तथ्य से इन्कार नहीं करता कि न्यायाधिकरण उच्च न्यायालयों से अधिक लाभप्रद हैं। प्रश्न यह कि जिस उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है, क्या वह उच्च न्यायालयों में पूरा हो सकेगा। जब तक विधेयक में यह उपबन्ध नहीं रखा जाता कि एक निश्चित समय के अन्दर उच्च न्यायालय सभी मामले निपटा देगा तब तक यह बात सन्देहास्पद है कि विधेयक का उद्देश्य पूरा होगा अथवा नहीं।

समवायों के निदेशकों द्वारा इतना भ्रष्टाचार तथा दुराचार किया जाता है कि इन्हें समाप्त करने के लिये यह विधेयक पर्याप्त नहीं है। सरकार को प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को समाप्त करने की योजना प्रस्तुत करनी चाहिये। यह प्रणाली ही सभी बुराइयों की जड़ है।

भारत जैसे लोकतन्त्रात्मक देश में पिछले कुछ वर्षों में समूची औद्योगिक संस्थाओं पर नियंत्रण रखने वाले बड़े एकाधिकार स्थापित हो गये हैं। हम चाहते हैं कि इन एकाधिकार को समाप्त करने के लिये समवाय अधिनियम में संशोधन करने वाला एक विधेयक प्रस्तुत किया जाना चाहिये। ऐसे बड़े एकाधिकारों द्वारा राजनैतिक दलों को दिया जाने वाला दान भी बन्द होना चाहिये।

माननीय मंत्री ने कहा है कि न्यायाधिकरणों के काम से तेजी से कार्यवाही नहीं हो पाई है। परन्तु न्यायाधिकरण के प्रतिवेदन से मालूम होता है कि उसमें मामले तेजी से निपटाये गये हैं। मेरे विचार में इस विधेयक के अधीन मामले शीघ्र निपटाये जाना सम्भव नहीं है। सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये जो विधेयक पर विचार करके मामले शीघ्र निपटाने के लिये वास्तविक तरीकों का सुझाव दे।

मंत्रालय ने इस विधेयक पर पूरा विचार नहीं किया है। इसमें जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिये। इस पर पुनः विचार किया जाना चाहिये।

Shri Madhu Limaye: Mr. Speaker, Sir, I am very much dissatisfied with the working of the Company Law Department for the last few years the department has been changing with the change of Minister. For some time, it was under the Minister of Finance, then it was transferred to the Law Minister and now it is under the Industries Minister. The result of all this is that the department is not functioning properly.

The Minister has referred to delay caused by the working of Company Tribunal, but the Department of Company Law has become totally ineffective and no action was taken regarding case of malpractices raised in the House during last three years.

The pupose of the Bill is limited as it is intended to replace the tribunal by a High Court. But it is necessary that a comprehensive Bill should be brought by which all the defects in the administration of company law could be removed. It is no use passing this bill in such a hurry.

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैं सभा को यह आश्वासन देता हूँ कि माननीय सदस्यों का यह विचार गलत है कि हम यह संशोधन विधेयक लाकर सरकार के लिये शक्तियां प्राप्त कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि न्यायाधिकरण की लगभग सभी शक्तियां उच्च न्यायालय को सौंपी जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लेंगे।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

पांचवा प्रतिवेदन

Shri Hardayal Devgun (Delhi East): Sir, I beg to move that this House agrees with the Fifth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 21st June, 1967.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के पांचवें प्रतिवेदन से, जो 21 जून, 1967 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक

SALARIES AND ALLOWANCES OF MEMBERS OF PARLIAMENT (AMENDMENT) BILL.

(धारा 2 का संशोधन)

Shri Nitiraj Singh Chaudhary (Hoshangabad) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Salaries and Allowances of Members of Parliament Act, 1954.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, 1954 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

Shri Niti Raj Singh Chaudhary : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1967—जारी

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1967 Contd.

(अनुछेद 368 का संशोधन)

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : श्रीमान, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह विधेयक इस सभा की शक्ति से परे है। यह संविधान के विरुद्ध है तथा उच्चतम न्यायालय के हाल ही के संविधान के निर्वचन के विरुद्ध है। उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में रखी गई यह बात गलत है कि बहुमत द्वारा दिया गया निर्णय अस्पष्ट है।

मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि संसद का अधिकार संविधान से भी ऊपर हो। इस विधेयक द्वारा संसद की सर्वोच्चता का प्रश्न उठाना ठीक नहीं है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : विधेयक पर चर्चा करते समय उस पर चर्चा के बारे में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

Shri Madhu Limaye : I suggest the hon. Member should move an adjournment motion and raise this matter thereon.

यह ठीक दृष्टिकोण है और आपको उसका अनुसरण करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने व्यवस्था के प्रश्न में एक प्रार्थना की है कि महा न्यायवादी को स्थिति स्पष्ट करने के लिये कहा जाये।

श्री नि० चं० चटर्जी : वह व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : वह केवल निवेदन कर रहे हैं।

श्री लोबो प्रभु : अनुच्छेद 13 (2) इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है कि मूल अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। क्या ऐसा प्रस्ताव है कि अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत इसके परस्पर विरोधी कोई उपबन्ध लागू किया जा सकता है ? यदि वह संगत है तो उनको अनुच्छेद 13 (2) को हटाने के लिए कहना चाहिए।

इस सभा में समूचे राष्ट्र की प्रतिष्ठा निहित है इसलिए इसको ऐसा कानून नहीं बनाया जाना चाहिए जिसको उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जाये। इसलिए मैंने सुझाव दिया था कि महा न्यायवादी को बुलाया जाये। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री इन बातों का उत्तर दें। मैं नियम 109 के अन्तर्गत इस बात पर बल दूंगा कि महा न्यायवादी की राय ली जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसमें उन्होंने केवल महान्यायवादी की राय जानने के लिए ही निवेदन किया है। प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि महा न्यायवादी की राय किस अवस्था में ली जाये।

श्री मु० यू० सलीम (नलगोंडा) : नियम 376 के अन्तर्गत आपको व्यवस्था के प्रश्न पर अपना निर्णय देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ और बातें सुनने के पश्चात मैं व्यवस्था के प्रश्न के बारे में अपना निर्णय दूंगा।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : श्री लोबो प्रभु ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था परन्तु आप ने कहा कि उन्होंने केवल एक प्रार्थना की है। दोनों बिल्कुल अलग-अलग बातें हैं। व्यवस्था के प्रश्न को प्राथमिकता दी जा रही है और इसलिये आपने उनको अवसर दिया। परन्तु भाषण के अन्त में उन्होंने कहा कि मैं निवेदन कर रहा हूं। मेरे विचार में श्री लोबो प्रभु बहुत ठोस तर्क देना चाहते थे। जो माननीय सदस्य इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं उनको सबसे पहले विधेयक पर चर्चा के समय में वृद्धि की मांग करनी चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : जिस समय विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है उस समय इसका विरोध करने की नियमों के अन्तर्गत व्यवस्था है। परन्तु श्री लोबो प्रभु तथा उनकी पार्टी के सदस्यों ने प्रारम्भिक अवस्था में ऐसा नहीं किया। अब तो केवल सर्वोच्चता के प्रश्न पर चर्चा की जा रही है, इस अवस्था में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

श्री रा० हो० भण्डारे (बम्बई—मध्य) : सभा में किसी भी विधान को प्रस्तुत किया जा सकता है। नियम 64 प्रस्तुत करने से पूर्व इसके प्रकाशन से सम्बन्धित है। इसका प्रकाशन हुआ। अतः एक अवस्था समाप्त हो गई। अगले नियम के अनुसार गैर-सरकारी विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति लेनी होती है। अनुमति भी दी जा चुकी है तथा विधेयक अब

विचाराधीन है। इसलिये अब विधेयक पर आपत्ति नहीं की जा सकती। अतः सभा को विधेयक पर विचार करने का पूरा अधिकार है।

Shri Tulsi Das Jadhav (Baramati): I think it is derogatory to the chair and House to ask the chair whether it is consulting the Members.

उपाध्यक्ष महोदय : उनका तात्पर्य यह नहीं था।

विधि मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : श्री नाथपाई स्वयं यह प्रस्ताव कर रहे हैं कि विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया जाये। मैंने भी एक संशोधन दिया है जिसमें यह निवेदन किया गया है कि विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंप दिया जाये ताकि श्री नाथपाई द्वारा दिये गये संशोधन की जटिल बातों पर अच्छी तरह विचार किया जा सके।

इस समिति के गठन के लिए जब श्री रंगा को इसका सदस्य बनने के लिए कहा गया तो उन्होंने इन्कार कर दिया। इस प्रकार उन्होंने बातचीत का मार्ग बन्द कर दिया प्रतीत होता है।

उच्चतम न्यायालय के बहुमत ने यह कहा है कि संसद को संविधान के भाग III के उपबन्धों में संशोधन करने की शक्ति नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह नहीं कहा कि अनुच्छेद 368 में संशोधन नहीं किया जा सकता। अन्य बातों के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा है कि अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया बताई गई है और उसमें संशोधन करने की शक्ति नहीं है। यह एक बहुत गम्भीर मामला है। मैं श्री नाथपाई की इस बात से सहमत हूं ताकि संशोधन की शक्ति जो कि केन्द्रीय सरकार के पास है अवशिष्ट शक्तियों में न चली जाये। संविधान की तीन सूचियां सम्बन्धी अनुच्छेद जिनमें केन्द्र तथा राज्यों के बीच विषयों का आवंटन किया गया है, राज्यों के परामर्श के बिना उस में संशोधन नहीं किया जा सकता। अवशिष्ट शक्तियां केन्द्र को ही प्राप्त होती है। जो भी हो यह संशोधन ऐसा है जिसमें अनुच्छेद 368 में सुधार करने को कहा गया है।

अब उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में यह नहीं कहा कि यह संसद संविधान के भाग III में संशोधन नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने पहले कुछ निर्णय दिया परन्तु अब कुछ निर्णय दिया। आगे वह कुछ और निर्णय दे सकती है।

हमें अनुच्छेद 368 में संशोधन करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जा सकता तो संवैधानिक प्रश्न उठाने की आवश्यकता नहीं है। नियम में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि यदि कोई संवैधानिक प्रश्न उठाया जाता है तो अध्यक्ष उस बारे में निर्णय नहीं दे सकता कि विधान बनाया जावे अथवा नहीं। विधायकों का बहुमत भी इस बारे में निर्णय नहीं दे सकता। इसलिए हमें इस निर्णय का पालन करना चाहिये कि संसद की विधान बनाने सम्बन्धी क्षमता पर चर्चा तो हो सकती है परन्तु निर्णय नहीं लिया जा सकता।

सरकार के विचार में इस मामले पर महान्यायवादी को बुलाना ठीक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बिल्कुल स्पष्ट है कि संविधान के बनाने वालों का यह विचार था कि देश में सामाजिक तथा राजनैतिक स्थिति के परिवर्तन के साथ-साथ संसद को संशोधन करने की शक्ति होनी चाहिये। पहले भी कई अवसरों पर हमने इस शक्ति का प्रयोग किया है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि उच्चतम न्यायालय संविधान के अन्तर्गत बनाया गया एक स्वतन्त्र निकाय है। माननीय सदस्य ने बहुमत के निर्णय के आधार पर न कि एकमत निर्णय के आधार पर, जो आपत्ति उठाई है वह निराधार है। इसका विचाराधीन विधेयक के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः इससे पूर्व कि श्री चटर्जी अपना भाषण जारी करें माननीय मन्त्री संशोधन प्रस्तुत करना चाहेंगे।

श्री गोविन्द मेनन : मेरा अनुरोध है कि संख्या 11 पर श्री रामेश्वर राव का तथा संख्या 22 पर श्री आ० ना० मुल्ला का नाम रख दिया जाये।

मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूँ :

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को 45 सदस्यों की, जिसमें 30 सदस्य इस सभा के अर्थात श्री खाडिलकर, श्री अ० रु० युगम, श्री नि० चं० चटर्जी, श्री कंवर लाल गुप्त, श्री रामकृष्ण गुप्त, श्री हनुमन्तय्या सिंह, श्री एस० एम० जोशी, श्री कामेश्वर सिंह, श्री मनोदान, श्री दत्तात्रय कुन्टे, श्री रामेश्वर राव, श्री विश्वनाथ मेनन, श्री मुहम्मद यूसूफ, श्री जु० कि० मंडल श्री ही० ना० मुकर्जी, श्री नाथपाई, श्री पार्थसारथी, श्री देव राव स० पाटिल, श्री प्रधानी, श्री के० नारायण राव, श्री मु०यू० सलीम, श्री आ० ना० मुल्ला, श्री द्वैपायन सेन, श्री प्रकाशवीर शास्त्री, श्री दिग्विजय नारायण सिंह, श्री संतबक्स सिंह श्री सुन्दर लाल, श्री तामस्कर, श्री तेन्नेटि विश्वनाथन, श्री गोविन्द मेनन, तथा 15 सदस्य राज्य सभा के होंगे, संयुक्त समिति को सौंप दिया जाये। संयुक्त समिति की बैठक को गठित करने के लिये समिति की कुल सदस्यों की संख्या का एक तिहाई भाग की गुणपूर्ति होनी चाहिए।

समिति को आगामी सत्र के पहले दिन तक अपना प्रतिवेदन इस सभा को दे देना चाहिए।

अन्य बातों के बारे में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले प्रक्रिया संबंधी नियम 137 संशोधनों तथा परिवर्तनों सहित जैसा कि अध्यक्ष चाहे, इस समिति पर भी लागू होंगे; और

"कि यह सभा राज्य सभा को सिफारिश करती है कि वह इस संयुक्त में सम्मिलित हो तथा इस संयुक्त समिति के लिए नियुक्त किये जाने वाले पन्द्रह सदस्यों के नामों के बारे में सूचित करें।"

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : संख्या 4 पर जिस व्यक्ति का नाम दिखाया गया है वह समिति में सम्मिलित होना नहीं चाहते। इसलिए उनका नाम काट दिया जाये।

श्री नाथपाई : यदि श्री मसानी तथा उनकी पार्टी के सदस्य इस समिति में कार्य करना नहीं चाहते तो उनको इस बात का पूरा अधिकार है। मैंने श्री पीलू मोडी तथा श्री ड० के०

देव से परामर्श किया था यद्यपि वे विधेयक का विरोध करते हैं तथापि उनको समिति में काम करने में आपत्ति नहीं करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ 'कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को 45 सदस्यों की जिसमें 30 सदस्य इस सभा के अर्थात् श्री खाडिलकर, श्री अरूमुगय, श्री नि० चं० चटर्जी, श्री कंवर लाल गुप्त, श्री रामकृष्ण गुप्त, श्री हनुमन्तय्या, श्री एस० एम० जोशी, श्री कामेश्वर सिंह, श्री मनोहरन, श्री दत्तात्रय कुन्टे, श्री रामेश्वर राव, श्री विश्वानाथ मेनन, श्री मुहम्मद यूसुफ, श्री जु० कि० मंडल, श्री ही० ना० मुकर्जी, श्री नाथपाई, श्री प्रधानी, श्री के० नारायण राव, श्री मु० यू० सलीम, श्री आ० ना० मुल्ला, श्री द्वैपायन सेन, श्री प्रकाशवीर शास्त्री, श्री दिग्विजय नारायण सिंह श्री सन्त बक्स सिंह, श्री सुन्दर बाल, श्री तामस्कर, श्री तेन्नेटि विश्वानाथन, श्री गोविन्द मेनन, तथा पन्द्रह सदस्य राज्य सभा के होंगे, संयुक्त समिति को सौंप दिया जाये;

संयुक्त समिति की बैठक को गठित करने के लिए समिति के सदस्यों की कुल संख्या की एक तिहाई भाग गुणपूर्ति के लिए होना चाहिए ;

समिति की आगामी सभा के पहले दिन तक अपना प्रतिवेदन इस सभा को दे देना चाहिए;

अन्य बातों के बारे में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले प्रक्रिया सम्बन्धी नियम उन संशोधनों तथा परिवर्तनों सहित जैसा अध्यक्ष चाहें इस समिति पर भी लागू होंगे; और

यह सभा राज्य सभा को सिफारिश करती है कि वह इस संयुक्त में सम्मिलित हो तथा इस संयुक्त समिति के लिए नियुक्त किये जाने वाले पन्द्रह सदस्यों के नामों के बारे में सूचित करें।

श्री नि० चं० चटर्जी : यह विधेयक अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इससे संसद की सर्वोच्चता तथा राष्ट्र की प्रभुत्ता पर प्रभाव पड़ता है।

हमने जानबूझकर इस प्रकार का संविधान बनाया है और अपने नागरिकों को ये अधिकार दिये हैं। अनुच्छेद 32 से इनको अधिक प्रभावशाली बनाया गया है।

हमारे संविधान में किसी भी नागरिक को सीधे उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार है। मैं नहीं चाहता कि हमारे मूल अधिकारों को किसी प्रकार भी कम किया जाये।

मैंने राष्ट्रपति राधाकृष्णन् को लिखा था कि संविधान के अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत 40 करोड़ लोगों को मूल अधिकार देने के लिए यह आवश्यक है कि आपात को समाप्त किया जाये। आपात को तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक संविधान में संशोधन का एक कानून न बनाया जाये ताकि गम्भीर स्थिति के क्षेत्रों में आपात को प्रभावशाली बनाया जाये।

लोगों को मूल अधिकार देने के लिये संविधान के अनुच्छेद 31 में संशोधन करना आवश्यक है, तकनीकी आधारों तथा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण संविधान में संशोधन करना आवश्यक होता है।

न्यायाधिपति सुब्बा राव ने भी कहा है कि यह एक विकासशील देश है। हम कल्याणकारी राज्य स्थापित करना चाहते हैं। हम सदा के लिये किसी बात की कल्पना अथवा पूर्व अनुमान नहीं लगा सकते। अतः संविधान का संशोधन करना कभी-कभी आवश्यक हो जाता है। इसलिए मैं कहूंगा कि विधेयक का उद्देश्य उचित है। इसमें इस बात की व्यवस्था की गई है कि संविधान के किसी उपबन्ध का संशोधन प्रक्रिया के अनुसार ही किया जा सकता है।

1951 में उच्चतम न्यायालय ने संसद द्वारा संविधान के किसी भाग के संशोधन किये जाने के अधिकार की पुष्टि की थी। ऐसा एकमत किया गया था। परन्तु यह आश्चर्य की बात है कि वही न्यायालय अब वह निर्णय देता है कि संसद क्या वही कर सकती और कि ऐसा केवल संविधान सभा द्वारा ही किया जा सकता है। मैं नहीं जानता कि उच्चतम न्यायालय ने ऐसा निर्णय किस कारण दिया है। संविधान के अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत संशोधन करने के लिए दो तिहाई बहुमत आवश्यक है, परन्तु संविधान सभा साधारण बहुमत से ऐसा कर सकती है। इस निर्णय का गम्भीरता तथा सावधानी से अध्ययन किया जाना चाहिये। अतः मैं राष्ट्रपति से अपील करूंगा कि वह अनुच्छेद 143 के अन्तर्गत पुनः उच्चतम न्यायालय को भेजे।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : इस विधेयक के महत्व को देखते हुए मैं निम्न प्रस्ताव पेश करता हूं:-

"कि इस विधेयक के लिए नियत किया गया समय दो घंटे और बढ़ा दिया जाये।"

श्री स० कुण्डू (बालासोट) : मैं प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस विधेयक के लिये नियत किया गया समय दो घंटे और बढ़ा दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) :श्री नाथ पाई ने इस विधेयक को पेश करके संविधान संसद तथा लोकतन्त्र की बड़ी सेवा की है। मुझे पता नहीं है कि सदस्य महोदयों ने उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय को पढ़ा भी है अथवा नहीं। इस मामले में झगड़ा मूलभूत अधिकार तथा नैदेशिक सिद्धांतों का है। निर्णय के अनुसार यदि इन दोनों में झगड़ा हो तो मूलभूत अधिकारों को नैदेशिक सिद्धान्तों से ऊपर स्थान मिलेगा। इस बात के मैं विरुद्ध हूं। मैं तो कहता हूं कि नैदेशिक सिद्धान्तों के संविदा स्थान की न्यायाधीशों ने ठीक तरह कदर नहीं की है।

मूलभूत अधिकार तो राज्य के नकारात्मक मामलों को रखते हैं कि राज्य को क्या नहीं करना चाहिये परन्तु नैदेशिक सिद्धान्त तो राज्य के सकारात्मक कार्यों को सामने लाते हैं कि राज्य को क्या "करना" चाहिये। इसलिये झगड़ा राज्य के नकारात्मक तथा सकारात्मक कार्यों में है।

इसलिये प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या नैदेशिक सिद्धान्त मूलभूत अधिकारों से घटिया हैं अथवा उनसे ऊपर स्थान मिलना चाहिए। मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं कि मूलभूत अधिकारों का सम्बन्ध व्यक्ति से है जब कि नैदेशिक सिद्धान्तों का सम्बन्ध राज्य के कार्यों से है। इसलिए यह झगड़ा वास्तव में राज्य के नकारात्मक तथा सकारात्मक कार्यों में है। नैदेशिक सिद्धांतों को यदि कार्यान्वित न किया जाय तो इसके विरुद्ध किसी न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। परन्तु प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यह राज्य का कर्तव्य है कि नैदेशिक सिद्धान्तों को कार्यान्वित किया जाये। लोकतन्त्र का अर्थ ही यह है कि बिना रक्त बहाये क्रान्ति लाई जा सके। इसलिये यह कहना ठीक नहीं कि हम संविधान में संशोधन नहीं कर सकते।

संविधान का संशोधन तीन प्रकार से हो सकता है। एक तो सामान्य बहुमत से, दूसरा दो--तिहाई के बहुमत से और तीसरे आधे राज्यों द्वारा संशोधन हो। जब हम तीसरा तरीका अपनाते हैं तो संसद दो कार्य करती है, एक तो कानून बनाने वाला कार्य और दूसरा संविधान के संशोधन करने का कार्य।

श्री पीलु मोढी (गोधरा) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं यह कहूंगा कि जब हम कानूनी मामलों पर चर्चा करें तो वकील सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं होनी चाहिये क्योंकि फिर हम कानूनी पेचीदगियों में फंस जाते हैं।

मुझे तो ऐसा दिखाई देता है कि इससे खराब संशोधन नहीं हो सकता जो श्री नाथ पाई ने पेश किया है।

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair* }

श्री नाथ पाई कहते हैं कि संसद सर्वोच्च है। वह उच्चतम न्यायालय को जनता के अधिकारों का रक्षक तो समझते हैं परन्तु इस बात में कोई झिजक नहीं अनुभव करते कि संसद उन अधिकारों को समाप्त कर दे। क्या श्री नाथपाई समझते हैं कि जनता ने उन्हें कुछ मत देकर अपने अधिकारों को खो दिया है ? लोकतन्त्र का अर्थ है कि जनता सर्वोच्च है। हमें बहुत से अधिकार दिए हुए हैं जैसे कि बोलने तथा लिखने का अधिकार, कहीं भी शान्तिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने का अधिकार आदि। क्या इसका यह अर्थ है कि संसद दो तिहाई मतों से इन अधिकारों को समाप्त कर सकती है ?

अध्यक्ष महोदय : सदस्य महोदय अगले दिन अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

कुछ मंत्रियों के विरुद्ध आरोपों के बारे में विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

RE: QUESTION OF PRIVILEGE RE. ALLEGATIONS AGAINST CERTAIN MINISTERS

अध्यक्ष महोदय : श्री वाजपेयी विशेषाधिकार का प्रश्न उठायेंगे।

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : इस समय कोई प्रश्न नहीं है ।

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur) : I want your permission about it. Shri S. M. Banerjee while speaking on 30th May regarding a call attention notice made allegations against two ministers that they are in the pay roll of Birlas. These pertained to the allegations levelled by Shri Arjun Arora at the meeting of Congress Parliamentary party. But the names of the ministers were mentioned for the first time only by Shri S. M. Banerjee. You mentioned about a ruling given in 1951 about the procedure to be adopted for investigating charges against ministers. You stated that the person making such an allegation should first make sure of the facts and base them on such authentic evidence, documentary or the circumstantial as the case may be. If these allegations are proved to be frivolous, worthless or based on personal jealousy or animoisity, he will himself be liable to a charge of breach of privilege of the House. If in the course of preliminary investigation it is found that the person making the allegation has supplied incorrect facts or tried to bring discredit to the name of the member wilfully or through carelessness, he shall be deemed to be guilty of a breach of privilege of the House.

The Prime Minister has inquired into the charges levelled by Shri Arora and, if the House agrees to the findings of the Court then the only course left to the House is to entrust this matter to the Privilege Committee of the House,

There is an atmosphere of suspicion and distrust in the country. Here is a case where a member has failed to prove his allegations. I, therefore seek your permission to send to the Privilege Committee both the allegations levelled by Shri Banerjee and the announcement made by the Prime Minister in this connection.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I also gave a notice on it.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : I am the member concerned. You give your ruling only after listening to us.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि श्री बनर्जी ने किसी के विरुद्ध आरोप नहीं लगाये । प्रधान मंत्री एक वक्तव्य दे रही थीं और उनसे प्रश्न पूछे गये थे । श्री बनर्जी ने भी अन्य सदस्यों की भांति प्रधान मंत्री से एक स्पष्टीकरण चाहा, जिसका उन्होंने उत्तर दिया ।

उसी सांय को सम्बन्धित मंत्रियों ने भी वक्तव्य दिये । इसलिये श्री बनर्जी ने पहले कोई आरोप नहीं लगाया, वह तो एक प्रश्न अथवा स्पष्टीकरण चाहते थे ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मेरे विचार में यह तथ्यों पर आधारित सत्य नहीं है । जहां तक श्री अरोड़ा का सम्बन्ध है, यह सभा कोई ध्यान नहीं देगी । श्री बनर्जी ने दो मंत्रियों का नाम लिया तथा एक मंत्री के बेटे का जिक्र किया । यही कारण था कि मंत्री स्वयं अपना वक्तव्य देने आये । हमें केवल श्री बनर्जी के वक्तव्य को ही देखना है । हमारा सम्बन्ध श्री अरोड़ा के वक्तव्य से नहीं है ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : It is a mysterious matter. Once some allegations were made against Dr. Ram Manohar Lohia in the Rajya Sabha. We replied then that we were prepared to send this matter before the privileges committee and if we are found guilty, you can punish us. You were not prepared for this. Whenever the opposition

makes allegations they are prepared to prove their allegations or face punishment. When Congressmen make allegation against us we are even prepared to go to court of law. But the Congressmen are not prepared to agree to any of these. What is the reason behind it ? The Congressmen run away in both cases-whether they make allegations against them. This motion of ours is directed against the tendency of congressparty to run away like this. I want to move this.

अध्यक्ष महोदय : पहले अनुमति श्री वाजपेयी को दी जानी चाहिये ।

Shri Madhu Limaye : Dr. Ram Manohar Lohia made allegation against the Prime Minister which have not so far been repudiated.

अध्यक्ष महोदय : आप वही बात दोहरा रहे हैं ।

Shri Madhu Limaye : Dr. Sahib has referred to in his Budget speech. It is in the proceedings. He has made three allegations. One was....

अध्यक्ष महोदय : इन सब बातों को न उठाईये ।

Shri Madhu Limaye : One of the allegation was that a necklace was received from Shri Birla at the time of marriage. The second allegation was that Diamonds were received from a Nepal Rane....

Mr. Speaker : No. No....

अध्यक्ष महोदय : यह इस समय सभा के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव के संगत नहीं है । यह तो श्री बनर्जी का प्रस्ताव है ।

Shri Shashibhushan Bajpai (Khargova) : He is purposely hurling false accusations. He is a professional critic of Nehru family.

Shri Madhu Limaye : Mrs. Indira Gandhi has not repudiated it.

Shri Shashibhushan Bajpai : It has been repudiated a number of times. It is absolutely wrong.

श्री गोविन्द मेनन : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । यह नियम बाह्य है ।

अध्यक्ष महोदय : आप इससे असम्बन्धित बातें ला रहे हैं । परन्तु श्री बनर्जी के प्रस्ताव में यह सभी बातें रखना ठीक नहीं है । यदि आप अन्य बातें उठाना चाहते हैं, तो आप ऐसा अन्य अवसरों पर कर सकते हैं ।

Shri Madhu Limaye : I am only illustrating. An hon. Member has accused the Prime Minister of a certain act and it has not been repudiated. If it is opposed, the people will gather the impression that their charges against us are wrong and our charges against them are absolutely correct.

If Shri Banerjee and other members are not behaving as a responsible person should behave, they should be punished. But the Minister of Parliamentary Affairs, Minister of Law and the Prime Minister should atleast show some sense of self-respect.

Shri S. M. Banerjee : I had tabled a call attention notice on 30th May, 1967 pertaining to certain things said by Shri Arjun Arora in a meeting of the congress party. I had asked :-

"May I know whether it is a fact that a cabinet minister and a minister of State who were on the Birla list of honorarium are still getting honorarium and the Cabinet Minister was chairman or vice chairman of the Birla Trust and the Minister of State was not a Minister of State, I believe, in 1966 I would like to know whether they are getting it still. Is it also a fact that a worthy son of a worthy Cabinet Minister got Rs 1,80,000 commission from Birlas in 1966 ? I would also like to know whether the hon-Prime Minister knows this fact and whether this fact about the Cabinet Minister was brought to the notice of Mr. Kamaraj who shamelessly said that he knows it."

(मैंने पूछा था कि क्या जो मंत्री बिड़ला से मानदेयी वेतन प्राप्त कर रहे थे क्या अब भी उन्हें ऐसा वेतन मिल रहा है और क्या मंत्रि-मंडल के एक सदस्य को 1966 में बिड़ला से 1,80 000 रुपया कमीशन के रूप में मिला था ?)

I had not mentioned any names but when it was found that the Prime Minister is not giving any information, a few members, who are interested in the welfare of the country, asked me to disclose the names, I disclosed the names of Shri Satya Narain Sinha and Shri K. C, Pant, The Ministers did not repudiate what I said, They rather accepted it, Shri Satya Narain Sinha said on that day.

"Sir, I was not present in the House this morning when the Calling attention notice was being answered. One hon. Member, Shri S, M. Banerjee, said that I was the Chairman or Vice-Chairman of some trust of Birlas and was getting some honorarium from them. This is not correct, I am only a trustee of two of the Birla Education Trusts,....."

(श्री सत्यनारायण सिंह ने यह असत्य बताया था कि वह बिड़ला से कोई मानदेयी वेतन पाते हैं)

There after Shri K. C. Pant told that he had resigned, but he was getting the salary, So far as I know, he was getting four or five thousand rupees from Birlas,

अध्यक्ष महोदय : आपका यह कहना है कि आपने विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है ।

श्री रणधीर सिंह : वह कहते हैं कि मुझे मेरे दोष के लिये दण्ड दिया जाये ।

Shri Madhu Limaye : He has not said that, He says a privilege motion may be brought against him.

Shri S. M. Banerjee : They have admitted what I have said, But I am sorry the other day when I was not in the House, hon. Deputy Speaker, who was presiding, said that either Mr. Banerjee will have to produce evidence to substantiate those allegations, show that evidence to the Chair or the Committee of Privileges, and in that case. if there is a **prima facie** evidence with him, it will be dealt with and if he has not, he will have to apologise to the House,

Sir, your attitude should be just and impartial. You are the custodian of Parliamentary democracy, You are not responsible for those who indulge in illegal acts, who receive money from Birlas and Dalmias and defame the country,

I, welcome this privilege motion, If I have committed any offence or if I have tried to defame two hon. Ministers, I may be punished. But if the matter goes to Privileges Committee, other charges against Minister of Industries and other Ministers.....

अध्यक्ष महोदय : आपने इन आरोपों की पहले सूचना नहीं दी है । यदि आप इसके बारे में और कुछ कहेंगे तो उसे कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा ।

Shri S. M. Banerjee : When this matter goes before the Privileges Committee, we will try to produce all the witnesses. This will help in taking action against the guilty persons, whosoever, they may be.

श्री गोविन्द मेनन : मेरा निवेदन है कि यह मामला अब उठाये जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये । मैं आपका ध्यान दो नियमों की ओर दिलाना चाहता हूँ । एक नियम पुनरावृत्ति के विरुद्ध है । यह सुप्रसिद्ध नियम है और उसका उल्लेख 'मैं' की "पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस" में किया गया है । नियम 338 में कहा गया है कि जिस विषय पर उसी सत्र में सभा में निर्णय कर लिया गया हो, उस विषय के अनुरूप किसी अन्य विषय को सभा में नहीं उठाया जायेगा ।

नियम 222 में कहा गया है कि अध्यक्ष की अनुमति से कोई सदस्य किसी सदस्य के अथवा सभा के अथवा उसकी समिति के विशेषाधिकार के उल्लंघन सम्बन्धी कोई प्रश्न उठा सकेगा ।

इस मामले में विचित्र बात यह है कि श्री बनर्जी स्वयं कह रहे हैं कि "मैंने विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है । मेरा मामला विशेषाधिकार समिति को भेजिये ।"

बुधवार को श्री अरोड़ा द्वारा लगाये गये आरोपों के बारे में चर्चा की गई थी और निर्णय किया गया था, अब बिल्कुल वही मामला उठाया जा रहा है ।

30 मई, को श्री बाजपेयी, श्री लिमये तथा श्री बनर्जी सहित सभी सदस्य इस बात पर सहमत थे कि श्री अरोड़ा का मामला विशेषाधिकार सम्बन्धी समिति को भेजा जाना चाहिये । श्री बनर्जी ने उस समय जो कुछ कहा था, सभा की राय में यह मामला विशेषाधिकार समिति को भेजे जाने के लिये उचित था । बुधवार को सभा ने विशेषाधिकार प्रस्ताव के विरुद्ध राय दे दी । उसी दिन अथवा उससे पहले दिन प्रधान मंत्री ने वक्तव्य दिया । तब श्री बाजपेयी ने कहा कि श्री बनर्जी को जिम्मेवार ठहराया जावे । आरम्भ में श्री अरोड़ा को जिम्मेवार ठहराना चाहते थे । अब श्री बनर्जी इसे अपने ऊपर लेना चाहते हैं । यह नियम 338 के विरुद्ध हैं ।

नियम 224 (2) में कहा गया है :

"प्रश्न हाल ही की किसी घटना तक सीमित रखा जायेगा ।"

यह प्रस्ताव 30 अथवा 31 मई, को क्यों नहीं लाया गया ?

Shri Madhu Limaye : It is because the statement of the Prime Minister had not been made by them,

श्री गोविन्द मेनन : श्री बनर्जी ने यह वक्तव्य 30 तारीख को दिया था। श्री वाजपेयी तथा श्री लिमये, श्री अरोड़ा के विरुद्ध प्रस्ताव के परिणाम की प्रतीक्षा करने लगे। जब उन्होंने देखा कि वह प्रस्ताव अस्वीकार हो गया है तो उन्होंने यह बात सोची। उद्देश्य स्पष्ट है, यह प्रस्ताव श्री वाजपेयी, श्री लिमये तथा श्री बनर्जी द्वारा मिलकर लाया गया है। यह विशेषाधिकार सम्बन्धी नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का दुरुपयोग है। प्रस्ताव पर बोलते-बोलते नेक्लेस का मामला ले आये हैं। वे मामलों को पुनः उठाना चाहते हैं। आशा है आप इसकी अनुमति कभी नहीं देंगे।

Shri Atal Behari Vajpayee : While opposing my motion to refer this case to the Committee of Privileges, the Minister of Law has tried to accuse me of collusion and conspiracy with Shri S. M. Banerjee and Shri Madhu Limaye. This allegation is mischievous. I am only acting according to your decision that a member who levels baseless and false accusation, will be considered to have committed a breach of privilege. Before giving your ruling you should consider the arguments advanced by the Minister of Law. The first motion was against Shri Arjun Arora and while that was being discussed, you were pleased to say that the motion against Shri Banerjee stands on a different footing since he is a Member of this House. The motion of breach of privilege against Shri Arjun Arora was not rejected by you, it was rejected by a majority of the House. Should the questions of breach of privilege be decided on the basis of majority. Therefore it is wrong for the Minister of Law to say that since the motion against Shri Arora has been rejected, the motion of breach of privilege against Shri S. M. Banerjee cannot be brought, Shri Banerjee is a Member of this House. He has levelled charges against two other members of the House. On 30th May, Shri Banerjee levelled charges and the Prime Minister and said that she was holding an enquiry. Therefore, it is also meaningless to say that how is it that this motion was not brought on 30th May, After the enquiry, the Prime Minister came to the conclusion that the charge was baseless. Then we had to bring this motion, because in the opinion of the Prime Minister, he is guilty of breach of privilege and therefore, the matter should be referred to the Committee of Privileges. I fail to under stand the hitch in referring it to the Committee of Privileges, If you are interested in clearing the whole thing, it should not be opposed, but if there is anything wrong at the bottom, the matter is different.

श्री गोविन्द मेनन : हम नहीं चाहते कि कांग्रेस दल की बैठक में जो कुछ हुआ है, उसको यहां पर चर्चा का विषय बनाया जाये।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : विधि मंत्री को दुर्भिसंधि शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिये। मुझे आशा है कि वह इसे वापिस ले लेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष ने कहा है कि श्री बनर्जी को सभा से क्षमा-याचना करनी चाहिये अथवा जो कुछ कहा है उसे वापिस लेना चाहिये। यदि कोई सदस्य इस प्रकार के अपमान-जनक शब्द कहता है अथवा इस सभा के अन्य सदस्यों के विरुद्ध कोई आरोप लगाता है, तो ऐसे सदस्यों के विरुद्ध सभा को क्या करना चाहिये ? मालूम होता है कि श्री अर्जुन अरोड़ा ने बहुत गम्भीर गलतियां की है परन्तु कांग्रेस दल ने उन्हें क्षमा कर दिया है। क्या इससे हम

यह समझें कि हम श्री स० मो० बनर्जी को क्षमा करके वैसी ही स्थिति पैदा करेंगे और अन्य सदस्यों के लिये बुरा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे ।

श्री गोविन्द मेनन : जब श्री वाजपेयी ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया तो श्री बनर्जी उठ खड़े हुये और कहने लगे, ठीक है, मै इससे सहमत हूं ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैने कहा है कि मैं इसका स्वागत करता हूं ।

श्री गोविन्द मेनन : इसका अर्थ वही है ।

Shri Madhu Limaye : It provides a chance to expose you,

श्री गोविन्द मेनन : मैंने इसे दुर्भिसंधि कहा है । यदि यह आपत्तिजनक हो, तो मैं इसे वापिस लेने के लिये तैयार हूं ।

Shri Madhu Limaye : He has not withdrawn it.

श्री श्री० अ० डांगे : प्रधान मंत्री के वक्तव्य का सम्बन्ध इस सभा के बाहर श्री अर्जुन अरोड़ा द्वारा लगाये गये आरोपों से है परन्तु श्री स० मो० बनर्जी ने आरोप इस सभा में लगाये हैं और उसके सम्बन्ध में प्रधान मंत्री ने कोई वक्तव्य नहीं दिया है । इसलिये, श्री स० मो० बनर्जी द्वारा कही गई बातें एक नया मामला है और इस कारण इसे विशेषाधिकार समिति को भेजा जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : उस दिन चर्चा के दौरान उन्होंने कुछ बातें कहीं थीं ।

श्री नाथ पाई : आप इसे सभा में मतदान के लिये रखें ।

Shri Madhu Limaye : You should refer it to the House, as you did on the other occasion, when actually you should not have done that.

अध्यक्ष महोदय : मै अपना निर्णय सोमवार को दूंगा ।

डा० धर्म तेजा के स्वदेश प्रत्यावर्तन के बारे में आधे घण्टे की चर्चा

Re : Repatriation of Dr. Dharam Teja*

Dr. Ram Manohar Lohia : (Kannauj) : Sir, I have received letters from Shri Jayanti Te'a and his wife Mrs, Ranjit Teja. I want to quote one portion of her letter 14 June, 1967. In this letter Mrs, Teja has written :

"Let me confirm the meeting between Mr. T. N. Kaul and me in London in early September, 1966 during which he advised us to stay out of India until after the elections."

---

* आधे घण्टे की चर्चा ।

** Half an hour Discussion.

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

She has further written that she received several telephonic calls advising them to stay out of India until after the elections.

It now appears that the Enforcement Department of the Ministry of Finance wented to arrest Dr. Teja on 11-12th May last year, but the arrest was not made as the Home Ministry was of the view that he should not be arrested. The warrants against Dr. Teja were issued in March, 1966 but he was not arrested. I fail to understand why he should not have been arrested.

Shri Sanjiva Reddy, who was than the Minister of Shipping gave a statement in Lok Sabha on August, 25, 1966, in which while referring to Dr. Teja, he said that Dr. Teja forged a Resolution of the Company, gave it to the Company in America and took Rs. 90 lakhs on the basis of a Resolution of the Company to the effect that the money must be handed over to Dr. Teja, not to the Chairman of the Company, not to the Company, but to Dr. Teja. In his personal name, he took the money and put it in the State Bank of India in London. Rs. 20 lakhs withdrawn and Rs. 70 lakhs are still there.

This matter clearly falls under the penal laws and there must be corresponding laws in U. S. A. He came here twice after March. He was allowed to go away on both the occassions, It is no doubt clear that Mr. Teja has indulged in misappropriation but it is also clear that the Government have collaborated in this misapporpriation. It is clear from those letters that the Government are causing delay in his extradition proceedings. I now read a sentence from the letter of Mrs. Ranjit Teja.* She has also referred a name.*

Shri Shashi Bhushan Bajpai : (Khargove) : That is a forged letter. He cannot cite from forged letter.

Dr. Ram Manohar Lohia : May I know if there has been any instance in the past of my having used any forged document ?

I fear the Government will not proceed in a proper way in this matter of extridation from U. S. A.

विधि मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : इस समय प्रश्न केवल इतना है कि उनका प्रत्यावर्तन कराया जाये अथवा नहीं । डा० लोहिया विषय से बाहर जा रहे हैं ।

Dr. Ram Manohar Lohia : I have my own doubt that whether this Government will put their case in proper way in U. S A. when extradition proceedings start ?

श्री गोविन्द मेनन : श्री लोहिया को इस चर्चा के अवसर का लाभ उठाकर अन्य बातें शुरू नहीं करनी चाहिये । मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे असंगत बन्द करायें ।

Shri Shashi Bhushan Bajpai : The letters from a person who is wanted by the Government of India and who is an accused are being read, This is a forged letter.....****

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही में शामिल नहीं किया जावेगा ।

Shri Madhu Limaye : (Monghyr) How one can say that this is a forged letter,

---

**** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

** Expunged on ordered by the Chair.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं डा० लोहिया को बता चुका हूं कि यह इसमें नहीं आता है।

Shri Madhu Limaye : I raise a point of order and in that I want to tell you how this is relevant,

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

Shri Madhu Limaye : What is this No. No.

उपाध्यक्ष महोदय : अगर मेरे निर्णय के बाद में इस प्रकार कहा गया तो मैं एक की भी नहीं सुनूंगा।

श्री गोविन्द मेनन : व्यवस्था का प्रश्न

Shri Madhu Limaye : I also have that right.

श्री गोविन्द मेनन : भारत सरकार डा० धर्म तेजा पर मुकदमा चला रही है और हम उसके प्रत्यावर्तन का प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु डा० लोहिया उनका पक्ष यहां पेश कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : डा० लोहिया के पास जो पत्र हैं, वह उस व्यक्ति का है जो इस मामले में सह-अपराधी माना जाता है। इसलिए जहां तक इस पत्र का सम्बन्ध है, इसमें से कुछ भी कार्यवाही में शामिल नहीं किया जायेगा।

Dr. Ram Manohar Lohia : May I know whether an accused cannot say in his defence. Morover I am finding something else from this letter.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Under which rule it is being expunged ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुनूंगा, परन्तु उससे पहले जानना चाहता हूं कि क्या मामला न्याय निर्णय के लिए पड़ा हुआ है।

श्री गोविन्द मेनन: डा० तेजा, उनके मित्र तथा उनकी पत्नी इस मामले में अपनी सफाई पेश करने का प्रयत्न कर रहे हैं और डा० लोहिया जानबूझ कर अथवा अनजाने में इस काम में उनकी सहायता कर रहे हैं (अन्तर्बाधायें)। यह पत्र इसलिए कार्यवाही में शामिल कराने का प्रयत्न किया जा रहा है ताकि इन आरोपों के आधार पर जब वह भारत आये और उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया जाये तो इनको वह अपनी सफाई में पेश कर सकें।

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : नई दिल्ली के एक मजिस्ट्रेट ने डा० धर्म तेजा को प्रथम दृष्टि से अपराधी घोषित किया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें उन पर मुकदमा चलाने के लिये भारत लाया जाये। स्वदेश प्रत्यावर्तन के मुकदमें की

*** कार्यवाही के वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*** not recorded.

सुनवाई की अगली तिथि अमरीका में 28 जून को है। हम डा० तेजा तथा श्रीमती तेजा दोनों को वापिस भारत लाना चाहते हैं क्योंकि इस मामले में दोनों पर अपराध का आरोप लगाया गया है। (अन्तर्बाधायें)

मैं इस विषय में डा० लोहिया के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। परन्तु यह कहना चाहता हूं कि इस सभा में कही गई बातों का 28 जून की प्रत्यावर्तन की कार्यवाही में उल्लेख किया जायेगा तथा वहां पर इसका फायदा उठाने की कोशिश की जायेगी। कानूनी स्थिति यह है कि न्यूयार्क के न्यायालय को इस बारे में सन्तुष्ट कराना होगा कि अमुक व्यक्ति उन अपराधों के दोषी हैं जिनके बारे में उन्हें नई दिल्ली के न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है।

हम उन दोनों को यहां लाने के बहुत उत्सुक हैं। इसलिए मेरा डा० लोहिया से निवेदन है कि इस प्रकार के पत्र न पढ़ें। इस मामले में जवाबी आरोप लगाये जा सकते हैं। इस समय मैं उनके बारे में यहां कुछ नहीं कहना चाहूंगा परन्तु इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि समय आने पर उनके बारे में चर्चा हो सकती है।

जब वे लोग यहां वापिस आये तो वे यह सभी बातें यहां कह सकते हैं। यह पत्र न केवल डा० लोहिया को ही मिले हैं बल्कि वे अन्य सदस्यों को भी मिले होंगे। उन्होंने हमें भी पत्र लिखे हैं। इसलिये डा० लोहिया से मेरा नम्र निवेदन है कि ऐसी कोई बात न कहें जिसका वह अमरीका से लाभ उठा लें।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है तो इस पर सभा में चर्चा क्यों की जा रही है?

श्री उपाध्यक्ष महोदय : यदि मामला न्यायालय के विचाराधीन है तो उसका यहां उल्लेख नहीं किया जाना चाहिये।

श्री गोविन्द मेनन : इस पर आपत्ति इसलिए नहीं उठाई गई थी क्योंकि मैंने समझा था कि यह चर्चा प्रत्यावर्तन के प्रश्न तक ही सीमित रहेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय का उत्तर सुनने के बाद मैं यह अनुभव करता हूं कि इस मामले को यहां उठाने की बजाये यदि यह पत्र डा० राव को दे दिये जायें तो इससे दोषी के प्रत्यावर्तन में सुविधा होगी।

Dr. Ram Manohar Lohia : Mr. Deputy Speaker, Sir, whethr I am going to point out is that this Government is also a party to the crimes which Dr. Teja has committeed and now they are trying to conceal the collusion. It will be in the interest of the country if such a collusion between the criminal and the Government comes before the public. I doubt that the Government will make any serious attempt to get or Teja extrcdited.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझा कि श्री लोहिया किसी प्रकार दोषी की सहायता करना चाहते हैं परन्तु उनका यह सुझाव उचित नहीं कि सरकार उनका पक्ष लेने का प्रयत्न कर रही है।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह सिद्ध हो चुका है कि मामला दर्ज होने के बाद वह दो बार भारत आए और उनको दोनों बार जाने दिया गया। यह बड़ी गम्भीर बात है।

Dr. Ram Manohar Lohia : The Minister has said that the discussion here will creat difficulty for us in the hearing on 28th June. I fear the Government will not make any serious attempt for his extradtion.....(Interruptions)

श्री वी० रे० आर० वी० राव : मैं इसका विरोध करता हूं। आप इस प्रकार आरोप क्यों लगा रहे हैं..... (अन्तर्बाधायें)

Dr. Ram Manohar Lohia : What is this nonsence.....(Interruptions) Does not he feel a-shamed.....(Interruptions)

Shri Shashi Bhushan Bajpai : Why does he make such noise ? He is creating such scenes may often hard.....(Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में इस प्रकार की उत्तेजना को देखते हुए मैं सभा को स्थगित करता हूं।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार. 26 जून, 1967/5 आषाढ़, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Monday, June 26, 1967/Asada 5, 1889 (Saka)